सी एम पी डी आई एल

४४वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
२०१८-१९

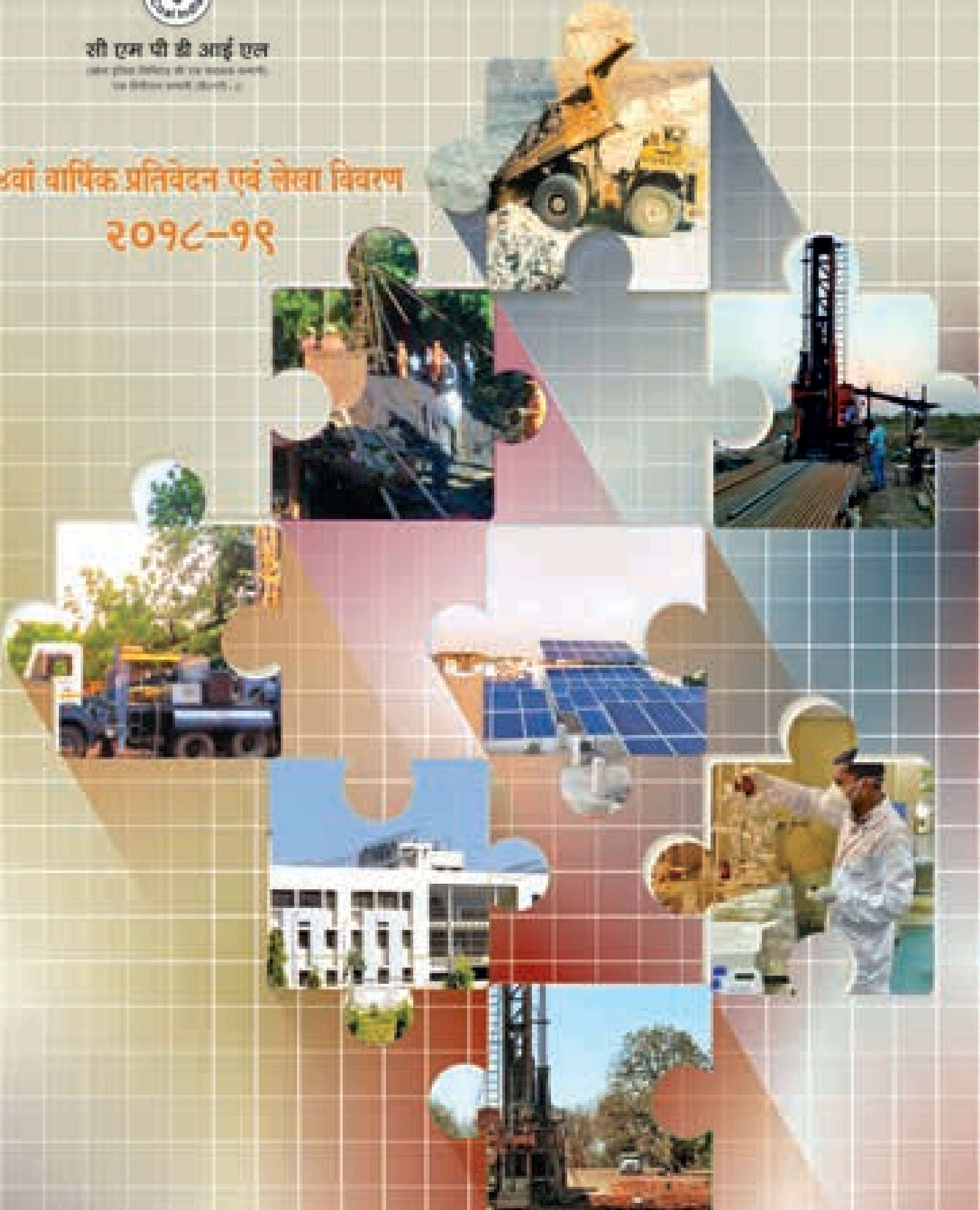

४४वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण २०१८-१९

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2018-19

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

मिनी रत्न कंपनी (कैट–I)

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची – 834 031

सीआईएन : यू14292 जेएच1975 जीओआई 001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

विजन

बढ़ते भू-संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित (व्यवसायिक) क्रिया-कलापों में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना ।

मिशन

प्रमुख परामर्शदाता के रूप में भारत तथा अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कोयला, गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना।

सीएमपीडीआईएल की प्रबंधन नीति

कोयला एवं अन्य खनिज संसाधन के गवेषण तथा खान आयोजन, डिजाइन, सम्ब) अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएमपीडीआई विस्तृत भू–संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया–कलापों में बाजार में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

हम निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है :–

कोयला और अन्य खनिज संसाधनों के गवेषण तथा खान आयोजन ङ्घप्लानिंगङ्क, डिजाइन संब) अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श सेवा देने के उद्देश्य से सीएमपीडीआई बढते भू–संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया–कलापों में अग्रणी परामर्शदाता के रूप में बाजार नेता (मार्केट लीडर) बनने का प्रयास कर रहा है। हम निम्नलिखित के प्रति समर्पित हैं :

1. पर्यावरण, सूचना सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धि पर सम्यक (यथोचित) ध्यान देते हुए अपने परामर्श एवं अन्य सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में सतत् सुधार लाना।
2. उत्पन्न अपशिष्ट में लगातार (दृढ़तापूर्वक) कमी लाकर, पुनः उपयोग कर तथा उसके कुछ भाग को पुनर्चक्रित (रिसाइक्लिंग) कर हमारे कार्यो द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को कम कर पर्यावरण के संरक्षित करना।
3. गुणवत्ता, पर्यावरण, ऊर्जा तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
4. व्यापार निरंतरता को बनाए रखने के लिए खतरों (जोखिम) तथा व्यवधान से अपनी सूचना संपदा (परिसम्पत्ति) को बचाए रखने तथा सूचना सुरक्षा उपलब्ध (कार्यनिष्पादन) में सतत् सुधार लाने।
5. कानूनी एवं अन्य सभी प्रयोज्य (लागू) आवश्यकताओं (अपेक्षाओं) के अनुपालन।

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा विवरण जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा तथा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	2018–2019 के दौरान प्रबन्धन	01
2.	28.06.2019 के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्य	02
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	03
4.	44 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	04
5.	अध्यक्ष का कथन	09
6.	उपलब्धि : एक नजर में	18
7.	वित्तीय पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी	19
8.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट	21
9.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची	126
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण–पत्र	130
11.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र	137
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर	144
13.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधक का उत्तर	166
14.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	172
15.	नकद प्रवाह (कैशफ्लो) विवरण के साथ–साथ लेखे पर टिप्पणी	177
16.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	212

वर्ष 2018-2019 के दौरान प्रबंधन

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री ए.के. चक्रवर्त्ती	:	निदेशक (तकनीकी) (03.08.2016 से)
श्री बी.एन. शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी) (17.08.2017 से 14.06.2019 तक)
श्री के.के. मिश्रा	:	निदेशक (तकनीकी) (11.10.2018 से)
श्री आर.एन. झा	:	निदेशक (तकनीकी) (30.01.2019 से)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी) (09.11.2017 से)
डा. अनिंद्य सिन्हा	:	परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.02.2018से)

स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री राजेन्द्र प्रसाद	:	निदेशक (17.11.2015 से)
डा. देबाशीष गुप्ता	:	निदेशक (17.11.2015 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (06.05.2016 से)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	(18.02.2016 से)

28.06.2019 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री ए.के. चक्रवर्ती	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री के.के. मिश्र	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री आर.एन. झा	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
डा. अनिंद्य सिन्हा	:	परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

स्वतंत्र निदेशक

श्री राजेन्द्र प्रसाद	:	स्वतंत्र निदेशक
डा. देबाशीष गुप्ता	:	स्वतंत्र निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी) कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

आईडीबीआई बैंक

एक्सिस बैंक

एचडीएफसी बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स लोधा पटेल, बाधवा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

304, श्री लोक कम्पलेक्स, 4 एचबी रोड, तृतीय तल,

रांची, 834001, झारखंड

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031,

झारखण्ड, भारत

CIN : U14292 JH1975 GOI 001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

44 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक होटल मेफेयर, दार्जिलिंग में शुक्रवार दिनांक 28 जून, 2019 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित की जाएगी।

क. सामान्य कार्यः

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ–साथ भारत के सांविधिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अंगीकार करना।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मार्च, 19 में कंपनी के 3,80,800 इक्विटी शेयर पर प्रतिशेयर 670.17 (डिविडेंट प्रतिशेयर) की दर से 25.52 करोड़ रू. प्रथम दो अंतरिम लाभांश (डिविडेंट) का भुगतान करना तथा 3,80,000 इक्विटी शेयर पर 695.12 रू. प्रति शेयर की दर से प्रस्तावित 26.47 करोड़ के फाइनल लाभांश (डिबिडेंट) का भुगतान, इस प्रकार डिबिडेंट के रूप में कुल 51.99 करोड़ के भुगतान को अनुमोदित करना।

3. श्री अनिंद्य सिन्हा (DIN 08069992) अंशकालिक सरकारी निदेशक जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

4. श्री ए. के. चक्रवर्त्ती (DIN 07601841) पूर्णकालिक निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

ख. विशेष कार्य :

1. यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :–

   संकल्प किया गया कि कंपनी (शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर) नियमावली, 2014 (कुछ समय के लागू उस कानून के किसी सांविधिक संशोधन (संशोधन में) या पुनराधिनियमन (नों) (रिइंएक्टमेंट) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (दि एक्ट) के अनुच्छेद 61 के प्रावधानों तथा लागू सभी अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50,00,000,00 (पचास करोड़) रू. जो 1,000 (एक हजार) रू. के 5,00,000 इक्विटी शेयर में विभक्त था, बढ़कर 15.,00,00,000 रू. (एक सौ पचास करोड़ रू.) जो प्रत्येक 1000 रू. के 15,00,000 लाख इक्विटी शेयर में विभक्त है हो गया, यह अर्जन 100,00,00,000 (एक सौ करोड़) 1000रू. (एक हजार रू.) के 15,00,000 शेयर में विभक्त है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ असोसियशन के खंड 5 को तद्नुसार परिवर्तित किया जाए''।

2. विचार करना और यदि उपुयक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना ''संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 (दि एक्ट) वर्तमान में लागू उसका कोइ सांविधिक संशोधन (नों) या पुनराधियमन (रि इनएक्टमेंट) सहित) के अनुच्छेद 13,61 तथा

4

अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसरण में मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन के क्रम सं क्रमशः 1,2,3,4 एवं 5 I,II,III.iv एवं v को प्रतिस्थापित करने की सहमति है और दी जाती है।

3. श्री राजेन्द्र प्रसाद (DIN 07355767) की गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति में संशोधन विचार करना और यदि उपयुक्त पाया गया तो, निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (एक्ट) के अनुच्छेद 149, 152 के प्रावधान तथा अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियम और इस अधिनियम, समय–समय पर यथा संशोधित अनुसूची–पअ के साथ पठित, के प्रावधान के अनुसरण में संकल्प किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद (DIN 07355787) जिन्हें दिनांक : 11.12.2018 को आयोजित निदेशक–मंडल की 219वीं बैठक के द्वारा कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था, में यह घोषणा की है कि अधिनियम के अनुच्छेद 149(6) में यथा उल्लेखित स्वतंत्र निदेशक के मानदंड को पूरा करते हैं, उन्हें एतद् द्वारा कंपनी के स्वतंत्र–निदेशक, जो पुनर्चक्रण द्वारा सेवा–निवृत्ति के उत्तरदायी नहीं है, के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है तथा 17.11.2018 से 16.11.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए पदभार दिया जाता है।

4. गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री देवाशीष गुप्ता (DIN 03572010) की पुनर्नियुक्ति का संशोधन विचार करना और यदि उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

संकल्प लिया गया कि इस अधिनियम, समय–समय पर यथा संशोधित, अनुसूची iv के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (''एक्ट'') के अनुच्छेद 149, 152 के प्रावधान तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधान तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसरण में श्री देबाशीष गुप्ता (DIN 03572010), जिन्हें अनुसरण में संकल्प किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद (DIN 07355787) जिन्हें दिनांक : 11.12.2018 को आयोजित निदेशक–मंडल की 219वीं बैठक के द्वारा कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था, में यह घोषणा की है कि अधिनियम के अनुच्छेद 149(6) में यथा उल्लेखित स्वतंत्र निदेशक के मानदंड को पूरा करते हैं, उन्हें एतद् द्वारा कंपनी के स्वतंत्र–निदेशक, जो पुनर्चक्रण द्वारा सेवा–निवृत्ति के उत्तरदायी नहीं है, के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है तथा 17.11.2018 से 16.11.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए पदभार दिया जाता है।

उपयुक्त व्यक्त विशेष कार्यव्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

5

ध्यातव्य :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में भाग लेने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए किसी एवजी (प्रॉक्सी) नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसे लागू करवाने के लिए विधिवत् भरा हुआ एवजी फार्म वार्षिक आम बैठक होने की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले कम्पनी के निबंधित कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए।

2. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 101(1) के प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित करवाने की अपनी सहमति दी जाए।

वितरण :

सभी शेयर धारक,

कम्पनी के सभी निदेशकगण,

अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष,

मनोनीत एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष,

कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक

कम्पनी के कॉस्ट आडिटर

महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. बी (1) : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड की अधिकृत पूंजी

वर्तमान में सीएमपीडीआईएल की अधिकृत शेयर पूंजी 50,00,000,00 रू. (पचास करोड़ रू.) है जो 1000 रू. (एक हजार रू.) प्रत्येक के 5,00,000 (पांच लाखऋ इक्विटी शेयर में विभक्त है, यह कंपनी के स्थापना काल से वैसा ही है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में हमारी प्रदत्त पूंजी 19,04 करोड़ से बढ़कर 38.08 करोड़ हो गई है, जो अधिकृत शेयर पूंजी पर प्रदत्त शेयर पूंजी में पूर्व के 38.08 प्रतिशत से बढ़कर 76.16 प्रतिशत है। डीआईपीएएम का प्रावधान; जो कंपनी के मामले में कुछ स्थितियों के अनुसार बोनस शेयर जारी करने के संबंध में अनुपालन की प्रकृति बाध्यकारी है, वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी के 1:1 के अनुपात में भी और बोनस जारी करना आवश्यक है, यह संभव नहीं होगा और अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी की जरूरत होगी।

बोनस शेयर या राइट इश्यू के निर्गमन को समायोजित करने के उद्देश्य से यह महसूस किया गया कि सीएमपीडीआईएल की अधिकृत शेयर पूंजी 50,00,00,000 (पचास करोड़ रू.) जो प्रत्येक 1000 (एक हजार) इक्विटी शेयर वाले 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर में विभक्त है, से बढ़कर 150,00,00,000 (एक सौ पचास करोड़) रू., प्रत्येक 1000 (एक हजार) के 10,000,00 (दस लाख) में विभक्त, 100,00,00,000 (एक सौ करोड़) किए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए अधिकृत शेयर पंजी में वृद्धि के बाद मद सं. बी (।) में दिए गए संकल्प, कंपनी मेमेरेंडम आफ असोशिएशन के खंड अ को कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक में आवश्यक संकल्प पारित कर उसे बदलना पड़ेगा। सूचना

के मद संख्या बी (2) का संकल्प कंपनी अधिकृत शेयर पूंजी में प्रस्तावित वृद्धि के परिणामस्वरूप किया जाना है निदेशक–मंडल ने मद सं. बी (।) एवं बी (2) को सामान्य संकल्प में पारित करने की अनुशंसा की है। सूचना के मद संख्या बी (।) तथा बी (2) में दिए गए संकल्प से किसी निदेशक, कंपनी के प्रमुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार का कोई वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंध या उसमें रूचि नहीं है। कंपनी का मेमोरेंडम (सामान्य कार्य–काल में किसी भी समय से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तथा बैठक में सदस्यों की जाँच के लिए खुला रहेगा।

सदस्यों की स्वीकृति हेतु बोर्ड ने संकल्प को अनुमेदित कर दिया है।

मद सं. (2) : क्रमशः अंक (संख्या) I से V तक में परिवर्तन

सीएमपीडीआई के मेमोरेंडम आर्फ असोसियेशन मं अंग्रेजी संख्या 1,2,3,4 तथा 5 है तथा इसे मेमोरेंडम ऑफ असोसियेशन में रोमन संख्या के क्रमशः I,II,III,IV, तथा V से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

मद सं बी (3) गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री राजेन्द प्रसाद (डीआईएन 07355787) की पुनर्नियुक्ति में संशोधन।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 के प्रावधान के अनुसार 17 नवम्बर, 2015 को श्री राजेन्दर पार्षद को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 150(2) के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को कंपनी की आम बैठक द्वारा अनुमोदित की जाती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद (डीआईएन 07355787) सोनीपत के हिन्दू कॉलेज से वर्ष 1977 के स्नातक हैं। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद से इन्होंने अगस्त, 1975 में अपने कैरियर की शुरूआत एक अधिवक्ता के रूप में की। इन्होंने सिविल, क्रिमिनल, एक्ट, रेवेन्यू और लेबर लॉ की प्रैक्टिस की एवं बीएसटी गनौर, रंग उद्योग जैसे जिला और राज्य स्तर के विभिन्न औ़द्योगिक संगठनों के ट्रेड तथा लेबर यूनियन के लिए अपनी सेवाएँ दी। इन्होंने प्रशासन के समक्ष गरीब, समाज वंचित एवं नीचे तबके के लोगों के अधिकारों और हक के लिए जोरदार आवाज उठाई तथा समुचित लीगल फोरम के समक्ष कानूनी सहायता भी दी।

वर्ष 1981 में उनका चयन हरियाणा जुडिशियल सेवा के लिए हो गया और उन्होंने सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में योगदान किया। फरवरी, 1988 में हरियाणा हाइयर जुडिशियल सर्विस में उनकी प्रोन्नति हुई तथा 06.03. 2009 तक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (आडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज) के रूप में पदस्थापित हुए। जुडिशियल सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, कुरूक्षेत्र के प्रेसीडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर वे 05.03.2014 तक रहे। इसी समय इन्होंन प्रेसीडेंट डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रेड्रेसल फोरम, करनाल को भी अपनी सेवाएँ दी।

इन्होंने ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करते हुए 35 वर्षों से अधिक की सेवा जुडिशियल डिपार्टमेंट में दी। अपने जुडिशियल कैरियर के दौरान पूरे हरियाणा में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी। अपनी सेवा अवधि के दौरान इन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से कई प्रशंसा–पत्र मिलें हैं।

इन्होंने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनॉलॉजी एंड फोरेसिंक साइन्स द्वारा आयोजित क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइन्स (1994), आपराधिक न्यायिक प्रणाली में मानवाधिकार के पाठ्यक्रम में शामिल होकर प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त किया है। ड्रिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल फोरम के प्रेसीडेंट के रूप में उन्हें

स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन, हरियाणा, पंचकुला द्वारा वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र किया गया। पंचकुला में दिनांक 09.01.2013 को आयोजित इनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के रजत जयन्ती समारोह(सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन) के अवसर पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिश श्री ए.के.सिकरी द्वारा उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र दिया गया। 2015 में स्टूडेंट इलेक्शन 2015 के न्यायिक जाँच करने के लिए इन्हें हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड) द्वारा नियुक्त किया गया था।

श्री प्रसाद की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्त के तहत, नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश, जो पहले हो, के लिए की गई है।

नियुक्त होने के नाते श्री प्रसाद को छोड़कर किसी निदेशक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का मद संख्या बी (3) में स्थापित संकल्प से किसी तरह का वित्तीय या अन्य तरह से संबंध या रूचि नहीं है।

मद सं बी (4) गैर सरकारी निदेशक के रूप में डा. देबाशीष गुप्ता (डीआईएन 03572010) की नियुक्ति में संशोधन।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 के प्रावधान के अनुसार डा. देबाशीष गुप्ता को 17 नवम्बर, 2015 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 150 (2) के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को कंपनी की आम बैठक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

डा. देबाशीष गुप्ता (डीआईएन 03572010) कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन–शास्त्र में पीएचडी पूरा करने के बाद 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उन्हें बिहार कैडर मिला। उन्होंने तत्कालीन बिहार और झारखंड में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया तथा टेक्सटाइल मंत्रालय में भारत सरकार के साथ कार्य किया। उन्हें नेशनल जूट मैन्यूफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड तथा जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अ.स.प्र. निदेशक (सीएमडी) के रूप में कारपोरेट का अनुभव है। उन्हें बिहार सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में सीएमडी तथा प्रशासक का भी कार्यानुभव है। वे डेवलपमेंट कमीश्नर, झारखंड सरकार के पद से सेवा–निवृत हुए। सेवा–निवृत्ति के बाद वे वर्ष 2013–15 तक झारखंड लोक सेवा आयोग (झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन) के अध्यक्ष भी रहे।

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

श्री शेखर सरन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का कथन

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआईएल की 44वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप-रेखा :

संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआईएल की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाले संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआईएल की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, सूचना संचार, प्रौद्योगिकी, सुदूर, संसाधन विकास, रिमोट सेंसिंग) सीआईएल से बाहर की कंपनियों को भी इसी तरह की सेवाएँ दी जा रही है। कुछ हद तक धात्विक खनन उद्योग को भी आयोजना प्लानिंग एवं सम्बद्ध सेवाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल गैर–सीआईएल ब्लॉक, कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन यानि सीबीएम, यूसीजी शेल गैस से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी दे रहा है।

सीएमपीडीआईएल के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाया गया। सीएमपीडीआईएल के कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना के द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा का निर्माण किया गया। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआईएल को एक ही छत के नीचे खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया

लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चली।

कुल मिलाकर बदलते व्यापार परिवेश के फलस्वरूप देश तथा विदेश के खनन क्षेत्र में अवसर में बदलाव आने के चलते यहाँ से विशेषज्ञों का पलायन और बढ़ गया, जो अगले 5–6 वर्षों तक जारी रहा। कुल मिलाकर कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ाने के प्रति पूर्णतः समर्पित है ताकि भारत तथा विदेश में व्यापार के वातावरण में बदल रहे परिदृष्य के साथ सामांजस्य बैठाया जा सके। इस कथन की इस तथ्य से पुष्टि की जा सकती है कि यह कंपनी कुछ संभव सीमा तक कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ खनन उद्योग से संबंधित आधुनिकतम साफ्टवेयर के प्रयोग, खासकर पर्यावरणिक सुविधा से संबंधित उपकरण, कोयले का गुण निर्धारण एवं आईएसओ मानक शामिल करने में सक्रिय रूप से लगी रही है।

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, ने लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा बिक्री लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) थी। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय तौर पर ही थी। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्नुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर इसकी क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आऊटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ–साथ सीएमपीडीआईएल की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ाई गई। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरण के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, राँची में एक कोल बेड मिथेन प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानी कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआईएल की गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया है जहाँ 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित कुल ड्रिलिंग क्षमता 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी। सीएमपीडीआईएल ने गत वर्ष की गई ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016–17 में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मीटर ड्रिलिंग की उपलब्धि हासिल की तथा पुनः गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर वर्ष 2017–18 में 13.66 लाख मीटर की ड्रिलिंग उपलब्धि हासिल की। गैर–सीआईएल ब्लॉकों के गवेषण के लिए निधिकरण (फंडिंग) अनिश्चितता, विस्तृत गवेषण के लिए पूर्व में चिहिन्त वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुछ ब्लॉक उपलब्ध न होना, कुछ कोल ब्लॉक क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की विपरित स्थित का होना, वन स्वीकृति (क्लियरेंस) के लिए लंबित 84 कोल ब्लाकों के आवेदन के बारे में विगत तीन वर्षों के दौरान विस्तृत गवेषण हेतु अनुमति नहीं प्राप्त होने जैसी स्थितियों को ध्यान में रखकर वर्ष 2018–19 के लिए एमओयू का लक्ष्य 13.67 लाख मी. रखा गया।

आपकी कंपनी इन चुनौतियों को स्वीकार करने में सही साबित हुई और इसने आधुनिकतम मड टेक्नोलॉजी को शामिल कर उच्चतर क्षमता वाला ड्रिल एवं हाई पॉरफॉर्मेंस बिट, श्रमशक्ति को बढ़ाने जैसे कई कार्य (पहल) कर वर्ष 2018–19 के दौरान अपनी विभागीय ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाकर 5.00 लाख मीटर तक पहुँचा दिया।

वर्ष 2006–07 (10वीं योजना अवधि के अंतर) में 206 मीटर उपलब्धि की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 17.03 प्रतिशत की ड्रिलिंग में सीएजीआर के साथ 13.60 मी. कुल ड्रिलिंग की गई। आपकी कंपनी ने वित्तीय 2018–19 में 1274.56 करोड़ रू0 की निबल (नेट) बिक्री की जो गत वर्ष की तुलना में 10.37 प्रतिशत अधिक थी। कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा अन्य कंपनियों के खनन के लिए परामर्शी सेवाएँ दी गई।

व्यापारिक गतिशीलता पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप रणनीतिक व्यापार योजना बनाई गई। संभावित जोखिमों का विश्लेषण करने के बाद सीएमपीडीआईएल ने पहचान, प्राथमिकता देने प्रशमण करने तथा मूल्यांकन मानिटरिंग करने में प्रयोग करने के लिए कार्य–कलापों की श्रृंखला तथा इन्हें कार्यान्वित करने वाले जिनसे किसी संगठन के संगठनात्मक जोखिमों के मूल्यांकन करने, पहचान करने प्राथमिकता देने, इसका प्रशमन करने तथा मानिटरिंग करने की अपेक्षा रखते हैं, की रूप–रेखा निर्धारित करते हुए उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना (इन्टरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट

प्लान) बनाई है। कंपनी के ईआरएम तकनीक एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण पर सम्यक ध्यान देते हुए सीएमपीडीआईएल ने रणनीतिक व्यापार योजना (स्ट्रेटिजिक बिजनेस प्लान)– 2019 बनाई है, जिसमें अन्य क्षेत्रों में भी अपने कार्य–कलापों में विविधता लाने, राजस्व, सृजन मॉडेल एवं साफ्टवेयर तैयार करने में आईटी का प्रयोग, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली को अपनाने अन्य क्षेत्रों के लिए अपने क्रिया–कलापों में विविधता लाने हेतु अपनाए जाने वाली सटीक (उचित) एवं विस्तृत रणनीति की अनुशंसा कर भविष्य में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक उपाए शामिल हैं।

विविधता के साथ–ही–साथ निकट भविष्य में संपूर्ण रूप से कोयला क्षेत्र के हित के लिए कंपनी की विशिष्टता को भी अक्षुण बनाए रखा जाएगा।

2. वित्तीय उपलब्धिः

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने 263.82 करोड़ रू. (6.39 करोड़ रू. के व्यापक (विस्तृत) आय पर विचार करने के बाद) 263.82 करोड़ रू. कर के पहले लाभ सहित 1274.56 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर प्राप्त किया है। कंपनी का निबल मूल्य 31.3.2018 को 334.53 करोड़ रू. से बढ़कर 31.03.2019 को 466.82 करोड़ रू. हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति शेयर उपार्जन पिछले वर्ष के 2122.64 रू. (3,80,800 शेयर पर परिकलित) से बढ़कर 4550.16 रू. (380800 शेयर) हो गया है।

3. ड्रिलिंग उपलब्धिः

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आपकी कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान विभागीय ड्रिलिंग के क्षेत्र ने नई ऊचाई स्थापित की है। विभागीय ड्रिलों के जरिए इसने नई प्रौद्योगिकी अपनाकर गत वर्ष की तुलना में विभागीय ड्रिलिंग में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 619 मीटर/ड्रिल/माह उत्पादकता सहित 5 लाख मीटर ड्रिलिंग किया है, जो सीएमपीडीआईएल के इतिहास में अब तक का सर्वाधित है। वर्ष 2018–19 के दौरान विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए 13.67 लाख मीटर एमओयू लक्ष्य के मुकाबले कुल उपलब्धि 13.60 लाख मीटर रही। वर्ष 2019–20 के 13.75 लाख मीटर लक्ष्य प्रस्तावित है।

लगभग 260 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में विस्तृत गवेषण कर तथा 24 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार कर सीएमपीडीआईएल तथा इसकी एजेंसियों के द्वारा लगभग 6.6 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधन को प्रमाणित श्रेणी में लाया गया है, जो स्थापना काल से अब तक सीएमपीडीआईएल द्वारा एक वर्ष में प्रमाणित किया गया सर्वाधिक कोयला संसाधन है।

सीएमपीडीआईएल ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष 1.00 लाख मीटर तक गवेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है, जिसे बढ़कर प्रतिवर्ष 4.00 लाख मीटर कर दिया गया है। वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक 6 दौर की राष्ट्रीय/वैष्विक निविदा दौर की ई–निविदा तथा 8 दौर की रिवर्स आक्सन सहित ई–निविदा की जा चुकी है और लगभ 38 लाख मीअर ड्रिलिंग सहित 93 ब्लॉकों के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

4. परियोजना रिपोर्टः

विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 128 एमटीवाई क्षमता वृद्धि सहित कुल परियोजना रिपोर्ट (पीआर) तैयार की जा चुकी हैं। इनमें 31 परियोजना रिपोर्टों में से 22 परियोजना रिपोर्ट या इससे अधिक तथा 9 परियोजना रिपोर्ट खुली खानों के थे, जिसमें 7 मेगा परियोजना (10 एमटीवाई या इससे अधिक के) हैं तथा 9 परियोजना रिपोर्ट भूमिगत खानों के थे जिनमें 1 पीएसएलडब्ल्यू परियोजना (पतरातू एबीसी) ओर 8 सीएम (कंटीन्यूअस माइनर) वाली परियोजना शामिल है।

5. प्रयोगशालाओं का उन्नयनः

सीएमपीडीआईएल की सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। रासायनिक एवं पेट्रोग्राफी प्रयोगशालाओं को आयातित परिष्कृत उपकरण से सुसज्जित कर उन्नत कर दिया गया है और इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। भू–रासायनिक

प्रयोगशाला को 12 विभिन्न क्षेत्र (स्कोप)/पारामीटर में ''परीक्षण (टेस्टिंग)'' के क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल(मुख्यालय), राँची में उपलब्ध सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार'' नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) प्रमाण से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यह एनएबीएल मान्यता 02.01.2021 तक दो वर्षों के लिए वैध है। इस भू–रायायनिक प्रयोगशाला को आयातित परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित कर इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। उल्वेराइजर, प्रोक्सीमेट, अनालाइजर और बॉम्ब कैलारीमीटर जैसे उपकरण लगा दिए गए हैं। सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर में नई रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है।

कोयले के सकल तापीय मूल्य (जीसीवी) के निर्धारण के लिए एक ऑओमेटिक बॅम्प कैलोरीमीटर और कोयले में नमी की मात्रा निर्धारित करने के लिए दो म्वायस्चर ओवन लगा कर कोयला एवं खनिज विनिर्माण (सीएमपी) प्रयोगशाला को उन्नत किया गया है। सीएमपी प्रयोगशाला एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्तमान पर्यावरण प्रयोगशाला को अद्यतन (स्टेट–आफ–आर्ट) उपकरण लगाकर और सशक्त कर दिया गया है।

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, क्षे.सं.–4, क्षे.सं.–5 एवं क्षे.सं.–7 के पर्यावरण प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता मिल गई है। सीएमपीडीआईएल के क्षे.सं.–1, क्षे.सं.–2 और क्षे.सं.–6 स्थित पर्यावरण प्रयोगशाल के लिए एनबीएल मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला को सीपीसीबी मान्यता मिल गई, जो अगले 5 वर्षों तक के लिए वैद्य है।

6. श्रमशक्ति की भर्तीः

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान, बहाली एवं स्थानान्तरण (कोल इंडिया लि.) के जरिए सीएमपीडीआईएल में 51 अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। इसी प्रकार बहाली/भर्ती/अनुकंपा के आधार पर नियोजन/अन्य कंपनियों से स्थानांतरण द्वारा 80 कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) को पदस्थापित किया गया है तथा श्रमशक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

7. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू-उपयोग/वनस्पति आच्छादन मानचित्रणः

प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला़ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में वर्ष 2008 से वार्षिक आधार पर भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह– निगरानी की जा रही है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 5 मिलिटन घन मीटर (कोयला़ओबी) से कम उत्पादन करने वाली खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

तद्नुसार कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न 82 खुली खान परियोजनाओं तथा 8 कलस्टरों के लिए उपग्रह आँकड़े पर आधारित भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग की गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान 6 कोलफील्डों यानि बंदेर, कोरबा, नार्थ एवं साउथ कर्णपूरा, ईस्ट एवं वेस्ट बोकारो तथा सिंगरौली कोलफील्डों की वनस्पति आच्छादन मापन की गई। वर्ष 2018–19 के दौरान 15 खु.खा./भूमिगत खानों के कोर एवं बफर जोन के उपग्रह आधारित भू–उपयोग/आच्छादन मापन किया गया।

8. कोल वाशरी की स्थापना में सहायताः

कोयला वाशरी की स्थापना में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को वैचारिक (अवधारणात्मक) रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्यादेश जारी करने और उसके बाद ड्राईंग की संवीक्षा करने में तकनीकी सहायता दी जाती है। सीएमपीडीआईएल ने लखनपुर क्षेत्र के ईब घाटी कोयला वाशरी (10एमटीवाई) की बोली प्रक्रिया प्रबंधन को सफलतापूर्वक पूरा किया है जो एमसीएल में स्थापित की गई पहली वाशरी है।''जब और जहाँ प्राप्त हुआ'' के आधार पर ड्राईंगों की संवीक्षा की जा रही है। सीएमपीडीआईएल ने निम्नलिखित के लिए ईटेडर दस्तावेज तेयार किया प्रस्ताव का मूल्यांकन किया तथा संविदा दस्तावेज तथा कार्यादेश का मसौदा तैयार किया : (1) एमसीएल की ईब घाटी वाशरी (10एमटीवाई) (।) जगन्नाथ वाशरी (10एमटीवाई) (।।।) हिंगुला वाशरी (10 एमटी वाई) तथा (4) बीसीसीएल की भेजूडीह वाशरी (2.0

एमटीवाई) लखनपुर क्षेत्र की ईब घाटी स्थित वाशरी, जो एमसीएल की अब तक की पहली वाशरी है, के ड्राईंगों की संवीक्षा ''जब और जहाँ प्राप्त हुआ'' के आधार पर की जा रही है। सीआईएल के अधीनस्थ संचालित कोकिंग कोल वाशरियों के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सहायता भी दी जा रही है।

अनक्लासीफायड लो वोलाटाइल मिडियम कोकिंग (एलवीएमसी) को सम्मिलित करने के लिए सीएमपीडीआईएल की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा कोयला मंत्रालय को कोकिंग कोयले के पुनर्वर्गीकरण की अनुशंसा की गई है तथा इसे भारत सरकार द्वारा ''वाशरी ग्रेड–5'' (35 प्रतिशत से अधिक किन्तु 42 प्रतिशत राख की मात्रा) तथा ''वाशरी ग्रेड–6'' (42 प्रतिशत से अधिक किन्तु 49 प्रतिशत तक राख की मात्रा) तक वर्गीकरण करते हुए भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) के जरिए प्रकाशित करवाया गया जो घरेलू संसाधन में से ही कोकिंग कोयले सवंर्धित करने की दिशा में अगला कदम है।

9. पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2018–19 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर तथा रांची स्थित अपने 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 441 परियोजनाओं/संस्थापनों की पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, जल एवं ध्वनि) की गई तथा 60 फार्म–1 सहित 84 ईआईए/ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजना) भी तैयार किए गए। 31 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गई। कोयला खनन क्षेत्र की धारक (कैरिंग) क्षमता, नदी तटीय पर्यावरण स्थिति (प्रणाली) का अध्ययन, वैज्ञानिक बालू पुनभराई अध्ययन, वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम/विन्ड वैरियर जैसे कई अध्ययन सफलतापूर्वक पूरे किए गए। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड तथा पूरे भारत में फैले अन्य संगठनों को खुली खनन, भूमिगत खनन, तापीन एवं कोयला वाशरियों को अपनी सेवाएँ देने के लिए क्वालिटी कॉन्सिल आफ इंडिया (क्यूआईसी) (एमओईएफएंडसीसी द्वारा डिजाइन की गई एजेंसी), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) परामर्शदाता संगठन के रूप में अपनी मान्यता बनाए हुए है।

10. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत:

सीएमपीडीआईएल ने कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के आधार पर कोयले के व्यावसायिक विकास को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजना का अनुसरण कर रहा है।

सीएमपीडीआईएल, ओएनजीसी सीआईएल के कंसोर्टियम को आवंटित दो कोयला ब्लॉकों झरिया तथा रानीगंज कोल बेड मिथेन के विकास के लिए सीआईएल की ओर से कार्य कर रहा है तथा वैचारिक, परिचालनात्मक आदि जैसे प्रशासनिक एवं अन्य मुद्दों को आरंभ करने में सहयोग कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी सीबीएम नीति, 1997 में 8 मई, 2018 को आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों को वैसे कोयला वाहक (धारक) क्षेत्र से सीबीएम के गवेषण एवं दोहन की अनुमति संबंधी समेकित नियम एवं शर्तों के बारे में है, जिसके लिए उनके पास कोयला खनन हेतु खनन पट्टा है। इस संशोधन से यह मान लिया गया है कि उनके पास सीबीएम निकालने के लिए भी पट्टा है। भारत सरकार की अनुमति पर विचार करते हुए सीएमपीडीआइर्अ/सीआईएल द्वारा प्रारंभ में सीबीएम की बेहतर संभावना प्रतीत होने वाले क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले दामोदर घटी कोयला क्षेत्र की पहचान करने हेतु कदम उठाए जा चुके हैं।

कोल बेड मिथेन के व्यावसायिक दोहन के लिए तद्नुसार कोल इंडिया लिमिटेड के खनन पट्टे के भीतर स्थित संभावित सीबीएम ब्लॉक की रूपरेखा निर्धारिन करने हेतु सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के परामर्श कर कदम उठाए जा चुके हैं।

सीएमपीडीआईएल द्वारा झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स में एक–एक (कुल 2) ब्लॉकों के लिए तैयार की गई संभाव्यता रिपोर्ट को क्रमशः अगस्त, 2018 तथा सितम्बर, 2018 में बीसीसीएल तथा ईसीएल बोर्ड द्वारा सैद्यान्तिक रूप से अनुमोदित कर दी गई है। सीएमपीडीआईएल इन परियोजनाओं के लिए पूरी परियोजना अवधि तक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा। सीआईएल के भीतर सीबीएम के विकास के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एसईसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में संभावित क्षेत्र की रूप–रेखा निर्धारित की गई है, जिसके लिए दिसम्बर, 2018 में एसईसीएल को ''असेसमेंट आफ गैस इन प्लेस (जीआईपी) संसाधन'' पर एक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है।

XVI टॉप सीम, मुनिडीह खान (बीसीसीएल), झरिया कोलफील्ड्स से मिथेन के प्रिड्रेनेज'' पर कोल माइन मिथेन (सीएमएम विकास पर एक परियोजना शुरू की जा चुकी है। निकासी (ड्रेनेज) कार्य करने के लिए उपयुक्त अनुभवी डेवलॅपर का चयन करने हेतु पीएफआर एवं निविदा विनिर्देशन दस्तावेज 26 मई, 2018 को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। पुनर्मिविदा हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए 8 फरवरी, 2019 को सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रि–निट बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि प्रारंभिक बिडिंग राउन्ड (बीसीसीएल द्वारा आयोजित) में किसी प्रतिभागी ने हिस्सा नहीं लिया था।

सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय तौर पर गवेषित क्षेत्र में ड्रिल किए जा रहे चयनित बोर होलों में **''भारतीय कोलफील्ड्स/लिग्नाइट फील्ड्स के कोल बेड मिथेन गैस–इन–प्लेस संसाधन का मूल्यांकन''** से संबंधित अध्ययन कर रहा है।

कोयला मंत्रालय ने सीबीएम विकास की वर्तमान नीति के अनुरूप ही यूसीजी के विकास हेतु क्षेत्र की पहचान करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है। इसका उद्देश्य पेश किए जाने वाले क्षेत्र की पहचान, नामांकन के आधार पर पीएसयू को देने या बोली लगाए जाने वाले ब्लॉकों के बारे में निर्णय, बोली लगाने की प्रक्रिया की कार्यविधि तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करना/प्रस्ताव करना है। इसके लिए कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है। यूसीजी के विकास के लिए मॉडल बिड दस्तावेज तथा माडल संविदा दस्तावेज की आईएमसी ने अनुशंसा कर दी है, जो कोयला मंत्रालय में विचाराधीन है।

11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय के एसएंडटी अनुदान तथा सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड द्वारा निधिकृत अनुसंधान क्रिया–कलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआईएल अपने पूर्णतः संस्थापित प्रयोगशाला की सहायता से खनन, कोयला गवेषण, साफ कोयला प्रौद्योगिकी यानि कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), शेल गैस मूल्यांकन, कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

अनेक वर्षों से इनमें से कई अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ। यद्धपि, कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के कारण इस उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, कुछ अन्य परियोजना ऐसी भी जिनमें है जिनसे चालू खानों तथा भावी खनन योजनाओं दोनों के लिए अपेक्षित खान आयोजन, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई हैं। भारतीय भू–खनन स्थितियों जैसे भूमिगत कोल पिलर डिजाइन, रूफ कैवेब्लिटी का विश्लेषण, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेब्लिटी, सतह धँसान का पूर्वानुमान, विभिन्न शैल स्थितियों के लिए अनुकूल विस्फोटन डिजाइन, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेबिलिटी, ऑन लाइन कोल वाशेब्लिटी अनालाइजर, पुनरूद्धार किए गए खुली कोयला खदानों पर स्थायी जीवनयापन कार्यों आदि जैसी समस्याओं वाले भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए विभिन्न डिजाइन/मेथेडोलॉजी/प्रक्रिया विकसित की गई है।

वर्ष 2018–19 के दौरान 5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं। पूरी की गई परियोजनाएँ का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन तथा कार्यनिष्पादन व्यवहार, खान जल पर्यावरण का मूल्यांकन तथा कोल इंडिया लिमिटेड के परिव्यक्त कोयला क्वारियों में मछली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लागत के अनुकूल तथा उपयुक्त माइन ब्वायड

एक्वा इको सिस्टम का विकास, ईसीएल केडी पर होरिजॉन में हॉरिजेंटल स्टेस फील्ड का मूल्यांकन तथा कोयला संसाधन के रूफ हजार्ड मैप का विकास, कोयला कर्मियों पर कोल माइन डस्ट में बायो अवलेबुल आयरन (बीएआई) का संभावित प्रभाव, फेफड़ा रोग तथा कोयले से अशुद्धता दूर करने के लिए कोयला वाशरियों में पानी की खपत को अनुकूल बनाने के लिए वाटर नेटवर्क का डिजाइन से संबंधित परियोजनााएँ पूरी की जा चुकी हैं।

सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला/लिग्नाइट उद्योगों के लिए लाभप्रद आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए अधिक–से–अधिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, कोयला/लिग्नाइट कंपनियों को लगाने का हर संभव प्रयास कर रहा है वर्तमान 37 अनुसंधान परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रमुख्या परियोजनाएँ पिलरों के डिजाइन एवं स्थायित्व कोयला खान कार्यस्थल में विभिन्न खनन प्रणालियों के लिए पिलनों के डिजाइन एवं स्थायित्व/अरे आफ पिलर्स, एसिड माइन ड्रेनेज के स्वतः शमन तथा अलग–अलग धातु के सल्फायड प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड पीआरईएसआरआईएक्स, समेकित जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रकार के स्वदेशी पौधा (नैटिव प्लांट स्पेसिज) लगाकर भूमि सुधार तथा पुनः वनाच्छादन के जरिए नार्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के कोयला निकाले जा चुके जमीन का पुनरूद्धार, भारत के खुली कोयला खानों में ओवर बर्डेन डम्प की ऊँचाई बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देश का विकास, भूमिगत खान रोडवेज एवं कार्य स्थल तथा पीट बाटम के सौर प्रकार (सोलर इल्यूमिनेशन) आधारित अप्टिकल फाइबर कोयला खानों में सुरक्षा तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्चुअल रीयलिटी माइन स्टीमुलेटर (वीआरएमएस), अधिक राख वाली भारतीय तापीय कोयला का शुष्क परिष्करण आदि से संबंधित हैं और आईआईटी, आईएसएम, धनबाद, आईआईटी, खड़गपुर, आईआईटी रूड़की, सीआईएमएफआर, धनबाद, आरएफआरआई, जोरहट, सीएसआईआरओ, अस्ट्रेलिया आदि के सहयोग से इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

12. निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

सीएमपीडीआईएल लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सुनियोजित सीएसआर हस्तक्षेप के माध्यम से अपने आस–पास के समुदायों के साथ व्यापक सामाजिक समुदायों के साथ भी गहरा संबंध स्थापित किया है। सीएसआर के तहत सीएमपीडीआईएल द्वारा अपने ड्रिलिंग कार्यस्थल में एवं इसके आस–पास स्थित, समुदायों के लिए सतत् विकास का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में विद्यालय एवं गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास, विद्यालय जाने वाले गरीब एवं जरूरतमंद छात्रों को शैक्षणिक सहायता, कुष्ठ रोगियों के इलाज एवं देखभाल के लिए वित्तीय सहायता, ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय के नेत्रहीन छात्राओं के लिए छात्रावास–सह–कम्प्यूटर केंद्र के प्रथम तल का निर्माण, राँची, नागपुर, बिलासपुर एवं भुवनेश्वर में चिकित्सा शिविर का आयोजन, कोसला कैम्प, ओडिसा के निकट बाडा चन्द्रगुड़िया में ग्रामीण समारोह के लिए कल्याण मंडप का निर्माण तथा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिसा के गाँवों में बोरबेल तथा हैंडपम्प की ड्रिलिंग एवं स्थापना के साथ–साथ ड्रिलिंग कैम्पों के निकट अन्य ग्रामीण विकास कार्य।

13. प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा:

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन कराने के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी है। यह विभिन्न प्रबंधन मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 5001, ओएचएसएएस 18001 आदि के प्रयोग के लिए परामर्श सेवा, प्रलेखन, जागरूकता प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षकों को प्रशिक्षण, अंकेक्षण सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ–साथ इन मानकों के लिए प्रमाणोत्तर सहायता में मार्गदर्शन तथा सहायता करते हैं।

सीएमपीडीआईएल के साथ–साथ इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को भारतीय मानक ब्यूरो नए संशोधित आईएसओ 9001 : 2015 की अपेक्षाओं पूरा करने के लिए लाइसेंस दिया जा चुका है। सीएमपीडीआईएल आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) एवं आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 37001 (रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली) कार्यान्वित करने की प्रक्रिया कर रहा है।

सीएमपीडीआईएल की वर्तमान आईएसओ नियमावली में आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 37001:2013 आईएसओ 50001:2011 शामिल है। इसमें आईएसओ 37001:2016 (रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली) तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 50001:2018) के नवीनतम संस्करण शामिल करवाने की कार्रवाई की जा रही है।

पाँच में से चार प्रयोगशालाओं को आईएसओ 17025:2005 लेबोरेटरी (जेनरल रिक्वायरमेंट फॉर दि कम्प्टीन्सी आफ टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए एनएबीएल द्वारा मान्यता दी जा चुकी है।

हमारे मार्गदर्शन एवं सहयोग से सीआईएल, कोलकाता ने सफलतापूर्वक इसे कार्यान्वित किया है तथा 31 मार्च, 2019 को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 50001:2011 के लिए इसे प्रमाणित किया गया है।

अब सीआईएल, मुख्यालय के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का नवीनतम संस्करण के प्रलेखन एवं कार्यान्वयन का कार्य शुरू किया जा रहा है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार पूरी कंपनी में समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सीआईएल की 4 सहायक कंपनियों (ईसीएल, एमसीएल, एनसीएल तथा सीसीएल) को प्रमाणित किया गया है। हमारी ओर से एमसीएल, ईसीएल तथा एनसीएल के लिए ओएचएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ एवं सुरक्षा प्रबधंन प्रणाली) की जगह आईएसओ 45001 : 2018 के प्रलेखन एवं कार्यान्वयन का कार्य जारी है। बीसीसीएल के लिए पूरी कंपनी में समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001 : 2015, आईएसओ 14001 : 2015 तथा आईएसओ 45001 :2018) के कार्यान्वयन का कार्य जारी है। सीएमपीडीआईएल की परामर्श सेवा के माध्यम से बीसीसीएल मुख्यालय आईएसओ 37001 कार्यान्वित करने के प्रक्रिया में है।

सीएमपीडीआईएल, बीसीसीएल, एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल को सहायता एवं दिशा–निर्देश दे रहा है, जो अगले वित्त वर्ष में कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001/आईएसओ 45001) के लिए प्रमाणित करवा रहे है।

बाहरी परामर्श सेवा के तहत एनटीपीसी के बरवाडीह खुली कोयला खान के लिए समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 45001:2018) का कार्यान्वयन कार्य जारी है।

14. कोल इंडिया से अलग की कम्पनियों/संगठनों को परामर्श :

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल इंडिया से इतर के 24 संगठनों के 30 बाहरी परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इनमें से कुछ प्रमुख संगठन एनएमडीसी, ओड़िसा कोल एवं पावर लिमिटेड टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील आदि।

वर्तमान में सीएमपीडीआईएल द्वारा ओपीसीएल, नाल्को, एनटीपीसी लि. सेल, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, यूपीआर बीयूएनएल (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड), एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड), उड़िसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), हिन्डालको, तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड आदि जैसे 18 संगठनों के 32 कार्य (सीआईएल से बाहर के) किए जा रहे हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा 28 संगठनों से 70.61 करोड़ रू. मूल्य के सीआईएल से बाहर के 36 कार्य प्राप्त किए गए, जिसमें कोयला मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठन तथा प्राइवेट कंपनी के कार्य शामिल हैं।

15. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ:

कोल ब्लॉक की ऑनलाइन जानकारी (सूचना) जैसे कोयला ब्लॉ नाम, क्षेत्र, सीआईएल गैर सीआईएल अतिरिक्त सीआईएल एवं कैप्टिव ब्लॉक के अक्षांश, देशांतर तथा सीबीएम से संबंधित आँकड़ा आदि उपलब्ध कराने के लिए

ऑनलाइन कोल ब्लॉकइन्फार्मेशन सिस्टम विकसित किया गया है। माइन पोर्टल डाटा भी विकसित किया गया है, जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मॉनिटर की जा रही परियोजनाओं के प्रमुख विवशता को भी दर्शाता है। इस पोर्टल की प्रमुख विशेषता कोयला परियोजनाओं की प्रगति मॉनिटर करना है, जिसनमें पर्यावरण क्लियरेंस (ईसी), वन क्लियरेंस (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना (आरएंडआर)वित्तीय पारामीटर, एचईएमएम की प्राप्ति उत्पादन एवं अन्य प्रमुख्या आधारभूत संरचना जैसे कोल हैंडलिंग पलांट (सीएचपी) सिलो और रेलवे साइडिंग आदि शामिल है।

16. मान्यता एवं पुरस्कारः

भारत सरकार ने सीएमपीडीआईएल के योगदान तथा इसकी प्रासंगिता को पहचाना तथा मई 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टप्राइजेज (डीपीई) के प्रावधान के उनके ओएम/एम नं 11/36/97–फीन दिनांक 09.10.1993 अनुसार इसे मिनी रत्न कंपनी (कैट–I) से नवाजा है। डीपीई के दिशा–निर्देश में उपक्रमों को और अधिक दक्ष एवं स्पर्धात्मक बनाने के नीतिगत उद्‌देश्य से लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसई) को और अधिक स्वायत्ता एवं अधिकार देने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 से लगातार (2010–11 को छोड़कर) डीपीई द्वारा उत्कृष्ट एमओयू (कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआईएल के बीच) प्राप्त करने से सीएमपीडीआईएल की आकर्षक उपलब्धि प्रतिबिम्बित होती है।

17. निगमित शासनः

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा निगमित शासन की शर्तों को पूरा किया गया है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निगमित शासन पर एक अलग खंड (सेक्शन) जोड़ा गया है तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी से सांविधिक अंकेक्षकों से निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में एक परिशिष्ट लगाया गया है।

आभारोक्तिः

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों (जेसीसी) तथा ऑफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनवरत सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं है। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मैं आश्वस्त हूँ कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर इसके समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(शेखर सरन)

स्थान : राँची

दिनांक : 28.06.2019

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)

उपलब्धि एक नजर में

आँकड़े करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2018-19 (अंकेक्षित)	2017-18 (अंकेक्षित)	2016-17 (अंकेक्षित)
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	1274.56	1154.75	930.52
अन्य आय	13.01	15.09	15.47
कुल आय	1287.57	1169.84	945.99
कुल खर्च	1023.75	1049.02	880.46
पी बी टी	263.82	120.82	65.53
पी ए टी	173.27	80.83	40.59
कुल ब्लॉक	180.39	147.23	135.19
चालू परिसम्पत्तियाँ	1079.52	1165.69	820.03
चालू देयताएं	661.55	857.55	602.09
कार्यकारी पूँजी	417.97	308.14	217.94
नियोजित पूँजी	598.36	455.37	353.13
इक्विटी कैपिटल	38.08	38.08	19.04
आरक्षित शेष	409.87	277.25	216.86
नेट वर्थ **	447.95	315.33	235.90
नियोजित पूँजी की वापसी	44.11	26.59	18.64
प्रति शेयर उपार्जन	4550.16	2122.64	2131.83

नियोजित पूंजी=निबल ब्लॉक+कार्यशील पूँजी
नेट वर्थ = प्रदत्त पूंजी+आरक्षित एवं अधिषेश–संचित हानि
नियोजित पूंजीत्रचालू परिसंपत्तिया– चालू देयताएँ

वित्तीय वर्ष	2018-19 (अंकेक्षित)	2017-18 (अंकेक्षित)	2016-17 (अंकेक्षित)
पी बी टी	263.82	120.82	65.53

वित्तीय वर्ष	2018-19 (अंकेक्षित)	2017-18 (अंकेक्षित)	2016-17 (अंकेक्षित)
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	1274.56	1154.75	930.52

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

बिक्री विवरण 2018.19

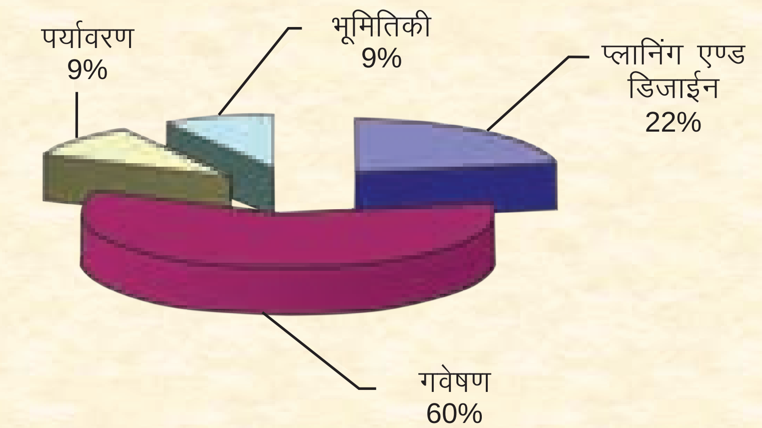

2018-19 के सेगमेन्ट के आधार पर व्यय का सारांश

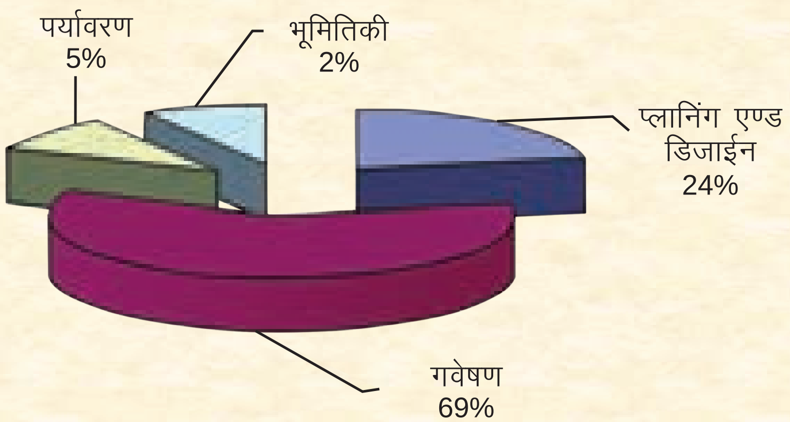

वर्ष 2018-19 के मख्य व्यय का सारांश

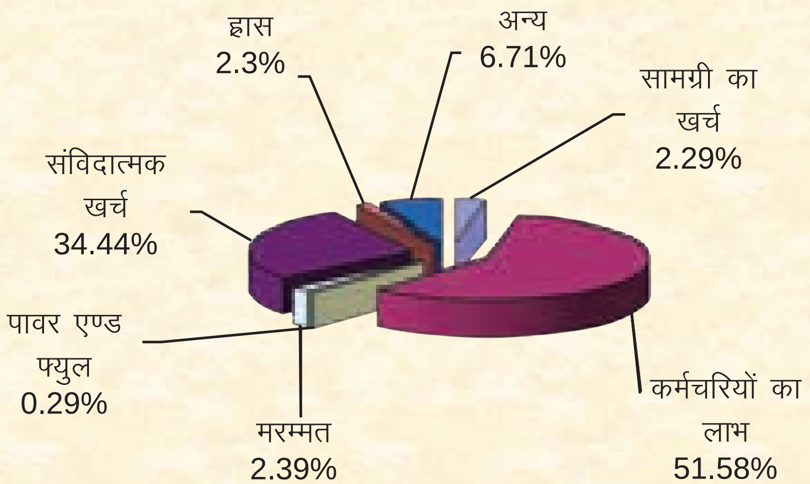

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

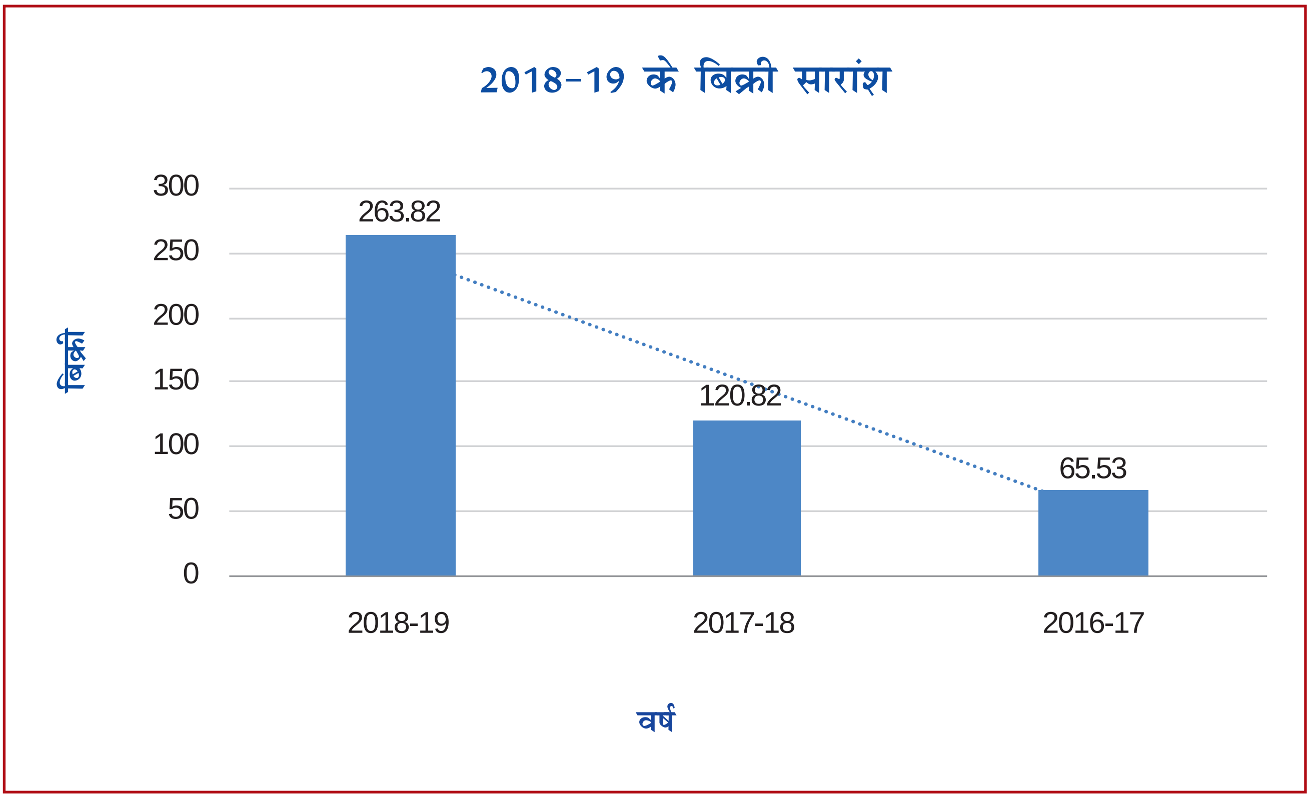

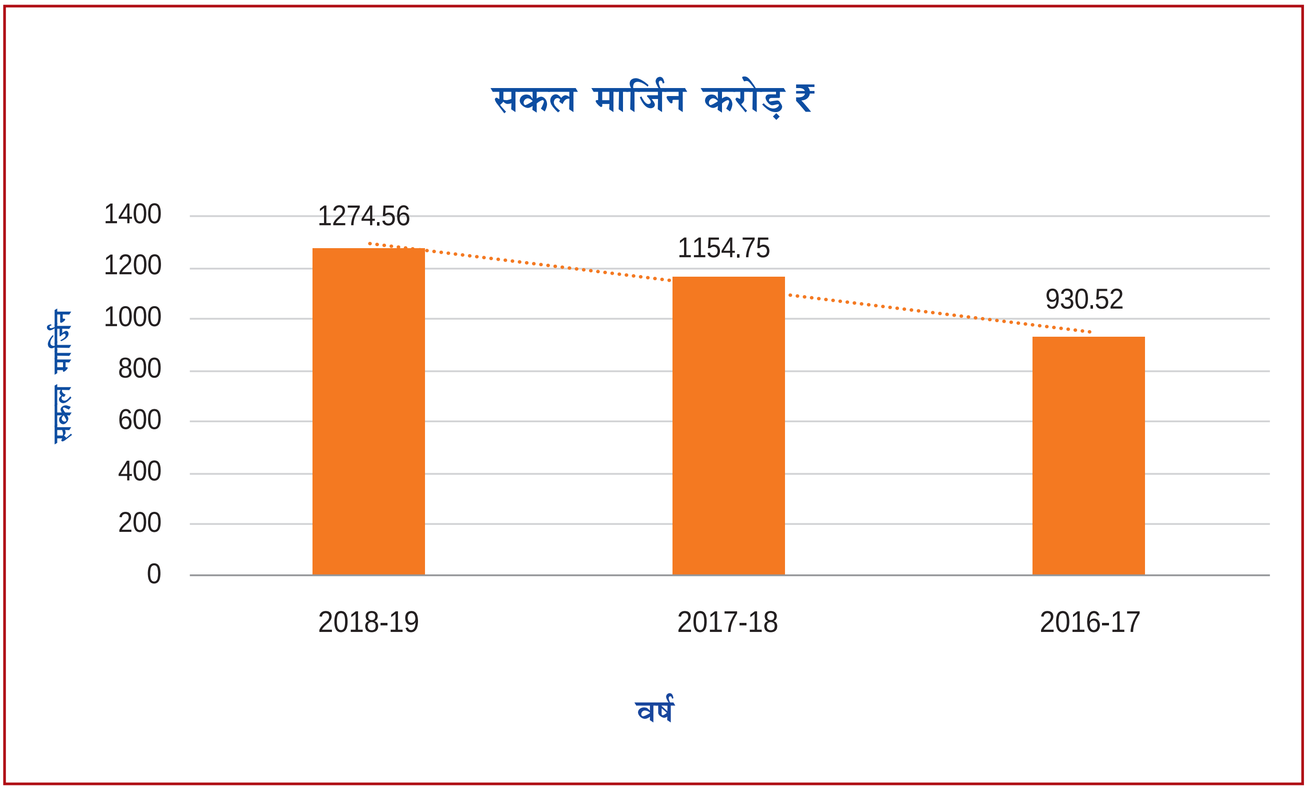

निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिव्रेदन सहित आपकी कंपनी के क्रिया–कलाप पर आधारित 44वाँ वार्षिक प्रतिव्रेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकनः

आपकी मिनी रत्न (कैट–I) कंपनी ने गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातों क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1), बीसीसीएल (क्षे.सं.–2), सीसीएल (क्षे.सं.–3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4), एसईसीएल (क्षे.सं.–5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल (क्षे.सं.–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

एनएमडीसी, ओडिसा कोल एण्ड पावर लि., टीएचडीसी इण्डिया लि., टाटा स्टील आदि जैसे गैर सीआईएल ग्राहकों एवं कोल इंडिया, (मुख्या.) एनईसी को मुख्यतःसीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के जरिए परामर्शी सेवाएँ दी जा रही हैं। इन परामर्शी सेवाओं के अलावे, सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय द्वारा दिए गए विशेषीकृत कार्यों को भी करता है।

वर्त्तमान में ओसीपीएल, एनएमडीसी, नालको, एनटीपीसी लिमिटेड, महाजेनको, सेल, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) आदि जैसे 18 संगठनों के लिए 32 आऊटसाइड कंसलटेंसी जॉब हाथ में है।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा 28 संगठनों से 70.61 करोड़ रूपये की लागत वाली 36 बाहरी परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

- **भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :**

  कोल बेड मीथेन संसाधनों की पहचान एवं जल भू–वैज्ञानिक अन्वेषण, हाई रिजोल्यूशन शैलो सिस्मिक सर्वेक्षण, मल्टी–प्रोब जियोफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनन परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए कोयले के भंडार का मूल्यांकन करने तथा जियो इंजीनियरिंग एवं विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक डाटा बनाने के उद्‌देश्य से क्षेत्रीय रूप से गवेषित खनिखंडों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

  भूमिगत और खुली खानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत अभियंत्रण ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक इकाईयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधा।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**

  खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशिल्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब–सिस्टम का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए

नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआईएल, अपने बल पर परिष्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**

  सुसज्जित स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशालाएँ, खान की गैसें, कोयला पूर्ण नमूनों का गैर विध्वसंक परीक्षण, वायु, जल, कोयले की धोवन क्षमता का निर्धारण, संस्तर की भौतिक यांत्रिक शक्ति, पेट्रोग्राफी का गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण उपलब्ध करा रहा है।

- **पर्यावरणिक सेवाऐं :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, तथा क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए इसका कार्यान्वयन मॉनीटरिंग और घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, संपूर्ण कोल इंडिया की खानों के लिए लैंड यूज मॉनीटरिंग हेतु रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का उपयोग भी शुरू कर दिया गया है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषीकृत सेवाएँ**
  - ❖ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ❖ खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण
  - ❖ नियंत्रित विस्फोटन
  - ❖ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ❖ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ❖ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ❖ खान थम्हाल का डिजाइन; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - ❖ अनाशक परीक्षण(एनडीटी)
  - ❖ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ❖ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 173.27 करोड़ रूपए कर पश्चात् लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया गया हैः

₹ (करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
निबल बिक्री	1274.56	1154.75
अन्य आय	13.01	15.09
कुल व्यय	1023.75	1049.02
कर के पूर्व लाभ	263.82	120.82
कर व्यय	90.55	39.99
कर के बाद लाभ (क)	173.27	80.83
अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)'	(6.39)	35.69
आयकर, जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(2.23)	12.35
अन्य विस्तृत आय (ख)	(4.16)	23.34
कुल विस्तृत आय (क)+(ख)	**169.11**	**104.17**

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के प्रबंधन ने कार्यनिष्पादन और आऊटलुक सहित महत्व वाले विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए अपने विचार–विमर्श तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

1.3.1 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए कारपोरेट के उद्देश्य को सेट (निर्धारित) करना :

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल–भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।
2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाह्य संसाधन को पर्याप्त रूप से लगाने तथा बर्बादी को रोकने, संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाकर आंतरिक संसाधनों के सृजन का अनुकूलतम प्रतिपादन।

4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा इनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन और संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और माइन क्लोजर प्लान के फार्मूलेशन को शुरू करना।
7. भूमि पुनुरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावरणिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मापन, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस एवं वाशरी स्थल आदि के चयन सहित आधारभूत संरचना के आयोजन के लिए सुदूर संवेदन सेवा प्रदान करना।
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.2 सीएमपीडीआईएल के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआईएल के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

क) भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा– स्थापना काल से ही यह सीएमपीडीआईएल का कोर फंक्शन है, जो खनिज डिपोजिट (खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- गवेषण की प्लानिंग तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ– सीएमपीडीआईएल के स्थापना काल से ही दूसरा कोर फंक्शन होने के कारण, खनन के निर्माण एवं संचालन, परिष्करण, यूटिलाइजेशन और अन्य आधारभूत तथा अभियांत्रिकी परियोजनाएँ के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- वैचारिक / पूर्व–संभाव्यता / संभाव्यता अध्ययन/ परियोजना रिपोर्ट और मूल एवं विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का निर्माण और/अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- असंबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ– माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है। वार्षिक आधार पर सेटेलाइट सर्वेलांस द्वारा प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली खुली खानों की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग की जा रही है। जबकि प्रतिवर्ष 5 मि.घ.मी. (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन वाली खुली खानों की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तीन वर्षों के अंतराल पर की जा रही है।

(घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से यह क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएसओ 9001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन), एसए 8000 (सोशल एकाउंटेबिलिटी प्रबंधन), आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ

37001 (रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली) पर सेवाएँ देता आ रहा है। सीएमपीडीआईएल को अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ संशोधित नए आईएसओ 9001:2015 मानक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

(ड.) मानव संसाधन विकास : 1976 से इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है : बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।

(च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ : सुदूर संवेदन, खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर चेक माफ आदि सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.3 उद्योग की संरचना एवं विकास :

एक वर्ष पूर्व प्रायः विश्व के सभी भागों में आर्थिक क्रिया–कलाप बढ़ रही थी और वर्ष 2018 तथा 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान था। एक वर्ष के बाद काफी कुछ बदल गया हे, यूएस–चायना ट्रेड (वार) तनाव, अर्जेटिना एवं टर्की में तनाव, जर्मनी में ऑटो सेक्टर में व्यवधान, नीच में कठोर साख (क्रेडिट) नीति, तथा बड़े उन्नत अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की सामान्यीकरण के साथ–ही–साथ वित्तीय कठोरता, आदि सब से खासकर, 2019 के द्वितीयार्ध में वैश्विक विस्तार में काफी कमी आई। यही कमजोरी वर्ष 2019 के पूर्वार्ध बने रहने की संभावना है, जिसके परिणमस्वरूप वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलूक ने वर्ष 2019 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 70 प्रतिशत कमी का अनुमान किया है। वैश्विक विकास जो वर्ष 2017 में अधिकतम 4 प्रतिशत पर बंद हुआ था, वर्ष 2018 में उसमें शिथिलता आकर 3.6 और 2019 तक इसे कम होकर 3.3 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। यद्धपि 3.3 प्रतिशत का वैश्विक अब भी युक्तिसंगत है, तथापि अल्पकालीन अनिश्चितताओं के कारण कई देशों के लिए आउटलुक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, खासकर क्योंकि उन्नत आर्थिक विकास दर सामान्य दीर्घकालीन संभावना की ओर झुकता है। वर्ष 2019 के द्वितीयार्ध में संभावित सुधार के कारण वैश्विक आर्थिक विकास 2020 में 3.6 तक वापस आ जाने की संभावना है। 2020 के बाद विकास दर 3/2 प्रतिशत के आस–पास स्थिर रहेगी, जो मुख्यतः चीन एवं विकास और वैश्विक आय की दर बढ़ने के कारण सम्हाला रहेगा।

चूँकि 2019 भारत वर्ष में चुनावी वर्ष हे और अंतरिम बजट 2019–20 संसद के समक्ष रखा दिया गया लेकिन तब तक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया था। अंतरिम बजट में विगत 5 वर्षों के आर्थिक स्थिति पर विचार किया गया। यह उल्लेख किया गया कि इस अवधि के दौरान देश ने मैक्रो इकॉनॉमिक का सर्वोत्तम चरण देखा और देश 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधार से अब तक प्राप्त वृद्धि की तुलना में गत पाँच वर्ष के दौरान वार्षिक औसत डीजीपी वृद्धि के साथ विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। वर्ष 2013–14 में विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद से अब यह विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उच्च विकास (वृद्धि) दर सृजित करने के अतिरिक्त इस अवधि में मुद्रा स्फीति दो अंकों तक बनी रही तथा वित्तीय संतुलन को बहाल रखा गया।

भारत में खनन एक प्रमुख आर्थिक क्रिया–कलाप (गतिविधि) है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कोयला खनन और कोल फायर्ड थर्मल पावर जेनरेशन सेक्टर दो कोर इंडस्ट्री है और दोनों मिलकर औद्योगिक उत्पादन के भारतीय इंडेक्स में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को दर्शाता है। इससे आगे भारत के लॉजिस्टिक अन्य स्पंज आयरन इंडस्ट्री, अल्यूमिनियम इंडस्ट्री के साथ–साथ अन्य बहुत

से इंडस्ट्री आज की तारीख में भारत के घरेलू कोयला उद्योग पर ही निर्भर है। तीन राज्यों (झारखंड, ओडिसा तथा छत्तीसगढ़) के आर्थिक क्रिया–कलाप मुख्यतः कोयला पर ही निर्भर है। इस क्षेत्र में लगभग 5,00,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा इतने ही व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से लगे रहने की संभावना है। इसलिए भारत से कोयला क्षेत्र की महत्ता न सिर्फ उर्जा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में अदा की गई भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता।

पिछले पाच वर्षों में भारत में कोयले की माँग में लगभग एक–तिहाई की वृद्धि हुई है तथा बिजली क्षेत्र तथा गैर विनियमित में दोनों के कारण माँग में वृद्धि हुई है। बिजली क्षेत्र कुल कोयले की माँग का लगभग 70 प्रतिशत बनाए रखकर प्रमुख उपभोक्ता बना रहा। यहाँ तक कि घोर निराशावादी परिदृष्य में भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक स्रोत के रूप में कोयले की माँग 2030 और शायद उससे भी अधिक तक बढ़ेगी केपीएमजी द्वारा तैयार किए गए कोल विजन 2030 दस्तावेज के अनुसार कोयले की संपूर्ण माँग 2020 तक 900 से 1000 एमटी तथा 2030 तक 1300 से 1900 एमटी होने की संभावना है। इस माँग परिदृश्य पर आर्थिक विकास, ऊर्जा दक्षता तथा वैकल्पिक कोयला उपयोग का असर पड़ा है। कोल इंडिया लिमिटेड को इन आँकड़ों के साथ संतुलन बैठाने के लिए आपूर्ति चेन में अपनी भूमिका जारी रखनी होगी।

भारत में पूर्वानुमानित 19200 किलोमीटर कोयला क्षेत्र में से 16078 वर्ग किलो मीटर में क्षेत्रीय गवेषण (रिजनल एक्सप्लोरेशन) किया गया जबकि लगभग 8403 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गवेषण (डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन) सरकार नें सीएमपीडीआईएल को देश में क्षेत्रीय एवं विस्तृत गवेषण की गति तेज करने का निर्देश दिया है ताकि निकट भविष्य में कोयले के दोहन के लिए बेहतर संपदा की पहचान की जा सके।

वर्ष 2019–20 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा किए जाने वाले विस्तृत गवेषण का लक्ष्य वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त किए गए 13.60 लाख मीटर की तुलना में 13.75 लाख मीटर प्रस्तावित है। कुल मिलाकर भविष्य में उत्पादन बढ़ाने और उसे कायम रखने के लिए सीआईएल द्वारा नियमित रूप से गवेषण एवं आयोजना (प्लानिंग) सहायता की जरूरत पड़ेगी। यह सीएचपी, वाशरी आदि सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं क लिए भी सही है। इसके साथ ही सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञ सेवा की आवश्यकता सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अन्य कोयला उत्पादक कंपनियों को भी रही थी। सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड से इतर की कंपनियों जैसे ओसीपीएल, नाल्को, एनटीपीसी, सेल, एनएलसी इंडिया, टीएचडीसी, एनएमडीसी, जेएसएमडी, सीओएमसी, एमओआईएल, पीएफसीसीएल, एसईसीएल, हिन्डाल्को, टाटा स्टील, तालचर फर्टिलाइजर आदि कंपनी की अपनी सेवाएँ दी है। घरेलू आपूर्ति से कोयले की माँग पूरा करने की दिशा में कोयला कंपनियाँ, खासकर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उठाए गए कदम से सीएमपीडीआइ की सेवाओं में भी उछाल आएगा।

इसके अतिरिक्त, कोयला आधारित गैर–नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोल बेड मिथेन/ कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), शेल गैस आदि के उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत की कोल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयास भी सीएमपीडीआईएल के लिए परामर्शी का संभावित स्रोत हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उभरता हुआ क्षेत्र भी सीएमपीडीआईएल को अतिरिक्त मौका दे रहा है, जैसे आगामी वर्षों में और बढ़ने की संभावना है।

फिर भी गत वर्षों में सीएमपीडीआईएल द्वारा किए गए सभी प्रयास शीर्ष एवं निचले स्तर पर पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं हुए, इसलिए सीएमपीडीआईएल के व्यवसाय गतिशीलता का पुनरावलोकन करना जरूरी है। इसमें कोयला क्षेत्र के भावी बाजार परिदृष्य तथा अन्य क्षेत्र में पदार्पण के लिए संभावित प्रयास के व्यापक अध्ययन की जरूरत है।

कुल मिलाकर यद्धपि देश में कोयला ईंधन की प्रधानता जारी रहने तथा आगामी 10 से 12 वर्षों तक स्थानीय आबादी के लिए सस्ता तथा पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध करने वाला एक मात्र विश्वनीय ईंधन बना रहेगा, तथापि भारत में तापीय कोयले की धटती खपत तथा दीर्घकालीक स्थिति में कोयल की माँग कायम रहने पर शंका जाहिर की जा चुकी है। फिर भी सरकार की समानान्तर रूप से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन की प्रतिबद्धता के कारण कोयला क्षेत्र के भावी विस्तार कार्यक्रम पर प्रभाव डाल सकता है। भारत के पोस्ट 2020 के जलवायु कार्य योजना द्वारा बिजली के उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा के हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा उत्सर्जन सघनता को घटाकर 2005 उत्सर्जन से 2030 तक 33. 35 प्रतिशत तक कम करने तथा वातावरण से कार्बन डायक्सायड हटाने के लिए वृक्षारोपण तथा वनाच्छादन के साथ–साथ कार्बन सिंक जोड़ने का वादा किया गया है।

कोयले की माँग की कमी आने से कोयले के गवेषण की आवश्यकता और कम हो जाएगी। सीएमपीडीआईएल के टर्न ओवर में प्रमुख भागेदारी निभाने वाला गवेषण को महत्ता बनाए रखने के लिए घाटिवक क्षेत्र में कदम रखना होगा।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआईएल के व्यावसायिक क्षेत्र में गतिशीहलता लाने के लिए उत्पादकता में और वृद्धि कर गवेषण क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करना यथार्थवादी होगा, वह भी खासकर, 2डी/3डी सिसमिक एवं अन्य भू–भौतिक प्रणाली, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ वर्तमान सुविधा तथा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती, कोयला के अलावा अन्य खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवा में पदार्पण, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के जरिए ड्रिलिंग एवं इन्वेटरी कंट्रोल सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की स्थापना, कोयले क ई–आर्क्शन आदि जेसे क्षेत्रों में प्रवेश के जरिए ये सब करने होंगे।

1.3.4 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीति :

खनिज, खनन तथा संबंद्ध क्षेत्रों में प्राप्त बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के सहारे अपने उपर्युक्त निगतिम उद्देश्य तथा विजन प्राप्त करने क लिए सीएमपीडीआईएल निम्नलिखित रणनीति एवं व्यावसायिक योजना बना रहा है :

1. दक्ष श्रमशक्ति, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी आदि के अतिरिक्त गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
2. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण।
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
4. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।
5. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
6. परिचालन दक्षता तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना।
7. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
8. सतत् आयोजना (प्लानिंग) तथा कोयला उद्योग को विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित करने के लिए श्रम शक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती
9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,
10. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास।

1.3.5 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य :

- सीएमपीडीआईएल वास्तव में एक बहु आनुशासनिक संगठन, शायद अपनी तरह का एक मात्र, है जो एक ही छत के नीचे खनन के पहले, खनन के दौरान तथा खनन कार्य के बाद प्रायः सभी सेवाएँ उपलबध करा रहा है।
- भारत में विस्तृत कोयला गवेषण में प्रभुत्व वाला, सीएमपीडीआईएल की पहचान सरकारी प्रिफरेंसेज रखने के अलावा भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे पसंदीदा परामर्शदाता के रूप में है।
- रणनीतिक रूप से अवस्थित अपने क्षेत्रीय संस्थानों के साथ यह कोयला मंत्रालय के साथ–साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कंपनियों को दहलीज पर ही सेवा देने में सक्षम है। सीएमपीडीआईएल की उपस्थिति कोयलाधारक क्षेत्रों के आस–पास अखिल भारतीय की है।
- कोयला क्षेत्र में उपलब्ध वृहद संशाधनों की सूचना देने के लिए सीएमपीडीआईएल के पास कोयला ब्लॉकों, कोयला भंडारों, कोयले की गुणवत्ता आदि से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ा आधारित पर्याप्त जानकारी है।
- इसके पास 1400 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- इसके पास बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधाओं, 70 मि.ट.प्र.व. खुली खदान खान तथा 7.5 मी.ट.प्र.व. भूमिगत खान तक की निजी परियोजना क्षमता सहित 1000 से अधिक खनन परियोजना रिपोर्टों की प्लानिंग, 1300 से अधिक समेकित कोल गवेषण परियोजना, को क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है।
- 8 राज्यों में जियोग्राफिकल रूप से फैले प्रयोगशाला सुविधाओं, बेस लाइन डाटा जेनरेशन क्षमता आदि से युक्त कोयला गवेषण (विस्तृत गवेषण के लिए देश में वेधन के लार्जेस्ट फ्लीट) के लिए इसके पास व्यापक आधारभूत संरचना उपलब्ध है।

कमजोरियाँ (कमियाँ) :

- राजस्व प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों पर निर्भरता।
- क्षेत्रीय गवेषण आँकड़ा, जो विस्तृत कोयला गवेषण के लिए आवश्यकत है, हेतु जीएसआई / एमईसीएल पर निर्भरता।
- उच्च संचालन लागत और निर्धारित लागत अर्थात् उद्योग में पियर्स (Peers) की तुलना में कर्मचारी मुआवजा।
- दक्ष और अनुभवी अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति तथा नव–नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद कंपनी को छोड़ने की उच्च दर।
- गैर–विविधिकरण अर्थात् केवल कोयला उद्योग के लिए प्रतिबंधित
- अधिकारी और गैर–अधिकारी संवर्ग में दक्ष और योग्य कर्मिकों की कमी।

1.3.6 अवसर एवं आशंकाऐं

अवसर

- कोयले की मांग कम से कम 10 से 12 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआईएल की सेवाएँ बनी रहने की संभावना है।
- सरकार द्वारा पब्लिक एवं प्राइवेट कंपनियों दोनों के कैप्टिव उपयोगकर्त्ताओं के लिए कोयला ब्लॉकों का ऑक्सन / आवंटन से कोल इंडिया के बाहर सीएमपीडीआईएल के लिए और अधिक बाजार अवसर का सृजन होगा।
- संपूर्ण गवेषण और खनन समाधान उपलब्ध कराने के लिए सर्विस प्लेटफार्म के कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विकास
- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।
- गैर कोयला क्षेत्र में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम / सीएमएम / यूसीजी / शेल गैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

- भारतीय कोयला सेक्टर धीरे–धीरे उदारीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब कोयला सेक्टर को और खोल देने (मुक्त करने) से अन्य घरेलू अथवा अंतराष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं के बीच बाजारू प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के साथ ताल–मेल बैठाना, वर्तमान विस्तृत वेधन क्षमता को बनाए रखना निकट भविष्य में कठिन प्रतीत होता है।
- कोयले को सोलर, विंड आदि जैसे रीन्यूएवल ऊर्जा स्रोतों के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में और वृद्धि होगी और सस्ते में भी होंगे। इससे कोयला खनन की रूझान में कमी आती जाएगी, जिसके कारण कोयला क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल को मिलने वाले कार्यों में गिरावट आ जाएगी।
- इन क्षेत्रों में वन क्षेत्र सीमित खनन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण ड्रिलिंग कार्य प्रभावित हो रहा है।
- प्रमुख रूप से मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के कारण वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल निकट भविष्य में नुकसानदायक होगी। विशेषज्ञ श्रमशक्ति तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि इसके अधिकांश अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवा–निवृत्त होते जा रहे हैं।

1.3.7 मूल्य निर्धारण नीतिः

सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्श सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहकों की विभिन्न श्रेणी के लिए अपनाए गए मूल्य–निर्धारण फार्मूला पर आधारित है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहाकय कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं हेतु 7.5 प्रतिशत तथा पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत सेवा शुल्क+लागत को जोड़कर दर पर मूल्य निर्धारित किया, जबकि आउससोर्सिंग एजेंसियों द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य वर्ष 2017 के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की दर के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। 1.4.2018 से एक अलग लागत केंद्र (जिओमेटिक्स) शुरू किया गया है, पहले यह पीएंडडी कार्य (आंतरिक परामश) में शामिल था।

1.3.8 बाजार नीतिः

सीएमपीडीआईएल प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सभी संभावित क्षेत्र में जब और जहाँ आवश्यक हो परामर्श सेवाएँ मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है। सीएमपीडीआईएल महत्वपूर्ण और नीतिगत मूल्यों को ध्यान में रखकर कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों से कार्य, जहाँ ऐसे बाहरी परामर्शी कार्य शुरू किए जा सकते हैं, लेने/करने के प्रति भी वचनबद्ध है।

1.3.9 दृष्टि एवं तैयारीः

11वीं एवं 12वीं योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआईएल का गवेषण कार्य बहुत ही उत्साहवर्द्धक रहा, जो 2017–18 तक जारी रहा, परंतु समय पर फंड की अनुपलब्धता सहित कई अन्य कारणों से वर्ष 2018–19 के दौरान इसे कायम नहीं रखा जा सका। वर्ष 2017–18 में की गई कुल ड्रिलिंग 13.66 लाख मीटर की तुलना में वर्ष 2018–19 में कुल ड्रिलिंग 13.60 लाख मीटर रहा। सीएमपीडीआईएल 10वीं योजना अवधि (2012–17) के दौरान 19.41 लाख मीटर की तुलना में 12वीं योजना अवधि के दौरान 42.08 लाख मीटर ड्रिलिंग कर सका। कुल मिलाकर आधुनिक तकनीक अपना कर विभागीय ड्रिलों के जरिए 619 मीटर/ड्रिल/माह की उत्पादकता के साथ 5 लाख मीटर ड्रिल किया जो गत वर्ष की ड्रिलिंग में 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीएमपीडीआईएल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में 13.60 लाख मीटर उपलब्धि के साथ ड्रिलिंग में सीएजीआर (संचित वार्षिक वृद्धि दर) वर्ष 206–07 (10वीं

योजना अवधि के अंत में) की ड्रिलिंग उपलब्धि 2.06 लाख मीटर से लगभग 17 प्रतिशत अधिक रही।

सीएमपीडीआईएल तथा इसकी एजेंसियों के द्वारा 260 वर्ग कि.मी. में विस्तृत गवेषण के जरिए 6.6 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधन को ''प्रमाणित क्षेणी'' में लाया गया है तथा 24 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे स्थापना काल से अब तक सीएमपीडीआईएल द्वारा एक वर्ष में सर्वाधिक कोयला प्रमाणित किया जा चुका है।

विभागीय वेधन के आधुनिकीकरण, अधिक क्षमता वाला नया मेकेनिकल ड्रिल तथा ड्रिल का समावेश, हाई परफार्मेंस बिट्स का समावेश जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादकता, आधुनिक मड टेक्नोजॉजी को अपनाना, ड्रिलिंग संबंधी उपकरणों और श्रम शक्ति की कारगर व्यवस्था आदि सीएमपीडीआईएल के ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन रहे थे।

भारत सरकार ने कोयला गवेषण को फास्ट ट्रैक पर रखा है। विस्तृत गवेषण हेतु देश के क्षेत्रीय गवेषण की गति तेज करने तथा और अधिक संभावित क्षेत्र की पहचान करने पर विचार किया गया है। यह केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर संभव हो सका है, जो क्वांटम ऑफ ड्रिलिंग में कमी लाएगा और भूवैज्ञानिक मॉडल को अधिक विश्वसनीय बनाएगा। सिस्मिक सर्वे का प्रयोग वृहद रूप से ऑयल सेक्टर में होता है जिसे कोयला सेक्टर के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि यह फलदायक हो। इसके अलावे कोल बेल्ट के एक्सटेंशन एरिया में कनसील्ड कोल वियरिंग सेडिमेंटरी बेसिन की पहचान करने में एरियल जियोफिजिकल सर्वेक्षण अगुवाई करेगा। सीएमपीडीआईएल ड्रिलिंग में आधुनिकतम उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल कर गवेषणात्मक ड्रिलिंग की क्षमता निमार्ण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। इसने अधिक समय लेने वाले ड्रिलिंग प्रक्रिया पर निर्भरता को कम करने के लिए गवेषण के विभिन्न भू–भौतिक सर्वेक्षण तकनीक जैसी नई प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में इसका उपयोग करने के लिए पहले ही कदम उठाया है। इससे भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने की गति में तेजी आएगी तथा ब्लाकों के भू–वैज्ञानिक माडल तैयार करने में इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लक्ष्य को 13. 75 लाख मीटर रखा गया, जो वर्ष 2018–19 के दौरान 13.60 लाख मीटर की उपलब्धि से अधिक है। विगत दो वर्षों में गवेषण की गति में स्थिरता आ गई थी, जिसका कारण गैर–सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण के लिए कोष की अनिश्चितता, कुछ कोयला ब्लॉक क्षेत्रों में विपरीत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, वन विभाग की अनुमति के लिए 84 कोयला ब्लॉकों के आवेदन लंबित रहने से विस्तृत गवेषण की अनुमति प्राप्त न होना आदि है। सीएमपीडीआईएल ने विभिन्न कोयला ब्लाकों में प्रति वर्ष गवेषणात्मक वेधन एक लाख मीटर तक करने के प्रस्ताव के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ एक दीर्घकालीन एमओयू किया है जिसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4.0 लाख मीटर कर दिया गया है वर्ष 2007–08 (2018–19 तक) से 6 दौर के राष्ट्रीय/वैश्विक तथा 9 दौर के ईटेंडरिंग तथा 8 दौर रिवर्स ऑक्शन सहित ई टेंडरिंग किया गया तथा 93 ब्लॉकों में 38 लाख मीटर के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। हालॉकि विपरीत कानून एवं व्यवस्था तथा वन क्षेत्र में ड्रिलिंग में आने वाले अवरोध के के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पेश की गई 31 परियोजना रिपोर्टों में से 22 परियोजना रिपोर्ट खुली खनन की थी। इसमें से 7 बड़ी परियोजनाओं (10एमटीवाई या इससे अधिक) की थीं। 9 परियोजना रिपोर्ट भूमिगत खान की थीं, जिसमें । पीएसएलडब्ल्यू परियोजना (पतरातू एबीसी) तथा 8 परियोजनाएँ सीएम तैनात करने से संबंधित थीं)

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची की भू–रासायनिक प्रयोगशाला को 12 विभिनन स्कोप/पारामीटर में जाँच (टेस्टिंग) के क्षेत्र में उपलबध सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/ आईईसी 17025:2017 के अनुरूप नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन

लेबोरेटरी (एनएबीएल) की मान्यता दी गई है। भू–रासायनिक प्रयोगशाला को परिष्कृत आयातित उपकरण से सुसज्जित कर उन्नत बना दिया गया है। और इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। पल्वीलाइज, प्रोक्सीमेट अनालाइजर, बॉम्ब कॉलेस्टीमीटर आदि जैसे उपकरण लगाए जा चुके हैं। भुवनेश्वर स्थित सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान–7 में नई रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कोयले की सकल तापीय मूल्य के निर्धारण के लिए एक स्वचालित बॉम्ब कैलोरीमीटर तथा कोयले में नमी की मात्रा निर्धारित करने के लिए दो म्वाइश्चर ओवन लगाकर कोयला एवं खनिज परिष्करण (सीएमपी) प्रयोगशाला को उन्नत कर दिया गया है। सीएमपी प्रयोगशाला को एनएबीएल की मान्यता दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान पर्यावरण प्रयोगशाला को भी स्टेट–ऑफ–दि–आर्ट उपकरण से सुसज्जित कर दिया गया है। सीएमपीहडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 क्षेत्रीय संस्थान–5 तथा क्षेत्रीय संस्थान–7 के पर्यावरण प्रयोगशाला को एनएबीएल की मान्यता मिल चुकी है।

सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान–I, क्षेत्रीय संस्थान–II तथा क्षेत्रीय संस्थान–6 के पर्यावरण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला को सीपीसीबी मान्यता मिल चुकी है, जो 5 वर्ष के लिए वैद्य है।

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में एक आधुनिकतम सीबीएम प्रयोगशाला कार्यरत हैं, जिससे सीबीएम/शेल गैस से संबंधित अध्ययन, के बारे में सभी पारामेट्रिक डाटा तेयार करने रिजवायर का गुण निर्धारण तथा सीबीएम एवं शेल गैस संसाधन का मूल्यांकन करना सहज हो गया है। सीएमपीडीआईएल की क्षमता एवं सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआईएल तथा सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

2008 से अब तक 5 घन मिलियन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली सीआईएल के सभी खुली खदान कोयला खान के भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलॉस वार्षिक रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से कम उत्पादन वाले सीआईएल के खुली खदान कोयला खानों का भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग वर्ष 2011 से भी तीन वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है।

कंटोर, आर्थोफोटोज का निर्माण तथा स्टॉक पाइल वोल्यूम्स का कम्प्यूटेशन जैसे विभिन्न तकनीकी एप्लीकेशंस में इसकी क्षमताओं के बेंचमार्किंग के लिए कोल इंडिया मं पहली बार ड्रोन का उपयोग किया गया। यह परियोजना सीसीएल की दो खानें अर्थात् राजरप्पा एवं तोपा तथा एनसीएल के 4 खानों अर्थात् अमलोहरी, निगाही, जयंत एवं दुधीचुआ में आऊटसोर्सिंग मोड में किया जा रहा था। सीएमपीडीआईएल निकट भविष्य में कोल इंडिया में नियमित परिचालन के लिए ड्रोन तैनात करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

वाशरी की स्थापना में वैचारिक (कंसेप्चुअल) रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य प्रदान करने तदुपरांत ड्राईंग की संवीक्षा करने तक कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को तकनीकी सहायता दी गई। सीएमपीडीआईएल ने ईब घाटी वाशरी (10एमटीवाई), लखनपुर क्षेत्र, जो एमसीएल की अब तक की पहली वाशरी है, के लिए बोली प्रक्रिया प्रबंधन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया । सीएमपीडीआईएल ने इस वाशरी के लिए ई–निविदा दस्तावेज तैयार किया, इसके प्रस्ताव का मूल्यांकन किया तथा संविदा दस्तावेज के साथ–साथ कार्यादेश का मसौदा भी तैयार किया। जब और जहाँ प्राप्त हो, के आधार पर ड्राईंग की संवीक्षा भी की गई। सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल की जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीवाई) एवं हिंगुला वाशरी (10एमटीवाई) के लिए ई–निविदा दस्तावेज तैयार किया, प्रस्ताव का मूल्यांकन किया तथा संविदा दस्तावेज एवं कार्यादेश का मसौदा भी तैयार किया। सीएमपीडीआईएल ने भोजूडीह वाशरी (2.0 एमटीवाई), बीसीसीएल के लिए भी इसी तरह का कार्य किया है।इसके अतिरिक्त, सीआईएल के तहत परिचालित कोकिंग कोल

वाशरियों के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल की अध्यक्षता वाली समिति ने लो वोलाटाइल मेडियम कोकिंग कोल (एलवीएमसी) को शामिल करने के लिए कोयला मंत्रालय को कोकिंग कोल के पुनवर्गीकृत करने की अनुशंसा की है। इसे भारत सरकार के गजट अधिसूचना के जरिए ''वाशरी ग्रेड–5'' (35 प्रतिशत से अधिक तथा 42 प्रतिशत तक राख की मात्रा) तथा वाशरी ग्रेउ–5'' (52 से अधिक तथा 49 प्रतिशत तक राख की मात्रा) तक बढ़ा कर प्रकाशित किया जा चुका है। यह घरेलू संसाधनों से कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि थी दिशा में अगला कदम है।

सीएमपीडीआईएल कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। ओएनजीसी, कोल इंडिया के कंसोरटियम को आवंटित दो ब्लॉक मुख्यतः झरिया और रानीगंज नार्थ में कोल बेड मीथेन के विकास के लिए कोल इंडिया की ओर से सीएमपीडीआईएल विचार कर रहा है। और प्रशासनिक तथा अन्य मुद्दों अर्थात् संविदात्मक, परिचालन आदि को शुरू करने में कोल इंडिया को सहयोग दे रहा है। कोयला मंत्रलाय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है।

सीएमपीडीआईएल ड्रिल किए जा रहे चयनित बोर होलों में ''भारतीय कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र के कोल बेड मिथेन गैस–इन–प्लेस संसाधन के मूल्यांकन'' के बारे में अध्ययन कर रहा है।

कोयला मंत्रालय ने ऑफर किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने, नामंकन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अवार्ड करने बिडिंग के लिए दिए जाने वाले ब्लॉकों का निर्णय करने, बोली लगाने की प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित मामले के लिए मेकानिज्म प्रस्ताव तैयार करने के उद्देंश्य से यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान हेतु अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया है। कोयला मंत्रालय ने इसके लिए सीएमपीडीआईएल को नॉडल एजेंसी बनाया है।

कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की आरएंडडी बोर्ड के एसएंडटी अनुदान के तहत अनुसंधान क्रिया–कलापों में समन्वय के लिए भी सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है। वर्षों से इन अनुसंधान परियोजनाओं से परिचालन में सुधार, सुरक्षित वर्किंग स्थिति, बेहतर रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है, जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं से उद्योगों पर प्रत्यक्ष रूप से टैन्जीवल प्रभाव पड़ा है, तथा कुछ अन्य से भावी खनन योजनाओं और आपरेटिंग खान दोनों द्वारा अपेक्षित माइन प्लानिंग, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाओं को मजबूती मिली है। पुनरूद्ध ारित खुली खदान कोयला खानों में सस्टेनेवल लाइवलीहुड क्रिया–कलाप, आन–लाइन कोयला धोवन क्षमता विश्लेषक, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेबिलिटि, विभिन्न रॉक परिस्थितियों के लिए आप्टीमम ब्लास्ट डिजाइन, सतह धँसान का पूर्वानुमान, रूफ केवेबिलिटी का विश्लेषण, अंडरग्राउन्ड कोल पिलर डिजाइन जैसे समस्या से युक्त भारतीय भू–खनन थितियों के लिए भिन्न–भिन्न डिजाइन/क्रिया–विधि/प्रक्रिया विकसित की गई है।

कोल/लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभदायक आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधान एवं शैक्षक संस्थानों, कोल/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों को अधिक–से–अधिक शामिल करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सीएमपीडीआईएल आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 27001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के कार्यान्वयन के लिए परामशी सेवाएँ प्रदान करता है। सीएमपीडीआईएल और इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को संशोधित नए आईएसओ 9001:2015 मानक की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है। सीएमपीडीआईएल प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली में दो नए मानक आईएसओ

14001 तथा आईएसओ 50001 की जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया जिसका प्रमाणन मार्च, 2020 तक मिलने का अनुमान है।

कोल ब्लॉक डाटा से संबंधित सूचना देने के लिए आनलाइन कोल ब्लॉक इंफार्मेशन सिस्टम अप्लीकेशन (ओसीबीआईएस) विकसित किया जा चुका है। माइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम (एमडीएमएस) पोर्टल भी विकसित किया जा चुका है, जो सीआईएल द्वारा मॉनिटर की जा रही परियोजनाओं की प्रमूख विशेषताओं की जानकारी देता है।

1.3.10 सीएमपीडीआईएल और कोल इंडिया के बीच एमओयू:

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए कोल इंडिया के साथ एमओयू करता है। उपलब्धियों को 1–5 तक के स्केल पर ग्रेडित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक उत्कृष्ट 1.0 से 1.5 तथा खराब 4.51 से 5.0 तक दिया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआईएल को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम है तथा अपने सिन्डकेट में प्रथम वित्तीय वर्ष 2015–16 से ग्रेडिंग सिस्टम को 5 प्वाईंट स्केल से बदलकर प्रतिशत प्रणाली में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सीएमपीडीआईएल को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग दिया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इसे ''उत्कृष्ट'' रेटिंग मिलने की संभावना है।

1.3.11 जोखिम और चिन्ताएँ

- बोर होल में सघनता में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रूकावट है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में विस्तृत गवेषण क्षमता बनाए रखना कठिन प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंधित होने से विस्तारण कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है
- कंपनी अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर की अध्यक्षता में सीएमपीडीआईएल में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

1.3.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआईएल के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- निर्बाध रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार उपलब्ध है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा–जोखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- आंतरिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/कोस्ट एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन किया गया मुख्य कंट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.13 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआईएल के कर्मियों का वेतन, मजदूरी तथा लाभ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों के लिए 10 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल अपने

कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सतत् प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कराता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को संबंधित भाग (पोर्सन) में शामिल किया गया है।

1.3.14 परिचालन कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार-विमर्श :

कंपनी की आय मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय अन्य आय एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। गत वर्ष की 1169.84 करोड़ रू. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल आय 1287.57 करोड़ रू. है, इस प्रकार कुल वृद्धि 10.06 प्रतिशत दर्ज की गई। कुल व्यय 1023.75 करोड़ रू. है (ओसीआई का कुल)।

आयकर व्यय में आयकर अधिनियम, यथासंशोधित के संबंधित प्रावधान के अनुसरण में परिकलित वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय या क्रेडिट शामिल है। वर्तमान कर के लिए प्रावधान की पहचान भत्ते तथा आयकर अधिनियम के अनुरूप छूट के लिए अनुमानित कर देयता के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्ति तथा देयता की पहचान समय अंतराल कारण भावी कर परिणाम के लिए किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर तथा कर विनियमन का उपयोग कर इनका पता लगाया जाता है। कर के दर के कारण पड़ने वाले प्रभाव की पहचान दर के परिवर्तन वाले संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में की जाती है। अग्रेषित हानि के मामले में आस्थगित कर की पहचान उस सीमा तक की जाती है कि वर्चुअल निश्चितता हो जहाँ पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगा, जिसके विरूद्ध इस तरह की आस्थगित कर परिसम्पत्ति की वसूली की जा सके।

गत वर्ष के 120.82 करोड़ रू. (सीसीआई सहित) (आईएनडीएएस के अनुसार पुनर्कथित) की तुलना में 263.82 करोड़ रू. कर से पूर्व लाभ हुआ जो 143 करोड़ रू. ज्यादा है। गत वर्ष के लिए 80.33 करोड़ रू. की तुलना में कर पश्चात् लाभ 173.27 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) कर पश्चात् लाभ है। 92.44 करोड़ रू. अधिक है।

1.4.0 सीएमपीडीआईएल का वित्तीय पर्यावलोकन

वर्ष के दौरान कंपनी को 173.27 करोड़ रू. कर पश्चात् लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों का कार्यकारी परिणाम इस प्रकार है :

31 मार्च, 2019 तक का पूँजीगत व्यय :

(करोड रू.में)

योग्यता मानदण्ड		सीएमपीडीआईएल की स्थिति		
		वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1.	कर पूर्व लाभ (करोड रू. में)	65.53	120.82	263.82
2.	कर बाद लाभ (करोड रू. में)	40.59	80.83	173.27
3.	टर्न ओवर (करोड रू. में)	930.52	1154.75	1274.56
4.	टर्न ओवर के लिए कर पूर्व लाभ(प्रतिशत)	7.04	10.46	20.69
5.	प्रतिशयर अर्जन (रूपये में)	2131.83	2122.64	4550.16

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिर्माक (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को परिशिष्ट–V के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए टिप्पणी पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण ओर सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–VI में दिया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलबध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी

अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रू. की तुलना में 38.08 करोड़ रू. है। पूंजीगत भंडार 18.87 करोड़ रू., सामान्य रिजर्व 12.70 करोड़ रू. तथा पी/एल एकाउन्ट में सरप्लस 364.93 करोड रू. एवं शेयर होल्डर को कुल कंस्टीच्यूएटिंग 428.74 करोड़ रू. की निधि है। गैर चालू देयताएँ 289.65 करोड़ रू. तथा चालू देयताएं 661.55 करोड रू. है।

कंपनी की अपना स्वयं का अचल परिसंपत्ति 176.43 करोड़, आस्थगित कर परिसंपत्ति (कुल) 102.69 करोड़ रू., अन्य गैर चालू परिसंपत्ति 39. 94 करोड़ और चालू परिसंपित्त 1079.52 करोड़ रू. है।

परिचालन से कुल राजस्व और अन्य व्यय 1287. 57 करोड़ रू. तथा सभी व्यय एवं कर को पूरा करने के बाद निबल लाभ 173.27 करोड़ रू. है। प्रति शेयर अर्जन 4550.16 रू. (1000 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) है।

1.4.4 31 मार्च, 2018 तक का पूँजीगत व्यय

(करोड़ रू. में)

	2017-18	2018-19
भवन	6.04	2.03
प्लांट एवं मशीन	30.55	10.77
कार्यालय उपकरण	0.76	0.14
फर्नीचर	0.74	1.90
टेलीकाम	0.10	0.14
वाहन	0.95	0.44
साफ्टवेयर	2.43	2.94
कुल	**41.66**	**18.36**

1.4.5 अंतरिम लाभांश की घोषणा :

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में पहला अंतरिम लाभांश की घोषणा की जिसका आधार दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए कार्यकारी परिणाम तथा 25.52 करोड़ रू. अर्थात् 670.17 प्रतिशेयर (लाभाशं) 3,80,800 दिया गया। कर पश्चात् चालू वर्ष का लाभ में 1000/– प्रत्येक (शेयर का अंकित मूल्य) का इक्विटि शेयर तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 31.3.2018 तक कंपनी के प्राक्कलित लाभ एवं हानि में अधिशेष को घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार कारपोरेट डिविडेट टैक्स (सरचार्ज एवं सेस सहित) का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया।

1.4.6 31.03.2019 के बाद मेटेरियल परिवर्तन

मेटेरियल और कमिटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से सम्बद्ध हो।

1.5.0 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेक्षक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–4 में संलग्न किया गया है।

1.5.1 कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसरीयता, कंफीडेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा–निर्देश का पालन करता हो, को सुनिश्चित करना है।

कारपोरेट गवर्नेस प्रैक्टिसेज के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति बनाई है :

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहित (कोड आफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.5.2 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क) निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम–से–कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीक निदेशक या गेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख) निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2019 के अनुसार सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में 9 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा 2 अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरन इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व में नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशकों के पद से मुक्त होने के बाद कोयला मंत्रालय, भारत सराकर द्वारा शेष 3 स्वतंत्र निदेशकों की अभी नियुक्ति की जानी हैं। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2019 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक

क. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री शेखर सरन

ख. कार्यकारी निदेशक

1. श्री बी.एन. शुक्ला
2. श्री ए.के. चक्रवर्ती
3. श्री के.के. मिश्रा
4. श्री आर.एन. झा

II. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री विनय दयाल
2. डा. अनिंद्य सिन्हा

III. गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद
2. डा. देबाशीष गुप्ता

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री पियूष कुमार

ग. आयोजित बोर्ड की बैठक की संख्या तथा तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बॉडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यो की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दस (10) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी, जो इस प्रकार है :

क्रम संख्या	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
1.	213वीं	12.05.2018	शनिवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
2.	214वीं	25.05.2018	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
3.	215वीं	13.07.2018	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
4.	216वीं	01.08.2018	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
5.	217वीं	19.09.2018	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
6.	218वीं	31.10.2018	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
7.	219th	11.12.2018	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	220वीं	28.12.2018	शुक्रवार	नई दिल्ली
9.	221वीं	31.01.2019	वृहस्पतिवार	नई दिल्ली
10.	222वीं	13.03.2019	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

घ. निदेशक मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री शेखर सरन	10	10	हाँ
2.	श्री बी.एन. शुक्ला	10	10	हाँ
3.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	10	9	हाँ
4.	श्री के.के. मिश्रा	5	4	-
5.	श्री आर.एन. झा	2	2	-
अंशकालीन सरकारी निदेशक				
6.	श्री विनय दयाल	10	7	हाँ
7.	डा. अनिंद्य सिन्हा	10	10	-
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक				
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	10	10	हाँ
9.	श्री देबाशीष गुप्ता	10	10	हाँ

क्रम संख्या 6 कोल इण्डिया द्वारा 09.11.2017 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

क्रम संख्या 7 कोयला मंत्रालय द्वारा 5.2.2018 से सरकारी–नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

(ii) रूचि का प्रकटीकरण

क्र.सं	निदेशकों के नाम	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री शेखर सरन	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
2.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	शून्य	–
3.	श्री बी.एन.शुक्ला	कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड	निदेशक
4.	श्री के.के.मिश्रा	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	निदेशक
5.	श्री आर.एन.झा	शून्य	–
अंशकालीन सरकारी निदेशक			
4.	श्री विनय दयाल	1. सकोल इंडिया लि. 2. कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड 3. तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड 4. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 5. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	1. निदेशक 2. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक 3. निदेशक 4. निदेशक 5. निदेशक
5.	डा. अनिंद्य सिन्हा	शून्य	.
अंशकालीन गैर-सरकारी			
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	शून्य	.
7.	डा. देबाशीष गुप्ता	शून्य	.

ड. बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पूंजी एवं राजस्व बजट
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कंपनी के कार्य–निष्पादन की आवधिक संवीक्षा,
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सांविधिक समीक्षा
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट इत्यादि
- अंकेक्षक समिति, सीएसआर समिति, नामांकन एवं बैठक का कार्यवृत
- बड़े कंट्रेक्ट/एग्रीमेंट को देना
- अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण
- स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्र की घोषणा
- श्रम–शक्ति बजट
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

च) निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :

श्री शेखर सरन (डीआईएन 06607551) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक हैं। उन्हें 31.10.2016 के तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक(तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी मिला तथा सीआईएल और बीसीसीएल के बोर्ड सदस्य भी हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलाशने वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण किया और कोल सिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख–रेख की। उसके बाद दिसम्बर, 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीरियरिंग, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू)से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ–साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013–15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट–ग्रेजुएट प्रोगाम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने ईस्टर्न जेट से सब एरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट और सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशाआलों में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेशन में भी भाग लिया।

उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजर लैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पत्र धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ और मानव संसाधन के विकास में इसकी सर्वोतमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि कोल इंडिया में निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति रहती है। वे 01.01.2016 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक है और दिनांक : 18.04.2019 से बीसीसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में हैं।

श्री बिनय दयाल (डीआईएन 07367625) कोल इण्डिया के निदेशक (तकनीकी) है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान–5,

बिलासपुर, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआईएल का प्रभार ग्रहण किया। वे दिनांक : 01.12.2015 से 11.10.2015 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी), (आयोजन एवं अभिकल्पन) रहे।

श्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के लिए हाई–टेक ड्रिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।

उन्हें माँद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (ढुलाई) के लिए रेल कॉरीडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित ''इंडिया–आस्ट्रेलिया ज्वाईट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल'' की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलने तथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआईएल की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए।

वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के आजीवन सदस्य हैं।

वे 09.11.2017 से सीएमपीडीआईएल के सरकारी अंशकालीन निदेशक नियुक्त किए गए।

डा0 अनिंद्य सिन्हा (**डीआईएन 08069992**) खनन अभियांत्रिकी में स्नातक और कोयला खानों को मैनेज करने के लिए फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी धारक हैं और इन्होंने पोलैंड से डाक्टरेट की उपाधि हासिल की है तथा इन्हें भारत और विदेश में कोयला क्षेत्र में 33 (तैंतीस) वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनके अनुभव में कोल इंडिया लिमिटेड के बीसीसीएल एवं एमसीएल के भुमिगत एवं खुली खदान खानों दोनों के संचालन तथा प्रबंधन का 10 वर्षों का अनुभव, अकादमिक अनुसंधान एवं विकास का तीन वर्षों का अनुभव, सीएमपीडीआईएल में माइन प्लानिंग एंड डिजाइन का 20 वर्षों का अनुभव, और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के एनर्जी फ्यूअल कोल एंड लिग्नाइट के लिए डेवलपमेंट पालिसी प्लानिंग में 4 महीनों का अनुभव शामिल है।

डा0 सिन्हा वर्तमान में कोयला मंत्रालय भारत सरकार में परियोजना सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तरीय पद) के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। उनके अनुीाव में कोयला खनन परियोजनाओं का विकास, निवेश निर्णय के लिए कोयला खनन परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, कोयला और लिग्नाइट के लिए पूंजीगत बजटिंग, गवेषण पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन का मूल्यनिर्धारण, मौस बदलाव से संबंधित मुद्दे, कोयला एवं लिग्नाइट के लिए परिप्रेख्य योजना का विकास, कोयला धुलाई, कोयला गैसीकरण, यूसीजी, सीटीएल सहित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास, कोयला इवाक्यूएशन के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि शामिल है।

डा0 सिन्हा 1984 में खनन अभियंत्रण में स्नातक हैं और भारतीय खनिविद्यापीठ से 1986 में स्नातकोत्तर पूरा किए हैं। अपने बैच के टॉपर होने तथा आईएसएम में पुरस्कार/स्कोलरशिप

प्राप्त करने के अलावे उन्हें एमजीएमआई के पिकरिंग मेडल तथा आईएसएम के गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उसके बाद वर्ष 1993–96 के दौरान यूनिवर्सिटि ऑफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी (एजीएच), क्रेकाव, पोलैंड में पोलिश सरकार के फेलोशिप (यूपीएससी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए चयनित) के तहत अपनी डॉक्टरल की पढ़ाई पूरी की। उनका रिसर्च भूमिगत कोयला खानों के खान संवातन और वायु की स्थिति पर था, इसी दौरान उन्होंने पोलैंड के कुछ सर्वोत्तम लौंगवाल खानों के बारे में पढ़ाई कर उन खानों का दौरा किया। उस अवधि के दौरान अनेक अनुसंधान पेपर के प्रकाशन के अलावे वे पोलिश एकेडमी ऑफ साईंस (पीएएन), पोलैंड के तत्वावधान के तहत माइन वेंटीलेशन साफ्टवेयर पैकेज के को–डेवलपर भी रहे। तदनन्तर वर्ष 2008 में उन्होंने एशियन इंस्टीचयूट ऑफ मैनेजमेंट (एआईएम), मनीला, फिलिपिन्स में प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (पीपीडीएम) कोर्स में भाग लिया।

डा0 सिन्हा, ईआईए/ईएमपी की तैयारी के लिए क्यूसीआई–एनएबीईटी एक्रीडिटेड ईआईए को–आर्डिनेटर तथा खनन योजना/ खान बंदी योजना की तैयारी के लिए कोयला मंत्रालय के एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति (आरक्यूपी) हैं। खनन क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनयर्स (इंडिया) ने वर्ष 2017 में खनन के क्षेत्र में ''एमीनेन्ट इंजीनियर अवार्ड'' प्रदान किया।

डा0 सिन्हा ने कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न समितियों/वर्किंग ग्रुप का कोल इंडिया लिमिटेड एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। और व्यावसायिक कार्य से संबंधित कार्यों के लिए पोलंड, स्पेन सहित विभिनन देषों का दौरा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला क्षेत्र से संबंधित नीति और मुद्दों पर अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया है। वे इंस्टीचयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइनिंग, जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (एमजीएमआई) आदि के आजीवन सदस्य हैं।

डा0 सिन्हा 05.02.2018 से सीएमपीडीआईएल के सरकारी अंशकालीन निदेशक हैं।

श्री भोला नाथ शुक्ला (डीआईएन 0513449) आईटी बीएचयू से 1982 के स्नातक हैं और 1989 में उन्होंने भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से ओपेनकास्ट माइनिंग में एम.टेक. किया है। उन्हें बी.टेक और एम.टेक स्तर पर रजत पदक मिला तथा वे लोकप्रिय छात्रनेता रहे।

उन्होंने 1982 में एसईसीएल में पदभार ग्रहण किया जहां वे 1983 में डिपिलरिंग के लिए एसडीएल और चेन कन्वेयर लगाने में सहायक रहे। उन्होने जमूनिया खुली खदान खान में कास्ट ब्लास्टिंग कर प्रयोग किया और उसे उत्पादन हेतु खुली खदान खानों में भी प्रयोग किए जिसे ओबी बेंचों के साथ वर्टिकल फेसों के मिलने के कारण विगत छह महीनों से डीजीएमएस द्वारा रोक दिया गया था। उन्होंने 1999 में चर्चा ईस्ट भूमिगत खान में पदभार ग्रहण किया। जहाँ उन्होंने हाई रूफ मैनेजमेंट और निर्मित स्ट्राटा बंकर के लिए हाइड्रोफ्रेक्चरिंग पर प्रयोग किया जिससे बेल्ट कन्वेयर के ब्रेकडाउन में कमी और विद्युत में बचत हुआ।

उन्होंने एलएचडी सहित रूपान्तरित कंटीन्यूअस माइनर वाले बेहराबंद भूमिगत खान के सब एरिया मैनेजर के रूप में पदभार ग्रहण किए तथा उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस खान को एसईसीएल के 'ए' ग्रुप में सर्वोत्तम खान माना गया। उन्हें आरएंडआर समस्या और खराब जियोमेट्री को ठीक करने के लिए परियोजना अधिकारी, बलराम ओसीपी के रूप में पदस्थापित किया गया। इस खान को लगातार दो वर्षों तक समग्र वार्षिक सुरक्षा सप्ताह में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने 2007 में महाप्रबंधक, भरतपुर क्षेत्र के रूप में पदभार ग्रहण किया जहां उन्होंने आरएंडआर समस्या को सुलझाने के साथ–साथ पर्याप्त भूमि अधिग्रहण के साथ इच्छित आकार में इस खान को लाने में सफल हो सके। उसके बाद उन्हें सीएमएल के हिंगुला जैसे कठिन क्षेत्र में पदस्थापित किया गया जहाँ प्रतिदिन 21000 टीपीडी उत्पादन था, जब उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ा तब वहाँ का उत्पादन 62000 डीपीडी प्रतिदिन था।

उनके मिशन, ज्ञान, रणनीति पर विचार करते हुए उन्हें एमसीएल मुख्यालय के कारपोरेट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक के उनके मिशन, ज्ञान, रणनीति पर विचार करते हुए उन्हें एमसीएल मुख्यालय के कारपोरेट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया गया जहां वे पिट हेड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2x800MW) में एमसीएल के विविधिकरण करने में इंस्ट्रमेटल रहे और जिसके लिए एमबीपीएल कंपनी बनाई गई थी और उन्हें दिनांक 9.4.2012 से सितम्बर, 2015 तक निवेश नियुक्त किया गया था। उनके विविधिकरण के कार्यों में स्प्रेलन, पोर्ट और पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जैसे कार्य भी थे।

वे झारसुगुड़ा बारापली रेल लिंक को जून, 2016 तक कागज से जमीन पर उतारने के भरपून प्रयास करने वाले मुख्य व्यक्ति थे। एमसीएल की वृद्धि के लिए यह लाइफ लाइन (जीवन–रेखा) है। उन्होंने 122 एमटी के स्तर से 322 एमटी (पीक) की कुल क्षमता वाली परियोजनओं को अनुमोदित करवाया। उन्होंने रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, सीएचपी सिलो जैसे विभिन्न आधारभूत क्रिया–कलापों की योजना और मॉनीटरिंग और बन आरएंडआर तथा कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा का हल ढूँढने के लिए कोयला मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल रहे।

वे दिनांक : 01.10.2015 से 16.08.2016 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी)/ कोल रिसोर्स डेवलपमेंट) रहे। उनकी कार्यावधि के दौरान विभागीय वेधन में लगभग 52000 मी. की उच्च वृद्धि भी हुई। वे खनिज के लिए एमएमडीआर 1957 के सेक्शन 4(1) के तहत सीएमपीडीआईएल को अधिसूचित करवाने के प्रति इंस्ट्रूमेंटल (प्रयोगधर्मी) रहे, जो सीएमपीडीआईएल के इतिहास में एक लैंडमार्क है।

उन्होंने चीन का दौरा किया और सेमिनारें में अनेकों तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए। वे 2016 में रियो–डी–जेनेरियो के वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस में भाग लिए। वे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे और आईटी बोटिंग क्लब बीएचयू के कप्तान भी थे। उन्होंने 1981 में बीएचयू से काठमांडू, नेपाल की यात्रा साइकिल से पूरी की।

वर्ष 17.08.16 से 16.8.17 तक एक वर्ष के लिए उन्हें निदेशक (तकनीकी), ईसीएल के रूप में स्थांतरित किया गया। कार्यावधि के दौरान गत वर्ष की तुलना में भूमिगत उत्पादन में 10.89 प्रतिशत एवं प्रेषण (डिस्पैच) 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान में उन्होंने सीएमपीडीआईएल में 17.8.2017 से पदभार ग्रहण किया है।

श्री असीम कुमार चक्रवर्ती (डीआईएन 07601841) ने दिनांक 3 अगस्त 2016 को निदेशक(तकनीकी) का प्रभार लिया। श्री चक्रवर्ती इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) धनबाद से खनन इंजीनियरिंग (1992 में) स्नातक किया। उन्होंने बीआईटी, मेसरा, राँची से एमबीए डिग्री (1982 में) प्राप्त किया।

उन्होंने 1982 में ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के नार्थ सियर सोल कोलियरी, कुनुस्तुरिया एरिया से कोयला उद्योग में पदार्पण किया। सीएमपीडीआईएल में निदेशक(तकनीकी) के रूप में प्रभार लेने से पूर्व वे क्षेत्रीय निदेशक और महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट अप्रेजल डिवीजन) के रूप में अपनी सेवाएँ दी।

श्री चक्रवर्ती को प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। उन्हें एमसीएल के सियरमल ओसीपी जैसे बड़े क्षमता वाले खान (40 मि.ट.प्र. व.क्षमता) के प्लानिंग का श्रेय जाता है। महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एप्रेजल डिवीजन) के रूप में उन्होंने सीआईएल द्वारा 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए सीआईएल से संबंधित रोडमैप बनाने में अपना सहयोग दिया। सीआईएल ब्लॉकों पर यूएनएफसी पर कार्य में भी सहयोग किया। वे सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणिक प्रबंधन योजना खनन योजना, माइन क्लोजर प्लान, आपरेशनल प्लान और अन्य विशेषीकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

वे 03.08.2016 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी), इंजीनियरिंग सेवाएँ) सीएमपीडीआईएल हैं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्रा (डीआईएन 08256429) वर्ष 1985 में आईएसएम (अभी आईआईटी), धनबाद से खनन अभियांत्रिकी में बिटेक में स्नातक हैं और अपने बैच के अंतिम वर्ष में द्वितीय टॉपर रहे। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से वर्ष 1989 में भारतीय खनि अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी प्राप्त किए। उन्होंने पंजा टेक्नीकल यूनिवर्सिटी से 2012 में एमबीए किया। उन्होंने माइन्स रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे एमजीएमआई के सदस्य और इंस्टीट्शन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो हैं।

उन्होंने एसईसीएल के सोहागपुर क्षेत्र के अमलई कालियरी में वर्ष 1985 में कोल इंडिया में योगदान दिया और 1993 तक अमलई कोलियरी में मैनेजर एवं सुरक्षा अधिकारी के तहत जुनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी (जेट) से विभिन्न पदों पर योगदान दिया। वे मार्च 2000 तक न्यू अमलई यूजी माइन के साथ–साथ अमलई ओसीपी, बरहार संख्या–1 यूजी खान के माइन मैनेजर के रूप में कार्य किया। जोहिला क्षेत्र में उनके स्थानान्तरण के पश्चात् उन्होंने नवम्बर, 2002 तक यंत्रीकृत पिनौरा यूजी माइन के मैनेजर के रूप में 0.90 लाख टी/प्रतिवर्ष से 2.50 लाख टी/प्रतिवर्ष पिमौरा यूजी खान के प्रबंधक के रूप में उत्पादन में 2.60 लाख टी/प्रतिवर्ष से 3.10 लाख/टी/प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई।

नवम्बर, 2002 में एमसीएल में उनके स्थानांतरण के बाद उन्होंने बेलपहाड़ ओसीपी, बसुंधरा ओसीपी, हिंगुला ओसीपी के प्रोजेक्ट आफिसर रहे, इसके अतिरिक्त जून, 2010 तक भरतपुर क्षेत्र के एडिशनल महाप्रबंधक रहे। उनके योग्य प्रबंधकीय और लीडरशिप गुणों के कारण उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही और सभी परियोजनाओं में प्रेषण भी होता रहा और इसी प्रकार बेलपहाड़ और वसुंधरा ओसीपी में दुगुना से भी अधिक वृद्धि हुई।

जून, 2010 में सीसीएल में उनके स्थानान्तरण के बाद उन्होंने जुलाई, 2012 तक अशोका ओसीपी के परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य किए, तथा 2010–11 के दौरान 8.00 मीलियन टन कोयला की उपलब्धि रही जो अशोका ओसीपी के इतिहास में सर्वाधिक थी।

उन्होंने जुलाई, 2012 से सितम्बर, 2014 से कथारा एरिया (सीसीएल) के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया और उनके कार्यवधि में 1.92 मी.ट.प्र.व. से बढ़कर 3.00 मी.ट.प्र.वर्ष हुआ जो कि कथारा एरिया के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन था। उन्होंने अक्टूबर, 2014 से अप्रैल, 2018 तक नार्थ कर्णपुरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया और उनके कार्यवधि के दौरान क्षेत्र में उत्पादन 3.89 मी.ट.प्र.वर्ष से बढ़कर 7.03 मी.ट.प्र. वर्ष हुआ जो एन.के.एरिया के इतिहास में उच्चतम उत्पादन था। चुरी भूमिगत खान में हायरिंग आधार पर मास प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी (कंटीन्यूअस माइनर) को लागू किया गया। उन्होंने 27.4.2018 से 10.10.2018 से पिपरवार एरिया के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उनके पास क्षेत्र क्रिया–कलापों, तकनीकी कार्य, सुरक्षा, मैनपावर मैनेजमेंट, वित्त, पर्यावरण, गुणवत्ता प्रबंधन, भू–अर्जन, पुनर्वास एवं सेटलमेंट आदि से सहित उत्पादन, मार्केटिंग एवं सेल्स, वाशरी, प्लानिंग, प्रबंधन एवं खानों के संचालन का गहरा ज्ञान और अनुभव है। उन्होंने गाँवों और बेलपहाड़ ओसीपी, बसुंधरा ओसीपी, हिंगुला ओसीपी, अशोका ओसीपी (थेना एवं बिजैन गाँव) के घरों और एन.के.एरिया (जेहली टाँड़, कुटकी, हेंजदा और देम्बुआ गाँवों) को शिफ्ट कराया।

उन्होंने माननीय भारत के राष्ट्रपति के हाथों से 2013 में कथारा एरिया के स्वांग एवं गोविंदपुर भूमिगत के लिए नेशनल सेफ्टी अर्वाड प्राप्त किया। उन्हें 1 नवम्बर, 2017 (कोल इंडिया स्थापना दिवस) पर सचिव (कोयला) द्वारा सर्वोत्तम एरिया महाप्रबंधक से नवाजा गया। उन्होंने सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स गतिविधि, ग्राम कल्याण कार्यक्रम आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उन्होंने 2006 में टोक्यो (जापान) में **"क्लीन कोल टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट"** पर 3 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और लास वेगास में माइन एक्सपो– 2012 में भी भाग लिया तथा पियूरिया (शिकागो) में कैटर पिलर के मेन्युफैक्चरिंग फैसिलिटिज का दौरा किया और सितम्बर, 2012

में यू.एस.ए. के गोमिंग स्टेट में जिलेट में ओपेन कास्ट कोल माइन (ब्लैक थंडर) का भी दौरा किया। मईग, 2014 में ओंवरसीज मॉड्यूल के साथ–साथ डोमेस्टिक मॉड्ल को शामिल करते हुए आईआईएम, कोलकाता द्वारा आयोजित एडवांस मैनेजमेंअ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तथा तद्नुसार स्वीडेन में ''स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स'' तथा जर्मनी में '' फ्रैंकुर्ट स्कूल ऑफ फाइनांस एंड मैनेजमेंट'' में भाग लिया।

उन्होंने 11.10.2018 से सीएमपीडीआईएल में निदेशक (टेक्नीकल/प्लानिंग एंड डिजाइन) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने नवम्बर, 2018 में ब्रिसबेन (आस्ट्रेलिया) का दौरा किया तथा टेक्नीकल को–ऑपरेशन इन माइनिंग, जियोलॉजी और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 10 वर्षों की अवधि हेतु सीएमपीडीआईएल की ओर से सिसरो (सीएसआईआरओ) के साथ एक एमओयू किया। उन्हें 21.02.2019 से 7.5.2019 तक निदेशक (तकनीकी) बीसीसीएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

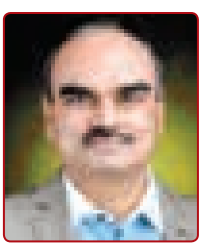

श्री रवीन्द्र नाथ झा (डीआईएन 05195902) भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से 1985 में खनन अभियांत्रिकी से स्नातक हैं। इन्होंने 1990 में डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी माइन मैनेजर कम्पीटेंसी सर्टिफिकेट (कोल) प्राप्त किया है। ये एक प्रमुख क्वालिटि सिस्टम ऑडिटर भी हैं। और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक हैं।

इन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत भारत के सबसे गहरे कोयला खान, ईसीएल के चिनाकुरी के पिट–1 एवं 2 से की है। इन्होंने स्टोविंग माइन सहित लौंगवाल में भी कार्य किया है। ईसीएल में 7 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद वे 1992 में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने सीएमपीडीआई और इसके विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के परियोजना मॉनीटरिंग/एप्रेजल डिविजन, खुली खदान खनन, भूमिगत खनन और पर्यावरण विभागों में कार्य किया है।

इन्होंने जनवरी, 2012 में निदेशक (तकनीकी) के रूप मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में योगदान दिया।

- एमईसीएल को उनकी कार्य अवधि में मिनीरत्न (श्रेणी-II) कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ।
- एमईसीएल 25 वर्षों के अंतराल के बाद 2014 में भारत सरकार को डिविडेंट (लाभांश) देना शुरू किया।
- एमईसीएल ने वर्ष 2012 में डीआरडीओ के लिए चुमाथन (लेह के निकट) में एक भू–तापीय परियोजना सफलतापूर्वक पूरा किया है।
- इनके कार्यअवधि में वेधन वर्ष 2012 में 2.96 लाख मीटर से बढ़कर वर्ष 2018 में 6.32 लाख मीटर हो गया और पीएटी (PAT) रू.10 करोड़ से बढ़कर रू. 95 करोड़ हो गया।
- एमईसीएल मार्च, 2018 में तीसरा वेतन समझोता करने वाली पहली पीएसयू है।
- एमईसीएल ने माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयला और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा फरवरी, 2018 में मिनी रत्न पीएसयू के बीच सर्वोत्तम वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा ''हिन्दुस्तान रत्न'' का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- इन्होंने फरवरी, 2018 में, मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआर कांग्रेस द्वारा एचआर ओरिएंटेशन सहित सीईओ का प्रथम पुरसकार प्राप्त किया।

ये मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट माइनिंग से संबंधित विभिन्न समितियों में एमईसीएल और खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। ये कनाडा, दुबई, पेरू आदि देशों का दौरा किया औरमिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से संबंधित अनेकों तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए। सीएमपीडीआई में निदेशक (तकनीकी/रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी) के रूप में 30.01.2019 को उनकी नियुक्ति हुई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद (डीआईएन 07355787) वर्ष 1971 में सोनीपत के हिन्दु कॉलेज से स्नातक है। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद से अगस्त,

1975 में वकालत शुरू की। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, मैक्ट, रेवेन्यू और लेबर लॉ की प्रैक्टिस की एव बीएसटी गनौर रंग उद्योग जैसे जिला और राज्य स्तर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के ट्रेड तथा लेबर यूनियन के लिए अपनी सेवाएँ दी। उन्होंने प्रशासन के समक्ष गरीब, वंचित समाज के नीचे तबके के लोगों के अधिकारों और हक के लिए जोरदार आवाज उठाई तथा समुचित लीगल फोरम के समक्ष कानूनी सहायता भी दिया।

वर्ष 1981 में उनका चयन हरियाणा जुडिशियल सेवा के लिए हो गया और उन्होंने सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया। फरवरी, 1988 में हरियाणा हाइयर जुडिशियल सर्विस में उनकी प्रोन्नति हुई तथा 06.03.2009 तक आडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के रूप में पदस्थापित हुए। जुडिशियल सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, कुरूक्षेत्र के प्रेसीडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर वे 05.03.2014 तक रहे। कुछ समय के लिए उन्हेंने प्रेसीडेंट डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रेड्रेसल फोरम, करनाल में भी अपनी सेवाएँ दी।

उन्होंने ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करते हुए 35 वर्षों से अधिक की सेवा जुडिशियल डिपार्टमेंट में दी। अपने जुडिशियल कैरियर के दौरान पूरे हरियाणा में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी। आपने सेवा अवधि के दौरान उन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अनेकों प्रशंसा–पत्र मिला है। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फारेसिंक साईंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (2003 तथा 2006) में क्रिमिनोलॉजी तथा फोरेंसिक साईंस (1994), मानव अधिकार में कोर्स पूरा कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है।

डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल फोरम के प्रेसीडेंट के रूप में उन्हें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन, हरियाणा, पंचकुला द्वारा वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया। पंचकुला में दिनांक– 09.01.2013 को आयोजित इनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर एक्ट, 1986 के सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन के अवसर पर उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र पंजाब और हरियाण ाा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिश ए.के.सिकरी द्वारा दिया गया। 2015 में, उन्हें स्टूडेंट इलेक्शन 2015 का न्यायिक जाँच के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड) द्वारा नियुक्त किया गया था।

उन्हें दिनांक 17.11.2015 को सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 17.11.2018 से एक वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है।

डा. देबाशीष गुप्ता (डीआईएन 03572010) कलकता विश्वविद्यालय से केमेस्ट्री में पीएचडी पूरा करने के बाद 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उन्हें बिहार कैडर मिला। उन्होंने तत्कालीन बिहार और झारखंड में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया तथा टेक्सटाइल मंत्रालय में भारत सरकार के साथ कार्य किए। उन्हें नेशनल जूट मैन्यूफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड तथा जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अ.स.प्र. निदेशक (सीएमडी) के रूप में कारपोरेट का अनुभव है। उन्हें बिहार सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में सीएमडी तथा प्रशासक का भी कार्यानुभव है। वे डेवलपमेंट कमीशनर, झारखंड सरकार के पद से सेवा–निवृत हुए। सेवा–निवृत्ति के बाद वे वर्ष 2013–15 तक अध्यक्ष झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रहे।

उन्हें दिनांक 17.11.2015 को सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 17.11.2018 से एक वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है।

श्री पीयूष कुमार (डीआईएन 07201444) ने 1993 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन, धनबाद से रजत पदक के साथ खनन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है। इन्होंने डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधन प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है और आईटी, बीएचयू से खान में रॉक मैकेनिक्स एवं पर्यावरण प्रबंधन में शॉट–टर्म पाठ्यक्रम भी किया है। अभी ये आईएसएम, धनबाद से पार्ट टाइम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में सीसीएल के विविध खुली खदान तथा भूमिगत कोयला खान में कार्य किया है। वे सीबीएम, सीएमएम, वीएएम तकनीक अध्ययन हेतु यूएसए के लिए सीआईएल प्रतिनिधि–मण्डल के हिस्सा थे। ये जापान में वाशरी टेक्नोलॉजी एवं लॉग–वाल माइनिंग और जेनेवा, स्वीटजरलैंड में कोयला संसाधन के यूएनएफसी वर्गीकरण पर प्रशिक्षण भी लिया है। ये जापान, ईयू, रूस, बेलारूस, यूएस के साथ विविध कार्य समूह बैठकों और ऑस्ट्रेलिया में जी–20 बैठक में भारतीय दल के हिस्सा थे।

अभी ये कोयला मंत्रालय में निदेशक तकनीकी के पद पर हैं, जो कोल माइनिंग के सभी तकनीकी मामलों और संबंधित नितियों के लिए जिम्मेवार हैं तथा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

ये 06.05.2016 से 18.6.2017 तक सीएमपीडीआईएल के बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्हें 5.8.2016 से 08.06. 2017 तक बीसीसीएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक भी नियुक्त किए गए थे। कोयला मंत्रालय द्वारा 9.6.2017 से सीएमपीडीआइएल के बोर्ड में अंशकालीन सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

दिनांक 05.02.2018 को अंशकालिक सरकारी निदेशक के पद भार से मुक्त होने पश्चात् सीएमपीडीआइएल के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

छ) सेक्शन 149 के उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए घोषणा पर विवरण

श्री राजेद्र प्रसाद और डा. देबाशीष गुप्ता कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं। दोनों स्वतंत्र निदेशक अपनी ड्यूटि करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी अधिनियम के सेक्शन, 149 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते की उप–धारा में उपलब्ध कराए गए नियमों के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं।

1.5.3 (क) अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलूओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।

3. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग) अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।

   क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।

   ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका कारण।

   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टि (इन्ट्री)।

   घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   ड़) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।

   च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा

   छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।
12. सीएंडएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।
16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।
17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।
18. डिपोजिटर्स, डिवेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।
19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।
20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना ।

घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।

2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च) गठनः

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष–(01.11.2016 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री आर. प्रसाद	सदस्य–(30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य–(01.12.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
4	श्री बिनय दयाल	सदस्य– (09.11.2017 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5	डा. अनिंद्या सिन्हा	सदस्य–(09.03.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक

महाप्रबंधक (वित्त), महाप्रबंधक (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

छ) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः दिनांक : 12.5.2018, 25.5.2018, 13.7.2018, 1.8.2018, 19.9.2018, 31.10.2018, 22.11.2018, 31.1.2019 और 13.3.2019 को कुल नौ बैठकें आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	उनके कार्यावधि के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अंकेक्षक समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री बी.एन. शुक्ला	9	9
अंशकालिक सरकारी सदस्य			
2.	श्री विनय दयाल	9	8
3.	डा. अनिंद्य सिन्हा	9	8
अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य			
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	9	9
5.	डा. देबाशीष गुप्ता	9	9

1.5.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेस के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 12.5.2018 को आयोजित 21वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता ग्रेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2	डा. देबाशीष गुप्ता	सदस्य– (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3	डा.अनिंद्य सिन्हा	सदस्य– (12.5.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4	श्री ए.के.चक्रवर्ती	स्थायी आमंत्रित (28.10.2016)	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (पीएंडए) कमिटि को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

1.5.5 सीएसआर कमिटीः

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्धता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस में बोर्ड स्तर की एक समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआर कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर कमिटि में 31 मार्च, 2019 के अनुसार निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (11.12.2018 से) सदस्य (30.10.2017 से 10.12.2018 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य (01.11.2016 से) अध्यक्ष (1.11.2016 से 10.12.2018 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
3	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य (230.10.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
4	श्री ए.के.चक्रवर्ती	सदस्य (28.10.2016 से)	कार्यकारी निदेशक
5	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य (11.12.2018 से)	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (एचआरडी) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो सीएसआर कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

बैठक एवं उपस्थितिः

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 12.5.2018, 25.5.2018, 13.7.18, 1.8.2018, 19.9.2018, 31.10.2018 और 22.11.18, 31.1.19 तथा 13.3.19 को कुल 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गई। सीएसआर समिति की बैठकों में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेज़क का नाम	स्थिति	भाग लिए गए बैठकों की संख्या
1	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (11.12.2018 से)	7
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य (11.12.2018 से)	7
3	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य (30.10.2017 से)	7
4	श्री ए.के.चक्रवर्ती	सदस्य 28.10.2016 से 10.12.2018 तक)	5
5	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य (11.12.2018 से)	1

1.5.6 निदेशकों के पारिश्रमिक :

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी पूर्णकालिक निदेशकों की सेवा एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक का निर्णारण कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसियेशन/कोल इंडिया लि. के टर्म में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

क) कार्यकारी निदेशकः

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े रू. में)

नाम	पदनाम	कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरपी अग्रिम	पीआरपी का एरियर	चिकित्सा व्यय	कुल
श्री शेखर सरन	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	2612696.00	750292.00		521003.00	477631.80	2400061.96	116440.00	79546.00	**6957670.76**
श्री बी.एन.शुक्ला	निदेशक (तकनीकी)	2390860.00	689120.00		437280.00	437050.20	1962090.80	133612.00	49307.00	**6099320.00**
श्री ए.क.चक्रवर्ती	निदेशक (तकनीकी)	2423168.00	697016.00		442960.00	437050.20	1786129.50	145791.00	31977.00	**5964091.70**
श्री के.के.मिश्रा	निदेशक (तकनीकी)	657273.00	211440.00		124881.00				18296.00	**1011890.00**
श्री आर.एन.झा	निदेशक (तकनीकी)	421144.00	135478.00		80018.00					**636640.00**

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशकः

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

1. डा. अनिंद्या सिन्हा, परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है।
2. श्री बिनय दयाल, निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से मनोनीत निदेशक है और उनका पारिश्रमिक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है।

ग) स्वतंत्र निदेशक :

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया फीस		कुल (रू. में)
		बोर्ड की बैठक (रू. में)	समिति की बैठक (रू. में)	
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	2,00,000.00	4,20,000.00	6,20,000.00
2.	डा. देबाशीष गुप्ता	2,00,000.00	4,20,000.00	6,20,000.00

1.5.7 (i) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	2016–17 42वीं एजीएम	2017–18 43वीं एजीएम	2018–19 44वीं एजीएम
तिथि	06.07.2017	13.07.2018	28.06.2019
समय	पूर्वाह्न 11.30	पूर्वाह्न 10.30	अपराह्न 4.00
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	होटल मेफेयर, दार्जिलिंग
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.7 (ii) असाधारण आम बैठक :

विवरण	2016–17	2017–18, 10वीं इजीएम	2018–19
तिथि	शून्य	17.03.2018	शून्य
समय		9.30 पूर्वाह्न	
स्थान		कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	
विशेष संकल्प		बोनस शेयर का निर्गमन	

1.5.7 (iii) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निम्न विषयों पर विचार करने हेतु साल में कम से कम एक बैठक करना है :

क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड का संपूर्ण रूप से कार्य निष्पादन की संवीक्षा करना।

ख) कार्यकारी निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशक से कंपनी के चेयरपर्सन के बारे में विचार लेके संवीक्षा करना।

ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और टाइम लाइन का मूल्यांकन करना जो कि बोर्ड के लिए प्रभावपूर्ण और समुचित अपनी ड्यूटी कर सके, के लिए आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें दिनांक : 20.06.2018 और 13.03. 2019 को हुई।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बैठक में भाग लेने का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने की संख्या
1	डा.देबाशीष गुप्ता	2
2	श्री राजेन्दर प्रसाद	2

1.5.8 प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) :

- **मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शनः**

कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से मेटेरियली सिग्नीफिकेंट में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधि नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच लेन–देन में छूट है।

धारा 188(I) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रेक्ट या अरेंजमेंट को परिशिष्ट–VIII में संलग्न किया जाता है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून क अनुपालन का विस्तृत विवरण :**

कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच :**

यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआईएल द्वारा भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ परिशिष्ट IV में संलग्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक की पर्याप्त

संख्या में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय जो अप्वाईंटिंग ऑथरिटि है को इससे अवगत करा दिया है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट एवं आईईएम**

  कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।.

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण:**

  कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ''सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण'' प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट ।। के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट):**

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया हे, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का ब्यौरा :**

  बुक ऑफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है तथा कंपनी के अंकेक्षकों ने इस तरह के किसी खर्च के लिए रिपोर्ट भी नहीं की है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश :**

  वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

- **वार्षिक रिटर्न :**

  कंपनी का वार्षिक रिटर्न हमारे वेबसाइट लिंक https://WWW.cmpdi.co.in/annualrpt.php पर उपलब्ध है।

1.5.9 संचार के साधन :

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका गोंदवाना भारती माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.5.10 ऑडिट क्वालिफिकेशन

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टिप्पणियों को परिशिष्ट VII में शामिल किया गया है।

1.5.11 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक–मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से पूर्णतः वाकिफ होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेंटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार–विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआईएल में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहुँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.5.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन दिनांक : 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 192 वीं बैठक में किया गया तथा दिनांक : 18.9.2017 को आयोजित बोर्ड की 207वीं बैठक में इसे पुनर्गठित किया गया।

क) गठन :

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक करते हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (8.6.2016 से)	स्वतंत्र निदेशक
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य (8.6.2016 से)	स्वतंत्र निदेशक
3	श्री ए.के.चक्रवर्ती	सदस्य (8.6.2016 से)	कार्यकारी निदेशक
4	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य (18.9.2017 से)	कार्यकारी निदेशक

ख) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक : 21.6.2018, 10.11.2018 और 8.2.19 को 3 (तीन) बैठकें हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति
1	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (8.6.2016 से)	3
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य (28.6.2016 से)	3
3	श्री ए.के. चक्रवर्ती	सदस्य (28.6.2016 से)	3
4	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य (18.9.2017 से)	3

ग) जोखिम प्रबंधन समिति ने जोखिम उप-समिति का गठन किया है और उप-समिति का गठन 31 मार्च, 2019 को किया गया जो इस प्रकार है :

1) मुख्य जोखिम अधिकारी :

श्री डी.डी. त्रिपाठी, महाप्रबंधक (एमएसडी)

2) जोखिम उप-समिति (आरएससी) अर्थात् सीआरओ का दल :

क) श्री रजनीश कुमार, मुख्य प्रबंधक/विभागाध्यक्ष/जियोमेटिक्स)

ख) श्री यू. चटर्जी, वरीय प्रबंधक (वित्त)

ग) श्री राजीब दत्ता वरीय प्रबंधक, (ईएंडएम)

घ) श्रीमती ममता टोप्पो, वरीय प्रबंधक (कार्मिक)

घ) 7 परटिनेंट रिस्क (आरटीएम का) जो सीएमपीडीआईएल के बिजनेस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है तथा 8वीं आरएमसी में चिन्हित किया गया है, वह इस प्रकार है :

1. श्रम शक्ति की सेवा–निवृत्ति और सक्सेशन योजना का अभाव।
2. गवेषण लक्ष्य को पूरा नहीं करने से इसके विस्तार और वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव।
3. अल्टरनोटिव एनर्जी ट्राजेक्ट्रीज का उपयोगः सीएमपीडीआईएल के बिजनेस/ग्राहक आधार के विविधिकरण की आवश्यकता और चेतावनी।
4. प्राइवेट प्लेयर्स से प्रतिस्पर्द्धात्मक जोखिम।
5. कर्मचारी क्षमता विकास एड्रेस नहीं।
6. वर्तमान प्रौद्योगिकीय परिदृश्य पर विचार करते हुए नॉलेज गैप काफी अधिक है।
7. सेल्स रियलाइजेशन और नकद प्रबंधन।

ड.) मिटिगेशन योजना (प्रशमन योजना) :

प्रत्येक आरटीएम के लिए एक समुचित प्रशमन योजनाएँ बनाई गई है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति और उसके तहत गठित जोखिम–उप समिति के द्वारा नियमित तौर पर मानीटरिंग की जा रही है।

1.5.14 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोड :

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआईएल द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिंग्नेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआईएल के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआईएल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.5.16 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.5.17 की-मैनेजेरियल पर्सनल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित की–मैनेजेरियल पर्सनल हैं:

श्री शेखर सरन	–	सीईओ
श्री शंभु नाथ साव	–	सीएफओ
श्री अभिषेक मुंधड़ा	–	कंपनी सचिव

1.6.0 सीएमपीडीआईएल में सीएसआर पहल

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर

विशेष जोर देता है। कंपनी ने दिनांक : 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग ''ख'' में देखा जा सकता है।

1.7.0 वार्षिक रिटर्न का सार

धारा 92 (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार विस्तृत विवरण के साथ फार्म सं.–एमजीटी–9 में कंपनी निबंधक (आरओसी) के पास जमा किया जा रहा है, जिसे इस रिपोर्ट को परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (**परिशिष्ट–III**)।

1.8.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है (**परिशिष्ट–I**)

1.9.0 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन :

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा 134(3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया हे, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 38.08 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड द्वारा वार्षिक मूलंकन तथा अपना एवं प्रत्येक निदेशकों का कार्य–निष्पादन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों महिला निदेशक सहित के तीन साल से अधिक की अवधि तक नियुक्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका। हालाँकि, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

भाग–ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण और ड्रिलिंग

1.0.1 सीएमपीडीआईएल नेवर्ष 2018–19 में भी मुख्य रूप से सीआईएल और गैर–सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में कोयला गवेषण गतिविधियों को जारी रखा। सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के प्रोजेक्ट प्लानिंग/उत्पादन सपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में गवेषण भावी उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सरल बनाने के लिए किया गया था।

1.0.2 सीएमपीडीआईएल ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है।विभागीय संसाधनों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर की उपलब्धि के मुकाबले, सीएमपीडीआई ने 2011–12 में 4.98 लाख मीटर (ग्यारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष), 2016–17 में 11.26 लाख मीटर (बारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष), 2017–18 में 13.66 लाख मीटर और 2018–19 में 13.60 लाख मीटर की उपलब्धि हासिल किया है।

विभागीय ड्रिलिंग के क्षमता विस्तार के लिए, 7 नए हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त किए गए हैं और जनवरी 2018 से अतिरिक्त ड्रिल के रूप में तैनात किए गए हैं, जो ड्रिल की क्षमता को 71 तक बढ़ा दिया है,जिसमें 71ड्रिल में से 26 ड्रिल हाइड्रोस्टेटिक हैं और 45 ड्रिल मैकेनिकल हैं।

वर्ष 2018–19 में, 28 भूविज्ञानी/भूभौतिकीविद् सीएमपीडीआई में शामिल हो गए, 13 भूवैज्ञानिकों/भूभौतिकीविदों का इस्तीफा लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण स्वीकार किया गया है। 2 भूवैज्ञानिकों/भूभौतिकीविदों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया गया है

1.0.3 आउटसोर्सिंग के तहत, 2008–09 से निविदा के माध्यम से 38.00 लाख मीटर ड्रिलिंग वाले 93 ब्लॉकों के काम को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से 53 ब्लॉकों में ड्रिलिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2018–19 में कुल लगभग 8.60 लाख मीटर (वृद्धि:–6 प्रतिशत) आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्रिल किया गया है, जिसमें से 3.97 लाख मीटर निविदा के माध्यम से, 4.61 लाख मीटर एमईसीएल के साथ एमओयू के माध्यम से और 0.002 लाख मीटर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है।

1.1 वर्ष 2018-19 में ड्रिलिंग का कार्य-निष्पादनः

1.1.1 सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉकों की विस्तृत गवेषण के लिए अपने विभागीय संसाधनों को लगाया जबकि ओडिशा राज्य सरकार ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में अपना संसाधन लगाया है। इसके अतिरिक्त, ग्यारह अन्य संविदा एजेंसियों ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए अपने संसाधनों को भी लगाया है। वर्ष 2018–19 में कुल 160 से 180 ड्रिल तैनात किए गए थे, जिनमें से 71 विभागीय ड्रिल थे।

सीएमपीडीआईएल ने 15 ब्लॉकों में कोल सेक्टर (सीआईएल क्षेत्रों) में एमईसीएल द्वारा किए गए प्रमोशनल/एनएमईटी गवेषण कार्य की तकनीकी सर्वेक्षण जारी रखी। इसके अतिरिक्त, डीजीएम (नागालैंड) ने भी 1 ब्लॉक और सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय की ओर से कोल सेक्टर में 2 ब्लॉकों में प्रमोशनल गवेषण किया है। एमईसीएल द्वारा 6 ब्लॉकों में लिग्नाइट सेक्टर में प्रमोशनल/एनएमईटी गवेषण कार्य किए गए। वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआईएल के माध्यम से कोयला (0.96 लाख मीटर) और लिग्नाइट (0.43 लाख मीटर) कुल 1.39 लाख मीटर प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग किया गया था।

1.1.2 वर्ष 2018–19 में, सीएमपीडीआईएल और इसके संविदात्मक एजेंसियों ने 7 राज्यों में स्थित 19 कोयला क्षेत्रों के 114 ब्लॉकों/ खदानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया है। 114 ब्लॉकों/ खदानों में से, 35 गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉक और 79 सीआईएल ब्लॉक/खदान थे। ये कोयला क्षेत्र हैं रानीगंज (11 ब्लॉक/माइंस), राजमहल (4 ब्लॉक), झरिया (1 ब्लॉक), औरंगा (1 ब्लॉक), ई. बोकारो (1 ब्लॉक), नॉर्थ करनपुरा (9 ब्लॉक), साउथ करनपुरा (1 ब्लॉक) , वर्धा घाटी

(13 ब्लॉक), पेंच–कन्हान (3 ब्लॉक), बंदर (1 ब्लॉक), (सोहागपुर (11 ब्लॉक), मंड रायगढ़ (24 ब्लॉक), कोरबा (2 ब्लॉक), सोनहत (3 ब्लॉक), तातापानी–रामकोला– (5 ब्लॉक), सिंगरौली (4 ब्लॉक), तालचर (13 ब्लॉक), ईब वैली (5 ब्लॉक) और गोदावरी वैली (2 ब्लॉक)। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिल द्वारा 57 ब्लॉकों/खदानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया जबकि संविदात्मक एजेंसियों ने 57 ब्लॉकों/खदानों में ड्रिलिंग का कार्य किया गया है

1.1.3 प्रोमोशनल/एनएमईटी (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत, एमईसीएल ने 15 कोयला ब्लॉकों (मंड रायगढ़ = 7, जोहिला = 1, तातापानी–रामकोला = 1, सिंगरौली = 2, ईब वैली = 1, कोरबा = 1, सोहागपुर = 1 और गोदावरी वैली = 1) में क्षेत्रीय ड्रिलिंग किया है। डीजीएम (नागालैंड) ने भी कोल सेक्टर में क्षेत्रीय ड्रिलिंग के लिए 1 ब्लॉक का कार्य किया है। सीएमपीडीआईएल ने 2 ब्लॉक, 1 उत्तर करनपुरा सीएफ में और 1 सिंगरौली सीएफ में प्रमोशनल गवेषण का कार्य किया है।

वर्ष 2018–19 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का विस्तृत उपलब्धि नीचे दिया गया हैः

(आंकड़े लाख मीटर में)

एजेंसी	एजेंसी 2018-19	2018-19 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य-निष्पादन			उपलब्धि पिछले वर्ष : 2017-18	वृद्धि %
		उपलब्धि	उपलब्धि (%)	+/-		
क. सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया विस्तृत ड्रिलिंग :						
1. डिपार्टमेंटल	**4.80**	**5.00**	**104%**	**0.20**	**4.50**	**11%**
2. आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.01	0.02	200%	0.01	0.02	- 6%
एमईसीएल (एमओयू)	3.50	4.61	132%	1.11	4.69	- 2%
निविदा	5.36	3.97	74%	- 1.39	4.44	- 11%
कुल आउटसार्सिंग	**8.87**	**8.60**	**97%**	**- 0.27**	**9.16**	**- 6 %**
सकल योग क'	**13.67**	**13.60**	**99.49%**	**- 0.07**	**13.66**	**0 %**
ख. एमईसीएल, जीएसआई, सीएमपीडीआईएल, डीजीएम (नागालैंड) और डीजीएम (असम) द्वारा प्रोमोशनल/एनएमईटी ड्रिलिंगः						
1. कोल सेक्टर						
एमईसीएल	0.92	0.814	88%	-0.106	0.852	- 4%
डीजीएम, नागालैंड	0.007	0.0108	154%	0.0038	0.008	35%
डीजीएम, असम	0.013	0.00	0%	-0.013	0.000	
सीएमपीडीआईएल	0.16	0.135	84%	-0.025	0.067	101%
कुल कोयला :	**1.1**	**0.959**	**87%**	**- 0.140**	**0.928**	**3%**
2. लिग्नाइट सेक्टर						
एमईसीएल	0.9	0.43	48%	-0.469	0.415	4 %
कुल लिग्नाइट	**0.9**	**0.43**	**48%**	**-0.469**	**0.418**	**3%**
सकल योग ख	**2.00**	**1.39**	**70%**	**-0.609**	**1.346**	**3%**

*वर्ष 2018–19 में सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में 8.76 लाख मीटर और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 4.84 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया है।

वर्ष 2018–19 में, सीएमपीडीआईएल ने अपने डिपार्टमेंटल और समग्र ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 104% और 99.49% हासिल किया। विभागीय ड्रिलिंग का कार्य निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि के साथ बेहतर है और औसत परिचालन ड्रिल्स 619 मीटर/ड्रिल/महीने की उत्पादकता को दर्शाता है। वन क्षेत्रों में गवेषण की अनुमति की अनुपलब्धता और स्थानीय समस्याओं (कानून और व्यवस्था) ने विभागीय और आउटसोर्स ड्रिलिंग के प्रदर्शन को प्रभावित किया है।

1.1.4 गैर-सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में ड्रिलिंग:

वर्ष 2018–19 में, कुल 5.93 लाख मीटर गैर–सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया था (विभागीय=1.87 लाख मीटर, आउटसोर्सिंग=4.06 लाख मीटर)। इसके विरूद्ध, कुल 4.84 लाख मीटर हासिल किया गया है, जिसमें से सीएमपीडीआईएल की विभागीय ड्रिल ने 1.41 लाख मीटर की गवेषणात्मक ड्रिलिंग की जबकि 3.43 लाख मीटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हासिल किया गया है।

उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावा, सीएमपीडीआईएल ने आवंटन के उद्देश्य के लिए कोयला मंत्रालय को मौजूदा कैप्टिव माइनिंग ब्लॉक्स की प्रारंभिक भूवैज्ञानिक जानकारी प्रदान की है। आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, गवेषण की कुल लागत का भुगतान पर सीएमपीडीआईएल द्वारा आवंटियों को मूल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रदान किया जाता है।

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआईएल एलोकेट्स द्वारा प्रस्तुत योजना को प्रमाणित कर रहा है, खनन योजना की तैयारी में प्रयुक्त भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स निहित आदेश और खनन योजना में शामिल भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स के अनुरूप है तथा यह किसी भी अन्य समीपवर्ती ब्लॉक का अतिक्रमण नहीं करता है।

1.2 जल भू-विज्ञान (हाइड्रोज्योलोजी)

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन और ईएमपी मंजूरी के लिए 'भूगर्भ जल समाषोधन आवेदन' की तैयारी के लिए कई खनन परियोजनाओं/खदानों के हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे। 15 खनन परियोजनाओं बीसीसीएल (1 परियोजना), डब्ल्यूसीएल (6 परियोजनाओं), एसईसीएल (5 परियोजनाओं), और एमसीएल (3 परियोजनाओं)के लिए हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन वर्ष 2018–19 के दौरान पूरा किया गया। ईसीएल की 2 खनन परियोजनाओं के लिए हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है।

1.2.2 इस अवधि के दौरान जीआर/पीआर और अन्य पर कुल 35 हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन पूरे किए गए हैं, जिसमें 14 डब्ल्यूसीएल, 6 एसईसीएल, 9 एमसीएल, 1 सीसीएल, 1 ईसीएल, 2 बीसीसीएल तथा 2 एनसीएल से शामिल हैं।

1.2.3 पीजोमीटर के लोकेशन और डिजाइन पर कुल 18 हाइड्रो भूवैज्ञानिक रिपोर्टें तैयार की गई हैं और इसे (2018–19) अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया, जिसमें सीसीएल के लिए 10 परियोजनाएं (धोरी क्षेत्र, ईबीसीएफ की 6 परियोजनाएँ, और बरका–सयाल क्षेत्र, एसकेसीएफ, सीसीएल की 4 परियोजनाएँ) और एसईसीएल की 8 परियोजनाएँ शामिल है।ड्रिलिंग के दौरान तकनीकी सर्वेक्षण किया गया और ईसीएल क्षेत्र (रानीगंज सीएफ, राजमहल सीएफ और सहरजुरी सीएफ) में 35 पीजोमीटर का निर्माण किया गया।

1.2.4 गोरबी माइन वोइड्स, एनसीएल, सिंगरौली के लिए पीजोमीटर लोकेशन और डिजाइन हेतु योजना तथा फ्लाई ऐश अध्ययन के लिए एनटीपीसी को सुपुर्द किया गया है।

1.2.5 एनसीएल (निघाही, झिंगुरदहा, जयंत, दुधिचुआ और बीना ओसीपी) की 5 परियोजनाओं की ढलान स्थिरता के लिए हाइड्रो भूवैज्ञानिक जांच।

1.2.6 कुल 55 भूगर्भ जल अनुप्रयोगों को सीसीएल के लिए सीजीडब्ल्यूए को ऑनलाइन जमा करने के लिए तैयार और सुपुर्द किया गया है। डब्ल्यूसीएल की 24 परियोजनाओं और एसईसीएल की 12 परियोजनाओं के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुसार क्लैरिफिकेशन की तैयारी, अतिरिक्त डाटा/दस्तावेजों की सुपुर्दगी।

1.2.7 खदानों, प्रोजेक्ट कॉलोनी और आसपास के गांवों में जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल के 5 परियोजनाओं में हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं।

सीएमपीडीआईएल ने एमओईएफ क्लीयरेड प्रोजेक्ट्स के तहत डब्ल्यूसीएल क्षेत्र की 74 खदानों और बीसीसीएल क्षेत्र की 15 खदानों के समूह में भूगर्भ जल की जाँच कर रहा है। ईसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल और एमसीएल के अन्य क्षेत्रों में भी जल स्तर की जाँच कर रहा है।

1.3 भूवैज्ञानिक रिपोर्टः

1.3.1 विगत वर्षों में संचालित विस्तृत गवेषण के आधार पर वर्ष 2018–19 में 24 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार किया गया है। तैयार किया गया भूवैज्ञानिक रिपोर्टों से अतिरिक्त कोयला संसाधनों में लगभग 6.6 बिलियन टन को 'प्रमाणित श्रेणी' में अपग्रेड किया है।

1.3.2 प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत, जीएसआई और एमईसीएल ने कोयला ब्लॉकों पर 5 भूवैज्ञानिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जो विनिर्दिष्ट मोटाई के ऊपर, 'सूचित' और अनुमानित श्रेणियों में, लगभग 2.15 बिलियन टन कोयला संसाधन स्थापित की हैं।

1.4 भूभौतिकीय सर्वेक्षणः

1.4.1 भूभौतिकीय लॉगिंगः

गवेषण के उद्देश्य से बोरहोल ड्रिल किए गए जिससे बोरहोल में सामने आए विभिन्न स्ट्रेटा की इन–सीटू जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लॉग इन किया गया। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान सीआईएल और गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी–पैरामीट्रिक भूभौतिकीय लॉगिंग उपकरण की सहायता से कुल 5, 83,027.88 मीटर की भूभौतिकीय लॉगिंग को किया गया है। इसमें से 8 विभागीय भूभौतिकीय लॉगिंग इकाइयों द्वारा 2, 09,428.28 गहराई मीटर की लॉगिंग की गई और संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 3,73,599.6 मीटर लॉगिंग की गई।

1.4.2 भूतल भूभौतिकीय सर्वेक्षणः

सीएमपीडीआईएल ने कोल सीमों केइन–क्रॉप का डिलीनिएशन, डाइक केडिलीनिएशन और भूगर्भ जल की जाँच के लिए सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में इलेक्ट्रीकल रेसिसटीविटी तथामैग्नेटिक सर्वेक्षण भी षुरू किया है। ऐसे उद्देश्य के लिए वर्ष 2018–19 में कुल 344.203 लाइन किमी रेसिस्टिविटी प्रोफाइलिंग, 193 वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग (वीईएस), 98.62 लाइन किमी गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण और 182.14 लाइन किमी मैग्नेटिक सर्वेक्षण किया गया है। 48–चैनल सिग्नल एन्हांसमेंट सिस्मोग्राफ के साथ, बारातारा ब्लॉक, सोहागपुर कोलफील्ड, साखीगोपाल–ए ब्लॉक, तलचर कोलफील्ड, उत्तर के पिपरवार फेज–II, नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड में कुल 77.95 लाइन किमी 2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है। ण

1.4.3 रिपोर्टः

वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 24 भूभौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी है। इसमें भूभौतिकीय लॉगिंग पर सात रिपोर्ट, प्रतिरोधकता सर्वेक्षण पर चार और एकीकृत भूभौतिकीय सर्वेक्षण पर आठ रिपोर्ट शामिल हैं। इनके अलावा, 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर पांच रिपोर्टें, जो निम्नलिखित है :–

1. फूलझारी (पूर्व और पश्चिम), तालचर सीएफ, ओडिशा (पुनर्वितरण) में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट।
2. पतरातू ए/बी/सी ब्लॉक, दक्षिण करनपुरा सीएफ, झारखंड (पुनर्वितरण) में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट।
3. गौतम धरा ब्लॉक, ईब वैली सीएफ, ओडिशा में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट।
4. ओरिएंट ब्लॉक–4 (डीप साइड ऑफ ब्लॉक–प्ट) में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण, ईब वैली सीएफ, ओडिशा पर रिपोर्ट।
5. बारतारा ब्लॉक, सोहागपुर कोलफील्ड में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट।

   इन्हें 2018–19 में सुपुर्द किया गया था। इसके अलावा, एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है :–

   क). ओडिशा के तालचेर कोलफील्ड, सखीगोपाल ब्लॉक के डीप साइड में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर अंतरिम रिपोर्ट।

1.4.4 पिछले दो दशकों से अधिक समय से संचित 24 अनुपयोगी रेडियोधर्मी स्रोत को अंतिम निपटान के लिए एईआरबी/ बीएआरसी को भेज दिया गया है।

1.4.5 विब्रोसिस का संचालन सफलतापूर्वक किया गया है।

1.5 भू-प्रणाली (जियोसिस्टम):

कोयला क्षेत्रों के विभिन्न श्रेणियों के ब्लॉक से संबंधित आवश्यकता का पता लगाने के लिए

नियमितता के आधार पर कोयला क्षेत्रों की ब्लॉक बाउण्डरी के संबंध में जीआईएस डेटाबेस के आधुनिकीकरण/अद्यतनीकरण किया जा रहा है। भूवैज्ञानिक सुविधाओं, वन संबंधी और अन्य आवश्यकताएँ जब जहाँ आवष्यकता हो को सम्मिलित करने के लिए कोलफिल्ड मैप का अद्यतनीकरण। जीएसआई डेटा संकलन/सत्यापन/जीआईएस प्लेटफॉर्म में सुधार। कोयला वहन/गैर–कोयला वहन क्षेत्र प्रमाणन संबंधित कार्य। गवेषण विभाग के एचडब्ल्यू/एसडब्ल्यू रिकॉर्ड का अद्यतन और रखरखाव।विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न रिपोर्ट तथा डाटा तैयार करने के साथ अन्य विभाग जैसे सीबीएम, जियोमैटिक्स, माइनिंग और गवेषण विभाग की अन्य इकाइयाँ को सहायता प्रदान करना।

ब्लॉक बाउण्डरी, वनाच्छादन इत्यादि से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोयला मंत्रालय को समर्थन। वेब पोर्टल, ओसीबीआईएस के लिए डेटा तैयार करने में सहायता प्रदान करना तथा आईसीटी के सहयोग से इसका निर्माण करना। क्षेत्रीय संस्थानों और जियोमैटिक्स डिवीजन के सहयोग से एमओसी द्वारा आवंटित ब्लॉकों की डीजीपीएस सर्वेक्षणित ब्लॉक बाउण डरी को प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर कार्य किया जा रहा है।

विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के ब्लॉक को माईनेक्स मॉडलिंग समर्थन देता है। विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से प्राप्त जीआरएस और माईनेक्स मॉडल की पुनरीक्षण। जीआईएस मैप डेटा, जीआरएस और माईनेक्स मॉडल के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से प्राप्त तरह–तरह के डेटा का रखरखाव, सूचीबद्ध करना।

जब और जहाँ संभव हो, इन–हाउस विकसित सॉफ्टवेर और मिनेक्स पर क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय का समर्थन करना।

1.5.1 वनः

सीएमपीडीआईएल ने टेरीस्ट्रियल जलीय वनस्पतियों और जीवों पर गवेषणात्मक ड्रिलिंग के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक शर्त के साथ एमओईएफ और सीसी से अनुमति के साथ वन क्षेत्रों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य किया है। पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, आईसीएफआरई, देहरादून (एमओईएफ और सीसी का एक स्वायत्त निकाय) द्वारा अध्ययन किया गया था।

पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, आईसीएफआरई द्वारा दो अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई :–

महन रिज़र्व फ़ॉरेस्ट, जिला– सिंगरौली, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सिंगरौली कोलफ़ील्ड के माकरी–बरका पश्चिम ब्लॉक (800हेक.) और माकरी–बरका पूर्वी ब्लॉक (1000हेक) में प्री एंड पोस्ट गवेषणात्मक ड्रिलिंग का प्रभाव टेरीस्ट्रियल वनस्पतियों और जीवों तथा जलीय जीवन पर पड़ा है।

1.6 कोल बेड मीथेन (सीबीएम) / कोल माइन मीथेन (सीएमएम)

1.6.1 सीआईएल और ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र में सीबीएम का सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास

सरकार ने 2002 में सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए नामांकन के आधार पर ओएनजीसी–सीआईएल के कंसोर्टियम को रानीगंज कोयला क्षेत्र में रानीगंज नॉर्थ सीबीएम ब्लॉक और झरिया कोयला क्षेत्र मेंझरिया सीबीएम ब्लॉक अर्थात् दो सीबीएम ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। सीएमपीडीआईएल, सीआईएल की ओर से परियोजनाओं को कार्यान्वियन कर रहा है। ओएनजीसी, सीबीएम के दोनों ब्लॉकों के लिए ऑपरेटर है और भारत सरकार के साथ संविदा करार के अनुसार कार्य को संपादित कर रहा है। सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल के भाग का कार्य को पूरा करने और ओएनजीसी द्वारा मूल्यांकन गतिविधि को पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप, ऑपरेटर अर्थात् ओएनजीसी द्वारा फील्ड डेवलपमेंट प्लान (एफडीपी) तैयार किया गया है।

जुलाई, 2013 में भारत सरकार द्वारा दोनों सीबीएम ब्लॉकों के लिए एफडीपी को अनुमोदित कर दी गई थी। झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज (पीएमएल) झारखंड सरकार द्वारा जुलाई, 2015 में प्रदान

की गई है जबकि पर्यावरण मंजूरी अप्रैल, 2017 में दी गई है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज (पीएमएल) झारखंड सरकार द्वारा जुलाई, 2015 में प्रदान की गई है जबकि पर्यावरण मंजूरी अप्रैल, 2017 में दी गई है। प्रभातपुर सेंट्रल कोल ब्लॉक में झरिया सीबीएम के संबंध में सह–विकास समझौता सेल के परामर्श से तैयार किया गया है, जिसमें मॉडल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट के तहत कोयले के सर्वोत्तम दोहन सेल द्वारा और सीबीएम का ओएनजीसी द्वारा किया जाएगा। डीजीएमएस क्लियरेंस के लिए सेल और ओएनजीसी के बीच सह–विकास समझौता हुआ, इस बीच सेल ने आवंटित ब्लॉक को सरेंडर करने के लिए कोयला मंत्रालय को पत्र सौंपा है। ओएनजीसी ने ओवरलैप क्षेत्रों को छोड़कर गतिविधियां शुरू कर दी हैं।

30 मार्च, 2017 को डीजीएच में स्टीयरिंग कमिटि की बैठक के अनुसरण में, संसोधित एफडीपी और लागत अनुमान को ध्यान में रखते हुए सभी बाधाओं को ओएनजीसी द्वारा तैयार किया गया और मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया गया। 30वीं ओसी बैठक में संशोधित एफआर को विचार के लिए रखा गया था। यह सुझाव दिया गया था कि एफआर को कैसिंग रिट्रीवल पर विचार करना चाहिए और अच्छी तरह से उन स्थानों की समीक्षा करनी चाहिए जो बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र के साथ ओवरलैप हैं यदि कोई हो। सेल ओवरलैप छोड़ने के बाद भी यह माना जाता है कि 67 एसक्यू. कि.मी. के ब्लॉक में प्रस्तावित 60 सीबीएम कुओं के माध्यम से 17.2 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) सीबीएम निकालने की संभावना है।

दिनांक 22 फरवरी, 2018 को डीजीएमएस से वार्ता के तहत जारी किया गया है कि सेल के प्रभातपुर कोयला ब्लॉक और ओएनजीसी के झरिया कोयला ब्लॉक के बीच ओवरलैपिंग क्षेत्र में सीबीएम गतिविधियों पुनः आरंभ से संबंधित निदेषालय को कोई के आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि सीबीएमड्रिलिंग शुरू करने के बाद फॉल्ट एफ 5–एफ 5 के पश्चिम साइड में कोई अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं किया जाएगा। तदनुसार एचएफ कार्यं शुरू किया गया। ओएनजीसी वर्तमान में झरिया सीबीएम ब्लॉक की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को अद्यतन करने और संशोधित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

ओएनजीसी वर्तमान में रानीगंज नॉर्थ सीबीएम ब्लॉक की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को अद्यतन करने और संशोधित करने के लिए वर्तमान में दो विकल्पों पर विचार कर रहा है (1) संपूर्ण बीएपीएल ओवरलैप क्षेत्र को छोड़कर (67 कुओं पर विचार कर) और (2) 67 ऊर्ध्वाधर कुओं के अलावा ओवरलैप क्षेत्र में 8 डेवियेटेड और 2 वर्टिकल कुओं पर विचार कर रहा है। इन दो पूर्व शर्त के साथ संशोधित टेक्नो–अर्थशास्त्र ओएनजीसी द्वारा तैयार किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। 16 अक्टूबर, 2018 को सचिव (कोयला) के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई कि ओएनजीसी–सीआईएल, सीबीएम और कोल के ऑपटिमम उपयोग के लिए उदारता के साथ सामने आएगी, जिसके लिए अनुवर्ती बैठक सीएमपीडीआईएल में 29 अक्टूबर, 2018 को और ओएनजीसी 19 नवंबर, 2018 को आयोजित की गई।

1.6.2 वर्ष 2018-2019 के दौरान प्रमोशनल गवेषण के तहत सीबीएम और शेल गैस संबंधित अध्ययन

1.6.2.1 सीबीएम संबंधित अध्ययनः

सीएमपीडीआईएल गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोरहोल के माध्यम से ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों के मीथेन गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का निर्धारण'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान आठ बोरहोल में अध्ययन पूरा करके लक्ष्य प्राप्त किया गया है। यह अध्ययन संभावित सीबीएम क्षमता के निर्धारण के लिए डाटा बेस बनाता है और सीबीएम के विकास के लिए अधिक ब्लॉकों के डेलिनियेषन को आसान बनाता है।

उरीमारी साउथ कोल ब्लॉक, साउथ करनपुरा कोलफील्ड, झारखंड पर सीबीएम संबंधित अध्ययनों पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार की गई है।

1.6.2.2 शेल गैस संबंधी अध्ययनः

सीएमपीडीआईएल गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोरहोल के माध्यम से ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों के शेल गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का निर्धरण'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन संभावित शेल गैस की क्षमता के निर्धरण के लिए डाटा बेस बनाता है और शेल गैस के विकास के लिए अधिक ब्लॉकों के डेलिनियेंषन को आसान बनाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान पांच बोरहोल में अध्ययन पूरा करके लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

1.6.3 कोल माइन मीथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकास

मई 2018 में भारत सरकार ने कोयला वहन क्षेत्रों में कोयला खनन हेतु मइनिंग लीज वैसे ही सीबीएम निकासी के लिए डीम्ड लीज से कोल इंडिया एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों को सीबीएम के लिए गवेषण की अनुमति तथा दोहन के अधिकार हेतु समेकित नियम और षर्तों संबंधित सीबीएम नीति'1997 में आंषिक संशोधन किया है।

बीसीसीएल कमांड क्षेत्र और ईसीएल कमांड क्षेत्रों में सीएमएम/सीबीएम विकास के लिए पहल की गई है। पहचाने गए प्रारंभिक भावी सीएमएम/सीबीएम ब्लॉक हैः

1) झरिया सीएमएम / सीबीएम ब्लॉक (बीसीसीएल क्षेत्र): 25.2 बीसीएम के सीबीएम संसाधन युक्त बीसीसीएल के खनन पट्टे वाले क्षेत्र में व्यावसायिक विकास के लिए कपूरिया, मूनडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉक को मिलाकर लगभग 24.32 एस.क्यू. कि.मी. के एक ब्लॉक का डेलिनियेषन किया गया है।जलाशय मॉडलिंग और तकनीकी–आर्थिक अध्ययनों के आधार पर तैयार किया गया प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसका नाम "झरिया सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक, झरिया सीएफ (बीसीसीएल के कोयला खनन पट्टे के तहत)" है, जो बीसीसीएल को सुपुर्द दिया गया है।

बीसीसीएल के बोर्ड ने 3 अगस्त, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में एमडीओ मोड के माध्यम से सीबीएम के दोहन के लिए सैद्धांतिक रूप से पीएफआर को मंजूरी दे दी है। BCCL बोर्ड ने आगे सलाह दी है कि सीएमपीडीआईएल को कॉन्सेपशन के स्टेज से, निविदा, पुरस्कार, चालू करने से समाप्ति तक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, बीसीसीएल बोर्ड ने सीएमपीडीआईएल को पीएफआर सहित मार्केटिंग और वित्तीय मूल्यांकन तथा सीएमपीडीआईएल के चार्जेज को भी अपडेट करने की सलाह दी। आगे की कार्यवाई हेतु बीसीसीएल को संषोधित पीएफआर सुपुर्द कर दिया गया है। सीबीएमडी के चयन के लिए ड्राफ्ट मॉडल टेंडर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

2) मुनिडीह खदान (बीसीसीएल) के वर्किंग सीम XVI में मीथेन के प्री–ड्रेनेज के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिसके द्वारा मीथेन की रिकवरी से उत्पादन और सुरक्षा में बढ़ोतरी तथा रिकवर्ड गैस का लाभप्रद उपयोग भी किया जा सकता है। इस संबंध में ''मुनीडीह अंडरग्राउंड माइन से कोल माइन मीथेन (सीएमएम) का प्री–ड्रेनेज'' के लिए प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ग्लोबल बिड डॉक्यूमेंट को बीसीसीएल के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

बीसीसीएल ने 26 मई, 2018 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट और टेंडर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है, ताकि संचालन और रखरखाव सहित यूजीसी से मीथेन के प्री–ड्रेनेज के लिए उपयुक्त अनुभवी डेवलपर के चयन के लिए ग्लोबल ई–टेंडर आमंत्रित किया जा सके। बीसीसीएल बोर्ड ने आगे सलाह दी है कि सीएमपीडीआईएल परियोजना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में कार्य करेगा और यह कॉन्सेपशन के स्टेज से, टेंडरिंग, कमीशनिंग और पूरा होने तक चरण से परियोजना से जुड़ा रहेगा। बीसीसीएल ने 20 नवंबर, 2018 (ऑटो विस्तार पर) प्रस्तुत करने की नियत तारीख के साथ ग्लोबल टेंडर के लिए अगस्त, 2018 में एनआईटी प्रकाशित किया, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। प्री–एनआईटी को 8

फरवरी, 2019 को बीसीसीएल द्वारा अपडेट किए गए ड्राफ्ट ग्लोबल बिड डॉक्यूमेंट पर फिर से टेंडरिंग से पहले संभावित बोलीदाता के विचार एकत्र करने के लिए आयोजित किया गया था। संभावित बोलीदाताओं (6) ने सक्रिय रूप से भाग लिया और बीसीसीएल द्वारा वैश्विक बोली दस्तावेज के विचार और संशोधन के लिए सुझाव दिया।

3) रानीगंज कोयला क्षेत्र में ईसीएल के श्रीपुर, सतग्राम, तथा कुनस्तोरिया एरिया के माइनिंग लीज के अंतर्गत लगभग 57 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र सीएमएम के व्यवसायिक विकास के लिए डेलिनिएटेड कर दिया गया है। रिजर्वर मॉडलिंग तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर आधारित परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा अगले परीषीलन के लिए इसे ईसीएल को सुपुर्द कर दिया गया है।

सीबीएम इत्यादि के लिए संभावित कोयला सीम के विस्तृत पुराना वर्किंग, जीईईसीएल के साथ ओवरलैपिंग, अधिग्रहण के लिए आवश्यक भूमि की ऊँची लागत तथा लिमिटेड एक्रास द फ्री लैंड तथा दामोदर नदी के नीचे माइनिंग लीज जैसे बाधाओं पर विचार करना। यह स्पष्ट करता है कि सीबीएम/सीएमएम दोहन के लिए पहचान किया हुआ क्षेत्र तकनीकी रूप से चुनौती हो सकता है।

ईसीएल ने 29 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी तकनीकी उप–समिति की बैठक में एमडीओ मोड के माध्यम से इस ब्लॉक को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की और ईसीएल बोर्ड के विचाराधीन है। ईसीएल बोर्ड ने 22 सितंबर को आयोजित बैठक में एमडीओ मोड के तहत रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए पीएफआर को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। सीबीएमडी के चयन के लिए ड्राफ्ट मॉडल टेंडर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया।

4) **दिसंबर, 2018 में एसईसीएल को सौंपे गए छुलीहा भुइला ब्लॉक, सोहागपुर कोयला क्षेत्र (एसईसीएल कमांड क्षेत्र के तहत)** में प्लेस (जीआईपी) संसाधन में सीबीएम गैस के आकलन'' पर रिपोर्ट। सीएमपीडीआई/सीआईएल और इसके अनुषंगी कम्पनियों द्वारा बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, एसईसीएल के कमान्ड क्षेत्र जो सीआईएल माइनिंग लीजहोल्ड़ के अंतरगत आता है जिसमें सीबीएम के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर संभावना रखता प्रतीत होता है उसमें अतिरिक्त सीबीएम/सीएमएम ब्लॉकों की पहचान किया जा चुका है।

1.6.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंगहाउस

17 नवंबर, 2008 को कोयला मंत्रालय और यूएसईपीए के तत्वावधान में सीएमपीडीआईएल, रांची में एक सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंगहाउस की स्थापना किया गया था। क्लीयरिंगहाउस गैस के लिए नोडल एजेंसी है जो देश के सीएमएम/सीबीएम से संबंधित डाटा के संग्रह और जानकारी साझा करती है और सार्वजनिक/निजी भागीदारी, तकनीकी सहयोग एवं वित्तीय निवेश के अवसरों को लाकर भारत में सीएमएम प्रोजेक्ट्स के व्यावसायिक विकास में मदद करता है।

यूएस ईपीए और कोयला मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड से वित्तीय सहायता द्वारा क्लीयरिंगहाउस का स्थापना किया गया है। भारत क्लीयरिंगहाउस की वेबसाइट, http://www-cmmclearinghouse-cmpdi-co-in, सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को शामिल करती है जैसे ईओआई सूचनाएं, सीएमएम, वीएएम इत्यादि के विकास के लिए मौजूदा अवसरों के बारे में जानकारी के अतिरिक्त समाचार पत्र। प्रारंभिक तीन साल की अवधि के पूरा होने के बाद इसे तीन साल के लिए दो बार बढ़ाया गया था। आगे इसे यूएस ईपीए द्वारा अतिरिक्त तीन साल 2018–2021 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है।

यूएस ईपीए ने 24 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2019 को रांची में सीआईएल–सीएमपीडीआईएल, जीएमआई–यूएस ईपीए, यूएनईसीई द्वारा संयुक्त रूप से भारत सरकार–कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।

1.6.5 भूमिगत कोयला गैसीकरण (युजीसी) का व्यावसायिक विकास)

कायला मंत्रालय ने सीबीएम विकास की मौजूदा नीति के समान मोटे तौर पर यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए अंतर मंत्रालय समिति (आईएमसी) का गठन किया है। कोयला और लिग्नाइट में संभावित ब्लॉकों की पहचान की गई और पीएसयू द्वारा अधिमानतः यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए आईएमसी में विचार किया गया। यूजीसी विकास के लिए पहचाने गए कोल ब्लॉक वर्धा वैली कोलफील्ड (जोगापुर–सिरसी), सोहागपुर सीएफ (मैइकी (उत्तर)–मैइकी–मरखी, पठोरा, चौनपा), तातापानी–रामकोला सीएफ (रियोंटी–वेस्ट), और सिंगरौली कोलफील्ड (बांधा) और गोदावरी घाटी (येलेंदु – एससीसीएल) हैं।

मैसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड, मुंबई यूजीसी के विकास के लिए बोली दस्तावेज और मॉडल अनुबंध दस्तावेज का निर्माण में लगा हुआ था।

मॉडल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट और बिड डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं और आईएमसी पर विचार किया जा रहा है। 14 जून 2018 को आयोजित 10 वीं आईएमसी की बैठक में आईएमसी ने एलआरपी (निम्नतम बिंदु आय) और एचआरपी की सिफारिश की और बोली दस्तावेज और मॉडल अनुबंध दस्तावेज को संशोधित करने की सलाह दी, जो पूरा हो गया है। अंतिम बोली दस्तावेज और मोडल अनुबंध दस्तावेज को आगे के विचार के लिए कोयला मंत्रालय को सुपुर्द कर दिया गया है। 28 अगस्त को सचिव कोल द्वारा दस्तावेज की समीक्षा की गई, इन पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी जैसा कि एमओसी द्वारा दस्तावेज की स्वीकृति से पहले सचिव कोयला द्वारा इंगित किया गया है।

ईसीएल/सीएमपीडीआईएल/सीआईएल के सहयोग से आरएण्डडी मॉडल के तहत पायलट स्केल यूजीसी प्रोजेक्ट की पहाचान इसीएल क्षेत्र के अंतर्गत रानीगंज सीएफ केकस्ता वेस्ट ब्लॉक को एक कोल ब्लॉक के रूप में किया गया है। इस प्रयोजन के लिएप्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता का पहचान करना है।

1.6.6 कोयलेबेड मीथेन पर एसएंडटी और आरएंडडी प्रोजेक्ट्स

1.6.6.1 ''भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम रिजर्व आकलन'' पर एस एंड टी परियोजना''

''भारतीय कोयला क्षेत्रों (परियोजना कोड# सीई (ईओआइ)/31) के लिए सीबीएम रिजर्व आकलन'' से संबंधित एसएंडटी परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत है जहां आईआईईएसटी, शिबपुर मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है और एनजीआरआई, हैदराबाद, सीएमपीडीआईएल और टीसीई, कोलकाता उप–कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस परियोजना को एमओसी की कोयला एसएंडटी परियोजना के ईओआइ के तहत अनुमोदित किया गया है। यह परियोजना 3 साल की अवधि की है, सितंबर, 2019 का संशोधित पूरा होने का कार्यक्रम है। दक्षिण करनपुरा सीएफ में किए गए 2डी भूकंपीय सर्वे का ड्राफ्ट रिपोर्ट एनजीआरआई द्वारा सुपुर्द कर दिया गया है और 3 डी भूकंपीय सर्वे के लिए 55 वर्ग किलो मीटर की रूप रेखा तैयार कर एनजीआरआई द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने की सेभावना है।

1.6.6.2 'सीआईएल कमांड क्षेत्रों के अंतर्गत सीएमएम संसाधन के निष्कर्षण के लिए क्षमता निर्माण' पर एस एंड टी परियोजना

''सीआईएल कमांड क्षेत्रों (परियोजना कोड# सीई–32) के अंतर्गत सीएमएम संसाधन के निष्कर्षण के लिए क्षमता निर्माण" पर एक एसएंडटी परियोजना को कायला मंत्रालय के कोल एसएंडटी परियोजना के तहत अनुमोदित किया गया है और कार्यान्वयन के अधीन है। सीएमपीडीआईएल इसका कार्यान्वयन एजेंसी है और सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया उप कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना के पूर्ण होने का समय मार्च, 2020 है। प्रयोगशाला उपकरणों के लिए तकनीकी विनिर्देश को सीएसआईआरओ के सहयोग से अंतिम रूप दिया गया है और उपकरण खरीदे जा रहे हैं। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं और क्षेत्र परीक्षण प्रोटोकॉल पर सीएसआईआरओ द्वारा सीबीएम कार्मिकों और सीबीएम लैब कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

शेल गैस पर परियोजना

1.6.6.3 एस एंड टी परियोजना का शीर्षक ''भारत के दामोदर घाटी बेसिन की शेल गैस संभाव्यता''

कोयला मंत्रालय (एमओसी) की एसएंडटी योजना अंतर्गत ''भारत के दामोदर बेसिन (परियोजना कोड–सीई (ईओआई/30)) की शेल गैस संभाव्यतासे संबंधित एक एसएंडटी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एकीकृत भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक, भू–रासायनिक और पेट्रो–भौतिक जांच के माध्यम शेल गैस की संभाव्यता के लिए दामोदर बेसिन का मूल्यांकन करना इस परियाजना का उद्देश्य है।इस परियाजना के पूर्ण होने का संशोधित तिथि दिसंबर, 2019 है।

एनजीआरआई ने सीएमपीडीआई और सीआईएमएफआर के साथ मिलकर रानीगंज सीएफ में रंगमती बी ब्लॉक (तुमनी और कंचनपुर सेक्टर) का चयन किया है और 3.2 वर्ग किलोमीटर के 2.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3डी भूकंपीय सर्वे पूरा कर लिया है। इन्टरप्रिटेशन के सत्यापन के लिए एनजीआरआई द्वारा चार बोरहोल प्रस्तावित किए गए हैं। राधानगर ब्लॉक, झरिया सीएफ में 2.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3डी भूकंपीय सर्वे पूरा किया गया। एनजीआरआई से डाटा इन्टरप्रिटेशन और 3डी सर्वे का निष्कर्ष प्राप्त होने पर सीएमपीडीआईएल कमिटेड गतिविधियाँ करेगा अर्थात् गहरे बोरहोल की ड्रिलिंग करेगा। रानीगंज सीएफ और झरिया सीएफ के अंतर्गत आने वाली अध्ययन क्षेत्र में अप्रैल, 2019 से ड्रिलिंग गतिविधियां शुरू किया जाएगा।

1.6.6.4 वीएएम पर परियोजना

सीएमपीडीआईएल ने सीएसआईआरओ के साथ संयुक्त रूप से एक परियोजना तैयार की है जिसका शीर्षक है ''भारत में अंडरग्राउंड डिग्री–III कोल माइन में काम करने से वेंटिलेशन एयर मिथेन (वीएएम) में कमी एवं उपयोग''। इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसि सीएसआईआरओ होगा और बीसीसीएल के साथ सीएमपीडीआईएल एक उप–कार्यान्वियन एजेंसी के रूप में होंगी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के झरिया कोयला क्षेत्र में चिन्हित प्रोजेकट माइन मुनीडीह अंडरग्राउंड माइन है। सीआईएल आरएण्डडी बोर्ड ने इस परियोजना को वर्तमान में 100% पूर्वव्यापी वित्त पोषण के साथ मंजूरी दे दी है और 36 महीने की प्रोजेक्ट अवधि तक राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधि (एनसीईईएफ) से 40% प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। परियोजना स्थल (मुनीडीह) में दिसंबर 2018 में सीएसआईआरओ, बीसीसीएल और सीएमपीडीआईएल के अधिकारियों के बीच एक फील्ड विजिट और तकनीकी चर्चा हुई है। कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस आरएण्डडी परियोजना को शुरू करने के लिए निधि स्रोत का संकेत दे।

2.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पनः

128 मि.ट.व. के टयून के लिए अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता हेतु वर्ष 2018–19 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नयू/एक्सपेंशन/पूनर्गठन खान के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन का संशोधन नये पीआर के साथ किया गया।

उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किए गए :

- नए/वर्तमान कोयला वाषरी के लिए वैचारिक/संभाव्यता रिपोर्ट, नवीकरण/रूपांतरण रिपोर्ट/निविदा दस्तावेज, संविदा दस्तावेज, बिड्स का मूल्यांकन इत्यादि की तैयारी।
- ओसी माइन्स के लिए ऑपरेषनल पलान।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)।
- ओपेनकास्ट तथा भू.ग. खाने के लिए माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान।
- कोल इंडिया भू.ग.खान तथा खुली खान के लिए माइनिंग क्षमता मूल्यांकन।

- खुली खान तथा भू.ग.खान से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन।
- कोल इंडिया की ओसी माइन्स में एचईएमएम ऑपरेटिंग का कार्य निष्पादन विश्लेषण।
- एफबीसी आधारित टीटीपी की स्थापना के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी।
- विस्तृत डिजाइन, तथा ड्राइंग्स, एमआईटी निविदा सुरक्षा इत्यादि।

वर्ष 2018–19 के दौरान, पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी, रिमोट सेंसिंग, एनर्जी ऑडिट (डीजल और इलेक्ट्रिकल) और ओपेंकास्ट खानों की बेंचमार्किंग, रॉक एंड कोल सैंपल पर फिजियो–मैकेनिकल परीक्षण, सब्सक्रिप्शन स्टडीज, स्ट्राटा कंट्रोल, नॉन–डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (एनडीटी), कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग एंड वाइब्रेशन स्टडीज और एक्सप्लोसिव यूटिलाइजेशन, वेंटिलेशन/गैस सर्वे ऑफ यूजी माइंस, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल सैंपल्स पर पेट्रोग्राफी स्टडी, कोल कोर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस , वाशबिलिटी टेस्ट, ओबीआर सर्वे, मैन राइडिंग सिस्टम, रिवराइन इकोसिस्टम का अध्ययन और कोयला खनन क्षेत्रों की क्षमता, ढलान स्थिरता अध्ययन, प्रवाह/सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइन क्लोजर ऑडिटिंग, आदिके क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं प्रदान की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 288 रिपोर्ट तैयार की गई हैं। तैयार की गई रिपोर्ट का ब्रेक–अप नीचे दिया गया है:

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	24
प्रोजेक्ट रिपोर्ट	31
ड्राफ्ट ईएमपी (60 फार्म-1 सहित)	84
अन्य अध्ययन	149
कुल	**288**

वर्ष 2018–19 के दौरान तौयार की गई रिपोर्टों का विवरण में नीचे दिए गए है :

परिशिष्ट-1

वर्ष 2018-19 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	मधुकुण्डा
	2.	मांडु
क्षे०सं०–3	1.	रामगढ ब्लॉक–।।पश्चिम
	2.	रामगढ ब्लॉक–।। पूर्व
	3.	लैयो सेक्टर ए एवं बी
क्षे०सं०–4	1.	मांडवा (गैर–सीआईएल)
	2.	धुपतला डीप एक्स.
क्षे०सं०–5	1.	सिंघमाउजा जामपाली
	2.	तुलसी ब्लॉक एफ– बिलारा
	3.	तुलसी ब्लॉक जी – बिहारपुर
	4.	तुलसी ब्लॉक एच– करवाँ
क्षे०सं०–6	1.	मोरवा (आईजीआर)
क्षे०सं०–7	1.	लाजकुरा का डीपसाईड
	2.	कुरलोई ए नॉर्थ
संविदात्मक	1.	मन्दार पर्वत (गैर–सीआईएल)
	2.	धुलिया (गैर–सीआईल)
	3.	दहेगाँव धपेवारा (गैर–सीआईएल)
	4.	गोंडा
	5.	सोमावरम वेस्ट
	6.	धुलिया नॉर्थ (गैर–सीआईएल)
	7.	कपुरिया
	8.	अम्बारी सुकरी
	9.	वेस्ट ऑफ बेसिन फतेहपुर सी
	10.	मेघुली
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	लखीमाता खुली खदान
	2.	नरायणकुरी खुली खदान
	3.	परसिया बेलबेद भूमिगत खान
	4.	बोंजे मेहरी विस्तारित ओसी
	5.	सरपी विस्तारित भूमिगत खान

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	6.	नबाकाजोरा माधवपुर भूमिगत रिकास्ट
क्षे०सं०–3	1.	जारंगडीह आरपीआर ओसी
क्षे०सं०–4	1.	मुरपर विस्ता. भूमिगत खान
	2.	इन्दर काम्पटी डीप अमलगेमेशन ओसी
	3.	अडासा विस्ता. भूमिगत खान
	4.	घोगरपल्ली ओसी
	5.	दिनेश (मकरधोकरा–ाा) ओसी
	6.	न्यू माजरी भूमिगत से खुली खान एक्स. तक
क्षे०सं०–5	1.	केतकी यूजी आरपीआर
	2.	करकाती भूमिगत
	3.	बरौद विस्तारित खुली खान
	4.	पोरदा–चिम्पटापानी ओसी
क्षे०सं०–6	1.	ब्लॉक 'बी' विस्ता. खुली खान
	2.	खादिया ओसी आरसीई
	3.	सेमरिया ओसी रिकास्ट पीआर
क्षे०सं०–7	1.	भुवनेश्वरी विस्ता. खुली खान
	2.	कुल्दा– गर्जनबहल मिश्रित खुली खान
मुख्यालय	1.	बेंगा कोयला परियोजना, मेसर्स आईसीवीएल
	2.	टिकॉक विस्तारित खुली खदान आरपीआर, एनईसी
	3.	रमनागोर–इंडिकाटा (ओसी एवं यूजी) का डीपीआर
	4.	तिराप ओसीपी, एनईसी के लिए आरपीआर
	5.	पतरातु ए/बी/सी भूमिगत खान, सीसीएल
	6.	बलराम ओसीपी विस्ता., एमसीएल
	7.	परेज ईस्ट यूजी फेज– I, सीसीएल
	8.	पताल ईस्ट ओसी, जे.एस.एम.डी.सी.
	9.	टिकॉक वेस्ट एक्स. ओसी, एनईसी
अन्य रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	कालीपहाडी ओसी पैच का दूसरी आरसीई
	2.	झांझरा यूजी (आर–5 सीम) के पीआर के लिए जीआर
	3.	पारसकोले जामबाद यूजी के पीआर के लिए जीआर
	4.	मोहनपुर विस्तारित ओसी चरण– I का यूसीई
	5.	कालीदास यूजी और ओसी का कम्पोजिट खान योजना

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	6.	शंकरपुर ओसीपी, केन्दा क्षेत्र के जामबाद (आर–8) सीम मे नियंत्रित विस्फोटन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
	7.	गौरांडीह बेगुनियाँ कोलियरी, सलानपुर क्षेत्र मे एसएमई का उपयोग कर परीक्षण विस्फोटन
	8.	कलस्टर नं०–3 के लिए खान योजना
	9.	नॉर्थ सियरसोल ओसीपी (चरण–4) के लिए योजना
	10.	राजमहल ओसीपी के संबंध में नियंत्रित विस्फोटन के लिए अध्ययन
क्षे०सं०–2	1.	केन्दवाडीह खुली खान की खनन योजना एवं खान बन्दी योजना
	2.	दहीबारी ओसीपी का वैद्युत ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	3.	कल्याणेश्वरी खुली खान परियोजना की खनन योजना एवं खान बन्दी योजना
	4.	ब्लॉक–8 ओसीपी का यूसीई
	5.	एना कोलियरी का खनन योजना और माइन क्लोजर प्लान
	6.	अमलगेमेटेड पूर्व भगतडीह सिमलाबहल कोलियरी की खनन योजना और माइन क्लोजर प्लान
	7.	अमलगेमेटेड धनसार–इंडस्ट्री कोलियरी की खनन योजना और माइन क्लोजर प्लान
	8.	स्टोविंग सहित 12 सीम डेवलप्ड वर्किंग के डिपलरिंग के लिए हायरिंग आधार पर कंटीन्यूअस माइनर के इंट्रोडक्शन के लिए योजना
	9.	अमलगेमेटेड सुदामडीह–पाथरडीह माइन का माइन योजना और खान क्लोजर प्लान
	10.	मुनिडीह कोलियरी की खनन योजना एवं खान बन्दी योजना
	11.	पी० बी० परियोजना में सीएम को शामिल करने के लिए संशोधित लागत अर्थशास्त्र
	12.	धनसार/विश्वकर्मा खुली खान परियोजना का डीजल ऑडिट और बेंचमार्किंग

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	13.	भौंरा साउथ चन्दन ओसीपी का खनन योजना और माइन क्लोजर प्लान
	14.	पिरपैंती बराहाट ब्लॉक के लिए जीआर का पीआर
	15.	अमलगेमेटेड एनटी एसटी, जीनागोरा ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण
	16.	अमलगेमेटेड एनटी–एसटी एक्सपेंशन ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण
	17.	एडीशनल वेरियंट सहित कल्याणेश्वरी ओसीपी का पीआर का अघतन
	18.	अमलगेमेटेड ब्लॉक–।।कोलियरी का खनन योजना एवं खान बंदी योजना
	19.	कपुरिया वाशरी का समेकित इकॉनॉमिक्स
क्षे०सं०–3	1.	पिचरी खुली खान परियोजना की यूसीई
	2.	हिन्देगीर खुली खान परियोजना की यूसीई
	3.	आम्रपाली ओसीपी का यूसीई
	4.	कोटरे–बसंतपुर ओसीपी का यूसीई
क्षे०सं०–4	1.	दिनेश खुली खान के लिए माइनेक्स में भू–वैज्ञानिक मॉडल (एमकेडी–।, 1 विस्तारण तथा एमकेडी–।।। का भाग सहित)
	2.	रमपिया एवं घोगरपल्ली खुली खान के लिए माइनेक्स में जियोलॉजिकल मॉडल
	3.	अडासा एवं बोरदा भूमिगत खान के लिए माइनेक्स में
	4.	ऊकनी डीप खुली खदान का यूसीई
	5.	बेल्लोरा नाइगाँव डीप खुली खदान का यूसीई
	6.	दुर्गापुर सिन्हाला एक्स. ओसी के लिए माइनेक्स मे भू–वैज्ञानिक मॉडल
	7.	पऊनी ओसी का ढाल स्थिरता अध्ययन
	8.	गौरी विस्तारित खुली खान का ढाल स्थिरता अध्ययन
	9.	नरायणी विस्तारित ओसी के लिए योजना
	10.	कुम्भरखानी भूमिगत खान से खुली खान का पीआर
	11.	नारायणी एक्सपेन खुली खान के लिए योजना
	12.	धूपतला (सस्टी यूजी से ओसी) का यूसीई

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	13.	अडासा यूजी से ओसी का यूसीई
	14.	नान्दिरा यूजी, एमसीएल का खान योजना और खान बन्दी योजना
	15.	नटराज यूजी, एमसीएल का खान योजना और खान बन्दी योजना
	16.	उमरेर ओसीएम के बेंचमार्किंग सहित–डीजल ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	17.	उकनी ओसीएम का बेंचमार्किंग सहित–डीजल ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	18.	टॉंडसी यूजी माइन–1 के बेंचमार्किंग सहित इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	19.	नंदगाँव भूमिगत खान–1 के बेंचामार्किंग सहित इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	20.	मरकी–मंगली–।। संचालन पर रिपोर्ट
	21.	गोइटोरा ओसी के संचालन पर रिपोर्ट
क्षे०सं०–5	1.	खैराहा भूमिगत खान की धँसान रिपोर्ट
	2.	अमेरा खुली खान में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	3.	चिरिमिरी ओसीपी (2 मी.ट.प्र.व) के सीएचपी के लिए योजना
	4.	झरिया ओसी रिकास्ट पीआर
	5.	मणिकपुर और चिरिमिरी ओसीपी मे वैज्ञानिक अध्ययन
	6.	रेहार भूमिगत खान में भूमिगत विस्फोटन के कारण भूकम्पन्न का वैज्ञानिक अध्ययन
	7.	चिरिमिरी ओसी रिकास्ट पीआर
	8.	कुसमुण्डा ओसीपी मे नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	9.	जामपाली ओसी आरसीई
	10.	दामिनी ओसी का यूसीई
	11.	गेवरा ओसी का ऑपरेशनल योजना
	12.	बेहराबेंग यूजी माइन के लिए मैंन राइडिंग सिस्टम
क्षे०सं०–6	1.	कृष्णशीला ओसी में कोयला के इवाक्यूएशन हेतु इनपिट क्रशिंग और कन्वेईंग की संभावना का अध्ययन
	2.	अमलोहरी ओसीपी का बेंचमार्किंग और इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
क्षे०सं०–7	1.	भरतपुर खुली खान परियोजना (20 मी.ट. प्र.व) का संशोधित एमपी एवं एमसीपी
	2.	सखीगोपाल–ए एवं अरखापाल–ए ब्लॉक को जोडने वाली भुवनेश्वरी एवं लिंगराज खुली खान परियोजना की समेकित परियोजना रिपोर्ट की संभाव्यता पर टिप्पणी
	3.	एकीकृत लखनपुर–बेलपहाड–लिलारी ओसी (40 मी.ट.प्र.व.) (फेज– I एवं फेज– I I) कां खनन योजना एवं माइन क्लोजर प्लान।
	4.	भुवनेश्वरी ओसी एक्स. का माइन प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान
	5.	लाजकुरा ओसी का खानन योजना और खान बन्दी योजना
	6.	वसुन्धरा (ई) ओसीपी के साऊथ लेफ्ट आऊट पैच की खनन की योजना
मुख्यालय	1.	सीसीएल की रज्जरप्पा खुली खनन परियोजना का ढाल स्थायित्व अध्ययन
	2.	अमलो–धोरी खुली खान परियोजना, सीसीएल का नियंत्रण विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	3.	घनकासा भूमिगत खान, डब्ल्यूसीएल के लिए 3डी धँसान पूर्वानुमान एवं प्रबन्धन
	4.	संघमित्रा खुली खान, सीसीएल के कोर एवं बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मैपिंग
	5.	ईसीएल की निगाही कोलियरी, श्रीपुर क्षेत्र, पूरे सेयरसोल कोलियरी, सतग्राम क्षेत्र तथा सिदुली कोलियरी केन्दा क्षेत्र के आर एम आर अध्ययन पर रिपोर्ट
	6.	वैतरनी (वेस्ट) खुली खान परियोजना का ढाल स्थायित्व अध्ययन
	7.	मधईपुर ओसीपी, ईसीएल में एसएमई का प्रयोगकर वैज्ञानिक परीक्षण विस्फोटन अध्ययन
	8.	खादिया परियोजना, एनसीएल के आईड्ब्ल्यूएसएस का विस्तार
	9.	खादिया टॉउनशीप के मौजूद एसटीपी का संशोधन हेतु योजना और एनसीएल के एसटीपी का एफ्लूएंट हेतु पुनर्कलन प्रणाली के लिए योजना
	10.	तपीन नॉर्थ खुली खदान परियोजना, सीसीएल का ढाल स्थिरता अध्ययन
	11.	कबीराबाद खुली खदान और अम्रपाली खुली खदान, सीसीएल के कोर एवं बफर जोन का भू–उपयोग/अच्छादन मैपिंग
	12.	बैतरनी वेस्ट खुली खान, एमसीएल के कोर एवं बफर जोन का भू–उपयोग/अच्छादन मैपिंग
	13.	पीन्डरा कोलियरी, सीसीएल मे नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	14.	गिद्दी 'सी' खुली खदान परियोजना, सीसीएल मे नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन एवं कम्पन अध्ययन
	15.	ईसीएल के सतग्राम इंक्लाइन, बहुला कोलियरी तथा जामबाद कोलियरी और डब्ल्यूसीएल के जमुनिया इंक्लाइन ड्राइवेज का आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	16.	निगाही खुली खदान परियोजना, एनसीएल का विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	17.	भुरकुण्डा खान 'बी' कोलियरी, सीसीएल के लोअर सीमाना सीम के लिए केविंग मेथड द्वारा ओबी डम्पींग के प्रभाव तथा पिलरों के स्थायित्वता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
	18.	जमुनिया भू.ग. खान, डब्ल्यूसीएल के लिए 3डी धँसान पूर्वानुमान और प्रबंधन
	19.	एनसीएल की 10 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण और वार्षिक बेंचमार्किंग
	20.	एमसीएल की सियरमल ओसी और सामलेश्वरी ओसी, वसुन्धरा वेस्ट एक्सटे. ओसी के कोर और बफरजोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	21.	ईसीएल की कालीदासपुर ओसी के लिए बफरजोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	22.	डब्ल्यूसीएल की उमरेर ओसी के लिए बफरजोन का भू–उपयोग/आच्छादन मापन
	23.	वर्ष 2017–18 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदान खानों के लिए क्षमता और क्षमता उपयोग का मूल्यांकन

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	24.	झारखण्ड ओसीपी, सीसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	25.	रजरप्पा ओसीपी, सीसीएल के ब्लॉक–1 के सेक्शन–II, न्यू पैच का स्लोप स्टेबिलिटि अध्ययन
	26.	कारो स्पेशल सीम–III, धोरी (के) कोलियरी इंकलाइन 4,5 एवं 6 तथा 7,8, सीसीएल के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	27.	हिंगुला ओसीपी, एमसीएल मे नियंत्रत विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	28.	शंकरपुर ओसीपी, ईसीएल मे नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	29.	डब्ल्यूसीएल के बफर जोन पेनगंगा ओसी और कोर का भू–उपयोग/आच्छादन मापन
	30.	2017–18 के दौरान कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों मे एचईएमएम का कार्य–निष्पादन
	31.	एमसीएल की 12 खुली खदान परियोजनाओं का डीजल अंकेक्षण और वार्षिक बेंचमार्किंग
	32.	सीसीएल की पिपरवार, अशोका, पुरनाडीह, डकरा, केडीएच और रोहिणी ओसीपी मे इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण
	33.	चुरी–बेंटी भूमिगत खान, सीसीएल का संवातन सिमूलेशन अध्ययन
	34.	बीना ओसी, एनसीएल के कोर एवं बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	35.	नान्दिरा यूजी और नटराज यूजी, एमसीएल के कोर एवं बफरजोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	36.	टिकॉक ओसीपी, एनईसी के लिए स्लोप स्थायित्वता अध्ययन
	37.	वर्ष 2017–18 के दौरान कोल इंडिया की खुली खदान खानों मे विस्फोटकों, डिजल और विद्युत ऊर्जा की विशेष खपत
	38.	लेदो ओसीपी, एनईसी का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	39.	तिराप ओसीपी, एनईसी का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	40.	जिगुरदाह ओसीपी, एनसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	41.	चुर्चा यूजी खान, एसईसीएल मे एएमडी ट्रीटमेंट की योजना
	42.	चुर्चा यूजी खान मे ईटीवी पर योजना
	43.	लाजकुरा सीम, सेक्टर–I और III, ओरिएंट खान–III, एमसीएल के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	44.	ईसीएल की न्यू–केन्दा ओसीपी के लिए एसटीपी एवं सिवर नेटवर्क हेतु योजना
	45.	सामलेश्वरी ओसीपी, एमसीएल के वहन क्षमता का अध्ययन
	46.	बन्देर कोयलाक्षेत्र, डब्ल्यूसीएल का वनाच्छादन मापन
	47.	सिंगरौली कोयलाक्षेत्र, एनसीएल का वनाच्छादन मापन
	48.	हिराखण्ड बुन्दिया, एमसीएल के लिए पी. वी–300 खान हेतु पूर्ण संवातन सर्वेक्षण एवं संवातन प्रणाली डिजाइन
	49.	बलराम ओसीपी, एमसीएल में नियंत्रित विस्फोटन और कम्पन अध्ययन
	50.	नॉर्थ सियरसोल ओसीपी, ईसीएल में नियंत्रित कम्पन और कम्पन अध्ययन
	51.	सोहागपुर कोयलाक्षेत्र एडजस्मेंट से सोहागपुर ईस्ट सीबीएम ब्लॉक के पूर्वी भाग मे संभावित सीबीएम/सीएमएम मूल्यांकन
	52.	उरीमारी ब्लॉक, साउथ कर्णपुरा कोयलाक्षेत्र के सीबीएम गैस–इन–प्लेस रिसोर्स के मूल्यांकन पर रिपोर्ट
	53.	परेज ईस्ट, सीसीएल का विस्तृत अंकेक्षण और बेंचमार्किंग
	54.	सियरमल ओसीपी, एमसीएल के केरिंग क्षमता पर अध्ययन
	55.	सीआरएस बरकाकाना, सीसीएल के ईटीपी के लिए योजना
	56.	एसईसीएल के 3 ओसीपी का वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग
	57.	बीसीसीएल के 14 ओसीपी का वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग
	58.	ईसीएल के 8 ओसीपी का वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	59.	कपुरिया वाशरी, बीसीसीएल में वाशरी की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी
	60.	एमसीएल के लखनपुर फेज–।। ओसीपी के लिए तटवर्ती परितंत्र की वहन क्षमता पर अध्ययन
	61.	डब्ल्यूसीएल के 14 ओसीपी का डीजल ऑडिट और वार्षिक बेंचमार्किंग
	62.	तोपा के लिए एफबीसी आधारित टीपीपी के लिए सैद्धांतिक रिपोर्ट की तैयारी
	63.	मूनिडीह, बीसीसीएल में वाशरी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रिपोर्ट की तैयारी
	64.	कर्णपुरा कोयलाक्षेत्र, ईस्ट बोकारो कोयलाक्षेत्र और वेस्ट बोकारो, सीसीएल का वनाच्छादन मानचित्रण
	65.	कोरबा कोयलाक्षेत्र, एसईसीएल का ढलान स्थायित्व अध्ययन
	66.	मांदेर–पर्वत बीसीसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्यय
	67.	उरीमारी ओसीपी, सीसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	68.	निगाही, अमलोहरी, जयंत और ब्लॉक बी ओसीपी, एनसीएल में नियंत्रित विस्फोटन और कम्पन अध्ययन
	69.	बेलपहाड ओसीपी, एमसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	70.	करगली ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटा कम्पन अधयपन
	71.	कोट्टाडीह और गौरांगडीह बेगुनिया ओसीपी, ईसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	72.	एनसीएल के 10 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण और वार्षिक बेंचमार्किंग
	73.	सीसीएल के 30 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण।
	74.	वार्षिक बेंचमार्किंग न्यू कथारा वाशरी (3.0 मीटप्रव), सीसीएल के लिए वैचारिक रिपोर्ट
	75.	बसंतपुर–तपिन वाशरी (5.0 मीटप्रव), सीसील के लिए वैचारिक रिपोर्ट

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
पर्यावरणिक प्रबंधन योजना		
फॉर्म–।		
क्षे०सं०–1	1.	मोहनपुर विस्ता. खुली खान (फेज–।।)
	2.	राजमहल विस्ता. खुली खान (नियमितीकरण)
	3.	कालिदासपुर यूजी+ओसी (नियमितीकरण)
	4.	कलस्टर–3 (ईसी संशोधन)
क्षे०सं०–2	1.	कलस्टर–17 (कल्याणेश्वरी वाशरी 3.6 एमटीवाई समेत) (उल्लंघन का मामला)
क्षे०सं०–3	1.	पुंडी खुली खान परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	2.	केदला भूमिगत परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	3.	केदला खुली खान परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	4.	कुजू खुली खान परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	5.	गिद्दी 'ए' खुली खान परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	6.	गिरिडीह कबरीबाद खुली खान परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	7.	करगली खुली खान परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	8.	भुरकुंडा कोलियरी (उल्लंघन का मामला)
	9.	गोविन्दपुर भूमिगत परियोजना (उल्लंघन का मामला)
	10.	अम्रापाली खुली खान परियोजना (नियमितीकरण)
	11.	नॉर्थ ऊरीमारी ओसीपी (नियमितीकरण)
	12.	केदला वाशरी (नियमितीकरण)
	13.	परेज–ईस्ट ओसी (नियमितीकरण)
	14.	राजरप्पा ओसी एवं वाशरी (नियमितीकरण)
	15.	कथारा सीपीपी (नियमितीकरण)
क्षे०सं०–4	1.	पऊनी–।। खुली खदान (नियमितीकरण)
	2.	उमरेर खुली खदान (नियमितीकरण)
	3.	उरदान खुली खदान (नियमितीकरण)
	4.	महाकाली भूमिगत खान (नियमितीकरण)
	5.	थेसागोरा और मथानी यूजी (नियमितीकरण)

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	6.	तावा–।। यूजी (नियमितीकरण)
	7.	शोभापुर यूजी (नियमितीकरण)
	8.	वाघोदा यूजी (नियमितीकरण)
	9.	विष्णुपुरी–।। यूजी (नियमितीकरण)
	10.	सिलेवारा यूजी (नियमितीकरण)
	11.	विष्णुपुरी–। (नियमितीकरण)
	12.	तावा यूजी (नियमितीकरण)
	13.	सतपुरा–।। (नियमितीकरण)
	14.	डटला ओसी (नियमितीकरण)
	15.	टॉंडसी यूजी (नियमितीकरण)
	16.	घुघुस ओसी (नियमितीकरण)
	17.	हिन्दुस्तान लालपेठ ओसी (नियमितीकरण)
	18.	तवा–।।। यूजी
क्षे०सं०–5	1.	कंचन खुली खदान
	2.	दिपका खुली खदान एक्स. (35–40 मी.ट.प्र.व.)
	3.	दिपका ओसी एक्स. (35 मी.ट.प्र.व.– ईसी के कंटीन्यूअस के लिए)
	4.	गेवरा ओसी एक्स. (45 मी.ट.प्र.व. दृ ईसी के कंटीन्यूअस के लिए)
	5.	कुसमुण्डा ओसीएक्स.
क्षे०सं०–6	1.	निगाही ओसी (ईसी संशोधन)
	2.	झींगुरदाह ओसी (नियमितीकरण)
	3.	कृष्णशीला ओसी (ईसी अमेंडमेंट)
क्षे०सं०–7	1.	आई बी नदी बेड में सैण्ड माइन
	2.	भरतपुर खुली खदान परियोजना (ईसी संशोधन)
	3.	लिलारी ओसीपी (नियमितीकरण)
	4.	तालचर भूमिगत (नियमितीकरण)
	5.	छेन्दीपदा ओसीपी (नियमितीकरण)
	6.	नटराज यूजी (नियमितीकरण)
	7.	नान्दिरा यूजी (नियमितीकरण)
	8.	बसुन्धरा (नियमितीकरण)
	9.	देउलबेडा भूमिगत (नियमितीकरण)
	10.	एकीकृत लखनपुर बेलपहाड़ लिलारी खुली खान परियोजना
	11.	हिंगुला ओसीपी (ईसी संशोधन)

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
मुख्यालय	1.	तिराप ओसीपी, एनईसी (नियमितीकरण)
	2.	टिकॉक ओसीपी, एनईसी (नियमितीकरण)
	3.	हिंगुला वशरी, एमसीएल
ड्राफ्ट ईएमपी		
क्षे०सं०–2	1.	कलस्टर 7 (परिशिष्ट/रूपांतरित ईएमपी)
	2.	कलस्टर 17 का संशोधित ईआईए/ईएमपी
क्षे०सं०–3	1.	तापिन ओसीपी (परिशिष्ट/रूपांतरित ईएमपी)
	2.	तोपा ओसीपी (परिशिष्ट/रूपांतरित ईएमपी)
	3.	चयनित ढोरी जीओएम ओसीपी (उल्लंघन का मामला)
	4.	कारो ओसीपी और वाशरी (उल्लंघन का मामला)
क्षे०सं०–4	1.	उमरेर ओसी एक्सपेंसन
	2.	पेनगंगा ओसी एक्पेंसन (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
	3.	सिंघोरी ओसी (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
क्षे०सं०–5	1.	अम्बिका ओसी
	2.	खाईराहा भूमिगत एक्सपेंशन (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
	3.	मणिकपुर ओसीपी एक्सपेंशन (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
	4.	अमाडॉंड खुली खान
	5.	कुसमुण्डा खुली खान (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
क्षे०सं०–6	1.	दुधिचुआ खुली खदान एक्सपेंशन
	2.	बीना ओसीपी (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
	3.	दुधीचुआ ओसीपी (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
क्षे०सं०–7	1.	सियरमल ओसी
	2.	सामलेश्वरी ओसी विस्तारण
	3.	भुवनेश्वरी ओसी विस्तारण (परिशिष्ट/ईएमपी संशोधन)
	4.	बसुन्धरा (पश्चिम) एक्सटेंसन खुली खान परियोजना
	5.	जगन्नाथ खुली खान परियोजना (उल्लंघन का मामला)
मुख्यालय	1.	बरौद वाशरी
	2.	शारदा ओसी, एसईसीएल (परिशिष्ट/रुपांतरित ईएमपी)

2.1 कोयला खनिज परिष्करण :

सीएमपीडीआईएल का कोयला खनिज परिष्करण, ग्रीन फिल्ड कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण प्लांट तथा वर्तमान प्लांटों के रूपान्तरण/आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सेवा प्रदान करता है। ये सेवाएँ विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) वैचारिक रिपोर्ट (सीआर) बिड प्रोसेस मैनेजमेंट संविदा दस्तावेज की तैयारी तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्क्रुटनी ड्राईंग्स द्वारा अनुसरण किए गये कार्यों में सहायता देती है। यह आरएंडडी सेवाओं तथा कारपोरेट सपोर्ट का विस्तृत रेंज भी देता हें यह विभाग प्रयोगशाला स्केल अध्ययन करने के लिए नवीनतम और विस्तृत उपकरणों के साथ आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है। सीएमपी प्रयोगशाला एनएबीएल एक्रीडियेशन की प्रक्रिया में है तथा एनएबीएल, कोलकाता द्वारा सफलतापूर्वक पूर्व मूल्यांकित है।

कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों में बिल्ड ऑन ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर कोयला प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए मॉडल बिड दस्तावेज तैयार किया जा चुका है।

यह पूर्णतया ब्रिक्री योग्य कोकिंग कोयला में बीसीसीएल तथा सीसीएल में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध अवर्गीकृत लो बोल्टे इस माध्यम कोकिंग (एश 35 प्रतिशत) कोयला संसाधनों को इन कंपास करने हेतु कोकिंगकोयला के पुनर्वर्गीकरण में लगा रहा। संसाधित पुनर्वर्गीकरण को गजट अधिसूचना के माध्यम से एमओसी, जीओआई द्वारा सहमति प्रापत हो गई है। यह कोयला कंपनियों खासकर बीसीसीएल तथा सीसीएल के लिए एक बड़ी मात्रा में वित्तीय लाभ देगा तथा फॉरेन एक्सचेंज का महत्वपूर्ण बचत करेगा तथा कोकिंग के आयात में कमी करेगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस विभाग द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जा चुके हैं :

क) रिपोर्ट/अध्ययन

11 तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है :

➢ **वाशरी पर चैप्टर**

- रोहिणी–करकट्टा, सीसीएल (8.0 मी.ट.प्र.वर्ष)
- सीसीएल का तेतरियाखार (2.5 मी.ट.प्र.व.)
- बीसीसीएल का संशोधित कल्याणेश्वरी (3.6 मी.ट.प्र.व.)
- लाजकुरा ओरियेंट ओसीपी का अपडेटेड कॉस्ट इस्टीमेट (10.0 मी.ट.प्र.व.)
- एमसीएल का कुल्दा–गरजनबहल ओसीपी (30.0 मी.ट.प्र.व.) और
- एसईसीएल का पोरदा–चमटापानी ओसीपी

➢ **वैचारिक रिपोर्ट :**

- ईआईए के लिए गारे पल्मा सेक्टर–। कोयला ब्लॉक हेतु कोल वाशरी
- बीसीसीएल का मुनीडीह वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.व.)
- नया कथारा वाशरी (3.0 मी.ट.प्र.व.) और
- सीसीएल का वसंतपुर–तापिन वाशरी (5.0 मी.ट.प्र.व.)

➢ **संभाव्यता रिपोर्ट :**

- कपुरिया, बीसीसीएल में वाशरी की स्थापना के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोट।

ख) निविदा दस्तावेज

नीचे दिए गए विभिन्न मोड के अंतर्गत कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगियों की कोयला वाशरियों के लिए 8 निविदा दस्तावेज तैयार किए गए।

➢ **बीओएम अवधारणा पर**

- जगन्नाथ वाशरी (10 मी.ट.प्र.व.)
- एसईसीएल का हिंगुला (10 मी.ट.प्र.व.)
- दुग्दा न्यू (2.5 मी.ट.प्र.व.) और
- बीसीसीएल का मुनीडीह (2.5 मी.ट.प्र.व.)

➢ **बीओएम अवधारणा पर**

- कुसमुण्डा (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
- एसईसीएल का बरोद (5.0 मी.ट.प्र.व.)
- वसंतपुर तापिन (4.0 मी.ट.प्र.व.) और
- न्यू कथारा (3.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल

ग) करार दस्तावेज

ईव वैली लखनपुर (10.0 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल के लिए करार दस्तावेज तैयार किया गया।

घ) निर्माण ड्राईंग्स की संवीक्षा

➢ मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल : 134 संख्या

➢ पाथरडीह ।। वाशरी, बीसीसीएल : 151 संख्या

➢ ईव वैली लखनपुर वाशरी, एमसीएल : 49 संख्या

ङ) अन्य कार्य

क) आईडब्ल्यूएसएस, खादिया एनसीएल की संवृद्धि के विस्तृत इस्टीमेट के साथ इलेक्ट्रीकल चैप्टर की तैयारी।

ख) बीसीसीएल के नवीकरण के लिए मुनीडीह वाशरी का लागत लाभ का विश्लेषण।

2.2 परियोजना मूल्यांकन

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान क्षेत्रीय संस्थानों तथा सीएमपीडीआई, मुख्याल द्वारा तैयार 24 पीआर/आरपीआर/ईपीआर (15मार्च 2019 तक) की संवीक्षा एवं मूल्यांकन।
2. क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार 16 वैचारिक रिपोर्ट (15 मार्च, 2019 तक) की संवीक्षा एवं मूल्यांकन तथा पीआर/आरपीआर/ईपीआर की तैयारी के पूर्व प्रमुख तकनीकी पारा मीटर को अंतिम रूप देने के लिए पीएडी विभाग और खुली खदान/भूमिगत खदान सहित निदेशक (टी/पीएंडडी) द्वारा मूल्यांकन करने के लिए समन्वयन।
3. सचिव (कोयला) के त्रैमासिक समीक्षा बैठक के लिए 500 करोड़ रू. सें अधिक की लागत वाली विशेषकर, सीएमपीडीआईएल जिम्मे जो कार्य है उन चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण।

3.0 भूमिगत एवं खुली खदान खनन

3.1 भूमिगत खनन

क) कोल इंडिया के कार्य

विवेन्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

➢ वर्ष 2018–19 के लिए कोल इंडिया की 175 भूमिगत खानों का क्षमता मूल्यांकण तथा वर्ष 2017–18 तथा वृद्धि विश्लेषण के लिए कोल इंडिया की 211 चालू भूमिगत खदानों का कंपनीवार क्षमता उपयोग।

➢ 3डी धँसान पूर्वानुमान तथा प्रबंधन

- डब्ल्यूसीएल का धनकाशा भू.ग.खान
- डब्ल्यूसीएल का जमुनिया भू.खान

➢ पिपरवार भू.ग. (फेज–।) माइन, सीसीएल में रिस्क गेम शयरिंग के आधार पर सीएम को प्रतिस्थापित करने के लिए डाक बोली दस्तावेज की तैयारी।

➢ जमुनिया भू.ग. खान, पेंच एरिया डब्ल्यूसीएल में इक्लाइन। एवं 2 के ड्राइवेज के लिए सपोर्ट सिस्टम की डिजाइन

➢ भुरकुण्डा माइन ''बी'' सीसीएल में लोअर सेमाना सीम के लिए केविंग पद्धति द्वारा ओबी डम्पिंग के प्रभाव तथा पिलर की स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

➢ वागहोदा भू.ग. खान, नागपुर क्षेत्र डब्लयूसीएल में एयर शाफ्ट के लिए एयर शाफ्ट, फेम हाउस की विस्तृत डिजाइन

➢ भटगाँव कोलियरी एसईसीएल के एलपीपी सीम में भू.ग. वाटर डैम की डिजाइन

➢ खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य सूची

- परेज ईस्ट भू.ग. प्रोजेक्ट (कन्टीन्युअस माइन तथा 0.5 मी.ट.प्र.व. क्षमता सहित) सीसीएल की संशोधित परियोजना रिपोर्ट
- केन्दा एरिया, ईसीएल के लिए 5 हेडगियर्स का स्थिरता विश्लेषण
- एसबी 10 कोलयरीज पीबी एरिया, बीसीसीएल के 5, 6 एवं 7 पिट में हेडगीयर का स्थिरता विश्लेषण
- भुरकुण्डा कोलियरी, बरका सयाल एरिया सीसीएल के वांशगढ़ा सीम में अण्डरग्राउण्ड कोयला पिलर्स के वैज्ञानिक अध्ययन का पुनरीक्षण
- पतरातु ए/बी/सी (पावर्ड सपोर्ट लौंगवाल प्रौ0 तथा 7.50 मी.ट.प्र.व. सहित) सीसीएल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- एन.के.एरिया, सीसीएल के चूरी–बेन्ट भू.ग. माइन का संवातन स्टीमुलेशन अध्ययन
- ओरियेंट माइन सं–4, ओरियेंट एरिया एमसीएल में कोयला के निष्कर्षण के लिए डाक–बोली दस्तावेज की तैयारी
- हीराखंड बुदिया भू.ग.खान एमसीएल के लिए पीवी300 माइन फेन हेतु पूर्ण संवातन सर्वे एवं संवातन सिस्टम डिजाइन

ख) कोल इंडिया के कार्य (प्रगति पर)

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए :

- सीसीएल की खानों में जहाँ लाभकारी हो, श्रम–बल लगाकर आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे खराब खान को बंद करने (फेज आउट) के लिए तकनीकी आर्थिक पारामीटर तथा समयबद्ध कार्रवाई का विस्तृत अध्ययन
- मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए खान में वायु की संवातन आवश्यकता पर अनुसंधान एवं विकास, परियोजना कोड सं. सीआइएल/आरएंडडी/01/63/2016
- (पार्वड सपोर्ट लॉग वाल तथा कन्टीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी, 5.80 मी.ट.प्र. वर्ष क्षमता सहित) झॉझारा कोलियरी ईसीएल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र के तहत जे.के. नगर कोलियरी में मेन राइडिंग सिस्टम की पहचान के लिए योजना की तैयारी
- लोअर सेमना सीम, भुरकुण्डा बी कोलियरी सीसीएल के लिए खनन हेतु योजना की तैयारी तथा वर्किंग की स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- नन्दिरा कोलियरी, तालचर एरिया, एमसीएल का पूर्ण संवातन अध्ययन
- एमओआईएल लिमिटेड के डोंगरी बुजुर्ग माइन में भू.ग. वर्किंग के लिए डीपीआर की तेयारी
- हेंडीडुहा कोलियरी, तालचर एरिया, एमसीएल में 06 जोन के स्टेबलाइजेशन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन

3.2 खुली खदान खनन

वर्ष 2018–19 के दौरान पूरे किए गए बड़े/ महत्वपूर्ण बाहरी परामर्शी कार्य

- मेसर्स एनटीपीसी के मन्दाकिनी । बी कोल ब्लॉक के लिए वैचारिक रिपोर्ट तथा खनन योजना
- मेसर्स हिंडालकों के गारे पेल्या IV/4 कोल ब्लॉक के लिए माइनिंग प्लान तथा माइन क्लोजर प्लान

पूरे किए गए कोल इंडिया के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

- बलराम ओसीपी, एक्सपेंसन, एमसीएस का परियोजना रिपोर्ट
- तिराम ओसीपी, एनईसी का संशोधित परियोजना रिपोर्ट
- टिकाक एक्सपेंसन ओसीपी, एनईसी का संशोधित परियोजना रिपोर्ट

- टिकाक वेस्ट एक्सपेंसन ओसीपी, एनईसी का परियोजना रिपोर्ट
- मंदार पर्वत कोल ब्लॉक, बीसीसीएल का ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- 01.04.2019 के अनुसार कोल इंडिया प्रोजेक्शन के ओपेनकास्ट माइन्स की क्षमता का मूल्यांकन
- वर्ष 2017–18 के दौरान कोल इंडिया की ओपेनकास्ट माइन्स के लिए क्षमता एवं क्षमता उपयोग का मूल्यांकन
- कोल इंडिया की धँसानों के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान एचईएमएम का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- वर्ष 2017–18 के दौरान कोल इंडिया के डम्पर्स एक्सकेवेटर्स तथा समरी का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन
- विस्फोटक, डीजल, इलेक्ट्रीक पावर के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान कोल इंडिया की खुली खानों में विशिष्ट खपत का विश्लेषण
- नये कमीशण्ड एचईएमएम तथा डाटाबेस का अद्यतनीकरण के लिए कोल इंडिया की प्लांट का एलोकेशन
- नये शामिल किए गए एचईएमएम के लिए सर्वे ऑफ मानकों का निरूपण तथा एचईएमएम के वर्तमान सर्वे ऑफ मानकों पर समिति की अनुशंसाओं का परीक्षण करने के लिए कोल इंडिया की हाई पावर समिति हेतु समिति रिपोर्ट की तैयारी
- परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन

कोयला मंत्रालय के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- व्यवसायिक खनन के लिए 13 कोयला ब्लॉकों के इन्ट्रीन्स्टीक मूल्य का निर्धारण
- खनन योजना का तकनीकी संवीक्षा
- ऊर्जा डाटा प्रबंधन के लिए कोयला सेक्टर पर सब–ग्रूप हेतु सुपुर्दगी के लिए भारत में कोल ब्लॉकों के संबंध में।

4.0 अभियंत्रण सेवाएँ :

4.1 सिविल अभियंत्रण सेवाएँ

वर्ष के दौरान पूर्ण की गई निम्नलिखित प्रमुख सेवाएँ समीक्षा के अधीन है :

प्रोजेक्ट प्लानिंग कार्य :

क) सिविल पार्ट का पीआर तैयारी/लागत अद्यतनीकरण

1. बीसीसीएल का मंदार पर्वत
2. हिंडालको का गरे पल्मा सेक्टर–4/4
3. सीसीएल का पुंडी ओसीपी एवं चैनपुर एसीपी
4. टिकक इस्ट एवं वेस्ट विस्तारण
5. एनईसी का तिराप और
6. बलराम ओसीपी, एमसीएल

ख) पूरे वर्ष के दौरान पीएडी द्वारा तकनीकी जाँच के लिए इस विभाग को अग्रसारित विभिन्न रिपोर्टों के लिए पीआर/आरपीआर की तकनीकी जाँच

सिविल एवं वास्तु शिल्पीय विस्तृत डिजाईन कार्य :

मेसर्स टीएचडीसी के लिए प्रस्तावित अमेलिया कोल माइन सिंगरौली हेतु पी एवं आर कॉलोनी का ले आउट एवं प्राक्कलन

ख) एमसीएल के जगन्नाथ क्षेत्र में प्रस्तावित टाइप क्वार्टर तथा कॉलोनी के लिए डिजाइन

ग) गेवरा ओसीपी, गेवरा एरिया (एसईसीएल) भुवनेश्वरी ओसीपी (23 से 28 मीट.टन.प्र.व. तक) कुल्दा ओसीपी (10 से 14 मी.टन.प्र.व. तक) लखनपुर ओसीपी (18.75 से 21 मी.ट. प्र.व.) वाइन्ड बैरियर तथा वर्टिकल ग्रेमरी की डिजाइन

घ) कुसमुण्डा एरिया, एसईसीएल के लिए टाउनशिप का वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक परामर्शी कार्य

ड.) एमसीएल के स्टैंडर्ड क्वार्टरों के लिए

आर्टिटेक्चर की तैयारी और संरचना ड्राईंग तथा एमसीएल के वसुंधरा गरजनबहल एवं हिंगुला क्षेत्र के लिए शहरी योजना

च.) विजय वेस्ट और रानी अटारी यूजी माइन, चिरिमिरि क्षेत्र, एसईसीएल के टाउनशीप के लिए अग्रिम योजना

निविदा दस्तावेजों की तैयारी :

क) जयंत ओसीपी एनसीएल के इन्क्रीमेंटल सीएचपी, 10एमटीवाई के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी, आक्कलन, ई–निविदा, ड्राईंग एवं डिजाइन संवीक्षा इत्यादि।

ख) ईपीसी मॉडल पर जेवीआरओसी और केके10सी, एसईसीएल ने सीएचपी की स्थापना के लिए कंसलटेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट

ग) ईटीपी, कृष्णशीला ओसीपी के लिए एनआईटी और निविदा दस्तावेज की तैयारी (तकनीकी और व्यवसायिक भाग)

घ) एसईसीएल के कोरबा क्षेत्र के मणिकपुर ओसीपी में इनपिट क्रसिंग एरैंजमेंट के लिए एनआईटी की तैयारी

ड.) कोटाडीह, सीएचपी, सीसीएल के लिए एनआईटी की तैयारी

च) खादिया, ओसीपी, कॉलोनी, एनसीएल के लिए एसटीपी रूपांतरण हेतु योजना तथा एनआईटी की तैयारी

छ) कुसमुण्डा वर्कशॉप (50मी.ट.प्र.व.) एसईसीएल का निविदा दसतावेज ड्राईंग जॉच की प्रणाली डिजाइन, तैयारी

ज) मेडिकल कॉलेज, बुर्ला, संबलपुर, एमसीएल में 210 बेडेड मेटरनल तथा चाइल्ड केयर (एमसीएच) कम्पलेक्स के निर्माण के लिए विस्तृत डिजाइन, ड्राईंग तथा प्राक्कलन की तैयारी हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु निविदा दस्तावेज की तैयारी।

योजना/रिपोर्ट की तैयारी :

क) जारंगडीह ओसी माइन, कथारा एरिया, सीसीएल में, मौनसून सीजन के दौरान कोमार नदी के एगेन्स्ट में बैरियर के पर्याप्त ताकत के जानने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

ख) चूर्चा भू.ग. आरओ, बैकुण्ठपुर एरिया ग्राहक : एसईसीएल में एसिडिक माइन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए लागत प्राक्कलन के साथ योजना की तैयारी

ग) एआरटीटीसी, बीएसएमएल कैंपस, राँची में वर्तमान एसटीपी के रिवाइबल के लिए योजना की तैयारी

घ) केंदा एरिया, ईसीएल के एसटीपी के लिए योजना की तैयारी

ड.) कोरा ओसीपी, सीसीएल के लिए सतही जल प्रबंधन हेतु योजना

च) कोयला नगर, बीसीसीएल के लिए एसटीपी हेतु योजना की तैयारी

छ) खान जल एसटीपी, खादिया कॉलोनी, एनसीएल के लिए योजना की तैयारी

ज) दामोदर नदी जल, राजरप्पा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट सीसीएल इनरस के मुकाबले बचाव उाय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की तैयारी।

संरचनात्मक प्रर्याप्तता अध्ययन

क) केबी 10/12 पिट पीवी एरिया, बीसीसीएल के 10, 11, एवं 12 पिट में हेड गीयर का स्टेबलिटी विश्लेषण

ख) वीणा सीएचपी (डेशालिंग प्लांट सहित) एनसीएल का संरचनात्मक प्रर्याप्तता अध्ययन

ग) गिद्दी वाशरी, सीसीएल के विभिन्न संरचना एवं भवनों का संरचनात्मक प्रर्याप्तता अध्ययन

डिजाइन/ड्राईंग्स की संवीक्षा

क) सियारमल परियोजना, एमसीएल के लिए वसुन्धरा नदी के ऊपर तीन उच्च स्तरीय पुल का हेतु डीपीआर की संवीक्षा

ख) सोनपुर बजारी, ईसीएल के लिए ईटीपीएसटीपी हेतु डिजाइन ड्राईंग की जाँच

ग) मधुबंद तथा पाथरडीह, वाशरी, बीसीसीएल के ड्राईंग्स की जाँच

घ) सोनपुर बजारी सीएचपी, ईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राईंग्स की जाँच

ङ.) मधौली सब–स्टेशन एनसीएल के लिए डिजाइन/ड्राईंग्स की जाँच

च) मेडिकल साइन्स एवं रिसर्च, तालचर पैकेज–। के महानदी संस्थान के लिए एनबीसीसी द्वारा सुर्पुद किए गए फर्नीचर पैकेज के डीपीआर का वेटिंग

छ) 15 सीम, मूनीडीह, बीसीसीएल में उप–स्टेशन भवन तथा प्रशासनिक भवन के डिजाइन तथा संरचनात्मक विस्तृत विवरण की जाँच

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क) अनुसंधान एवं विकास परियोजन– बैक–फील्ड ओपेनकास्ट कोल माइन्स का निर्माणाधीन संरचनाएँ : व्यवहार्य मेथेडोलॉजी सुझाने का एक प्रयास।

गिद्दी वाशरी सीसीएल के लिए संरचनात्मक प्रर्याप्तता अध्ययन

जगन्नाथ एरिया, एमसीएल में प्रस्तावित कॉलोनी का ले-आउट

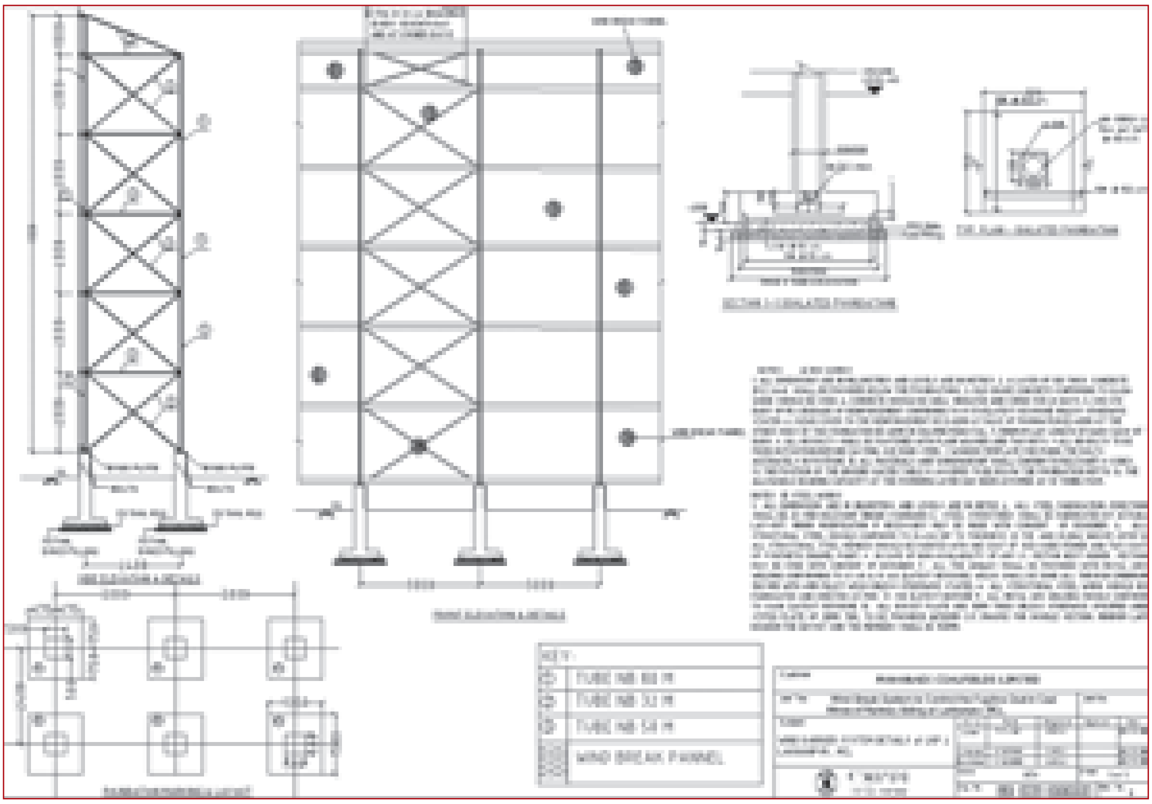

गेवरा ओसीपी, एसईसीएल के लिए विण्ड बेरियर का डिजाइन

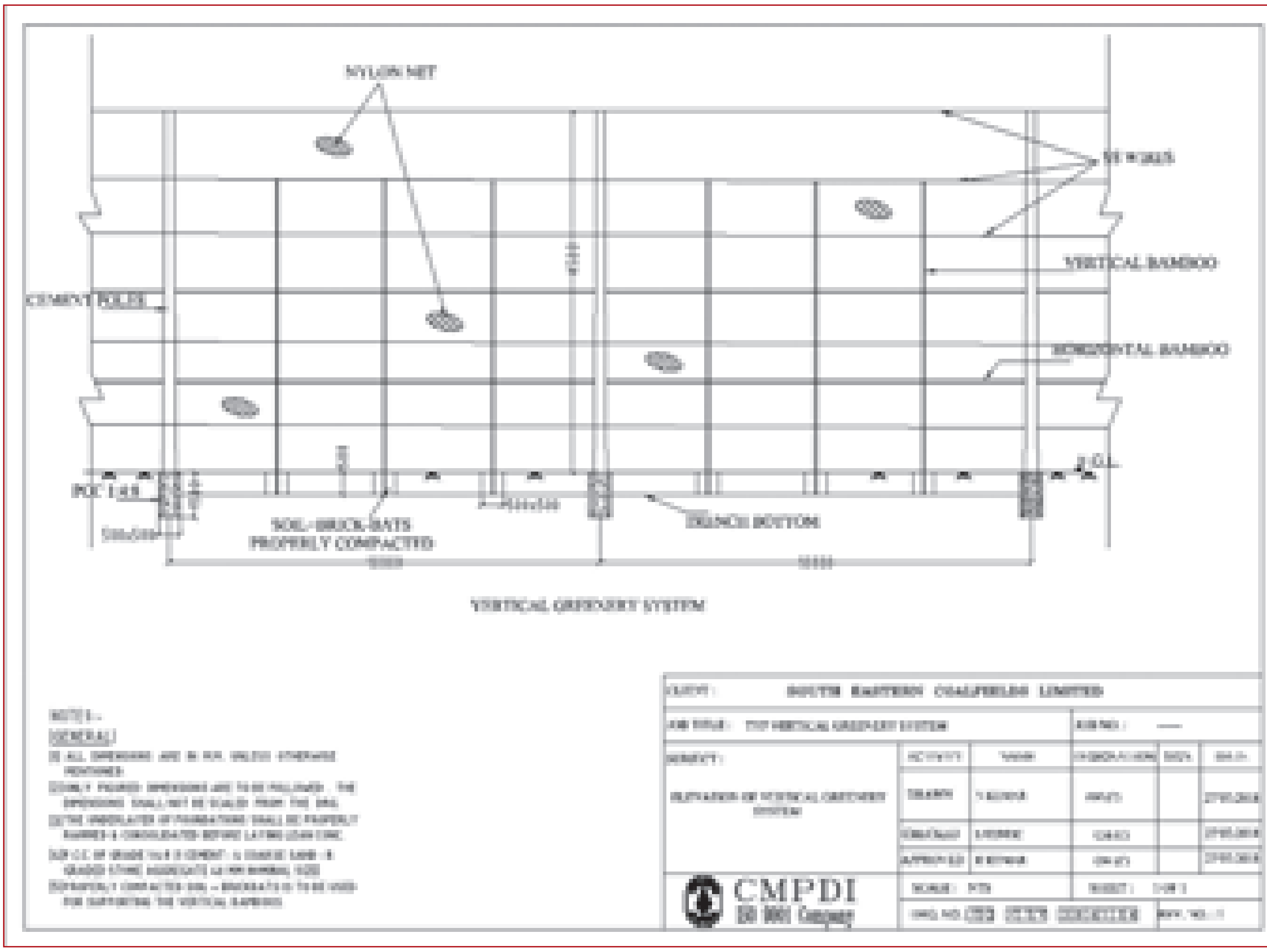

गेवरा ओसीपी, एसईसीएल के लिए वर्टिकल ग्रिनरी सिस्टम का डिजाइन

4.2 विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ :

वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित कार्य किए गए:

4.2.1 माइन प्लानिंग (आधारभूत संरचना)

- **परियोजना रिपोर्ट की तैयारी :**

क) एनटीपीसी का मन्दाकिनी बी कोयला ब्लॉक (कोल इंडिया से बाहर परामर्शी कार्य) गारे पेल्मा सेक्टर IV/4, ओसीपी, हिण्डालको तिराप ओसीपी, (एनईसी) मन्दार पर्वत ब्लॉक बीसीसीएल तथा राम नगर इन्दीकाटा, सेल

4.2.2 कोल हैंडलिंग प्लांट

➢ **ई-निविदा दस्तावेज की तैयारी:**

जेवीआर ओसीपी का सीएचपी तथा के के ओसीपी का सीएचपी, एसईसीएल (कोल इंडिया से बाहर परामर्शी कार्य), जयंत इन्क्रीमेंटल सीएचपी (15 एमटीपीए इन्क्रीमेंटल), दधीचुआ इन्क्रीमेंटल फेज-।। सीएचपी (10एमटीपीए)एनसीएल मानिकपुर सीएचपी, एसईसीएल, हुरा सी सीएचपी (3.0एमटीपीए), कोटाडीह सीएचपी (1.0एमटीपीए) ईसीएल तथा कोनार सीएचपी (8.0एमटीपीए) सीसीएल.

➢ **सीएचपी'एस/वर्कशॉप/सब-स्टेशन के ड्राईग्स की संवीक्षा/अनुमोदन**

कृष्णशीला मुख्य सीएचपी, खादिया फेज-।। (6.0 एमटीपीए) सीएचपी, खादिया वर्कशॉप कृष्णशीला वर्कशॉप, एमसीएल, गेवरा ओसीपी एक्सपेंसन 25 मी.ट.प्र.व. सीएचपी (इनपिट क्रशिंग सिस्टम) केवल मैक्नीकल पार्ट एसईसीएल तथा 132/33 केवी 3 एक्स 40 मधौली सब स्टेशन की शिफिंग.

4.2.3 वर्कशॉप तथा स्टोरः ई-निविदा दस्तावेज की तैयारी

50 मी.ट.प्र.व. कुसमुण्डा ओसीपी का कुसमुण्डा वर्कशॉप, 70 मी.ट.प्र.व. गेवरा वर्कशाप एसईसीएल तथा अमलोरी वर्कशॉप, एनसीएल के लिए एनआईटी

4.2.4 एफबीसी आधारित पावर प्लांट :

2x10 मेगावाट मूनिडीह सीपीपी बीसीसीएल के लीज के के लिए ड्राफ्ट बिड दस्तावेज

4.2.5 ऊर्जा अंकेक्षण तथा बैंच मार्किंग

- **सीएमपीडीआईएल द्वारा निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों के लिए कोल इंडिया की सत्तर (70) ओपेनकास्ट माइन्स हेतु वार्षिक डिजल बैंच मार्किंग**

  बीसीसीएल का 14 ओसीपीएस, सीसीएल का 30 ओसीपीएस, ईसीएल का 08 कोसीपीएस, एमसीएल का 12 ओसीपीएस एमसीएल का 10 ओसीपीएस, एसईसी 14 ओसीपीएस

- **निम्नलिखित के लिए डीजल की खपत का विस्तृत डिजल बैंच मार्किंग तथा उपकरणवार निर्धारण**

  बीसीसीएल के धनसार विशकर्मा ओसीपी तथा डब्ल्यूसीएल के उकमी ओसीपी तथा अमरेर ओसीपी का विसतृत डिजल अंकेक्षण तथा बैंच मार्किंग

- **निम्नलिखित के लिए विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण तथा बैंच मार्किंग**

  खादिया ओसी, एमसीएल तथा कार्यालय कम्प्लेक्स एवं आवासीय कम्पलेक्स, कोल इंडिया, मुख्यालय

4.2.6 सोलर इनिसियेटिव

- 60 के डब्लयूपी की प्रतिस्थापित क्षमता के साथ क्षेत्रीय संस्थान–7 में सोलर रूफ टॉप प्लांट के लिए ई–निविदा दस्तावेज
- 174 के डब्ल्यूपी की प्रतिस्थापित क्षमता के साथ एमसीएल के लिंगराज एरिया के लिए सोलर रूफ टॉप पर रिपोर्ट
- 224 के डब्लयूपी प्रति स्थापित क्षमता के साथ एमसीएल के सीडब्ल्यूएस (ग) तालचर के लिए सोलन रूफ टॉप पर रिपोर्ट
- 225 के डब्ल्यूपी प्रतिस्थापित क्षमता के साथ एमसीएल के हिंगुला एरिया के लिए सोलर रूफ टॉप पर रिपोर्ट
- 139 के डब्ल्यूपी प्रतिस्थापित क्षमता के साथ एमसीएल के जगन्नाथ एरिया के लिए सोलर रूफ टॉप पर रिपोर्ट
- सीएमपीडीआई, मुख्यालय में 150 के डब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर प्लांट पर रिपोर्ट

4.2.7 अन्य रिपोर्ट

- अमलोरी ओसीपी, एमसीएल में नये तपोवन सब स्टेशन के लिए ग्रिड अर्थिंग प्लान की डिटेल डिजाइन
- ईसीएल, खाकदया अब्हपह, एमसीएल, केंदा ईटीपी, ईसीएल, तथा चुर्चा ईटीपी एसईसीएलमें 33/3.3 केवी, 2 एक्स 3, एमवीए कुमारडीह–बी स्टेशन के लिए ई निविदा दस्तावेज की तैयारी

4.2.8 निरीक्षण सेवाएँ

- निर्यात के कार्य पर कोल इंडिया की सभी अनुषंगियों द्वारा खरीद किए गए प्लांट एवं मशीनरी के लिए पूर्व प्रेषण निरीक्षण सेवाँ
- सीएमपीडीआई द्वारा की गई सेवाओं से अर्जित राजस्व वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग 2.28 करोड़ रू. है।

4.2.9 एनडीटी (अनाशक परीक्षण) कार्य :

- सीएमपीडीआई द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान किए गये एनडीटी कार्य परिशिष्ट–1 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

4.2.10 अन्य मुख्य कार्य :

- लिंगराज ओसीपी, एमसीएल में सिलो के नीचे कोलेप्सेबुल ओएचई के डिजाइन के लिए किया गया कार्य
- बीएसएनएल एसटीपी के रिवाइवल के लिए योजना
- पाथरडीह वाशरी, बीसीसीएल को फीड करने के लिए 2x330 मी. हम्बे 3ट्रेक हॉपर हेतु योजना
- सीएमपीडीआई, मुख्यालय में व्हेकिल हिंग के लिए टेंडर को ई–एन आईटी तथा अंतिम रूप देने की तैयारी
- ईएंडएम विभाग, सीएमपीडीआईएल, मु. में गुणवत्ता एवं डाटा संवीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीडीआई के आईएसओ प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन
- ईएंडएम विभाग सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तथा एन्टी ब्राइबरी सिस्टम का कार्यान्वयन

परिशिष्ट – I

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीएमपीडीआई, मुख्यालय द्वारा किए गए कार्य :

क्र.सं.	जॉब संख्या	परियोजना	एनडीटी कार्यों का विवरण	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1.	014617089	जयंत प्रोजेक्ट	जयंत प्रोजेक्ट एमसीएल में सीएचपी की संरचना/कॉलम की एचडीटी	13.04.2018
2.	014617088	खादिया प्रोजेक्ट	खादिया प्रोजेक्ट, एमसीएल में पीएंडएच 1900 शॉवेल, बीई 195 शॉवेल तथा क्रेन्स की एनडीटी	24.04.2018
3.	014618020	कररी प्रोजेक्ट	काकरी प्रोजेक्ट एनसीएल में सीएचपी की एनडीटी	18.05.2018
4.	171806511	निगाही प्रोजेक्ट	निगाही प्रोजेक्ट एमसीएल का संरचना तथा कॉलम का एनडीटी पर रिपोर्ट	21.05.2018
5.	01461801	वीणा प्रोजेक्ट	विणा प्रोजेक्ट एनसीएल में 10/70 ड्रेग लाइन्स आरएएम तथा श्याम के एनडीटी पर रिपोर्ट	18.06.2018
6.	014317196	पिपरवार प्रोजेक्ट	अशोक पिपरवार प्रोजेक्ट तथा पिपरवार एरिया, जीसीएल में एचईएमएमएस के विभिन्न प्रकार की एनडीटी	12.07.2018
7.	014517155	दिपका प्रोजेक्ट	दिपका प्रोजेक्ट, दिपका एरिया एसईसीएल में मिनी सीएचपी तथा सिलोबेल्ट कन्वेयर स्ट	07.08.2018
8.	014618020	झिंगुरदाह प्रोजेक्ट	झिंगुरदाह प्रोजेक्ट, एनसीएल में स्ट्रक्चर/कॉलम का एनडीटी	9.8.2018
9.	014618019	जयंत ओसीपी/एरिया	जयंत ओसीपी, जयन्त एरिया में 15/90 ड्रेग लाइन (विजय) का एनडीटी	15.9.2018
10/1.	014518018	पाण्डव पारा कोलियरी, बैकुण्ठपुर एरिया	पाण्डव पारा कोलियरी बैकुण्ठपुर एरिया, एसईसीएल में स्ट्रक्चर/कॉलम का एनडीटी	15.9.2018
2.	014518018	झिलींमिली कोलियरी	झिलीहमली कोलियरी बैकुण्ठपुर एरिया, एसईसीएल में स्ट्रक्चर बंकर्स के स्ट्रक्चर/कॉलम का एनडीटी	5.9.2018
11.	01471720	लखनपुर एरिया	लखनपुर एरिया एमसीएल में कार्यरत 10 एक्ज केवेटर के लिए एनडीटी पर रिपोर्ट	23.8.2018
12.	014417195	दुर्गापुर ओसीएम, चन्दापुर एरिया	दुर्गापुर, चन्दनपुर एरिया डब्ल्यूसीएल में सीएचपी के स्ट्रक्चर/कॉलम का एनडीटी पर रिपोर्ट	29.9.2018
13.	01468019	दधिचुआ प्रोजेक्ट	दधिचुआ प्रोजेक्ट, एनसीएल में 24/96 ड्रेगलाइन की एनडीटी	10.1.2019
14.	01471712	भरतपुर एरिया	भरतपुर सीएचपी भरतपुर क्षेत्र, एमसीएल का एनडीटी	15.1.2019
15.			एमपीटी तथा यूटी नमूने के लिए आईएलसी परीक्षण	17.12.2018
16.	014718098	बेलपहार ओसीपी, लखनपुर एरिया	बेलपहार ओसीपी लखनपुर एरिया में 02 सीएचपी का एनडीटी	2.3.2019
17/1.	014618019	जयन्त प्रोजेक्ट	जयंत प्रोजेक्ट, एनसीएल में बीई–195 3 शॉवेल की एनडीटी	2/3.1.19
17/2.	104618019	जयन्त प्रोजेक्ट	जयंत प्रोजेक्ट, एनसीएल में 24/96 ड्रेग लाइन (गंगा) का एनडीटी	2/3.1.19
18.	014618019	जयन्त प्रोजेक्ट	जयंत प्रोजेक्ट, एनसीएल में 24/96 ड्रेगलाइन (यमुना) का एमडीटी	3.1.2019
19.	014718017	भरतपुर आरएलएस	भरतपुर ओसीपी एमसीएल के आरएलएस का एनडीटी	16.1.2019
20.	014718162	लखनपुर, एरिया	भरतपुर ओसीपी, लखनपुर एरिया, एमसीएल के 6 शॉवेल घटकों का एनडीटी	28.1.2019
21.	014218182	पीबी प्रोजेक्ट	पीबी कोलियरी पीबी के पिट नम्बर 2 (एरिया बीसीसीएल के पिट नम्बर 2 (ईस्ट तथा वेस्ट) के वाइन्डिंग घटकों का एमडीटी	12.2.2019
22.	014718181	नन्दिरा कोलियरी तालचर एरिया	नन्दिरा कोलियरी तालचर एरिया, एमसीएल में लगाए गए चेचर लिफ्ट, में राइडिंग सिस्टम के घटकों का एमडीडीटी पर रिपोर्ट	6.3.2019
23.	014418061	मुरपार उमरेर एरिया	मुरपार सीएचपी, उमरेर सीएचपी, उमरेर एरिया, डब्ल्यूसीएल के स्ट्रक्चर/कॉलम का एनडीटी पर रिपोर्ट	8.3.2019

4.3 नगर अभियंत्रण सेवाएँ :

विवेच्य वर्ष 2018–19 के दौरान दी गई सेवाओं में मेंटेनेंस, कन्शट्रक्शन तथा इस्टेट से संबंधित कार्य इसमें शामिल है :

1. भवनों जैसे : कार्यालय भवन, आवासीय स्टाफ क्वार्टर का रख–रखाव, आवश्यक बागवानी कार्य सहित स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण तथा रख–रखाव एवं सफाई का मेंटेनेंस
2. कार्यालय से संबंधित सभी विद्युत इलेक्ट्रानिक एवं यांत्रिक उपकरणों का रख–रखाव तथा इसकी इन्वेन्टरी का मेंटेन करना
3. कार्यालय की कुर्सियों का मेंटेनेंस
4. आवश्यक कदम उठाते हुए जलापूर्ति की व्यवस्था
5. विद्युत का संरक्षण तथा बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए विद्युत का प्रबंधन
6. बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जल कर बिल तथा अन्य सांविधिक भुगतान के लिए प्रस्तावों की सुपुर्दगी तथा रसीद चेकिंग सुनिश्चित करना
7. नगर–निगम जैसे स्थानीय निकायों के साथ संपर्क

वर्ष 2018–19 के दौरान पूंजीगत कार्य, चालू मरम्मती कार्य, विशेष मरम्मती कार्य तथा सीएसआर कार्य के अंतर्गत पूरे कए गए तथा चालू कार्यों की सूची निम्नलिखित है :

क्र.सं	कार्यों का नाम	कार्य मूल्य
	पूरे किए गए कार्य	
1	राँची (सचिदानन्द सिंह) अंचल शिशु आश्रम में टॉयलाट एवं कीचन का निर्माण	10.48
2	पतरागोंदा, राँची में अक्षर चैरिटेबुल ट्रस्ट में वाउण्डरी का निर्माण (सचिदानन्द सिंह)	6.85
3	सीएमपीडीआई, कम्पलेक्स, काँके रोड, राँची में क्लास रूम का निर्माण (गोविन्द राय)	17.35
4	ब्रज किशोर नटराजन बालिका विद्यालय, बरियातु, रांची के प्रथम तल का निर्माण (गोविन्द राम)	19.52
5	सीएमपीडीआई, मु.,राँची में आवासीय क्वार्टर एबीजीडीएफएच की आंतरिक पेंटिंग (राकेश कुमार)	31.39
6	सीएमपीडीआईएल कार्यालय भवना, रांची में वर्तमान 75 टयूबलाइट फिटिंग के प्रतिस्थापन के रूप लेड टयूबलाइट फिटिंग की आपूर्ति एवं उसे लगाना (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	7.02
7	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में एक वर्ष के लए पम्प का ऑपरेशन तथा मेंटेनेन्स सहित गंदे जल ट्रीटमेंट प्लांट का ऑपरेशन तथा रखरखाव (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	6.76
8	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची में सब स्टेशन के लिए केपेसिटर बैंक (ऑरोमेटिक पावर फेक्टर कोरेक्शन पेनल सिस्टम) की इन्टर प्राइजेज)	2.95
9	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची का अपकीय वर्क्स (नया बजरंग)	105.54
10	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में आवासीय क्वार्टर के लिए सिविल इंजीनियरिंग कार्य हेतु मेन्टेनेंस कॉन्ट्रेक्ट (यूनिवर्सल वाटर प्रूफिंग)	77.40
11	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई में आवासीय क्वार्टर तथा कार्यालय भवन हेतु मच्छड़ नियंत्रण तथा इन्टीटरमाइट ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रेक्टर (ट्रुली पेस्ट)	6.65
12	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय कम्पलेक्स में मौसमी प्लांट (इनडोर एवं आउटडोर) का मेन्टेनेंस सहित गार्डेन के लिए वार्षिक मेंटेनेंस कार्य (गणेश कर्मकार)	53.32

	जारी कार्य	
1	सीएमपीडीआईएल कॉलोनी का सीवरेज लाइन का पुनर्व्यस्थापन (एसएस कन्स्ट्रक्शन)	62.37
2	आवासीय क्वार्टर सीएमपीडीआईएल एनटीएल, बरकाकाना कॉलोनी की विशेष मरम्मती तथा रख–रखाव का कार्य (एसएस कन्ट्रक्शन)	81.79
3	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय रांची का अप–कीप वर्क्स (नया बजरंग कन्स्ट्रक्शन)	131.25
4	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई में आवासीय क्वार्टर तथा आवासीय भवन के लिए मच्छड़ नियंत्रण तथा एंटी टरमाइट हेतु मेंटेनेंस कॉन्ट्रक्टर	6.08
5	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय कैम्पस रांची में मौसमी प्लांट (इनडोर एवं आउटडोर का मेंटेनेंस सहित गार्डेन के लिए वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रेक्ट (ग्रीन इंडिया)	50.33
6	सीडीएस, बरकाकाना में विशेष मरम्मती तथा रख–रखाव कार्य (वी के जैन)	59.00
7	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची में आवासीय क्वार्टरों के लिए सिविल इंजीनियरिंग कार्य हेतु मेंटेनेंस कान्ट्रेक्ट (किवटेक इन्टर प्राइजेज)	76.00
8	सीएमपीडीआई कॉलोनी, राँची में एबी टाइप तथा सी टाइप क्वार्टर के लिए वितरण संबंधी पेनल का प्रति स्थापन (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	18.42
9	सीडीएस, बरकाकाना कॉलोनी के ए एवं सी टाइप के क्वार्टरों का (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर) रिवायरिंग	9.59
10	सीएमपीडीआई कॉलोनी, रांची में बी टाइप, सी टाइप तथा डी टाइप क्वार्टरों का रिवायरिंग (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	190.76
11	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई कम्पलेक्स, रांची (आवासीय तथा गैर आवासीय दोनों) का विद्युत मेंटेनेंस कार्य (जय इलेक्ट्रीकल सेंटर)	45.09
12	आरएंडडी भवन सीएमपीडीआईएल, कम्पलेक्स, कांके रोड, रांची के ऊपर सीबीएम लैब के लिए हॉल का निर्माण (गोविन्द राय)	15.89
13	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची में 2 साइन्सिफिटिक भावरियेटर के लिए कवर्ड पार्किंग का निर्माण (गोविन्द राम)	10.58
14	सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची में भू. तकनीकी प्रयोगशाला के लिए भवन का निर्माण (गोविन्द राम)	18.44
15	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में 2,11 के.वी.आउट डोर किसोक की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन	16.51

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजना

5.1 कोयला मंत्रलय द्वारा वित्त प्रदत्त एसएंडटी परियोजना

5.1.1 कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) क्रिया–कलापों को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के जरिए प्रशासित किया जता है। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) सिंगरौनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तथा एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशायल (डीजीएमएस) के महानिदेशक, संबंधित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर) प्रयोगशाला परिषद् के निदेशक, एसएंडटी के विभाग के प्रतिनिधि, नीति आयोग के प्रतिनिधि संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एसएसआरसी का प्रमुख कार्य अनुसंधान परियोजनाओं की योजना बनाना, कायक्रम एवं बजट तैयार करना और पर्यवेक्षण करना तथा किए गए आरएंडडी कार्यों के निष्कर्ष का अप्लिकेशन माँगना है।

5.1.2 एसएसआरसी की सहायता सीएमडी, सीएमपीडीआई की अध्यक्षता वाली तकनीकी उप–समिति करती है। यह समिति कोयला खानों में उत्पादन उत्पादकता तथा सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण आदि से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव पर विचार (डील) करती है।

5.1.3 सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान कार्यों के लिए दबाव वाले क्षेत्र की पहचान, उन एजेंसियों की पहचान जो चिन्हित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर सकती है, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा एवं कार्यवाही, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मानिटरिंग आदि शामिल हैं।

1.	शुरू की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2019 तक)	395 नग
2.	पूरी की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2019 तक)	325 नग

5.1.4 वर्ष 2017-18 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन

क) भौतिक कार्यनिष्पादन

वर्ष 2017–18 के दौरान कोयला एसएंडटी प्रोजेक्ट की स्थिति इस प्रकार है (परिशिष्ट–ए)

01.04.2017 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	-	17
एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ	-	05
पूरी की गई परियोजनाएँ	-	12 + 1* (एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित। परियोजना एमओसी से मंजूरी पत्र प्रवीक्षत)
एसआर सी द्वारा अनुमोदित परियोजना	-	1* (मंजूरी पर एमओसी से प्रवीक्षित)

ख. बजट प्रावधान

बजट प्रावधान एवं वास्तविक खर्च नीचे की तालिका में दृष्टव्य है :

करोड़ रू. में

2017 -18			2018 -19		
आरआई	एमओसी से वित्त प्राप्त	वास्तविक	एमओसी से वित्त प्राप्त	एमओसी से वित्त प्राप्त	वास्तविक
10.0	8.80	11.50* (अन अंकेक्षित)	25.0	24.19	24.23* (अन अंकेक्षित)

परिशिष्ट-ए

वर्ष 2018-19 के दौरान कोयला मंत्रलय द्वारा अनुमोदित वित्त प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

क्र सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1	1. कन्टीन्यूअस माइनर्स (फेज I I) के साथ इस्तेमाल के लिए 500 टी क्षमता सेज का विकास एवं फिक्सड परीक्षण	इन्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) आईएसएम, धनबाद, एससीसीएल, कोठगोदाम, मेसर्स आन्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (एपीएचएमईएल) विजयबाड़ा तथा मेसर्स जयभारत उपकरण प्राइवेट लिमिटेड (जेबीईपीएल) हैदराबाद	396.69

वर्ष 2018-19 के दौरान कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा अनुमोदित वित्त प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

क्र सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन तथा सेल्फ एडवान्सिंग (मोबाइल) गोफ इंजीनियरिंग सपोर्ट (एसएजीईएस) फेज–II) का कार्य निष्पादन बिहेवियर	आईआईटी–आईएसएम तथा मेसर्स जय भारत उपकरण प्राइवेट लि. (जेबीईपीएस), हैदराबाद	73.27
2	कोल इंडिया की परिव्यक्त खानों में मछली पालन को प्रौन्नत करने के लिए उपयुक्त एवं लागत प्रभावी माइन रिक्ति इको प्रणाली का विकास तथा माइन वाटर पर्यावरण का मूल्यांकन	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) राँची तथा सीएमपीडीआईएल, राँची	224.27
3	सीसीएल में कोयला संसाधनों के रूफ हेजार्ड मानचित्र का विकास तथा डीपर हेजार्ड में होरीजेन्टल स्ट्रेस का मूल्यांकन	सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) काठगोदाम तथा नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ रॉक मेकनिक (एनआईआरएम) बैंगलूरू	358.40
4	कोयला कामगारों के फेफड़े रोग पर कोयला माइन बायो उपलब्ध आइरन (बीएआई) का संभव इम्प्लीकेशन	नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ माइनर्स हेल्थ (एनआईएमएच) नागपुर, प्रियदर्शनी इन्स्टीच्यूट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (पीआईइटी) नागपुर, सेंट्रल इंडिया इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, (सीआईएमएस) नागपुर तथा वेस्टर्न कोलफिल्ड लि. (डब्ल्यूसीएल), नागपुर	96.54
5	कोयला से अशुद्धता को दूर करने के लिए कोयला वाशरियों में जल की खपत को अनुकूल बनाने के लिए वाटर नेटवर्क डिजाइन	आईआईटी, रूड़की, सीएमपीडीआईएल तथा सीसीएल, राँची	24.94

5.2 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड/कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए प्रत्येक 5.0 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 25.0 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली

विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है तथा कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड प्रत्येक आरएंडडी कार्य के लिए 50 करोड़ रूपये तक मंजूरी देने में समर्थ है।

1	(31.3.2019 तक) किए गए आरएंडडी प्रोजेक्ट की संख्या	90
2	(31.03.2019 तक) पूरी की गई परियोजना की संख्या	61

वर्ष 2018–19 के दौरान कोल इंडिया आरएंडडी प्रोजेक्ट की स्थिति इस प्रकार है :

1.	1.042018 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	21
2.	2018–19 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ	04
3.	वर्ष 2018–19 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ	शून्य
4.	1.4.2019 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	25

परिशिष्ट-बी

वर्ष 2018-19 के दौरान कोल इंडिया आरएंडडी प्रोजेक्ट के लिए कोष का वितरण 13.57 करोड (अन अंकेक्षित) है। वर्ष 2018-19 के दौरान अनुमोदित कोल इंडिया लिमिटेड (कोल इंडिया) द्वारा वित्त प्रदत्त आरएंडडी परियोजनाएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1	कोल इंडिया लिमिटेड (कोल इंडिया) के दो ड्रेग लाइन पर वेलिडेसन अध्ययन तथा पूरे दो वर्षों तक ड्रेग लाइन डम्प के अंतर्गत फिरियरिक सतह का डेलिनेशन के साथ ड्रेग लाइन डमप के ऊपर शॉवेल डम्पर डम्प के सभी टायरों की डिजाइन के लिए दिशानिर्देष का विकास	बीआईटी, मेसरा तथा एसएंडआर डिविजन	75.30
2	संसाधन के प्राक्कलन के लिए इनवर्सकन्टी न्यूअस वेयर लेट ट्रांसफार्म डिकोनोवोम्यूशन (आईसीडब्ल्यूटी– डिकोन का इस्तेमाल करते हुए थिम कोयला सीमों का आइडेंटीफिकेशन एवं तथा वैज्ञानिक डाटा प्रोसेसिंग इन्टप्रिटेशन	गुजरात इनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट (जीईआरएमआई) 249.02 गाँधी नगर, गवेषण डिवीजन, सीएमपीडीआईएल, राँची	249.02
3	विस्तृत सक्षम स्ट्राटा : वे लीडेशन अध्ययन के नीचे अंडर ग्राउंड से कोयला निकालने के दिशानिर्देष की डिजाइन	डब्ल्यूसीएल, नागपुर एवं सीआईएमआर, धनबाद	407.685
4	डिगबोई वन डिविजन के माकुम कोल फिल्ड एरिया का ओचिर्ड फ्लोरा का रिजोषेशन	रेन फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आरएफआरआई) जोरहाट एवं एनईसी मार्घेरिटा	45.14

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला

वर्ष 2018–19 के दौरान 11 कोयला क्षेत्रों से 28 गवेषण ब्लॉकों से बोर होल कोर कोयला का गुण–निर्धारण किया गया। कुल 11,430 मी. कोयला कोर संसाधित किया गया तथा 26,555 नमूने का विश्लेषण किया गया। नागालैंड, हिण्डालकों ग्रूप, मेघालय तथा रिकाक कोयला क्षेत्र के चानगकी ब्लॉक से प्राप्त कोयला नमूनों पर रासायनिक विश्लेषण इसमें शामिल है।

6.2 कोयला पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला

वर्ष 2018–19 के दौरान 17 कोल फिल्ड्स 38 गवेषण ब्लॉकों से प्राप्त बोर होल कोयला के लिए कोयले का गुण–निर्धारण किया गया। मेसरल निर्धारण तथा रिफ्लेक्टेशन अध्ययन के 900 कोयला नमूनों का विश्लेषण

किया गया। गवेषण ब्लॉक, वाशरी प्रोडक्ट तथा सीबीएम सेल से प्राप्त कोयला नमूनों पर पेट्रोग्राफिक अध्ययन इसमें शामिल है।

स्केनिंग इल्क्ट्रोन माइक्रोस्कोप से माइक्रोक्लीट अध्ययन के लिए कुल 25 कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया।

6.3 कोल प्रिपरेशन लेबोरेटरी

कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के कोंकिंग तथा गैर–कोकिंग दोनों के लिए (प्रोक्सी मरे विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, कोकिंग प्रोपटीज इत्यादि सहित) वाशिब्लिटी विश्लेषण में कोयला लेबोरेटरी लगा हुआ है। यह विश्लेषण बोर कोर कोल नमूनों तथा आरओएम कोयला नमूनों पर किया गया, जिसका विश्लेषण वर्ष 2018–19 के दौरान किया गया है, नीचे द्रष्टव्य है :

क) बोर कोर कोयला नमूना–वाशेबलिटी विश्लेषण के लिए 31 नमूनों का जॉब किया गया।

ख) आरओएम कोयला नमूना वाशेबिलिटी विश्लेषण, प्रोक्सीमेट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई कोकिंग प्रोपटीज इत्यादि के लिए एक नमूनों का परीक्षण किया गया।

6.4 कोल बेड मिथेन (सीबीएम) लेबोरेटरी

8 बोर होल, कोयला तथा 3 बोर होल के लिए शेल हेतु एडसोर्पिन इसोथर्म (एआई) जैसे संदर्भित अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। सीसीएल की विभिनन कोलियरियों से प्राप्त 620 एयर माइन नमूनों का विश्लेषण पूरा कर लिया गया है तथा परिणाम सुपुर्द किया जा चुका है।

6.5 माइनिंग लेबोरेटरी

रॉक मेकनिक टेस्टिंग

1 320 मी.के ड्रिल कोर नमूनों का फिजियोमेक्नीकल प्रोपटीज के लिए परीक्षण किया जा चुका है।

2 कोल इंडिया/गैर–कोल इंडिया के विभिन्न ब्लॉक के 8 बोर होल का भौतिक–यांत्रिक प्रोपरटीज के परिणाम पर रिपोर्ट

संस्तर नियंत्रण अध्ययन

1. 11 माइन/सीमों के लिए सुपुर्द रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)/विशेषीकृत ग्रेविटी/सामर्थ्यता अध्ययन के स्टीड पर रिपोर्ट।

2. आरएमआर अध्ययन के लिए स्ट्रेंथ प्रोपरटीज, स्लेक डयूरेबिलिटी इन्डेक्स, तथा धनत्व हेतु (12) रूफ रॉक नमूनों पर रॉक परीक्षण

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ

7.1 ईआईए/ईएमपीएस

कोल इंडिया की परियोजनाएँ

वर्ष 2018–19 के दौरान पर्यावरणिक विभाग ने 60 फार्म–। तथा 24 ड्राफ्ट ईएमपीएस तैयार किया।

बाहरी परियोजनाएँ

वर्ष 2018–19 के दौरान पर्यावरण विभाग ने निम्नलिखित प्रोजेक्ट तैयार किया :

- मेसर्स ओएमसीलि. के बैतरनी वेस्ट का ईआईए/ईएमपी
- एआरटीटीसी कैम्पस, बीएसएमएल, राँची के एसटीपी का रूपांतरण
- यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी में खान लीज के लिए वैज्ञानिक सेंड प्रतिस्थापन अध्ययन
- वीएसटीपीएस,एनटीपीसी से गोरबी माइन में फ्लाईऐस स्पिोजल का ईआईए/ईएमपी का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा यह प्रगति पर है।

7.2 वायु, जल एवं ध्वनि का पर्यावरणिक मॉनीटरिंग

एमओईएफ जब एक बार किसी खनन परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी जाती है तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मॉनीटरिंग करने की जरूरत पड़ती है।

विवेच्य वर्ष 2018–19 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत तथा राँची स्थित 9 पर्यावरणिक प्रयोगशाला के माध्यम से कोल इंडिया (ईसीएल–100, बीसीसीएल–69, सीसीएल–72, डब्लयूसीएल–86, एसईसीएल–78, एनसीएल–10 तथा एमसीएल–26) का 441 परियोजना/संस्थापन का पर्यावरणिक मॉनीटरिंग किया गया है।

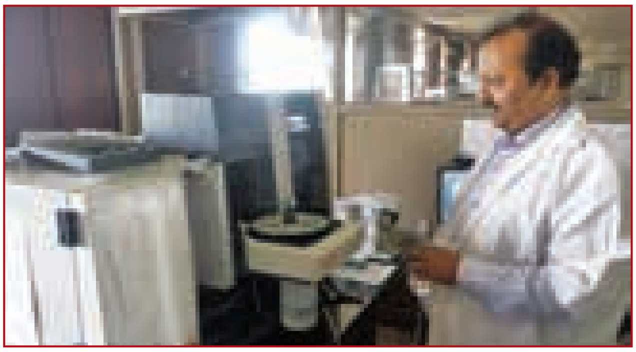

सीएमपीडीआई, मुख्यालय में पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण लैब

मुख्यालय में जल-नमूनों का विश्लेषण

7.3 परामर्शी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता

खुली खदान/भूमिगत खनन क्षेत्र, ताप एवं कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों के खनन के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी) द्वारा सीएमपीडीआई को ईआईए परामर्शदाता संगठन के रूप में पुनः मान्यता दी गई है। सीएमपीडीआई ईआईए तथा ईएमपी की तैयारी के लिए सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता संगठन (एजीओ) है तथा इसके पास 12 फंक्शनल एरिया तथा तीन सेक्टर में 90 अनुमोदित विशेषज्ञ है।

7.4 सीएमपीडीआई पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता

नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन आफ लेबोरेटरी (एनएबीएल) ने सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 एवं क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर के पर्यावरण प्रयोगशाला को पुनः मान्यता प्रदान कर दी है।

7.5 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी/एसटीपी/एएमडी (आईडब्ल्यूएसएस) योजनाएँ

विवेच्य वर्ष के दौरान छःह योजनाएँ तथा निविदा दस्तावेज तैयार की गई।

7.6 सीमएपीडीआई को एमओसी द्वारा भेजे गए कोलया ब्लॉक के लिए माइन क्लोजर प्लान पर चेक-लिस्ट की जाँच तथा त्वरित टिप्पणी

विवेच्य वर्ष के दौरान 31 माइन क्लोजर प्लान की संवीक्षा की गई तथा टिपपणी एमओसी को भेज दी गई।

7.7 माइन क्लोजर स्टेट्स रिपोर्ट

विवेच्य वर्ष के दौरान 9 माइन क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई।

7.8 माइन कलोजर गतिविधियों की मॉनीटरिंग

इस्क्रो लेखा से प्राप्त प्रतिपूर्ति के लिए 85 खान हेतु माइन क्लोजर गतिविधियों की मॉनीटरिंग की जा चुकी है।

7.9 ढाल स्थायित्व/भू-क्षरण नियंत्रण अध्ययन/नाला डायवर्सन

खुली खानों के लिए ढाल स्थायित्व की आवश्यकता तथा भू–क्षरण नियंत्रण अध्ययन की आवश्यकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई पर्यावरण एवं वन स्वीकृति एक शर्त है। तदनुसार 24 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाईवॉल के अल्टीमेट स्लोप एंगल का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

इसके अतिरिक्त कोयला परियोजनाओं के 1 भू–क्षरण नियंत्रण अध्ययन पूरी की गई।

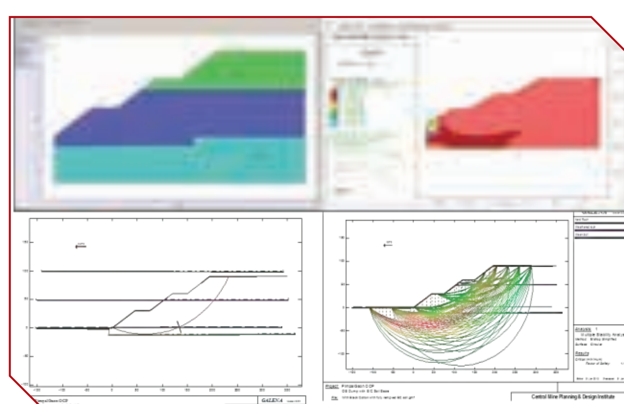

एफएसएसी एवं गैलना का प्रयोग कर ओबी डम्प का टिपिकल स्लोप स्टेविलिटी विश्लेषण

7.10 एप विकास

ग्रीन सीआएस तथा कोल जल के लिए सहायक कंपनियों से आँकड़ा एवज करने हेतु मोबाइल एप के विकास में पर्यावरण विभाग लगा हुआ है। कोल जेलएमएमओसी को सुपुर्द कर दिया वहाँ दूसरी ओर प्लांटेशन डॉटा की जाँच प्रगति के तहत है। ग्रीन कोल इंडिया एप में प्लांटेशन डाटा की जाँच प्रक्रिया के अंतर्गत है।

7.11 विशेष अध्ययन एवं एसएंडटी/आरएंडडी अध्ययन :

- गेवरा ओसीपी के लिए विभिन्न खनन गतिविधियों से प्राप्त फ्यूगेटिव धूल के अनुपात का नियंत्रण करने के लिए वाइन्ड ब्रेक (डब्ल्यूबी) तथा वर्टिकल ग्रेमेरी सिस्टम के विश्वास की नोवल अवधारणा डिजाइन की गई है। इस प्रणाली में सोर्स के लिए डाउनवार्ड डाइरेक्शन में वीजीएस तथा डस्ट ग्रेनेरिंग सोर्स से अपवार्ड में वाइन्ड ब्रेक सिस्टम लगाया जाता है जहाँ केवल पानी छिड़काव का पारंपरिक सिस्टम प्रभाव नहीं होता है।
- पर्यावरणिक क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकता के अनुसार कोल इंडिया में पहली बार के लिए समलेश्वरी ओसीपी तथा एमसीएल का सियारमल ओसीपी के केयेरिंग क्षमता का अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया।
- पर्यावरणिक क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार, पर्यावरण विभाग सीएमपीडीआईएल द्वारा जयंत ओसीपी, एनसीएल, जगन्नाथ ओसीपीएम सीएल का संचित एक्यूआईपी संचालित किया गया।
- एमसीएल के लखनपुर फेज–।।, ओंसीपी के लिए रिवरीनीको रिस्टम की केयेरिंग क्षमता पर अध्ययन कोल इंडिया में पहली बार पूरा कर लिया गया।
- पुनरूद्धारित ओपेन कास्ट माइन पर सस्टेनेबुल लाइबलिबुड गतिविधियाँ : सीएमपीडीआईएल बीसीसीएल तथा टेरी नई दिल्ली द्वारा भारतीय कोयला सेक्टर में संभव रिप्लीकेशन के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित समेकित एप्रोच।
- सीएमपीडीआईएल, सीसीएल तथा बीएयू, राँची द्वारा कोल इंडिया की परिव्यक्त कोयला खानों में प्रथम कलचर को प्रोमेट करने के लिए खनन जल पर्यावरण तथा उपयुक्त एवं लागत प्रभावी रिक्त एक्वाइको सिस्टम के विकास का मूल्यांकन
- बीसीसीएल की खानों के लिए रोड द्वारा कोंयला ढुलाई घटाते हुए प्रतयेक वर्ष प्रदूषण लोड में कमी की मात्रा का विश्लेषण के लिए अध्ययन
- सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर तथा आईआईटी, मुम्बई द्वारा मुख्य बारहमासी नदी के लिए सभी पवर्ती ओपेन कास्ट माइन में गैर समूह ग्रेनुलर सिलो/सेंड को स्थिर करने के लिए भूतकनीकी तथा भूवैज्ञानिक से संबंधित जाँच।
- कोयला खानों में ओबी उम्प की ऊँचाई को बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देशों का विकास
- सेटेलाइट डाटा तथा ग्राउण्ड आवजवेशन का इस्तेमाल करते हुए कोल फील्ड एरिया में नियमित वायु क्वालिटी का मॉनटरिंग करने के लिए मेथेडोलॉजी का विकास करने हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा एयर मॉनीटरिंग स्टेशन तथा वायु प्रदूषण के सोर्स की पहचान फिक्स किया गया।

7.12 पर्यावरण प्रयोगशाला का ऑटोमोटेशन :

विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों द्वारा सृजित विश्लेषण डाटा का सीधे ट्राँसफर के लिए स्वचालित कार्य विकसित इन्ट्राडयूस्डर हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण मॉनीटरिंग रिपोर्ट की तैयारी में अपेक्षित समय तथा मैनपावर में कमी आई है।

7.13 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह :

5 जून, 2018 को मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह मनाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों के लिए ड्राईंग प्रतियोगिता, क्वीज प्रतियोगिता, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

8.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

घरेलू सपोर्ट उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के अपनी परामर्शी सेवा बढ़ाया है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुछ मुख्य कार्य किए गए जो इस प्रकार है

1. पूरे कोल इंडिया के लिए आईसीटी प्रभाग सीएमपीडीआई द्वारा निम्नलिखित केंद्रीकृत साफ्टवेयर विकसित तथा मेंटेंन किया जाता है।

   क) कन्ट्रेक्ट लेवर इन्फोरमेंशन पोर्टल क्लिप के लिए पोर्टल : विभिन्न अनुषंगी कंपनी में कन्ट्रेक्ट लेबर वर्किंग रजिस्टर करना।

   ख) वेब–सक्षम ऑन लाइन पीएमएस (कार्य–निष्पादन प्रबंधन प्रणाली)–ई–7 से ऊपर अधिकारियों के लिए पीआरआईडी।

   ग) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) का विकास तथा कार्यान्वयन।

   घ) कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस प्रणाली/विजीलेंस मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित तथा कार्यान्वित की गई है।

   ड.) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए ऑन लाइन वेब समर्थित वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न सिस्टम यह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत इसे कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया है।

   च) कोल इंडिया द्वारा फंड जमा करने के लिए बैंकर्स से डिपाजिट रेट आमंत्रित करने हेतु सीआईएल को समर्थ बनाने के लिए सीआईएल हेतु बैंक कार्ड रेट विकसित किया गया है।

   छ) अंडरग्राउंड तथा ओपेनकास्ट माइन मूल्यांकन निर्धारण प्रयोग विकसित कर लिया गया है तथा माइन क्षमता के निर्धारण की गणना करने के लिए सम्बद्ध डाटा तथा डाटा उपकरण की इन्ट्री के लिए उसी को लगाया गया है।

   ज) कोल ब्लॉक माइन डाटा से संबंधित सूचना देने के लिए ऑनलाइन कोल ब्लॉक सूचना प्रणाली अप्लीकेशन विकसित किया गया है।

झ) सुरक्षा क्लीयरेंस (एससी) तथा विभागीय क्लीयरेंस (डीसी) पोर्टल विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।

ञ) माइन डाटा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएमएल विकसित किया गया, जो कोल इंडिया द्वारा मॉनीटरिंग किए जा रहे प्रोसेस की साइलेंट फीचर्स को चित्रित करता है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य फीचर्स कोयला प्रोजेक्ट की प्रगति को मॉनीटर करता है, जो कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), सिलो एवं रेलवे साइडिंग जैसे पर्यावरण क्लीयरेंस (ईसी) वन क्लीयरेंस (एफसी) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं री–सेटलमेंट (आरएंडआर) वित्तीय पारामीटर्स, एचईएमएम उपलब्धि उत्पादन एवं अन्य मुख्य आधारभूत संरचना को जोड़ता है।

गैर–सीआईएल ब्लॉक को मॉनीटर करने के लिए प्राइवेट ब्लॉक आवंटी तथा भारित ऑथरिटी स्टोर करने के लिए खान डाटा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएल) साफ्टवेयर एक्सटेंड किया जा चुका है।

2. विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों के लिए ऑनलाइन भर्ती पोर्टल विकसित एवं कार्यान्वित किया जा चुका है :

क) कोल इंडिया के लिए ऑनलाइन चिकित्सा अधिकारी भर्ती का पोर्टल विकसित किया गया।

ख) एनसीएल के गैर–अधिकारियों के लिए ऑन लाइन भर्ती पोर्टल

ग) सीसीएल के गैर–अधिकारियों के लिए ऑन लाइन भर्ती पोर्टल

घ) एमसीएल के गैर–अधिकारियों के लिए ऑनलाइन भर्ती पोर्टल

3. सरल ईंधन विधान एप (एसईवीए) विकसित किया गया तथा यह कार्यरत है।

4. सीएमपीडीआईएल एमसीएल का वेबसाइट मेंटेन कर रहा है।

5. सीएमपीडीआईएल ने विवेच्य वर्ष के दौरान नया साइबर सिक्यूरिटी प्रोडयूस किया है तथा लगाया है।

6. सीएमपीडीआईएल को पूरे कोल इंडिया के लिए ई–ऑफिस के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है। केंद्रीकृत आधार भू–संरचना तथा एमपीएलएस सम्बद्धता सभी अनुषंगी लोकेशन स्थापित की गई है। सीआईएल, दिल्ली, सीआईएल, कोलकाता, आईआईसीएम, एनईसी, ई ऑफिस सभी लोकेशन पर चालू है।

8.1 एमओयू 2018-2019

सीएमपीडीआई के एमओयू 2018–19 के अनुसार ''एचआरएम रिलेटेड पारा मीटर क्रम सं.–7 (11) शीर्षक अंतर्गत लक्षित तिथि, पारामीटर की पूर्णता ''ऑन लाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) वित्त विभाग (ऑन लाइन कर्मचारी डाटा प्रशासन, कर्मचारी सेल्फ सर्विस, एक्सिट प्रक्रिया, टेलेंट मैनेजमेंट इत्यादि मिला हुआ) के साथ कार्यान्वयन तथा इन्टीग्रेसन उत्कृष्ट रेटिंग के लिए 15 दिसम्बर, 2018 निश्चित किया गया था। तद्नुसार, निम्नलिखित मॉडयूलको इन्टीग्रेट करते हुए 10 दिसम्बर, 2018 को ऑन लाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) विकसित किया गया है।

1. कार्यपालक सूचना प्रणाली मोडयूल
2. परिवार विवरण मोडयूल
3. एक्सप्रियेन्स/स्किल सेट मोडयूल
4. लर्निंग एवं डेवलपमेंट मोडयूल
5. कर्मचारी सेल्फ सर्विस मोडयूल
6. के–माइनिंग मोडयूल
7. विभागीय क्लीयरेंस मोडयूल
8. कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली मोडयूल
9. कार्मिक प्रशासन (ऑन लाइन ट्रांसफर) मोडयूल
10. आन लाइन मानीटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम

इसके आगे कोल इंडिया ने उपर्युक्त ऑन लाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) मोडयूल एक्रास सीआईएल

तथा इसके सभी अनुषंगियों कंपनियों कार्यान्वयन के लिए दिनांक :

13.12.18 को कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. सीआईएल / सी 5ए (पीसी)/एचआरएमएस/एमओयू/3247ए जारी किया है।

9.0 सूचना प्रबंधन प्रणाली

वर्ष 2018–19 के दौरान की गई मुख्य गतिविधियाँ/कार्य इस प्रकार है :

1. ''माइनटेक'' तथा गोंदवाना भारती, त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन

वर्ष 2018–19 के दौरान उपर्युक्त तथाकथित पत्रिका का प्रत्येक अंक प्रकाशित कर दिया गया है। जनवरी–मार्च, 2019 के लिए सॉफ्ट कापी प्रिटिंग एजेंसी को सौंप दिया गया है।

2. पत्रिका का प्रेषण

आंतरिक वितरण के अलावा, वर्ष 2018–19 के दौरान कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियाँ, मुख्यालय, एरिया एवं कोलियरी, विभिन्न संस्थानों तथा प्रख्यात संगठनों को लगभग 1200 प्रतियाँ भेजी गई।

3. पुस्तकों का प्रकाशन

''रेडी रिकार्नर ऑफ मैनेजिंग इन्वायरमेंट ऑफ सीआईएल माइन्स''नामक नई पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया के अंतर्गत है तथा मार्च, 2019 तक इसे प्रकाशित हो जाने की संभावना है।

4. पुस्कतकों की बिक्री

पत्र भेज कर कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में तकनीकी पुस्ताकें की लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की गई विभिन्न कोयला क्षेत्रों, विभागाध्यक्षों द्वारा पुस्तक की खरीद सुलभ बनाने के लिए एफडीएस की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में तकनीकी पुस्तकों को उपलब्ध कर दिया गया। ये तकनीकी पुस्तकें कोयला खनन से जुड़े मध्य स्तर तथा यूथ अधिकारियों के लिए तकनीकी ज्ञान अद्यतन करने में सहायक होगा।

5. सामाजिक मिडिया कार्य-कलाप

विभागाध्यक्ष (आईएमएस) को सीएमपीडीआईएल के सोशल मिडिया का नॉडल आफिसर के रूप में नामित कर दिया गया है। नीचे दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार ऑफिसियल फेस बुक पेज तथा ट्वीटर हैंडल खोला गया तथा सीएमपीडीआई और सीआईएल के महत्वपूर्ण कार्य को नियमित तथा अपलोड किया जा रहा है। आंतरिक गतिविधियों के अलावा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की महत्वपूर्ण सूचना/उपलब्धियों को शेयर किया जा रहा है। सोशल मिडिया का क्रिया–कलाप माननीय रेलवे एवं कोयला मंत्रालय के कार्यालय से भी मॉनीटर किया जा रहा है। सीएमपीडीआई का फेसबुक (http://www.facebook.com/CMPDIL) तथा ट्वीटर हैंडल (http://Twiter.com/CMPDIL)

10.0 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सतर्कता कार्य–कलाप तथा उपलब्धि नीचे दिया गया है।

1. सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके सातो क्षेत्रीय संस्थानों में 29.10.2018 से 3.11. 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता शपथ श्री शेखर शरण, सीएमपीडीआई ने दिलाया उन्होंने जन–समूह का स्वागत करते हुए आज के विषय **''इराडिकेट करप्सन बिल्ड ए न्यू इंडिया''** पर प्रकाश डाला।

सीएमपीडीआई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के दौरान निम्नलिखित कार्य–क्रम आयोजित किए गए :

1. सभी कर्मिकों तथा उनके पारीवारिक सदस्यों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
2. झारखंड रक्षा शक्ति विश्व विद्यालय के छात्रों के बीच भाषण/वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
3. नेश्नल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी तथा रिसर्च इनलॉ, राँची के छात्रों के बीच वाद–विवाद एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
4. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विश्वविद्यालय, राँची, चिल्ड्रेन कॉन्वेन्ट स्कूल कॉके तथा बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा राँची के छात्रों के बीच वाचन प्रतियोगिता का आयोजना किया गया।
5. सीएमपीडीआई के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए एग्रिवान्स रेडरेसल कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें सीवीओ सीएमपीउीआई एवं सभी विभागाध्यक्ष उपस्थिति थे।
6. सीएमपीडीआई के बिजनेस स्टेक होल्डर्स के लिए एक वर्कशॉप आयोजित किया गया।

2.11.2018 को सीएमपीडीआई में गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री आर.के. पाण्डेय, वाइस चांसलर, राँची यूनिवर्सिटी ने संगठन एवं राष्ट्र के हेल्थ पर पड़ने वाले भ्रष्टाचार के प्रभाव के बारे में बतलाया।

2. सुरक्षात्मक सतर्कता

सीएमपीडीआई के सतर्कता विभाग ने संविदात्मक जाँच/ सामग्री उपलब्धि के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए उन्मुखी है जिससमे कि कंपनी को तो न प्रक्रियात्मक कमी हो और न वित्तीय लैप्स हो। सुरक्षात्मक उपाय सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संचालित औचक निरीक्षण/जाँच पर आधारित सलाह दी जा रही है।

प्रणाली सुधार अध्ययन क) सोप (संडर्स लि को पास करने के लिए आधारभूत सलाह देते हुए) विभिन्न प्रकार के वेंडर्स बिल को पास करना, ख) दो साल के संबंधित सीएसआर व्यय पर प्रणाली अध्ययन ग) सीएमपीडीआई में आईएसओ 37001 2016 एन्टी ब्राइवरी प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के एवज में प्रमाणन के लिए प्रगति तथा तैयारी में है, घ) ओबीआर मेजरमेंट रिपोर्ट को समयानुकूल सुपुर्द करना, ड़) ईएमडी सिक्यूरिटी डिपॉजिट/बीजी (बैंक गारंटी) के रिलीज से संबंधित प्रणाली अध्ययन किया गया है।

कंट्रेक्टर को भुगतान, बुक बैलेंस की तुलना में कैश की जाँच, पीओएल स्टॉक की जाँच, स्टोर की सामग्री की जाँच, बैंक गारंटी की जाँच, वेंडर्स के ईएमडी/सिक्यूरिटी डिपॉजिट का रिफंउ जैसे विभिन्न पहलू पर सीएमपीडीआई के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में औचक निरीक्षण किया गया। सतर्कता विभाग द्वारा लम्बे समय के लिए संवेदनशील विभाग तथा संवेदन शीलता को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों के ट्रांसफर/रोटेशन की सलाह दी गई है, जो तद्नुसार कार्यान्वित किया गया है।

3. सीएमपीडीआई में 5 औचक निरीक्षण, 6 सीटीई तथा 100 एपीआर संवीक्षा की गई है।

11.0 विशेषीकृत सेवाए

11.1 जियोमेटिक्स

जियोमिटिक्स डिवीजन भूमि पुनरूद्धार मानीटरिंग ओबी मेजरमेंट, कवर मैपिंग, डीजीपीएस सर्वे, लैंड यूज मैपिंग, कोल माइन फायर मैपिंग टोपोग्राफिकल सर्वे, अंडर ग्राउण्ड कोरीलेशन सर्वे इत्यादि के लिए रिमोट सेंसिंग तथा सर्वे के क्षेत्र में सेवा उपलबध कराता है।

11.1.1 रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ओसी माइन्स की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग :

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2008–09 से सभी ओपेनकास्ट माइन के भूमि पुनरूद्धार मानीटरिंग कबे लिए सेटेलाइट सर्वेलाइन्स इन्ड्रडयूस किया

है। वर्ष 2018–19 के दौरान हाई रिजोन्यूशन डाटा पर आधिरित 5 मिलियन (कोयला+ओबी) से क्रम उत्पादन कर 38 ओसी क्लस्टर अधिक क्षमता वाली 52 ओपेन परियोजना के भूमि पुनरूद्धार का कार्य वार्षिक आधार पर नियमित रूप से किया गया है। बड़ी क्षमता वाली माइन (झ5 एमसीएम) में भूमि पुनरूद्धार का मॉनीटरिंग वार्षिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है तथा तीन वर्षों के अंतराल पर छोटे माइन (<5 एमसीएम) किया जाता है।

11.1.2 वनस्पति आच्छादन मानचित्रण

वर्ष 2018–19 के दौरान भूमि यूजर/वनस्पति आच्छादन पर कोयला माइन के प्रभाव को नियमित रूप से पहुँचाने के लिए निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों का भूमि आच्छादन मानचित्रण किया गया है। कोरबा (एसईसीएल) बंदेर (डब्ल्यूसीएल)नार्थ एवं साउथ कर्णपुरा, ईस्ट तथा वेस्ट बोकारो (सीसीएल) एवं सिंगरौली कोयला क्षेत्र (एनसीएल)

11.1.3 ओसी/यूजी प्रोजेक्ट का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित 15 ओसीपी यूजी माइन्स का सेटेलाइट डाटा पर आधरित कोर एवं वफर जोन का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण किया गया है। पनगंगा ओसीपी, उमरेर ओसीपी तथा सिंगहोरी ओसीपी (डब्ल्यूसीएल), वीणा एक्सटेंसन (डब्ल्यूसीएल), सामलेश्वरी ओसीपी, बैतरनी ओसीपी, बसुन्ध्रा वेस्ट ओसीपी, नन्दिरा भू.ग., नटराज भू.ग. तथा सिचार मल ओसीपी (एमसीएल, कंचन ओसीपी (एसईसीएल) अम्रपाली ओसीपी, संधमित्रा ओसीपी तथा कबीराबाद ओसीपी (सीसीएल) तथा कालिदासपुर ओसीपी (ईसीएल)

11.1.4 सीआईएल आरएंडडी प्रोजेक्ट

कोलफील्ड एरिया में नियमित वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग पर आधारित सेटेलाइट के लिए आरएससी/एमसीआरडी के के साथ सहयोग में आरएंडडी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कोलफील्ड से संबंधित पीएम 10, पीएम 25, एमओएक्स जैसे बड़ा ऑन लाइन पर्यावरणिक डाटा उपलब्ध कराने के लिए मेथेडोलॉजी विकसित करने की ओर परियोजना लक्षित है। इस परियोजना पर कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया है तथा उपकरण को लगाने के लिए संभावित स्थल की पहचान तालचर कोयला क्षेत्र (एमसीएल) तथा सिंगरौली कोयला क्षेत्र (एमसीएल) में एनआरएससी की संयुक्त टीम एवं सीएमपीडीआई द्वारा कर ली गई है। उपकरण की प्राप्ति प्रगति में है। यह परियोजना 3 वर्षों में पूरी होगी।

11.1.5 कोल माइन सर्वे लाइन्स तथा प्रबंधन प्रणाली

''खनन प्रहरी'' नामक मोबाइल अप्लीकेशन के साथ कोल माइन सर्वेलाइन्स तथा मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएमएमएस) सफलतापूर्वक विकसित किया गया है तथा 4 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में कोयला मंत्री द्वारा इसे लॉंच किया गया है।

कोल माइन सर्वेलाइन्स तथा मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएसएमएस) अप्लीकेशन आधारित वेब है, जिसका इस्तेमाल पता लगाने के लिए किया जा सकसता है। कोलफील्ड एरिया में लीज होल्ड बाउण्डरी के तहत की जा रही किसी प्रकार की गैर–कानूनी कोयला माइनिंग गतिविधि पर मॉनीटर तथा कार्रवाई की जाती है। यह प्रणाली दृढ़तापूर्वक कार्य करने के लिए पाई गई है। अब तक इस सिस्टम के माध्यम से 90 शिकायतें प्रापत की गई है, जिसमें से 55 शिकायतें कोल इंडिया क्षेत्र के लिए जेनरेट की गई हैं तथा 35 शिकायतें गैर' कोल इंडिया क्षेत्रों से प्राप्त की गई हैं।

11.1.6 कोल इंडिया में ड्रोन्स (यूएवीएस) का अप्लीकेशन

कन्टूअर का जेनरेशन, ओर्थेफोटो, स्टॉक पाइल वाल्यूम्स की गणना जैसे विभिनन तकनीकी अप्लीकेशन में इसकी सामर्थता का बेंच मार्किंग करने के लिए कोल इंडिया में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सीसीएल को दो माइन्स राजरप्पा तथा तोरपा तथा एनसीएल के चार माइन में इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया तथा आउट सोर्सिंग मोड में इसे अमलोरी, निगाही, जयंत तथा दधीचुआ में कार्यान्वित किया गया। सीएमपीडीआई ड्रोन की प्राप्ति की प्रक्रिया

में है।

11.1.7 ओबीआर मेजरमेंट

थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में सीआईएल के सभी आउटसोर्स्ड पैचेज तथा विभागीय खानों में ओबीआर चेक मेजरमेंट के साथ सीएमपीडीआई को सौंपा गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान मेसर्स एनटीपीसी के डुलंगा माइन्स तथा पाकरी–बरवाडीह में तथा 124 पेचेज में आउटसोर्स्ड ओबीआर मेजरमेंट तथा सभी अनुषंगियों में 30 ओसीपीएस का ओबीआर मेजरमेंट पूरा कर लिया गया है।

11.1.8 वन बाउण्डरी का डीजीपीएस सर्वेक्षण

एमओईएफ के नवीनतम गाइड लाइन के अनुसार खनन तथा अन्य उद्देश्य के लिए प्राप्त किये जाने वाले वन भूमि का डीजीपीएस का इस्तेमाल करते हुए सर्वेक्षण किया जाना है तथा स्टेज–। वन क्लीयरेंस के लिए सुपुर्द किए गए अप्लीकेशन के साथ शेप फाइल को सुपुर्द किया जाना है। वन क्लीयरेंस के लिए विवेच्य वर्ष के दौरान 24 (3बीसीसीएल में 17 सीसीएल में, 4 एसईसीएल में) कोयला परियोजना में वन भूमि का डीजीपीएस सर्वे कर लिया गया है।

11.1.9 केडस्ट्रल मैप तथा सेटेलाइट डाटा पर लीज होल्ड बाउण्डरी तथा ओवर लेईंग का जियोरिफ्रेरेसिंग

आईएमएम गाइड लाइन के अनुसार केडस्ट्रल मैप तथा सेटेलाइट डाटा पर ठीक उसी को लीज एवं ओवर लेईंग के कोल माइन लीज बाउण्डरी का जियोरिफ्रेंसिंग करने के लिए छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने एसईसीएल को निर्देश दिया है। विवेच्य वर्ष के दौरान एसईसीएल के 6 (छह) लीज माइन के लिए डिजिटल केडस्ट्रल मैप तथा एसआईएसएस अअ+कार्टोसेट–।। सेटेलाइट डाटा पर उसी को माइन लीज होल्ड बाउण्ड्री तथा ओवर सेईंग का जियोरिफ्रेंसिंग पूरा कर लिया गया है।

11.1.10 डीजीपीएस सर्वेक्षण

विवेच्य वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित डीजीपीएस सर्वे/रिपोर्ट सुपुर्द किए गए :

i) मेसर्स पीएसपीसीएल के पेचवारा सेंट्रल कोयला ब्लॉक के भूवैज्ञानिक बाउण्डरी पर कोडस्ट्रल प्लान तथा सुप्रीय पोजीशन के साफ्ट कॉपी की तैयारी।

ii) खलीहरात सुतुंगा, ईस्ट जयन्तिया हिल्स जिला– मेघालय के लिए (पर्यावरण) रिपोर्ट सहित), (जीआर एवं एफआर की तैयारी) मेघालय में उपलब्ध ओपेन पिट्स/ एडिट्स का सर्वे।

iii) अरवपाल'श्री रामपुर कोल ब्लॉक, तालचर के नार्थ के नार्दन पार्ट के लिए ग्रामीण बाउण्डरी तथा ग्रामीण भूमि शिड्यूल के साथ ब्लॉक बाउण्डरी को दर्शाते हुए विभिन्न प्लान की तेयारी।

iv) मेसर्स हिंडालको के गारे 4/4 तथा 4–5 ब्लॉक के बाउण्डरी निर्धारण, बीएच सर्वे तथा स्थलाकृतिक सर्वे पूरा किया गया।

v) मेसर्स एनटीपीसी के बरमुंडा कोयला ब्लॉक की वन भूमि तथा ब्लॉक बाउण्डरी का डीजीपीएस सर्वे तथा जियो रिफ्रेंस्ड कोड स्ट्रल मैप की तैयारी, ब्लॉक बाउण्डरी का निर्धारण।

vi) दो में से तीन सेक्शन में डीजीपीएस सर्वे, वन भूमि का जियो रेफ्रेंस मैप की तैयारी के लिए हटिया ओर बीजी डब्लिंग को जोड़ने के अंतर्गत, जिसमें वन भूमि पड़ती है का डीजीपीएस सर्वेक्षण।

vii) सेमारिया कोयला ब्लॉक, एनसीएल और एमसीएल के कनीहा ब्लॉक में गैर–कानूनी संरचना की पहचान के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण।

viii) फुलारीटॉड़ कोलियरी में डीजीपीएस सर्वेक्षण

ix) तिराप ओसीपी, एनईसी के लिए डीजीपीएस समन्वयन तथा शेष फाइल।

x) मेसर्स टीएचडीसी के अमेलिया कोल माइन कोयला एवं क्यूशेसम केरिडोर का डीजीपीएस सर्वे की रिपोर्ट।

xi) मेसर्स एनटीपीसी के बनई कोल माइनिंग ब्लॉक का ब्लॉक बाउन्डरी का डिमार्केशन, जियोरेफरेंस कैडेस्ट्रल मैप की तैयारी और वन भूमि एवं ब्लॉक बाउण्डरी का डीजीपीएस सर्वेक्षण।

xii) दाहेरंगी पैच, राजमहल ओसीपी ईसीएल में डीजीपीएस सर्वे की रिपोर्ट सुपुर्द।

xiii) 37 कोयला ब्लॉक/प्रोजेक्ट (ईसीएल में 4, डब्ल्यूसीएल में 12, एसईसीएल में 13, एनसीएल में–5, एमसीएल में 3) में डीजीपीएस सर्वे।

xiv) बोरहोल लोकशन के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण।

11.1.11 ड्रोन/अन मैनड एरियल व्हेकिल (यूएवी) (संविदात्मक पैचेज में) इस्तेमाल करते हुए सर्वेक्षण कार्य :

एनसीएल में यूएवी का इस्तेमाल करते हुए ओर्थ मोजाइक, डिजिटल तेराइन मोडल कन्टूर मैप तथा वॉल्यूम गणना के निर्माण पर रिपोर्ट सुपुर्द।

11.1.12 एसईसीएल के 18 माइन में कोयला माप की रिपोर्ट सुपुर्द

12.0 विस्फोटन

सीएमपीडीआई ने नियंत्रण विस्फोटन तथा कंपन अध्ययन, विस्फोटकों एवं इसकी सहायक सामग्रियों के परीक्षण, विखंडन तथा एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के क्षेत्र में मूल्य सवंर्द्धित सेवा देने के लिए तकनीकी विशेषता एवं क्षमता को बढ़ाया है। सीएमपीडीआई का विस्फोटन विभाग विस्फोटन एवं विस्फोटकों की जाँच के लिए स्टेट–ऑफ आर्ट प्रौद्योगिकी जैसे हाई स्पीड कैमरा, इन द होल बीडीओ माप के लिए डाटा ट्रेप–।। विप साफ्टवेयर द्वारा विखंडन मूल्यांकन एवं माप, जे.के.सीम ब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन हाई सैम्पलिंग वाला हाई फ्रिक्वीसी अक्सोलोपो स्कोप से सुसज्जित है।

वर्ष 2018-19 के दौरान बाहरी एजेंसियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुशंगियों में दी जा रही तकनीक सेवाएँ निम्नलिखित है :

क. सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ कार्य :

❖ बल्क विस्फोटक, गैर–अनुत लार्ज डायमीटर (एनपीएलडी) तथा सहायक सामग्री, (नॉनेल डिटोनेटिंग फ्यूज, मेसर्स केजेक्टर, कोल्ड रिले, पीईटीएम कॉस्ट बूस्टर, इम्यूलिशन कास्ट बुस्टर, इलेक्ट्रानिक्स डिटोनेटर तथा सीडीडी/सीसीडी डिनोरेटर) विस्फोटकों का परीक्षण तथा रेंडम सैम्पलिंग बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल तथा एनईसी की जाँच सीएमपीडीआई, मुख्यालय के विस्फोटन डिविजन द्वारा की गई।

- बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल तथा एमईसी–सीएमपीडीआई, मुख्यालय के विस्फोटन विभाग द्वारा जाँच की गई।
- ईसीएल–सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा क्षे.सं.–। सीएमपीडीआई के विस्फोटन विभाग द्वारा जाँच की गई।
- डब्लयूसीएल– क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआई के विस्फोटन अनुभाग द्वारा जाँच की गई।
- एसईसीएल–क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआई के विस्फोटन अनुभाग द्वारा जाँच की गई।
- एनसीएल– क्षेत्रीय संस्थान–6, सीएमपीडीआई के विस्फोटन अनुभाग द्वारा जाँच की गई।

❖ **बैंच मार्क पाउडर फेक्टर (बीएमपीएफ) का निर्धारण।**

- सीएमपीडीआई, मुख्यालय का विस्फोटन विभाग–24 खानें।
- क्षेत्रीय संस्थान–।, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग–3 खानें।
- क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग–6, खाने।
- क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग–8, खानें।
- क्षेत्रीय संस्थान–6, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग–। खान।

❖ **नियंत्रिविस्फोटन एवं कंपन अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन**

- सीएमपीडीआई, मुख्यालय का विस्फोटन विभाग 15 खानें।
- क्षेत्रीय संस्थान–। सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग–3, खानें।
- क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग–शून्य।
- क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग– 5 खानें।
- क्षेत्रीय संस्थान–6, सीएमपीडीआई का विस्फोटन अनुभाग–शून्य।

ख) सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के विस्फोटन विभाग द्वारा किए गए बाह्य परामर्शी कार्य :

- ❖ एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए विभिनन निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।
- ❖ एसईसीएल के क्षेत्र ओसीपी में विस्फोटन में कोल इंडिया के इस्तेमाल के लिए एलडीसी विस्फोट तथा सहायक सामग्रियों, यूजी माइन्स विस्फोटक गैलरी एक्सप्लोसिव कोल माइन्स में ब्लास्टिंग के लिए अनुमत एक्सप्लोसिव (पी । तथा पी 5) तथा डेटोनेटर्स का आवधिक रेंडम परीक्षण।
- ❖ मेसर्स हिंडालकों इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के गारे पाल्मा4/4 कोल माइन में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।
- ❖ **नये विस्फोटकों तथा सहायक सामग्रियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन :**
- ❖ मेसर्स आइडल इन्डस्ट्रीज एक्सप्लोसिव लि. के ''डील सुपर कॉलम'' नामक एमपीएलडी विस्फोटकों'' का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।
  - मेसर्स आइडल इन्डस्ट्रीज एक्सप्लोसिव लि. का ''डील सुपर प्राइम'' नामक एनपीएलडी विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।
  - मेसर्स जीओसीएल कॉरपोरेशन लि. के ''रायदेत जे'' नामक गैर इलेक्ट्रीक डिरोमटेर का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।
  - मेसर्स साल्वो एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लि. के '' साल्बो इमूल बूस्टर'' नामक इम्ल्यूशन बुस्टर का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।
  - मेसर्स रेजेनेशिष इन्डस्ट्रीज प्रा.लि. के ''इन्द्रा इम्यूल्यूशन बूस्टर नामक इम्यूल्यूशन बुस्टर का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।

ग) सीएमपीडीआईएल के विस्फोटन प्रभाग द्वारा किए गए विशेष कार्य :

- मेसर्स हिंडालको इन्डस्ट्रीज लि. के गारे पाल्मा 4/4 कोल माइन में डीप होल कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग के लिए हाई स्पीड कैमरा तथा ज्ञानिक स्टडी का इस्तेमाल करते हुए फ्लाई रॉक के थ्रो तथा सक्सेसिव शॉट में विलम्ब तिरॉप डाटा का इस्तेमाल करते हुए संपुष्ट वीओडी का निर्धारण।
- कोल इंडिया लि. की खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नये विस्फोटक उत्पादों हेतु परीक्षण तथा गुणवत्ता की जाँच की गई।
- ''कोल माइन को ओवर बर्डेन में ब्लास्टिंग को लो डेनसिटी पोरूअसप्रिल्ड अमोनिया नाइट्रेट के साथ ए.एन.एफ.ओ.के. तकनीकी व्यवसायिक क्षमता का अध्ययन'' नामक आरएंडडी प्रोजेक्ट में मुख्य कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- कम मिले हुए कोयले के साथ अच्छी रिकवरी के लिए बहु आयामी लेयर ट्रायल ब्लॉस्टिंग'' नामक आरएंडडी प्रोजेक्ट में उप कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- एनसीएल में अमलोरी, निगाही तथा ब्लॉक बी को कम्पोजिट ब्लास्टिंग के कारण मदर ग्राम में कम्पन के प्रभाव तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।
- क्षेत्रीय संस्थान/सीआईएल के लिए रिपोर्ट का तकनीकी सपोर्ट/वेटिंग

13.0 खनन इलेक्ट्रानिक्स :

सीएमपीडीआई का इलेक्ट्रानिक्स विभाग भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावरणिक पारामीटरों की टेली मॉनीटरिंग संचार नेटवर्क की स्थापना करने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में अपनी सेवाएँ देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में मिथेन गैस संसूचक की मरम्मती एव अंश शोधन के आयातित/विदेशी एचईएमएम कार्डों की मरम्मती में अनुषंगी कंपनियों को मूल्यावन सहायता प्रदान करती है। इस विभाग में खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए आरएंडडी तथा एसएंडटी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गयां विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए।

13.1 आरएंडडी/एसएंडटी परियोजनाएँ :

1) ऑन लाइन कोल डस्ट सप्रेशन फोर ओपेन कास्ट माइन ''अशोका ओपेन कास्ट माइन सीसीएल– तथा इसी साइट पर क्षेत्रीय परीक्षण के लिए सिस्टम तेयार है।
2) दधीचुआ ओसीपी, एमसीएल के लिए ओसी माइन्स में फोलोर/स्लोप अस्थइत्वाता का अनुपालन करने के लिए अर्ली वार्निंग पाउडर का स्वदेशी विकास'' एमओसी से प्राप्त

फंड आवंटन के साथ–साथ जीओआई की स्वीकृति।

3) सीआईएल आरएंडडी प्रोजेक्ट भू.ग. खानों के लिए अर्थ (टीईई) टूवे संचार प्रणाली के माध्यम से स्वेदेशी विकास'' अंश शोधन के लिए सिमुलेटेड एन्टीना तैयार किया गया अंडर ग्राउण्ड ऑपरेशन में फ्रिक्वेंसी सेक्सन के लिए प्रक्रियाधीन है।

13.2 पीएंडडी/एनआईटी/अन्य कार्य :

1) अंडरग्राण्ड रिमोट पीएलसी / रिमोट आई / ओ तथा आईएसडब्ल्यूएफ 1 संचार प्रणाली पर आधारित झांझरा यू/जी माइन ईसीएल के विस्तार के लिए स्वचालन एवं संचार प्रणाली।

2) सीएमपीडीआई, मुख्यालय के लिए सीसीटीवी सेर्वेलांस प्रणाली हेतु प्राक्कलित लागत के साथ–साथ अंतिम तकनीकी विनिर्देशन तैयार कर लिया गया है तथा पूरे सीएमपीडीआईएल परिसर में इसे लगाया गया है।

3) सीआईएल के विभिन्न अनुषंगियों तथा बाहरी एजेंसियों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करनें के लिए 18 यू/जी तथा ओसीपी हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेली कम्प्यूनिकेशन पर चैप्टर तैयार किया जा चुका है।

13.3 इलेक्ट्रानिक कार्डो/गैस मानीटरों की मरम्मती/ अंशशोधन/ परीक्षण :

1) 83 नए मॉडल एचईएमएमी मरम्मती।

2) 22 मेथेनोमीटर की मरम्मती तथा अंशशोधन

14. कोल टेक्नोलाजी

कोल टेक्नोलाजीकैमिकल लैब तथा पेट्रोग्राफी लैब को शामिल करता है। कैमिकल तथा पेट्रोग्राफी लैब कोयले के प्रणालीबद्ध विस्तृत गुण निर्धारण में लगा हुआ है तथा इसे भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए रूटीन के आधार पर गवेषण स्टेज में कोयला का प्रणालीबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है। क्लीन कोयला का पता लगाने के लिए कच्चा एवं क्लीन कोयला नमूनों (वाशरी उत्पाद) का प्रणालीबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है।

केमिकल लैब प्रोक्सीमेट विश्लेषण अल्टीमेट विश्लेषण, तथा ग्रॉस सेलोबोरिक मूल्य निर्धारण जैसा परीक्षण कर रहा है। कोकिंग कोयला स्पेशल जॉच के लिए फ्री स्वेलिंग इन्डेक्स, एलटीजी के कोल टाइप कोक टाइम तथा प्लास्टो मिट्रिक जॉच किया जाता है। गैर–कोकिंग कोयला के लिए एसफ्यूजन तापमान रेंज निर्माण एचजीआई भी परीक्षण भी किया जाता है।

एचजीआई के निर्धारण के लिए कोयला एवं एचजीआई एमराटस के लचीलेपन के निर्धारण के लिए कोयला प्लास्टो मीटर का एसफ्यूजन, तापमान रेंज (आईडीटी, एसटीएचटी तथा एफटी) के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर आक्साइडइन्स्ट्रूमेंट हेतु कोयला, लिग्नाइट, सीएचपी एपराटस के ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू का निर्धारण करने के लिए स्वचालित बोम्ब कोलोरीमीटर पर आधारित कोयला कोक/ लिग्नाइट माइक्रोप्रोसेसर के प्रोक्सीमेट विश्लेषण के लिए स्वचालित प्रोक्सीमेट इस लाइजर पर आधारित माइक्रोप्रेसेसर जैसे पारंपरिक तथा परिष्कृत उपकरण से केमिकल लैब सुसज्जित है।

फोटोग्राफी लैब मेसरल कम्पोजिशन का निर्धारण, रेण्डम रिफ्रेंब्लटें (आरओआर प्रतिशत) तथा भीम अधिकतम रिफ्रेक्टेंस प्रतिशत (एमएमआर प्रतिशत) जैसा पेट्रोग्रेफिक विश्लेषण कर रहा है।

यह अध्ययन कोयला रैंक के नमूने तथा कोयला के टाइप को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन हाइड्रोकार्बन, ऑयल शेल्स, कोल बेड मिथेन, शेल गैस के निर्धारण के लिए सतही रॉक मूल्यांकन हेतु उपयोगी होता है। सीबीएम के मूल्यांकन के लिए मेगा क्लीट तथा माइक्रो क्लीट अध्ययन भी इस लैब में किया जाता है।

फोटो ग्राफी लैब माइक्रो क्लीट अध्ययन के लिए इनजी डिसप्रेसिव स्पेक्टो मीटर के साथ स्केनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रो स्कोप, रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट, तथा मेसरल विश्लेषण के लिए फोटो मीटर रोटेटमेंट के साथ एडवान्स्ड पोल राइजिंग माइक्रोस्कोप जैसे आयातित स्टेट–ऑफ–आर्ट उपकरण से सुसज्जित है। इसके पास पेट्रोग्राफिक अध्ययन तथा क्लीट अध्ययन के लिए कोयला पिलर्स की तैयारी हेतु ग्रिडिंग तथा

पालिर्शिंग मशीन, एग्रेसिव कटिंग मशीन तथा हॉट माउन्टिंग प्रैस भी है।

वर्ष 2018–19 के दौरान कोयला प्रौद्योगिकी आरएंडडी की दो परियोजनाओं के लिए उ–कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

1. उच्च राख कोयला गैसीकरण तथा सम्बद्ध अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम सोर्सेस (आईआईटी–आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआईएल)
2. भारत के सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला एवं पेट कोक के इस्तेमाल पर अध्ययन (आईआईटी–आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआईएल)

   कोयला प्रौद्योगिकी सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) तथा पॉलीजोन रेशम की ओर उनकी उपयुक्तता के लिए सीआईएमएफआर के साथ संयुक्त रूप से सीआईएल के कोयला मैपिंग को शामिल करते हुए एनआईटी आईएएओजी द्वारा निर्मित सतही कोयला गैसीकरण पर तकनीकी उप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य भी कर रहा है। यह विभाग कोयला यूटिलाइजेशन रिसर्च प्रोजेक्ट (एमओसी तथा सीआईएल के ड्राफ्ट एवं पूर्णता रिपोर्ट) की संवीक्षा भी कर रहा है। सीटी विभाग कैमिकल लैब तथा कोयला सेम्पल नमूने की तैयारी यूनिट के उपकरण/ इन्स्ट्रूमेंट का रख–रखाव तथा मरम्मती कामॉनीटर करता है।

एनएबीएल मान्यता की स्थिति :

- 12 विभिन्न क्षेत्रों/ पारामीटरों में टेस्टिंग के क्षेत्र में सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में इसे फेसिलिएट करने के लिए मानक आईएसओ/ आईईसी 17025; 2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन के साथ भू–रासायनिक प्रयोगशाला को मान्यता दे दी गई है। यह एनबीएल मान्यता 2.1.2021 तक दे।

रासायनिक प्रयोगशाला की विशेष उपलब्धि:

- बीसीसीएल, डीजीएम नागालैंड तथा अन्य प्राइवेट पार्टियों से लगा हुआ हिण्डालको, मेघालय तथा मुगमा क्षेत्र के परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- सीएसआईआर–सीआईएमएफआर द्वारा किए गए कोयला कोर प्रोसेसिंग तथा विश्लेषण का मॉनीटरिंग।
- इस प्रयोगशाला द्वारा लगभग 2.95 करोड़ रू. का विश्लेषण कार्य किया गया।
- भू–रासायनिक प्रयोगशाला सीएमपीडीआई, राँची में लगाने के लिए! प्रत्येक प्रोक्सिमेट इनसाइजर तथा क्लोरीमीटर लगाने की प्रक्रिया प्रगति में है।

पेट्रोग्राफी लैब की विशेष उलब्धि :

- कोयला एवं आर्गेनिक पेट्रोग्राफी (आईसीसीओपी) के लिए इन्टरनेशनल कमिटि द्वारा इस प्रयोगशाला के चार प्रेट्रोग्राफरों को मान्यता मिल चुकी है। इस प्रमाणन की गुणवत्ता सीएमपीडीआई के प्रेट्रोग्राफरों की है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सतर पर जो किसी भी प्रकार के पेट्रोग्राफिक कार्य को करता है। लगभग 95 लाख का विश्लेषण कार्य इस लैब द्वारा किया गया।
- हिण्डालको तथा टिकाक कोलियरी (एनईसी) से प्राप्त नमूनों को सीआईएल से बाहर कार्य किया गया।
- ''दामोदर वैली बेसिन (के लो वेलेटाइल मेडियम कोकिंग कोल (एलवीएमसी) पर गुण निर्णारण, परिष्करण तथा कार्बनीकरण अध्ययन'' नामक पेपर : 2.11.18 को भारत के लो वोस्टाइल कूकिंग कोल के परिष्करण तथा कार्बनी करण में अवसर तथा परिवर्तन पर एक दिन के वर्कशॉप में सीआईएमआर, धनबाद में भारत के कोकिंग कोल संसाधनों के एगुमेंटेशन के लिए एक पेपर'' प्रेजेन्ट किया गया।

15.0 सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ:

आईएसओ, 9001, आईएसओ, 14001, आईएसओ, 50001, ओएचएसएएस 18001 इतदि जैसे विभिन्न प्रबंधन प्रणाली के अप्लीकेशन के लिए परामर्शी

सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए कोल इंडिया लि. की विभिन्न अनुषंगियों में प्रबंधन प्रणाली मानकों का कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल एक नॉडल एजेंसी है। हम इन मानकों के लिए संस्थापन, प्रलेखन, जागरूकता प्रशिक्षण आंतरिक अंकेक्षक प्रशिक्षण आडिटिंग सपोर्ट, कार्यान्वयन, प्रमाणन सपोर्ट, तथा पोस्ट प्रमाणन में गाइडेंस तथा सपोर्ट उपलब्ध कराते हैं।

सीएमपीडीआईएल का वर्तमान आईएमएस मैन्यूअल आईएसओ, 9001, 2015 आईएसओ, 14001, आईएसओ तथा आईएसओ, 50001 को कवर करता है। ठीक इसी को आईएसओ 37001 (एन्टी ब्राइवरी प्रबंधन प्रणाली) का नवीनतम वर्जन की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए संशोधन के लिए लिया जा रहा है।

सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ सीएमपीडीआई को नये संशोधित आईएसओ 9001, 2015 मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्डस द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। सीमपीडीआई आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 37001 (एन्टी ब्राइवरी प्रबंधन प्रणाली) के कार्यान्यन की प्रक्रिया में है।

हमारी पाँच प्रयोगशाला को आईएसओ 17025, 2005 (टेस्टिंग तथा अंशशोधन प्रयोगशाला की सक्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताएँ) कार्यान्वित करने के लिए एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

हमारे दिशा निर्देष तथा सपोर्ट के तहत सीआईएल, मुख्यालय कोकाता ने 31 मार्च, 2019 को इंडियन स्टेन्डर्ड ऑफ ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001, 2015, आईएसओ 14001, 2015 तथा आईएसओ 50001, 2011 के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। अब सीआईएल, मुख्यालय के लिए ऊर्जा प्रंधन प्रणाली (आईएसओ 50001–2018) के नवीनतम वर्सन का प्रलेखन तथा कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है।

31 मार्च, 2019 के अनुसार कंपनीवार समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसए 18001) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए ईसीएल तथा एनसीएल के लिए (ओकोपेशनल हेल्थ एंड सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) ओएचएसएएस 18001 के स्थान पर आईएसओ 45001–2018 के प्रलेखन एवं कार्यान्वयन का कार्य हमारी ओर से प्रक्रिया के अंतर्गत है। सीसीएल के लिए कंपनीवाइज समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, 2015, आईएसओ 14001, 2015 तथा आईएसओ 45001, 2018) के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है। इसके आगे बीसीसीएल मुख्लय सीएमपीडीआई की परामर्शी सेवा के साथ आईएसओ 37001 को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

स्ट्रेटजिक बिजनेस के सूत्रपात में बिजनेस डायनामाइट को रीलॉक करने की आवश्यकता है। संभावित जोखिम का विश्लेषण करने के बाद सीएमपीडीआई ने गतिविधियों तथा उनकी सामर्थ्यता की सिरिज का आडर लाइनिंग करते हुए इन्टर प्राइज रिस्क प्रबंधन प्लान तैयार किया है, जिससे कि संगठन के जोखिम को मूल्यांकन, पहचान, प्राथमिकता रिपोटिंग तथा मॉनीटरिंग की आशा करते हैं। कंपनी के ईआरएम और स्वॉट विश्लेषण के कारण, सीएमपीडीआईएल ने रणनीतिक व्यापार योजना 2019 तैयार की है, जिसमें अन्य क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए उपयुक्त और व्यापक रणनीतियों को अपनाने की सलाह देकर भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने क लिए आवश्यकत उपायों को शामिल किया गया है, नई राजस्व पीढ़ी मॉडल के निर्माण के लिए आईटी का उपयोग करें और सॉफ्टवेयर, ज्ञान, प्रबंधन प्रणाली को अपनाना आदि।

वर्तमान में विविधिकरण के साथ कंपनी की विशिष्टता फोरसेबुल भविष्य में संपूर्ण रूप कोयला सेक्टर की रूचि के लिए सुरक्षित रखेगा।

16.0 सामग्री प्रबंधन

माइक्रो स्माल, मेडियम इन्टरप्राइजेज मंत्रालय, भारत सरकार ने माइक्रो स्माल इन्टरप्राइजेज (एमएसईएस) आर्डर 2012 के लिए पब्लिक प्रोकुरमेंट नीति अधिसूचित की है, जो एससीएसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व किए गए एमएसईएस से 4 प्रतिशत मिलाकर एमएसईएस से केंद्रीय मंत्रालय/सीपीएसईएस विभाग द्वारा वार्षिक उपलब्धि का कम–से–कम 20 प्रतिशत पर जमा आदेश देती है। यह नीति 1.4.2015 से अनिवार्य हो गई थी।

विवेच्य वर्ष 2018–19 तथा विगत वर्षों के दौरान वस्तुओं के संबंध में सीएमपीडीआई का उपर्युक्त बैक ग्राउंड उपलब्धि प्रोफाइल नीचे दिया जा रहा है :

क्र. स.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
1.	कुल वार्षिक उपलब्धि (मूल्य में)	32.63	29.19
2.	(एससीएसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एमएसईएस सहित) एमएसईएस प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य	15.20	15.40
3.	एससी / एसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व केवल एमएसईएस से प्राप्त वसतु एवं सेवाओं का मूल्य	शून्य	शून्य
4.	कुल उपलब्धि में से (एससीएसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एमएसईएस सहित) एमएसईसे प्राप्ति का प्रतिशत	46.58 प्रतिशत	52.76 प्रतिशत
5.	कुल उपलब्धि में से एससी / एसटी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व केवल एमएसई से प्राप्त प्राप्ति का प्रतिशत	शून्य	शून्य
6.	एमएसई के लिए वेन्डर विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	01	02

एससी / एसटी के स्पामित्व वाले एमएसईएस से खरीद का प्रतिशत शून्य रहा है, क्योंकि सीएमपीडीआई द्वारा जारी निविदाओं में वस्तु जैसे इकाईयों के लिए मुख्य रूप से गैर–भागीदारी रहती है, क्योंकि सीएमपीडीआई एक गवेषण, प्लानिंग एवं डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसे उच्च तकनीक मशीनरी सहायक, सॉफ्टवेयर आदि की आवश्यकता पड़ती है।

विशेष उपलब्धि :

- सीएमपीडीआईएल निविदा में एससीएसटी द्वारा स्वामित्व यूनिट के भागेदारी की संभावना का पता लगाने के लिए तथा पब्लिक उपलब्धि नीति में विहित प्रावधान के अनुपालन में सीएमपीडीआई ने 21.12.2018 को सीएमपीडीआई कैम्पस में एससीएसटी द्वारा स्वामित्व एमएसईएस के लिए खासकर, विशेष वेन्डर विकास कार्यक्रम आयोजित किया जो ठीक ढंग एटेंड किया गया। अन्य कार्यक्रम ट्राइबल इण्डियन चैम्बर आफॅ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज तथा नेशनल एससीएसटी हब राँची के सहयोग से 20.3.2019 को जमशेदपुर में आयोजित किया, जिसमें सीएमपीडीआईएल के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। दोनों कार्यक्रमों का उद्‌देश्य सरकारी निविदा में एससीएसटी उद्यमियों की भागेदारी प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जेनरल तथा सीएमपीडीआई में सीआईएल द्वारा फालो किए गए क्रय–प्रक्रिया की ओर एससीएसटी उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करना था, जासे पब्लिक उपलब्धि नीति आदेश 2012 में दिए गए मेन डेट को प्राप्त करने के लिए सीएमपीडीआई सहित पीएसयूएस को सहायता करेगा।

लक्ष्य :

- सीएमपीडीआई द्वारा जारी किए जा रहे टेंडर में एमएसईएस की भागेदारी के संबंध में एमएसईएस से प्राप्ति के लिए 9.70 करोड़ (लगभग 30 प्रतिशत) में से 32.12 करोड़ रू. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लक्षित वार्षिक उपलब्धि प्राक्कलित है।

17.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआई के प्रशिक्षण का आँकड़ा नीचे दिया जा रहा है :.

प्रमुख क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाह्य	विदेशी	कुल
प्रबंधकीय	495	100	71	0	**666**
तकनीकी / फंक्शनल	965	133	216	9	**1323**
क्राश फंक्शनल	146	15	21	0	**182**
Total	**1606**	**248**	**308**	**9**	**2171**

निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया।.

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण :

क) प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों के विकास के अभिन्न अंग हैं। इस लिए सीएमपीडीआई में सुनिश्चित करने के लिए यह प्रयास किया गया हे कि उनका समग्र विकास सालोभर लगातार होता रहे। इस संबंध में वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न तकनीकी गैर तकनीकी पर 900 कर्मचारियों के लक्ष्य के मुकाबले 1606 कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जो आवश्यकता आधारित हैं तथा

कस्ट माइण्ड कर दिया गया है। कुछ नीचे दिया गया है :

- एआरसीजीआईएस पर प्रशिक्षण
- स्लेप स्टेबिलिटी पर प्रशिक्षण
- सीएमपीडीआईएल यंग सिविल इंजीनियरों के लिए डिजाइन सिल्क (स्टेंड प्रो) विकास पर प्रशिक्षण
- माइनेक्स साफ्टवेयर (जियोलॉजी)
- कर्लसन माइनिंग साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण
- पीसीएमएम (पिपुल कैपबिलिटी मेच्यूरिटी मॉडल) पर प्रशिक्षण
- आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तथा आंतरिक अंकेक्षण
- 3 डीईसी साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण
- यूडीईसी साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण
- केएमएस (नॉलेज मैनेजेंट सिस्टम) पर प्रशिक्षण
- भारत में एससी/एसटी/ओबीसी प्रावधानों पर प्रशिक्षण

ख) वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न संकायों हेतु सीआईएल के 646 एमटी हेतु टेक्नोलॉजी स्कील डवलपमेंट प्रोग्राम संचालित किया जा चुका है।

सीएमपीडीआइ ने एमओयू के लक्ष्य के अनुसार पीसीएमएम के मूल्यांकन के संचालन में विस्तृत लीड भी लिया है। वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआई में अच्छे प्रैक्टिस पर ब्रेन स्ट्रायिंग, आईएसओ 37001 : 2016 (एन्टी बाइबेरी सिस्टम) पर जागरूकता कार्यक्रम, बायोमेट्रिक प्रोग्राम पर वर्कशॉप, जीएसटी पर वर्कशॉप, भ्रष्टाचार मुक्त सोसाइटी पर ब्रेन स्ट्रोमिंग सिस्टम, राजभाषा वर्कशॉप इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेस सेमिनार तथा वर्कशॉप आयोजित किए गए हैं।

आईआईसीएम में प्रशिक्षण :

प्रत्येक वर्ष एचआरडी डिवीजन आईआईसीएम के कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे वरीय और मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए नाम मनोनीत कराता है। कंपनी एवं कस्टमर की जरूरत के आधार पर विभिन्न विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान 248 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

बाह्य प्रशिक्षण :

तकनीकी/प्रबंधकीय स्कील अपग्रेडेशन एवं आधुनिक तकनीकी विकास से संबंधित प्रत्येक वर्ष विभिन्न डिसिप्लीन से अधिकारियों को प्रशिक्षण, कान्फ्रेंस वर्कशॉप, सिम्पोजियम आदि भाग लेने के लिए विभिन्न संस्थानों/जगहों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष 300 अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत में विभिन्न जगहों प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भेजा गया है।

कुछ संस्थानों के नाम, जहाँ हमारे कर्मचारियों को भेजा गया है, नीचे दिया गया है :

- बीएचयू वाराणसी, भाइड इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी प्रा.लि., मुम्बई
- आईआईएम, अहमदाबाद
- आईआईएम, लखनऊ
- आईआईटी, खड़गपुर,
- राजीव गाँधी नेश्नल ग्राउण्ड वाटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, रामपुर
- एएससीआई, हैदराबाद
- एफआईसीसीआई, नई दिल्ली,
- नेश्नल उत्पादकता काउन्सिल इत्यादि

विदेशों में प्रशिक्षण :

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीउीआइ से कुल 9 अधिकारी ने वर्कशॉप/सेमिनार/ क्रॉन्फ्रेंस/ प्रशिक्षण/तकनीकी अपग्रेडान में भाग लेने के लिए विदेशों में विजिट किया।

विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए सीएमपीडीआई में इंटर्नशिप प्रशिक्षण

विभिन्न संस्थानों के छात्रों को ग्रीष्म और शरद इंटर्नशिप प्रशिक्षण सीएमपीडीआई और मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों मं एचआरडी डिवीजन द्वारा दिया जा रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान

सीएमपीडीआई में कुल 235 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। छात्र अपने संबंधित क्षेत्रों में 4–6 सप्ताहों के लिए प्रशिक्षण/परियोजना कार्य करते हैं। प्रशिक्षण/परियोजना पूर्ण करने और उनके परियोजना रिपोर्ट सौंपने के बाद एचआरडी डिवीजन प्रशिक्षण/परियोजना की सफलतापूर्वक समाप्ति पर प्रमाण–पत्र जारी करता है।

प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संस्थानों ने अपनी पहुँच बनाई :

- वीआईटी, वैल्लोर
- बीएचयू, वाराणसी
- बीआईटी, राँची
- आईआईटी(आईएसएम), धनबाद
- एक्सआईएस, राँची
- आईआईटी भुवनेश्वर
- केआईआईटी भुवनेश्वर
- चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना
- आईआईटी, खड़गपुर
- एनआईटी, राऊरकेला आदि.

अप्रेन्टिक्स एक्ट 1961 के अनुसार अप्रेन्टिस प्रशिक्षण :

एमओयू के अनुसार सीएमपीडीआई ने कन्ट्रेक्टर वर्कर (31 दिसम्बर, 2018 के अनुसार 4471) सहित सीएमपीडीआई के कुल मैन पावर का 2.50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सीएमपीडीआई 117 अप्रेन्टिस में लगा हुआ है, जो 2.61 प्रतिशत है। ड्रिलिंग, यांत्रिकी, सिविल, कम्प्यूटर साइन्स, माइनिंग इत्यादि जैसे विभिन्न संकाय इसमें शामिल है तथा ये विभिनन क्षेत्रीय संस्थानों तथा सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में पदस्थापित हैं।

स्किल डेवपलमेंट :

प्लानिंग तथा खानों की डिजाइन, गवेषणत्मक कार्य, ईआईए/ईएमपी इत्यादि में सीएमपीडीआई लगा हुआ है। सीएमपीडीआई को अपना खान नहीं है इसलिए इसके पास पेप/भूमि आउलसेट नहीं है। स्किल इंडिया स्कीम के तहत सीएमपीडीआई ने स्किलल्ड सेमी स्किलड की पहचान की है, जो 2013 सीएमपीडीआई में कैट, 1,2,3 के रूप में ज्वाइन किया है तथा ये ओरियेंटेशन तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण के पद स्थापित हैं।

तद्नुसार इन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्षवार एक्शन प्लान तैयार किया जाता है तथा नीचे दिए चार्ट के अनुसार इन्हें समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

वर्ष	लक्ष्य (व्यक्तियों में)	उपलब्धि (व्यक्तियों में)
2016-17	120	116
2017-18	200	202
2018-19	220	222
2019-20	240	
कुल	**780**	

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत सीएमपीडीआई के अन–स्किल्ड, सेमी स्किल्ड कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जो इस प्रकार है :

1. सीएमपीडीआई के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में ड्रिलिंग कैम्प के लिए कैट1,2,3 कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2. सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में संचालित विभिन्न लैब पर कैट–1,2,3 का प्रशिक्षण
3. ई–आफिस पर अन–स्किल्ड (कैट–I) तथा सेमी स्किल्ड (कैट–2 एवं 3) का प्रशिक्षण

17.1 समझौता संलेख 2018-19

सीएमपीडीआई के 2018–19 एमओयू के अनुसार एचआरएम संबंधित पारामीटर्स के शीर्ष के तहत क्रम संख्या 7(I) बोर्ड से टाइलीनेश के लिए यदि अनुमोदन प्रापत करना है तथा लेवल में अपग्रेडेशन के लिए यदि जाना हे तो निर्णय लेने के लिए बोर्ड के समक्ष मैटर रखने तथा सीपीएसई में समान अथवा पिपुल कैपेबलिटी

मैच्यूरिटी मॉडल (पीसीएमएम) के लाइन में लेवल का मूल्यांकन '' पारा मीटर्स की पूर्णता के लिए लक्ष्य तिथि यदि नही तो'' बोर्ड रिजेल्यूशन में यथोचित कारण रिकार्ड किया जाना था जो ''उत्कृष्ट रेटिंग'' के लिए 15 दिसम्बर, 18 था।

11 दिसम्बर, 18 को आयोजित 219वीं सीएमपीडीआई बोर्ड की बैठक में मैटर रखा गया जो 15 दिसम्बर, 2018 तक उत्कृष्ट रेटिंग में विचार–विमर्श किया गया। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद बोर्ड ने क्यूसीआई द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार 12 से 15 माह के लिए शिडयूल टाइम लाइन के तहत पीसीएमएम मैच्यूरिटी लेवल 2 रिपोर्अ किए गए वर्तमान से पीसीएमएम मैच्यूरिटी लेवल में अप–ग्रेडेशन के लिए मुख्य अनुमोदन में बोर्ड ने कन्सीडर तथा रेकर्ड किया।

18.0 बाह्य सीआईएल परामर्शी कार्य :

वित्तीय वर्ष 2018–19 को दौरा एमओसी सहित 24 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल इंडिया से बाहर 30 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठन जिनका कार्य पूरा किया गया वे निम्नलिखित हैं : एमएमडीसी, ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड, सीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील इत्यादि।

वर्तमान में ओसीपीएल, नाल्को, एमटीपीसी लिमिटेड, सेल, एमएलसी इंडिया, यूपीआरवीयूएनएल (अंतर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.) एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि.) डाइरेक्टोरेट ऑफ मिनी रिर्सोसेस, मेघालय सरकार ओड़िसा माइनिंग कारपोरेश लि. (ओएमसी) पीएफसी परामर्शी लि. (पीएफसीसीएल) हिण्डालकों, तालचर फर्टिलाइजर लि. इत्यादि जेसे 18 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल इंडिया से बाहर के 32 संगठनों के लिए परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान एमओसी सहित 28 संगठनों से सीएमपीडीआईएल को कोल इंडिया से बाहर 36 परामर्शी कार्य प्राप्त हुए हैं, जो 70.61रू. की लागत वाली है।.

19.0 श्रमशक्ति एवं कल्याण क्रिया-कलाप :

19.1 श्रमशक्ति की स्थिति :

विवरण		31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
अधिकारी		931	892
गैर–अधिकारी	मासिक वेतनभोगी	1101	1018
	दैनिक वेतनभोगी	1347	1376
समग्र कुल		**3379**	**3286**

19.2 कल्याण संबंधित गतिविधियाँ :

सीएमपीडीआई के पास मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थानों में 2071 क्वार्टर (आवास) हैं।

2. सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों को पेय जल पर्याप्त ामत्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के स्वयं के डिस्पेंसरी और हास्पिटल में सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। मरीजों को कोल इंडिया से सूचीबद्ध अस्पतालों में भी भेजा जाता है।
4. सीएमपीडीआई ने डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधी नगर को 1.00 लाख रू. की वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराई है।
5. कार्मिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए किराये के छोटे वाहनों सहित 31 स्कूल बसें उपलबध कराई गई है।
6. वर्ष 2017–18 में आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत और इससे ऊपर अंक लाने वाले सीएमपीडीआई के कर्मचारियों क आश्रितों (बच्चों) क्रमशः 3000/रू. और 2000/रू. प्रत्येक को नकद पुरस्कार दिया जाता है।
7. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अगले दिन

उनके खाते में ग्रेच्यूटी का भुगतान ऑन लाइन किया जा रहा है।

8. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारी अपना वेतन बैंक के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।

9. कस्तुरी महिला सभी को सावन मिलन का आयोजन करने के लिए 35000/रू. (पैंतीस हजार रू. मात्र) का अनुदान दिया गया।

10. दिनांक : 14.4.2019 को सीएमपीडीआई में 128वीं अम्बेडकर जयंती मनाया गया।

11. होली मिलन समारोह के लिए 2018–19 के लिए गोंदवाना क्लब को 24,200/रू. (चौबीस हजार दो सौ रू.) मात्र का अनुदान दिया गया।

12. वर्ष 2018–19 के दौरान वर्तमान दिशा–निर्देश के अनुसार एनआईटी/आईआईटी/मेडिकल/सरकारी कालेजों में पढ़ने वाले कर्मचारियों के बच्चों को 6,25,420/रू. (छह लाख पचीस हजार चार सौ बीस रू.) मात्र दिया गया।

13 सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीएमपीडीआई ने 19.5.2018 से 29.5. 2018 तक समर कैम्प का आयोजन किया।

14. 31 अक्टूबर, 2018 को सीएमपीडीआई में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।

15. सीएमपीडीआई के सभी क्षेत्रीय संस्थानों तथा सीएमपीडीआई, मुख्यालय में 15 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 से प्रभावी स्व्च्छता ही सेवा (एसएचएस) अबजर्वर किया गया।

16. 26 सितम्बर, 2018 को गोंदवाना प्राइमरी स्कूल तथा बिरसा हाई स्कूल हथियागोंदा में स्वच्छता दिवस मनाया गया।

17. सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन के अवसर पर 31.10.18 को सीएमपीडीआई में इन फोरयूनिटि आयोजित किया गया।

18. 19.11.2018 से 25.11.2018 तक तथा 22. 11.2018 को झंडा दिवस के अवसर पर सीएमपीडीआई में साम्प्रदायिकता सदभावना दिवस मनाया गया।

19. 26.11.2018 को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें ''ग्रूप रिडिंग आफ प्रेम्बुल ऑफ कन्स्टीच्यूशन आफ इंडियन'' तथा डा.अम्बेडर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।

20. 3.12.18 को एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसमें डा.डी. चक्रवर्ती, उपनिदेशक झारखंड को बुलाया गया तथा उन्होंने कोयल हॉल में एड्स के बारे में जानकारी दी।

19.3 खेल-कूद से संबंधित क्रिया-कलाप :

1. सीएमपीडीआई ने 16.2.2019 से 17.2.2019 तक कोल इंडिया इन्टर कंपनी लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2018–19 तथा 3.1.2019 से 5.1. 2019 से इंटर क्षेत्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजवानी की।

2. सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में इंटर रिजनल इन्स्टीच्यूट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जबकि विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा इंटर आरआईटेबुल टेनिस, कैरम, शंतरंज, अथेलेटिक मीट, फूटबॉल, वाली बॉल, ब्रिज तथा इन्टर आरआई कल्चरल मीट का आयोजन किया गया।

3. सीएमपीडीआई, मुख्यालय ने दिनांक 16 एवं 17 फरवरी, 19 को खेल गाँव राँची में कोल इंडिया इंटर कंपनी लॉन टेनिस चैम्पीयेनशिप का आयोजन किया तथा सीएमपीडीआई 19 जून को कोल इंडिया इंटर कंपनी चेस चैम्पीयनशिप का आयोजन करेगा।

4. सीएमपीडीआई, मुख्यालय ने 15 अगस्त, 2018 को सीएमपीडीआई XI तथा निदेशक XI के बीच फ्रेंडली फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया।

5. सीएमपीडीआई, मुख्यालय ने 26 जनवरी, 2019 को सीएमडी XI तथा निदेशक XI के बीच फ्रेंडली बेस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया।

19.4 वर्ष 2018-19 के लिए अधिकारी स्थापना से संबंधित मुख्य सूचना

क्र.सं.	वार्षिक कार्ययोजना	की गई कार्रवाई	
1.	टर्मिनल लाभ का निपटारा	सेवा निवृत मृतक अधिकारी त्याग पत्र देने वाले अधिकारी	47 04 03
2.	लाइफ कवर का भुगतान		04
3.	सीपीआरएमएसई के तहत मेडिकल कार्ड जारी करना		63
4.	प्राप्त सेवा निवृत्ति के मामले पर छुट्टी का नकदीकरण		20
5.	सेटल्ड		10
6.	प्रक्रिया के अंतर्गत		10
7.	मेडिकल रेफर के मामले		114

19.5 वर्ष 2018-19 के दौरान आरटीआई संबंधित सूचना :

क्र.सं.	कार्य विवरण	
1.	आवेदन प्राप्ति की कुल संख्या	116
2.	वर्ष के दौरान आवेदनों का निपटारा किया गया	109
3.	प्रक्रियाधीन	07
4.	वर्ष के दौरान अपील प्राप्त	07
5.	अपिलों का निपटारा	07
6.	अतिशेष	0
7.	सीअईसी (द्वितीय अपील आवेदन प्राप्त)	शुन्य
8.	सीआईसी अपील का निपटारा	शुन्य

19.6 वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीजीआरएएम से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	शिकायत का स्रोत	कुल आवेदन प्राप्त	आवेदनों का निपटारा किया गया	अतिशेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल/इंटरनेट	37	35	2
2.	पेंसन	1	1	0
3.	पीएमओ	14	14	0

19.7 वर्ष 2018-19 के दौरान वीआईपी रेफरेंस से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	शिकायत का स्रोत	कुल प्राप्त	निपटारा किया गया	अतिशेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल/इंटरनेट	7	7	0

19.8 वर्ष 2018-19 के दौरान पेंशन की स्थिति :

क्र.सं.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	निपटाएं गए	विचारकधीन		अभियुक्ति
			सीएमपीडीआईएल	सीएमपीफओ	
1	176	163	04	09	

19.9 वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्य योजना	कार्रवाई की गई
1	टर्मिनल लाभों का निपटान	119
2	जीवन कवर का भुगतान	11
3	सीपीआरएमएसएनई के तहत मेडिकल कार्ड का वितरण	129
4	सेवा निवृत्ति के बाद छुट्टी नगदीकरण के मामले प्राप्त हुए	109
5	निपटाए गए	86
6	प्रक्रियाधीन	24
7	चिकित्सा संदर्भित मामले	123

19.10 राजभाषा

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोंयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही। इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

कोयला मंत्रालय के निदेशानुसारसितम्बर, 2018 में ''राजभाषा माह'' का आयोजन किया गया। कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे प्रोन्नत करने के लिए कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार में 5000 रू., द्वितीय पुरस्कार 4000/–रू., तृतीय पुरस्कार 3000/–रू. और सांत्वना पुरस्कार 800 रू. से नवाजा गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित कैटगरी में प्रमाण–पत्र भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा दो विभागों जिन्होंने अपना अधिकांश कार्यालयीन कार्य हिन्दी में किया है, को चेयरमेंस विनर (अध्यक्षीय विजेता) तथा उप विजेता का शील्ड दिया गया तथा एक क्षेत्रीय संस्थान जिन्होंने अपना अधिकांश कार्यालयीन कार्य हिन्दी में किया, को अध्यक्षीय विजेता का शील्ड द्वारा दिया गया। इसके अलावे सभी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

दिन प्रति दिन के सरकारी कार्य में राजभाषा 'हिन्दी' के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, मानव संसाधन विकास विभाग के तत्वावधान में चार हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। सभी हिन्दी कार्यशालाएँ दैनिक रूटिन कार्य में हिन्दी के प्रयोग में कर्मचारियों के झिझक को दूर करने में अधिक प्रभावी हुई। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा के त्रैमासिक प्रगति की संवीखा करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की गई।

आपकी कंपनी ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (लोक उपक्रम), राँची दो छमाही बैठकें आयोजित की जिसमें विभिन्न लोक उपक्रमों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की गई।

19.11 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिस्क्लोजर (प्रकटीकरण) एवं सूचना:

वर्ष 2018–19 के दौरान सीएमपीडीआई में कार्यस्थल (रोक/निवारण, निषेध, (रिडेसल) अधिनियम–2013 के अंतर्गत महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत रिपोर्ट नीचे दिया गया है :

वर्ष के दौरान प्राप्त सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतों की संख्या	- 01
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	- शून्य
90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या	- 01
वर्ष के दौरान आयोजित सेक्सुअल हरासमेंट संबंधी जागरूकत कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं की संख्या	- 01
मामले से संबंधित नियोक्ता द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	- शून्य

19.12 एमओयू 2018-19

सीएमपीडीआई के वर्ष 2018–19 के एमओयू के अनुसार एचआरएम से सम्बद्ध पारा मीटर, क्रमांक 7(III) के अनुसार ''उत्कृष्ट'' रेटिंग के लिए ''एचआरऑडिट एंड डिसिजन ऑफ बोर्ड ऑन रिकोमेंडेशन ऑफ ऑडिट'' पारामीटर की पूर्णता की निर्धारित (लक्ष्यित) तिथि 15 दिसम्बर, 2018 थी।

एचआर आडिट रिपोर्ट 11 दिसम्बर, 18 को आयोजित 219वीं सीएमपीडीआई बोर्ड मीटिंग में पेश की गई जो उत्कृष्ट रेटिंग के लिए निर्धारित समय सीमा यानि 15 दिसम्बर, 18 के भीतर ही है। गहन विचार–विमर्श के बाद बोर्ड ने माना तथा स्वीकृति दी कि सीआईएल क्रियाविधि (प्रोसिजर) की तर्ज पर पूरे सीएमपीडीआई में एक समान मानक एचआर प्रचलन (प्रैक्टिस) तथा क्रिया–विधि (प्रोसिजर) तैयार किया जाए।

20.0 सीएमपीडीआई में सीएसआर क्रिया-कलापः

निगमित सामाजिक दायित्व एवं निरंतरता (सस्टेनिब्लिटी) अपने स्टेक होल्डरों को पारदर्शी तथा नैतिक रूप में मितव्ययिता सामाजिक तथा पर्यावरणिक दृष्टिकोण से टिकाऊ व्यापार करने के लिए उनके प्रति कंपनी की वचनबद्धता है। सीएसआर एवं सस्टेनिब्लिटी का क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक उन्नति, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा प्रीावी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के सीमांत एवं वंचित तबको क्रे उत्थान करने पर विशेष ध्यान है। कंपनी अधिनियम, 20बी की धारा 135 तथा इसके तहत बनाए गए अधिनियम 2013 की तर्ज पर कंपनी की अपनी सीएसआर नीति है।

20.1 सीएमपीडीआई का सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी क्रिया कलाप (2018-19):

परिचय : टिकाऊ विकास तथा समावेशी विकास (उन्नति) को बढ़ावा देने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व की व्यापक पहचान है। स्टेक होल्डरों तथा समाज के व्यापक वर्ग द्वारा कारपोरेटों को अब सस्टेनेब्लिटी की दिशा में उठाये गए कदमों से आँका जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। निगमित सामाजिक दायित्व दीर्घकालिक लाभा प्रदाता तथा सस्टेनेब्लिटी के लिए शासन में सामाजिक, पर्यावरणिक तथा नैतिक दायित्व का समिश्रण है। आज कारपोरेट के लिए यह आवश्यक हो गया हे कि सीएसआर की तरफ तेजी से अग्रसर हों तथा व्यापार में बने रहने के लिए उस समाज का विकास करें जहाँ वे अपना व्यापार कर रहे हों। सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी का मुख्य

दबाव क्षमता निर्माण, सामुदायिक सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक आर्थिक उन्नति, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के सीमांत एवं वंचित तबकों की उन्नति करने पर है। सीएमपीडीआई की सीएसआर परियोजना इसके आस–पास के उन क्षेत्रों में चलाई जाती है, जहाँ यह अवस्थित है। इसमें प्रभावित समुदाय के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश सात राज्यों में फैले ड्रिलिंग कैम्प भी शामिल हैं।

20.2 सीएमपीडीआई निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर :

I. प्रस्तावना :

सामाजिक निगमित दायित्व की अवधारणा को हर तरफ से महत्ता दी गई है। संगठनों ने यह महसूस किया कि समाज के निचले तबकों को ऊपर उठाने में अकेले सरकारी प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो सकता।

निगमित (कारपोरेट) वातावरण में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण कार्य करने में स्वायतता, परिचालन स्वतंत्रता अपेक्षित है। सीएमपीडीआई ने सस्टेनेबुल विकास के लिए सीएसआर के रणनीतिक टूल के रूप में अपनाया है। वर्तमान संदर्भ में सीएमपीडीआई में सीएसआर का मतलब न सिर्फ सामाजिक कायों में कोष का निवेश करना हे, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया के साथ व्यावसायिक प्रक्रिया को मिलाना भी है।

II. परिचय :

सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग कैम्प देश के 8 राज्यों के वैसे विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं जो अपेक्षाकृत सुदूर (आईसोलेटेड) हैं तथा बाहरी समाज के न्यूनतम संपर्क में हैं। सीएमपीडीआई सीएसआर के प्रथमतः लाभार्थियों में वे होंगे जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं और जिस क्षेत्र में सीएमपीडीआई काम कर रहा है, वहाँ के निवासी होंगे।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, सीएमपीडीआई की निगमित सामाजिक दायित्व की नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की विशेषताओं, निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना तथा डीपीई के दिशा–निर्देशों को शामिल कर तैयार किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) बड़े समुदाय के लिए कल्याण संबंधी उपाय ताकि समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग को अधिक–से–अधिक लाभ मिल सके।

ख) खासकर, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान, शिक्षा, प्रशिक्षण देना एवं सामाजिक जागरूकता फैलाना तथा रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए आय सृजन करना।

ग) पर्यावरण की रक्षा एवं बचाव करना तथा इकॉलॉजिकल संतुलन कायम रखना।

20.3 उद्देश्य

सीएमपीडीआई सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य हमारी व्यावसायिक नीति को सम्मिलत कर समाज के सतत् विकास के उद्देश्य से सीएसआर को मुख्य व्यावसायिक प्रक्रिया बनाने हेतु सीएमपीडीआई के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना है। इसका लक्ष्य अपने क्रिया–कलापों को तत्काल एवं दीर्घकालीन सामाजिक एवं पर्यावरणिक प्रभाव के आधार पर कल्याणकारी उपायों के संवर्धन में सरकार की भूमिका में सहायता करना है। सीएमपीडीआई समाज एवं सामजिक एकता के उन्नयन की दिशा में अच्छा कारपोरेट नागरिक के रूप में कार्य करेगा।

20.4 इसके तहत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र

- सीएमपीडीआई कार्य करने के लिए स्थानीय जगहों तथा सीएमपीडीआई के परियोजना स्थल / ड्रिलिंग कैम्प / क्षेत्रीय संस्थान / मुख्यालय के आस–पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

20.5 कोष का आवंटन

सीएसआर के लिए कोष गत तीन वर्षों के लिए कंपनी के औसत निबल लाभ न्यूनतम 2 प्रतिशत

या कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधन के अनुसार आवंटित किया जाएगा।

कार्य-क्षेत्र (स्कोप)

सीएसआर क्रिया–कलापों के कार्य क्षेत्र अनुसूची–7 में यथावर्णित ''क्षेत्र'' या विषय होंगे :

1. स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना : भुगमरी, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलबध कराना। संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग, स्टिगमा तथा भेदभाव आधारित रोक जैसे ऐड्स, कुष्ट, टीबी आदि के लिए सुविधा, देखभाल को बढ़ावा देना।
2. शिक्षा को बढ़ावा देना : विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वयस्कों तथा दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली शिक्षा तथा रोजगार सहित समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना तथा जीवन–यापन संवर्द्धन परियोजना।
3. असामनता को कम करना : लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं, अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिएआवास, होस्टल, डे केयर सेंअर तथा अन्य सुविधा स्थापित करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के द्वारा सामान की जा रही असमानता को कम करने के लिए उपाय।
4. सस्टेनेबुल पर्यावरण : पर्यावरण की निरंन्तरता पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव–जन्तु का संरक्षण, प्राणी कल्याण, कृषि–वन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना भूमि जल एवं वायु की गुणवत्ता बनाए रखना, पर्यावरणिक चुनौतियों के प्रति निवारक अप्रोच में सहायता, बेहतर पर्यावरणिक दायित्व को बढ़ावा देने के लिए पहल करना तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा प्रसार को प्रोत्साहित करना।
5. राष्ट्रीय धरोहर तथा पारंपरिक कला की संरक्षण एवं संवर्द्धन : ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों की मरम्मत तथा कलात्मक कार्यों की पुनर्बहाली के साथ–साथ राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तकला का संवर्द्धन एवं विकस।
6. सशस्त्र बलों के योद्धाओं, युद्ध के विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए हितकारी उपाय।
7. खेलकूद को प्रोत्साहन :

   ग्रामीण खेल–कूद, राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त खेलों, बच्चों, युवाओं, दिव्यांगों तथा जनजातियों के लिए पारालंपिक खेल एवं ऑलम्पिक खेलों का प्रशिक्षण, उन्नयन तथा विकास।
8. कोष एवं आपातकाली आवश्यकताओं में योगदान : प्रधान मंत्री राहत कोष या सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोईग अन्य कोष में अंशदान तथा अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को सहायता एवं कल्याण में योगदान।
9. केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में टेक्नोलॉजी इन्क्युबेटरों को अंशदान या कोष मुहैया कराना
10. ग्रामीण विकास परियोजना
11. स्लम विकास परियोजना

20.6 कार्यान्वयन

क) सीएसआर कोष को निवेश परियोजना या कार्य आधारित होना चाहिए और प्रत्येक परियोजना के लिए प्रारंभ में टाइम फ्रेम्ड पेरिओडिक माइल स्टोन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

ख) सीएसआर के तहत चिन्हित परियोजना/कार्य को सीधे या विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित करवाया जाना चाहिए। विशेषीकृत एजेंसियाँ अकेले तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर सकती है।

विशेषीकृत एजेंसियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. समुदाय आधारित संगठन चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक
2. निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत
3. स्वैच्छिक एजेंसियाँ (गैर सरकारी संगठन)
4. संस्थान/अकाडमिक संगठन
5. ट्रस्ट, मिशन आदि
6. स्वयँ सहायता समूह
7. सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्तशासी संगठन
8. स्टैंडिंग कन्फेरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोपे)
9. महिला मंडल/समिति और इसी प्रकार के अन्य
10. सिविल कार्य के लिए संविदा एजेंसी
11. व्यावसायिक परामर्शदाता संगठन आदि

20.7 संस्थानिक करार :

सीएसआर समिति एवं इसकी भूमिकाः सीएमपीडीआई में त्रिस्तरीय सीएसआर समिति कार्य करेगी जिनके नाम है ::

1. सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति : इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक रहेंगे जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

   सीएसआर शीर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित परियोजना को सीएमपीडीआईएल बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव के साथ–साथ प्रस्तावित वित्तीय व्यय को अनुशंसा के लिए सीएसआर बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

   सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति समय–समय पर सीएसआर परियोजना/कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी।

   सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति सीएसआर कार्यों के लिए नये प्रस्ताव के मामले में खर्च होने वाली प्रस्तावित राशि की अनुशंसा करेगी।

2. **मुख्यालय स्तर पर सीएसआर शीर्ष समिति :** इसमें मानव संसाधन विभाग, नगर अभियंत्रण एवं निर्माण प्रबंधन, वित्त, पर्यावरण तथा गवेषण के विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि के साथ–साथ अन्य आमंत्रित सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता, नोडल अधिकारी, सीएसआर, मुख्यालय करेंगे।

   यह शीर्ष समिति सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष पेश किए जाने से पहले किए जाने वाले सीएसआर के कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय करेगी। यह शीर्ष समिति किए जा रहे/पूरे किए गए कार्यों/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा करेगी तथा इसकी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को देगी।

3. **सीएसआर उप-समिति :** प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान के स्तर पर एक सीएसआर उप–समिति होगी, जिसमें कार्मिक एवं प्रशासन, सिविल, वित्त, पर्यावरण तथा गवेषण के विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि तथा अन्य आमंत्रित सदस्य होंगे जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक करेंगे।

   यह सीएसआर उप–समिति प्राप्त परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा करेगी तथा चयनित प्रस्ताव को मुख्यालय स्तर पर गठित सीएसआर शीर्ष समिति के पास भेज देगी।

2. मुख्यालय स्तर पर सीएसआर की शीर्ष समिति तथा क्षेत्रीय संस्थान स्तर पर सीएसआर की उप समिति परियोजनाओं एवं कार्यों की पहचान एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

➢ समिति परिधिय क्षेत्र की सामुदायिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए आस–पास के ग्रामीणों, समुदायों, स्थानीय प्राधिकारियों/स्थानीय निकायों के साथ आपसी विचार–विमर्श करेगी

तथा उन परियोजनाओं/कार्यों की अनुशंसा करेगी जिन्हें सीएसआर के तहत किए जाने हैं।

➢ वैसे मामले में जहाँ परियोजनाओं/कार्यों के दुहराए जाने की संभावना हो वहाँ कार्यों के दुहराव से बचने के लिए उपर्युक्त समिति सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों/परियोजनओं के लिए क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राज्य पदाधिकारी/सरकारी अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करेगी। मुख्यालय के सीएसआर सेल के नोडल अधिकारी वरीय अधिकारी होते हैं। अंतिम सीएसआर कार्य–योजना के साथ–साथ सभी क्षेत्रीय संस्थानों की बजट आवश्चकताओं को सीएसआर सेल, मुख्यालय को भेजगी। सभी क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के समेकित सीएसआर योजना शीर्ष सीएसआर समिति के समक्ष पेश करेगी। सभी प्राप्त प्रस्ताव/तैयार की गई योजनाओं की समीक्षा सीएसआर शीर्ष समिति द्वारा की जाएगी।

इस अनुशंसा को सीएसआर बोर्ड सतरीय समिति सीएमपीडीआइ बोर्ड से अनुमोदन लेने के पहलजे अनुशंसा करन्रे के लिए सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष पेश की जाएगी।.

3. किसी भी सीएसआर परियोजना प्रसताव के अनुमोदन देने के लिए अधिकार (शक्ति)

क) यदि किसी क्षेत्रीय संस्थान का सीएसआर बजट घट जाता है, तो क्षेत्रीय निदेशक उस खास सीएसआर कार्य/परियोजना/कार्यक्रम को सीएमपीडीआई, मुख्यालय के पास भेज सकता है, जिसे उनके द्वारा आपातकालीन/महत्वपूर्ण समझा गया है। इसके बाद सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष पेश किया जाए।

ख) यदि वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजना/कार्य के अलावा किसी परियोजना नई परियोजना/कार्य का प्रस्ताव किया जाता है तो इस तरह की सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसको अनुमोदित कर सकते हैं। 25.00 लाख रू. से अधिक के प्रस्ताव के लिए सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सीएमपीडीआई बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा।

20.8 बेस लाइन सवेक्षण एवं प्रलेखन :

क) डीपीई के दिशा–निर्देश को ध्यान में रखकर हर मामले में बेस लाइन सर्वेक्षण पर बल नहीं दिया जाता है तथा आवश्यकता आधारित मूल्यांकन अध्ययन के लिए घरेलू विशेषताएँ एवं संसाधन के प्रयोग सहित अन्य विकल्प अपनाने हेतु फ्लेक्सिबिलिटी मंजूर किया जाएगा।

ख) सीएसआर अप्रेच नीति, कार्यक्रम व्यय से संबंधित सूक्ष्म प्रलेखन तैयार किया जाना चाहिए तथा इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

20.9 मानिटरिंग :

क) मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान के नोडल अधिकारी – सीएसआर परियोजना/कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने तथा सीएसआर की रिपोर्टिंग करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ख) सामुदायिक विकास संवर्ग तथा अन्य डिसिप्लिन के अधिकारियों से बनी मानिटरिंग एवं प्रभाव मूल्यांकन समिति समय–समय पर सीएमपीडीआई की सीएसआर परियोजना/कार्यों की मानिटरिंग एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का कार्य करेंगे। यह समिति नोडल अधिकारी सीएसआर सेल को रिपोर्ट करेगी।

20.10 निष्कर्ष :

उपर्युक्त दिशा–निर्देश फ्रेम वर्क तैयार करेगा जिसके इर्द–गिर्द सीएमपीडीआई मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान. द्वारा सीएसआर कार्य किया जाएगा। सीएसआर से संबंधित कंपनी अधिनियम में किया गया कोई संशोधन के साथ–साथ डीपीई द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देश को इसमें जोड़ा जाएगा।

तुरंत प्रभाव से यह नीति सीएसआर से संबंधित अन्य नीति का स्थान लेगी (के बदले में होगी)

20.11 वर्ष 2018-19 में सीएमपीडीआई द्वारा चलाई गई सीएसआर परियोजना/किए गए कार्य :

क) शिक्षा

मेधावी छात्रों को छात्रवृति, गरीब परिवार की छात्राओं को ''भारत के माननीय प्रधान मंत्री की ''बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ'' अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालय शुल्क, पठन–पाठन सामग्री, यूनिफार्म के रूप में गरीब परिवार को छात्राओं को स्पांन्सरशीप। राँची, झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता।

स्लम एरिया के वंचित/अनाथ/पिछड़े वर्गों के 72 छात्रों को स्पांन्सरशीप उपलब्ध कराया गया जिसमें देवअन्ना विवेकानन्द परमेश्वर पब्लिक स्कूल सेम्बों, राँची के स्कूल फीस, यूनिफार्म, स्कूल स्टेशनरी, पुस्तक एवं पुस्तिका शामिल है।

राज्यकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, मुरगाँव, दधु पंचायत, लातेहार, झारखंड में मौजूदा शौचालयों की नवीकरण/मरम्मत तथा स्कूल भवन के गेट के साथ विभिन्न इकाईयों को जोड़ने वाले बाहरी दिवारों का निर्माण।

वंचित/अनाथ बच्चों के बीच स्कूल यूनिफार्म एवं पाठ्य सामग्री का वितरण

ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास :

वाडा चन्दगुड़िया गाँव, संतरा बांध गाँव तथा ककुदिया गाँव, कोसला कैम्प के निकट, उड़ीसा में ग्रामीणों के समारोह के लिए कल्याण मंडप निर्माणाधीन है। सिंगपुर कैम्प, विश्रामपुर के निकट सिंगपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिए एक शेड का निर्माण करवाया जा चुका है। जिला परिषद् उच्च प्राथमिक शाला, कोलारा, चिमुर तथा उच्च प्राथमिक शाला, नन्दोरी, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में दो मध्याह्न भेज शेड का निर्माण किया जा चुका है।.

ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत का निर्माण

सम्बो गाँव राँची में चिकित्सा शिविर का उद्घाटन

ग) स्वास्थ्य सुविधा :

प्रिया फाउन्डेशन इंडिया ट्रस्ट बलरामपुर पुरूलिया के जरिए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के 15 कुष्ट रोगियों के लिए परामर्श, चिकित्सा, दवा, पैथेलॉजिकल जाँच, फिजिओथेरेपी तथा भोजन जैसे अन्य चिकित्सा सहायता तथा अस्पताल में भर्ती करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छतीसगढ़ तथा उड़ीसा के पिछड़े जिलों के कुछ सुदूर गाँवों में नियमित अंतराल पर चिकित्सा शिविर लगाया गया।

घ) साफ-सफाई एवं पानी की सुविधा

राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्याल, मैसादोन एवं मुरगाँव, दाधु पंचायत लातेहार, झारखंड में 300 फीट गहराई वाले 2 डीप बोरिंग हैंड पम्प के साथ–साथ ड्रेनेज एवं प्लेटफार्म कार्य के साथ–साथ शौचालय का निर्माण किया गया है। बोकारो जिला, झारखंड के कसमार तथा पेटरवार ब्लाूक में 6 हैंउ पम्प लगाए गए। लमडॉण्ड गाँव में बोरबेल के जरिए पेय जल कनेक्शन का निर्माण कुदुम केला कैम्प बिलासपुर में किया गया।

ड.) कौशल विकास :

डिजाइन बनाने तथा सिलाई कार्य में शिक्षा एवं उद्यमिता के जरिए आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए अक्षर चैरेटेबुल ट्रस्ट को सहायता दी गई। हातमा बस्ती, काँके रोड, राँची के वंचित महिलाओं के क्षमता निर्माण के जरिए रोजगार सृजन हेतु कौशल विकास।

च) सतत् (सस्टेनेबुल) विकास :

गोपाल ग्राम पंचायत, रामपिया ब्लॉक, ओड़िसा में क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर द्वारा 15 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया।

छ) स्वच्छता कार्य योजना :

16 जून से 30 जून, 2018 तथा अगस्त, 2018 से 31 अगसत, 2018 तक सीएमपीडीआई में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के अतिरिक्त 16 सितम्बर, 2016 से 2 अक्टूबर, 2018 तक नियमित स्वच्छता कार्यक्रम के साथ–साथ ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान चलाया गया, स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत मुख्यालय तथा सातो क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा व्यापक वृक्षारोपण के साथ–साथ फलदार वृक्ष लगाया गया। न सिर्फ सभी सातो क्षेत्रीय संस्थानों के ड्रिलिंग कैम्पों तथा मुख्यालय के कार्यालय परिसरों में बल्कि विभिन्न विद्यालयों, गाँवों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य अपना तथा अपने आस–पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने की आदत बनाना था। छात्रों, ग्रामीणों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा निवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वच्छता का शपथ लिया गया। ड्राईंग प्रतियोगिता,

पतरागोंदा में ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

स्वच्छता शपथ लेकर अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन

क्षे.सं. 5, बिलासपुर द्वारा स्वच्छता अभियान

क्षेत्रीय संस्थान–7 द्वारा डोर–टू–डोर अभियान

क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल में ड्राईंग प्रतियोगिता का आयोजन

डोर–टू–डोर अभियान, दिवार लेखन तथा स्वच्छता रैली भी आयोजित की गई।

21.0 वर्ष 2018-19 के लिए सीएमपीडीआई के मेमोरेंडम ऑफ अंडर स्टैंडिग की उपलब्धि :

प्रत्येक वर्ष के लिए भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि के लिए अनेक पारामीटर सेट करने हेतु सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करता है। इसकी ग्रेडिंग वित्तीय वर्ष 2014–15 तक 1 से लेकर 5 तक की जाती है, 1.0 से 1.5 तक का ग्रेड ''उत्कृष्ट'' तथा 4.51 से 5 था। वित्तीय सीपीएसई में तिसरा सर्वोत्तम ग्रेड था तथा अपने सिन्डिकेट में प्रथम। वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा उसके बाद से ग्रेड सिस्टम को 5 प्वाईंट स्केल से बदलकर प्रतिशतता पद्धति में कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सीएमपीडीआई को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग दी गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भी ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त करने की संभावना है।

22.0 सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया स्थापना दिवस का आयोजन :

राँची 10 नवम्बर, सीएमपीडीआई, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, ने दिनांक 10 नवम्बर, 2018 मयूरी हाल, सीएमपीडीआई में पूरे उत्साह से कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री ए.के. देबनाथ, पूर्व अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सीएमपीडीआईएल ने बताया कि परियोजना के संपूर्ण जीवन अवधि के दौरान पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना तथा भू–अर्जन से सम्बद्ध समस्याऐं तथा इसके साइट विशिष्ट होने के कारण अन्य उद्योग की तुलना में कोयला उद्योग एक मात्र अकेला उद्योग है। आगे उन्होंने्र कहा कि कोल इंडिया का भविष्य उत्सर्जन की समस्या के आलोक में और अपने आप को बनाए रखने के लिए विविधिकरण न होने के कारण उज्जवल नहीं है। तथापि कोयले पर निर्भरता, इसके सस्ते रूप में उपलब्धता और अन्य क्लीन/रिन्यूवेबल एनर्जी रिसोर्स की गैर–उपलब्धता के कारण आने वाले वर्षों में लगातार बनी रहेगी। भारत के अलावे, रसिया (रूस), चाइना (चीन), ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला पर इनकी भारी निर्भरता भी है। अन्ततः हमें स्वच्छ/रीन्यूवेबल ऊर्जा संसाधनों के तरफ मुड़ना होगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई पहले से ही प्रक्रिया में है।

इस अवसर पर श्री शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक, सीएमपीडीआईएल ने सीएमपीडीआई की उपलब्धियों को सारांश में बतलाया। सीएमपीडीआई वर्ष 2006–07 से ड्रिलिंग में 18 प्रतिशत अधिक सीएजीआर प्राप्त किया। सामान्य परामर्शी सेवाओं के अतिरिक्त सीएमपीडीआईएल बीसीसीएल के मूनीडीह परियोजना में प्री–ड्रेनेज मीथेन परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं के रूप भी अपनी सेवाएँ दे रहा है। उन्होंने आने वाले वर्षों में गैर–कोयला क्षेत्रों में क्रिया–कलापों के विविधिकरण पर भी जोर दिया।

सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों को गवेषण से संबंधित उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों से नवाजा गया। इस अवसर पर ड्रिल उत्पादकता, के आधार पर आनंदवन कैम्प को सर्वोत्तम ड्रिलिंग कैम्प से पुरस्कृत किया गया और मुरपार कैम्प को द्वितीय सर्वोत्तम कैम्प मेकनिकल ड्रिल केटेगरी में पुरस्कार दिया गया तथा कोसला कैम्प को हाइड्रोस्टेटिक कोर ड्रिल की श्रेणी में उच्चतम उत्पादकता के पुरस्कार से नवाजा गया।

सर्वोत्तम ड्रिल क्रूव केटेगरी अवार्ड (उच्चतम उत्पादकता) के तहत, ड्रिल सीएमकेएमई–10001, दुर्गापुर कैम्प के क्रूव को तथा मेकेनिकल और हाइड्रोस्टेटिवस– कोरस ड्रिलों के लिए सिंगपुर कैम्प के ड्रिल संख्या सीएमकेआर–डब्ल्यूए 111–07 के क्रूव का मिला। इसके अतिरिक्त, सुमुण्डा कैम्प के ड्रिल संख्या सीएम एसी सीटी 14–4 के क्रूव को सभी क्षेत्रीय संस्थानों के बीच हाइड्रोस्टेटिक एटलस कोप को ड्रिल केटेगरी में उच्च उत्पादकता हासिल करने के लिए सर्वोत्तम ड्रिल क्रूव हेतु पुरस्कृत किया गया।

रिपोर्ट को तेयार करने में सर्वोत्तम कार्य के लिए श्री उमा शंकर सिंह, वरीय प्रबंधक (खनन), और

ओपेनकास्ट के रिपोर्ट के लिए सुमित दत्ता, प्रबंधक (खनन), भूमिगत रिपोर्ट के लिए श्री प्रमोद कुमार, वरीय प्रबंधक (खनन), भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के लिए श्री ए.के. पंडा, महाप्रबंधक (भूवैज्ञानिक) और उनके दल को तथा पर्यावरणिक सेवाओं के लिए श्री अमरजीत सिंह, इंफ्रा स्ट्रक्चरल प्लानिंग के लिए श्री इंद्राणी दास को पुरस्कृत किया गया। श्री अनिल सावनूर और श्रीमती स्वप्नाली बसु को क्रमशः 6 गवेषण और ''वित्तीय सेवाओं'' के में आउटस्टैंडिग कार्यनिष्पादन के लिए लिए पुरस्कृत किया गया। खेलकूद में आऊट स्टैंडिंग कार्यों के लिए सुश्री प्रतिभा चंडेल को पुरस्कृत किया गया।

महाप्रबंधक (गवेषण) को वर्ष 2017–18 में आउटसाइट कंसल्टेंसी जॉब, जो अधिकतम मूल्य वाले हैं, को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। तकनीकी श्रेणी में इनोवेशन के लिए स्वर्गीय मोहमद आई.डी.पठान, श्री रजनीश कुमार, श्री ए.के.सिंह, श्री राकेश रंजन, श्री हरीहरलाल, सुश्री आनिंदिता बिश्वास, श्री अपूर्वा दास, सुश्री रितुपर्णा रॉय, श्री वी.कें.श्रीवास्तव, श्री यदुवेंद्र कुमार, श्री राहुल सक्सेना और श्री नीलेश कुमार को पुरस्कृत किया गया।

सीएसआर के तहत क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल को वर्ष 2017–18 में सीएसआर बजट के अधिकतम

उपयोग करने के लिए पुरस्कार दिया गया और क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर को सभी क्षेत्रीय संस्थानों में सुदूर क्षेत्रों में अधिकतम खर्च के लिए अवार्ड दिया गया।

श्री तुषार वर्मा, श्री पियुष जायसवाल, श्री राजेश कुमार, श्री लालमनी, डा. एस.एस. राव और उनकी टीम श्री पुष्पराज सिंह, मेजर राघेवेंद्र सिंह, श्री रोहित सिंह और उनकी टीम, श्री अरूण मजुमदार और उनकी टीम तथा सीवीएम सेल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय को 6 स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।

श्री बिजान भट्टाचार्जी, श्री शशिकांत, श्री पी. बी. प्रसाद, श्री ए.के. गोराई, श्री एस.एम. राव, श्री अनुराग कपूर और श्री एम.के. रेड्डी को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त सुश्री अर्पणा किशोर, श्री मनीष यादव, श्री प्रेम प्रकाश कुंवर का ''यंग एक्जीक्यूटिव'' अवार्ड दिया गया। साथ हीं, डा0शिप्ली स्वरूप को चिकित्सा के क्षेत्र में मूल्यवान सेवाएँ प्रदान करने के लिए ''मेडिकल सेवाओं'' का अवार्ड दिया गया। कुल मिलाकर श्री बिरेन्द्र कुमार राय और श्री गोपाल पाइकारा को गैर–अधिकारी की श्रेणी में सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों के लिए अवार्ड दिया गया।

इस अवसर पर श्री बी.एन. शुक्ला, निदेशक (टी/सीआरडी), श्री ए.के. चक्रवर्त्ती, निदेशक (टी/ईएस), श्री के.के.मिश्रा, निदेशक (टी/पीएंडडी), पूर्व अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और कोल इंडिया फेमिली के निदेशक, जेसीसी के सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि, श्रीमती मीता सरन, कस्तुरबा महिला सभा की अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। समारोह की शुरूआत दीप प्रज्जवलन और कोल इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट गीत से हुई।

23. 2018–19 में पब्लिक सेक्टर (विप्स) सीएमपीडीआईएल में फोरम ऑफ वीमेन का क्रिया-कलाप :

नवगठित ''फंक्शनल मैनेजमेंट कमिटि'' ऑफ विप्स, सीएमपीडीआई चॉप्टर (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान–3) के पदाधिकारी (ऑफिस बियरर) और एक्जीक्यूटिव सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. कोआर्डिनेटर/प्रेसीडेंट– श्रीमती सुनीता मेहता, महाप्रबंधक, (का0एवं प्र0)
2. अतिरिक्त को आर्डिनेटर/वाइस प्रेसीडेंट, श्रीमती विनीता अरोड़ा, वरीय प्रबंधक (पर्यावरण)
3. सहायक को आर्डिनेटर, श्रीमती सुमन रस्तोगी, वरीय प्रबंधक (कार्मिक)
4. जेनरल सेक्रेटरी, श्रीमती जेबा इमाम : वरीय प्रबंधक (जियोलॉजी)

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक किए गए प्रमुख क्रिया-कलाप :

- विप्स, सीएमपीडीआई चैप्टर के कार्यकारी प्रबंधक समिति के ऑफिस बियरर और एक्जीक्यूटिव सदस्यों की बैठक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज क्लास रूम, सीएमपीडीआई में आयोजित हुई, जिसमें 20 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया, जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में सीएमपीडीआई के महिला कर्मचारियों के लिए निमलिखित गतिविधियाँ को करने के लिए एक प्रस्ताव किया गया :
  1 वीमेन इमपावरमेंट, जेन्डर सेम्सिटीविटी और कैरियर डेवलपमेंट पर वर्कशॉप।
  2. डोनेशन के लिए मनी जेनरेट करने के लिए फेस्ट
  3. अनाथ और ओल्ड एज होम को सहायता
  4. नजदीकी ग्राम के बच्चों और संविदा श्रमिकों के लिए साक्षरता कार्यक्रम
  5. निकट के गाँवों से पार्टिसिपेंट्स की दक्षता को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम।
  6. मानव श्रृंखला : गरीब व्यक्तियों के लिए वस्त्र का दान
  7. इंसिनेरेटर का स्थापना (सेनेटरी नौपकिन बर्निंग मशीन)

- ***''ईच्छा को आकांक्षा में बदलना- जेंडर फ्रेंडली वर्कशाप के लिए स्वंय का इको सिस्टम'' का निर्माण करने पर 29 अक्टूबर, 2018 से 30 अक्टूबर, 2018 पर कार्यशाला***

सीएमपीडीआई के महिला कर्मचारियों के लिए महाप्रबंधक (एचआरडी), सीएमपीडीआई के सहयोग और समन्वयन से 29 और 30 अक्टूबर, 2018 को कोयल हॉल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय में विप्स द्वारा ''ट्रांसफार्मिंग फ्रॉम एसपायरिंग टू इनसपायरिंग– क्रिएटिंग योर ओर इकोसिस्टम पर एक दो दिवसीय कर्मशाला का आयोजन किया गया था। इस वर्कशॉप में क्षेत्रीय संस्थानों सहित सीएमपीडीआई, मुख्यालय के लगभग 40 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। पावर मैनेजमेंट इंस्टीचयूट, नोएडा से डा0 सुनीता सिंह, सेवानिवृत महाप्रबंधक, एनटीपीसी के एपेक्स प्रक्षिण संस्थान और प्रसिद्ध और एक्लेम्ड वर्कशाप फेसिलेटर और ट्रेनर के संकाय इस दो दिवसीय वर्कशाप में भाग लिए। इस उद्घाटन में श्री शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री बी.एन. शुक्ला, निदेशक (टी/सीआरडी), श्री असीम चक्रवर्ती, निदेशक (टी/इएस) उपस्थित होकर मान बढ़ाया और उन्होंने अपने मूलयवान उक्ति से प्रतिभागियों में उत्साह बढ़ाया। यह कार्यक्रम सकारात्मकता और आत्म विश्वास बढ़ाने पर के लिए मृद्ध कार्यक्रम था। इस कार्यशाला में शामिल विषय में– स्वअवधारणा का विकास करना, स्ट्रेंथ और कंपीटेंस की पहचान करना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जनना और व्यक्तित्व को संतुलित कैसे बनाया जाए आदि शामिल है। यह स्ट्रेस और स्ट्रेन का दिन–प्रति–दिन विजय हासिल करते हुए वर्क लाइफ को एक समग्र दृष्टि प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बहुत ही समृद्ध और ऊर्जावान अनुभव वाला था, जिससे प्रतिभागियों ने मूल्यवान इनपुट का लाभ दो–दिवसीय कार्यशाला में प्राप्त किया।

- ***मुफ्त आँख (नेत्र) जाँच कैम्प :***

  सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के लिए 27 नवम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक एक तीन–दिवसीय मुफ्त नेत्र जाँच कैम्प लगाया गया। यह आफ्टोमेट्रिस्ट प्रशिक्षित और शंकर नेत्रालय के टाइटन आर्ठ प्लस द्वारा आयोजित किया गया था।

- ***3.12.2018 को आयोजित बैठक :***

  विप्स, सीएमपीडीआईएल चैप्टर के फंक्शनल मैनेजमेंट कमिटि के कार्यालय पदाधिकारियों और एक्जीक्यूटिव सदस्यों द्वारा उपर्युक्त तिथि को स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज क्लासरूम, सीएमपीडीआई में बैठक आयोजित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि जागरूकता बढ़ाने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, 2013 पर एक बाहरी विशेषज्ञ द्वारा एक लेक्चर आयोजित किया जाए। सीएमपीडीआई में सीएमपीडीआई के कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा पुराने कपड़े एकत्र कर दिसम्बर माह में वंचित लोगों के बीच बांटा गया। सीएमपीडीआईएल परिसर में एक फेस्ट (मेला) का आयोजन किया गया।

- ***पुराने कपड़े को एकत्र कर वितरण करना :***

  पुराने कपड़ों (जाड़े के कपड़ों सहित) को एकत्र करने तथा वंचित लोगों के बीच विवरण रामकृष्ण मिशन के साथ विप्स के द्वारा सीएमपीडीआईएल, राँची मं 10.12.2018 से 15.12.2018 तक सफलतापूर्वक किया गया।.

- ***परियोजना स्वाबलंबी :***

  स्वाबलंबी परियोजना विप्स, सीएमपीडीआईएल के द्वारा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य हातमा बस्ती और नजदीक के क्षेत्रों (काँके रोड) के वंचित महिलाओं को रोजगारपरक बनाने और दक्षता विकास करना है। इस कार्यक्रम के तहत उषा इंटरनेशनल लिमिटेड, पटना के मास्टर ट्रेनर की सहायता से टेलरिंग का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय संस्थान–3, सीएमपीडीआईएल के परिसर में 17 जनवरी, 2019 को अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक सीएमपीडीआईएल, श्री शेखर सरन, श्रीमती मीता सरन, अध्यक्ष कस्तुरी महिला सभा के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने महिला नियोजन की आवश्यकता और उनके उन्नति के लिए इसकी आवश्यकता तथा समाज में अपने अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता पर मूल्यवान विचार व्यक्त किए। श्रीमती सुनीता मेहता, महाप्रबंधक (का/प्र)/को आर्डिनेटर विप्स, सीएमपीडीआई ने इस कार्यक्रम से विप्स सदस्यों को परिचय कराया। श्रीमती विनिता अरोड़ा, वरीय प्रबंधक/अतिरिक्त को को–आर्डिनेटर, विप्स सीएमपीउीआइ एवं श्रीमती जेबा इमाम, वरीय प्रबंधक/ जेनरल सेक्रेटरी, विप्स सीएमपीडीआईएल ने इसकी विशेषताओं और कार्यक्रम के लाभों के बारे में बताया।

  प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समिति के पश्चात् गोंदवाना प्राइमरी स्कूल और बिरसा उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए यूनिफार्म की सिलाई का कार्य इन महिलाओं को दिया जाएगा और उनके द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण–पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें नियोजन (रोजगार) मिल सकेगा अथवा वे स्वयं व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। यह कार्यक्रम सीएसआर सीएमपीडीआईएल, विप्स और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था।

- ***विप्स, सीएमपीडीआई, नागपुर द्वारा नंदोरी गाँव में फीमेल हाइजीन पर कार्यशाला :***

  द वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) चाप्टर ऑफ सीएमपीडीआईएल, नागपुर द्वारा जिला परिषद् स्कूल, नंदोरी गाँव, वरोरा, चंद्रपुर में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए दिनांक : 24.8.2018 को एक कार्यशाल आयोजित किया गया था।

  फीमेल मेंसट्रअल क्लिनिस के मुद्दे पर पैमैन मूवी में मुख्य रूप से राष्ट्रीय बहस हुई तथा विप्स के सदस्यों को वास्तविक संसार में एक पैडमैन के रूप में चुनौती स्वीकार किया जाना चाहिए।

- ***विद्यालय में स्वच्छता जागरूकता अभियान :***

  विप्स, सीएमपीडीआईएल, नागपुर के टीम के सदस्यों ने जिला परिषद् स्कूल नागपुर का 27.06.2018 को दौरा किया एवं छोटे–छोटे बच्चों

के साथ अपना समय बिताया तथा प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता संदेश को बच्चों के बीच बाँटा। शॉर्ट फिल्म, स्लोगन, ड्राईंग और वास्तविक जिंदगी के उदाहरणों के दौरा विद्यालय के छोटे बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया गया और स्कूल तथा आसपास स्वच्छ एवं हरा भरा रखने के लिए सभी को शपथ दिलाई गई।

- ***गंदी बस्ती में स्वच्छता जागरूकता अभियान :***

  विप्स, सीएमपीडीआईएल के टीम, नागपुर द्वारा नजदीक के स्लम क्षेत्र को दौरा किया गया, समय बिताया गया एवं घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत महिलाओं के बीच स्वच्छता का संदेश दिया गया। विप्स के सदस्यों ने सीएमपीडीआईएल कॉलोनी से उपयोगी सेकण्ड–हैंड कपड़ों का संग्रह किया और स्लम क्षेत्र के वंचित लोगों के बीच इसे वितरित किया गया। उनके द्वारा सेनीटरी नैपकिन आदि का वितरण वंचित महिलाओं के बीच किया गया।

- ***पर्यावरण दिवस समारोह :***

  विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान विप्स, सीएमपीउीआईएल, नागपुर के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

- ***वंचित बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा :***

  विप्स, सीएमपीडीआईएल का उद्देश्य निकट के क्षेत्रों के वंचित बच्चों के लिए गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, सीएमपीडीआईएल परिसर में निःशुल्क कक्षा चलाने, जरूरतमंदों के उत्साह बढ़ाने का रहा है। कुल 30 छात्र निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

- ***गोंदवाना प्राइमरी विद्यालय में महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस समारोह :***

  गोंदवाना प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए दिनांक 29.1.2019 को विप्स, सीएमपीडीआईएल द्वारा महात्मा गांधी के शिक्षण पर एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस समारोह के वक्ता (स्पीकर) जणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरीय पत्रकार श्री मधुकर जी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांत और उनके बचपन तथा जीवन के बारे में बताया कि वे कैसे संसार के महानतम व्यक्तियों में से एक बने। उन्होंने अपनी पढ़ाई के महत्व पर जोर दिया और यही एक रास्ता है, जिस पर चल कर संसार को बचाया जा सके। महात्मा गांधी के बीचन और उनके कार्यों के बारे में बताकर युवाकों के बीच जागरूकता लाने से बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने में सहायता मिलेगी। इसको ध्यान में रखकर विप्स, सीएमपीडीआईएल ने नियमित अंतराल पर इस इवेंट को जारी रखने की पहल की है, जो 29. 1.2019 से इस स्कूल में शुरू हुई, जिसका नारा ''कैच देम यंग'' है। विप्स, सीएमपीडीआईएल के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और विद्यालय के शिक्षकों की भी सहभागिता इसमें रही।

- ***8 मार्च, 2019 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन***

  ''थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट एंड इनोबेट फॉर चेंज'' रु बैलेंस फॉर बेटर के वैश्विक थीम के साथ विप्स सदस्यों द्वारा मयूरी हॉल, सीएमपीडीआई में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उदघाटन समारोह में री शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, श्री बी.एन. शुक्ला निदेशक(टी/सीआरडी), श्री असीम चक्रवर्ती, निदेशक (टी/ईएस), श्री के.के.मिश्र, निदेशक (टी/आरडीएंडटी), की उपस्थिति से समारोह में चार चांद लग गए तथा श्रीमती आशा लकड़ा, मेयर रांची मुख्य अतिथि थी तथा उन्हींने सुश्री गोपिका आनंद, श्रीमती मंजुला शुक्ला और श्रीमती उषा मिश्रा के साथ–साथ अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम अन्वेषणात्मक तरीके को लाने के थीम पर फोकस था, जिसमें हम सभी जेन्डर इक्वलिटि तथा इम्पावरमेंअ ऑफ वूमेन पर आधारित था। श्रीमती आशा लकड़ा, मेयर, रांची ने नारी शिक्षा की महता पर अपने विचार व्यक्त किया, जिससे महिलाएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक स्वयं प्रगतिशील रास्ता बना सके। सुश्री गोपिका आनंद ने अपने प्रेरणात्मक भाषण में बताया कि कैवसे मानसिक मजबूती से डिसएबिलिटी से बाहर आया जा सकता है।

24.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

24.1 वार्षिक लेखे की तैयारी में मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित अप्लीकेबल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अनुपालन किया जा रहा है।

24.2 निदेशकों ने ऐसा लेखा–नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अंत में इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार किया जा सके।

24.3 निदेशक ने लेखा रिकार्डों के अनुसरण के लिए इस नियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

24.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कन्सर्न) में वार्षिक लेखा तैयार किया है।

24.5 निदेशकों ने संपुष्ट की है कि उन्होंने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है। इस प्रकार की प्रणाली पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से काम कर रहा था।

अंकेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स लोदा पटेल, वाधवा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, रांची को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी का सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी का जीएसटी अंकेक्षक के रूप में मेंसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट कॉस्ट आडिटर (लागत अंकेक्षक) को भी नियुक्त किया गया है।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिसके संपर्क में कंपनी ने चयन किया है तथा कंपनी के कार्यों के पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उसके प्रति आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट

कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, टेक्नोजाली एब्जार्पसन और फारेन एक्सचेंज अर्निंग एवं आउटगो, अनुसंधान एवं विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत एनुअल रिर्टन का सारांश, कारपोरेट गवर्नेस के अनुपालन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन का जवाब, कंपनी अधिनियम, 2013 की सेक्शन 143 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब, एमओयू 2018–19 पर रिपोर्ट तथा मैनेजेरियल पर्सनल के पारिश्रमिक आदि का विस्तृत सूचना पर रिपोर्ट भी, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

राँची,
तिथि 28.06.2019

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट-।

निदेशक मंडली की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना।

क) कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा का संरक्षण

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2017–18 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन शुरू कया है और बीईई मान्यता प्रापत ऊर्जा अंकेक्षकों द्वारा कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली खदान और भूमिगत खानों में विशेष इलेक्ट्रीकल ऊर्जा क्षपत का बेंचमार्किंग तथा इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण के साथ–साथ स्पेशिफिक डीजल कंजप्सन का बेंचमार्किंग एवं डीजल अंकेक्षण किया गया।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए डीजल बेंच मार्किंग अध्ययन में डीजल संरक्षण के लिए निम्नलिखित ब्रोड हेड का स्वीकार किया गया।

1. नियोजित एचईएमएम के लिए प्रीवेंटिव मेंटेनेंस मेजर्स को अपनाते हुए तथा लीकेज की पहचान करना और मिनिमाइज करना।
2. एचईएमएम कंसीडरिंग हाउस रोड कंशीनन्स का स्पीड आप्टीमाइजेशन
3. आइडियल आवर को मिनिमाइज करने के लिए टाइम अध्ययन और एचईएमएम के अनावश्यक मूवमेंट से बचाव
4. इलेक्ट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/बीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे को सीएमपीडीआई आयोजन एवं अभिकल्पन के मानदंड के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में **इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग अध्ययन** किया गया। भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है :

1. डिमांड साइट मैनेजमेंट
2. संचरण एवं वितरण हानि में कमी
3. पावर फैक्टर में सुधार
4. इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम
5. ट्रांसफर्मर की पहचान कर ट्रांसफार्मेशन हानि में कमी लाना
6. ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना
7. पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन किए गए। कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए :

(क1.) वर्ष 2018-19 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण पहल

क.	डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	डीजल की खपत	प्रस्तावित बचत संभावना
1.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	34511 किलो लीटर	1649 किलो लीटर / वर्ष
2.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 30 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	53228 किलो लीटर	2576 किलो लीटर / वर्ष
3.	ईसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	29104 किलो लीटर	1355 किलो लीटर / वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	42642 किलो लीटर	1407 किलो लीटर / वर्ष
5.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 10 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	102648 किलो लीटर	4920 किलो लीटर / वर्ष
6.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 03 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	53934 किलो लीटर	2584 किलो लीटर / वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	58986 किलो लीटर	2785 किलो लीटर / वर्ष
8.	सीएमपीडीआई, क्षे.सं.–2, धनबाद द्वारा धनसार–विश्वकर्मा ओसीपी, बीसीसीएल का विस्तृत अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	3143.28 किलो लीटर	91.31 किलो लीटर / वर्ष
9.	क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर उनकी ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	4743.86 किलो लीटर	199.56 किलो लीटर / वर्ष
10.	क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर उमरेर ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	5007.32 किलो लीटर	353.45 किलो लीटर / वर्ष
ख.	**2018-19 के दौरान इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग पर किया गया अध्ययन**	**प्रस्तावित निवेश (लाख रू. में)**	**प्रस्तावित बचत संभावना**
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, द्वारा खादिया ओसीपी, एनसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	105.07	95.55 ला. रू. / वर्ष
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, द्वारा कोल इंडिया, मुख्यालय कार्यालय परिसर तथा आवासीय परिसर का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण	19.05	81.54 ला. रू. / वर्ष
3.	सीएमपीडीआई, क्षे.सं.–2, धनबाद द्वारा एनटी–एसटी एक्सपेंशन ओसीपी	14.18	32.19 ला. रू. / वर्ष
4.	सीएमपीडीआई, क्षे.सं–4, नागपुर द्वारा नन्दगाँव यूजी, डब्ल्यूसीएल	29.78	36.96 ला. रू. / वर्ष
5.	सीएमपीडीआई, क्षे.सं–4, नागपुर द्वारा टॉंडसी यूजी, डब्ल्यूसीएल	82.60	174.31ला. रू. / वर्ष
6.	सीएमपीडीआई, क्षे.सं–6,सिंगरौली द्वारा अमलोरी ओसीपी, एनसीएल	57.9	146.99ला. रू. / वर्ष

(क2) वर्ष 2018-19 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा शुरू कए गए माइन इल्यूमिनेशन रिपोर्ट

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख रू. में)
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय द्वारा कृष्णशीला ओसीपी, एनसीएल का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	475
2.	सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद द्वारा बीसीसीएल के अमलगेमेटेड एनटीएसटी जीनागोरा खान का इम्यूमिनेशन सर्वेक्षण	76.15
3.	सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली द्वारा एनसीएल के बीना ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	700

ख) विदेशी विनिमय अर्जन और आउटगो :

क्र.सं.	कार्य विवरण	2018-19
1.	उत्पादों और सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं के तलए नए निर्यात बाजारों का विकास, निर्यात में वृद्धि की पहल, निर्यात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी विनियम क) अर्जित कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में) ख) उपयोग किए गए कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में) (यात्रा व्यय 0.39 करोड़ रू.+अन्य 2.82 करोड़ रू.)	शून्य 3.21 करोड़ रू.

ग) अनुसंधान एवं विकास तथा पौद्योगिकी समावेशन

1. एनसीएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), नेवेली एंड नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरूचिरापल्ली), एनआईटीटी), तमिलनाडू, द्वारा ''इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ ग्राउण्ड वाटर कंट्रोल एंड कन्वेयर सिस्टम इन माइन्स''

नामक एक एसएंडटी परियोजना हाल ही में शुरू की गई है। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 179.53 लाख रू. है। [एनएलसीआईएल–113.54 लाख रू. और एनआईटीटी : 65.99 लाख रू.]

उपर्युक्त परियोजना का प्रमुख उद्‌देश्य टेम्परेचर वाइब्रेशन बोल्टेज, करेंट आदि को मॉनीटर करने और वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित आरएफ/जीपीआरएस के जरिए एनसीआईएल में कन्वेयर प्रणाली के लिए सोल्यूशन आधारित प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल करने के लिए स्वदेशी कम लागत उच्च कार्य निष्पादन वाली सेंसरर्स का विकास करना है।

घ) प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जार्पसन) :

कोयला सेक्टर में आरएंडडी मुख्यतः खान–सुरक्षा तथा कोयला परिष्करण (विनिर्देशन)/उपयोग तथा खान पर्यावरण पर नियंत्रण जैसे सम्बद्ध क्रिया–कलाप सहित खनन परिचालन में दक्षता मापदंड (पारामीटर) में वृद्धि के लिए है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ उद्योग पर सीधे प्रभाव डालती है जबकि कुछ इन्य चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों के लए जरूरी ाान आयोजन अभिकल्पन तथा तकनीकी सेवाओं को मजबूत बनाया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान इस दिशा में दो अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है। इन पूरी हुई परियोजनाओं का उद्‌देश्य इस प्रकार है :

1. सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सर्पोटस (एसएजीईएस) (चरण-II) का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन और कार्य-निष्पादन बिहेवियर

यह परियोजना मेसर्स जया भारत इक्वीपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेवीईपीएल), हैदराबाद

इस परियोजना के तहत आवश्यक रूपांतरण के बाद 6 एसएजीईएस का विकास किया गया है, जिसे एसआरपी एरिया, एससीसीएल के आर के 7 भूमिगत खान में क्षेत्र परीक्षण किया जाना है, जहाँ ग्राउण्ड मूवमेंट पर इसके प्रभाव और कार्य निष्पादन पर अध्ययन करने के लिए इमीडिएट रूफ, शेल/ सैंडस्टोन है। साथ ही तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता पर अध्ययन करना भी है। आ के –7 खान, एससीसीएल के डीपीलरिंग पैनेल में साजेज (एसएजीईएस) को नियोजित कर क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

साजेज का विकास भारत में यंत्रीकृत भूमिगत कोयला खानों के लिए उपकरण के निर्माण हेतु भारत मिशन के लिए रास्ता तलाशने क लिए भूमिगत कोयला खानों में पिलरों में आबद्ध कोयले के इफीशिएंड कर्षण तथा सुरक्षा, आर्थिक रूप से, के लिए किया गया है।

2. कोल इंडिया के परित्यक्त कोयला क्वारियों (खदानों) में फिश कल्चर को प्रोमोट करने के लिए खान जल पर्यावरण का मूल्यांकन और लागत प्रभावी वायड इको-सिस्टम का समुचित विकास

यह परियोजना बिरसा एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी (बीएयू), राँची ने सीएमपीडीआई के साथ मिल कर किया।

उपर्युक्त अध्ययन संगम ओसीपी और सौंदा ए.के.सीसीएल में किया गया। 30 मीटर की गहराई तक जल में डिजोलब्ड आक्सीजन (डीओ) कंसन्ट्रेशन को बुस्ट अप करने के लिए जल निकायों के आस–पास ''हाइड्रिला'' कहलाने वाले एक्वेटिक प्लांट लगाया गया है।

अन्य एक्वेटिक प्लांट्स एजोला, सालविनियाँ और स्पाइरोडेल्ला एलोन और ग्रूप, टोटल डिजोलब्ड सॉलिड (टीडीएस) को कम करता है। केजेज को जल में इनसर्ट किया गया और स्टॉक्ड फिशेज महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

अन्ततः उपयुक्त मछली की प्रजाति और मत्स्यपालन की टेकनीक के चयन, मत्स्य पालन की स्थायित्वता के लिए जैविकीय विधि के जरिए जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के परित्यक्त कोयला खान और पोस्ट–माइनिंग व्यायड्स में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कए लागत प्रभावी एक्वा इको–सिस्टम का विकास किया गया है। मत्स्यपालन के जरिए आय अर्जन हेतु कोयला खानों के आगे उपयोग करने हेतु एक उपयुक्त आरैर लागत प्रभावी दिशा–निर्देश का विकास किया गया है।

3. *एससीसीएल में कोल रिसोर्स के रूफ हाजर्ड्स मैप के विकास और डीपर हॉरिजोन्स में हॉरिजेन्टल स्ट्रेस के क्षेत्रों का मूल्यांकन :*

यह परियोजना नेशनल इस्टीच्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स (एनआईआरएम), बेंगालूरू के सहयोग से सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), कोथागुडेम के द्वारा किया गया।

एससीसीएल के गोदावरी घाटी के कोल बियरिंग फार्मेशन में वितरण और स्ट्रेस ओरिएन्टेशन को डेराइव (प्राप्त) करने के लिए जियो–टेक्नीकल और लिनिएमेंटस विश्लेषण किया गया तथा मंडामारी शाफ्ट ब्लॉक बीएंडसी/रविन्द्र खानी न्यू टेक्नोलॉजी (आरकेएनटी) डीप साइट ब्लॉक में स्व स्थाने स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए ड्रिलिंग दो बोरहोल्स (हाइड्रो–फ्रेक्चरिंग सहित) द्वारा वैधता प्रदान किया गया।

इस परियोजना के तहत, गोदावरी कोयला क्षेत्र के खानों में डीपर हॉरिजोन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्षेत्रों का पता लगाया गया और एससीसीएल के कोयला खनन ब्लॉकों के लए समुचित सवोर्ट सिस्टम बनाया गया। समुचित सपोर्ट डिजाइन के लिए भारत के अन्य कोयला क्षेत्रों में कार्यान्वियन के लिए एक दिशा–निर्देश भी तैयार किया जा चुका है।

4. *कोयला वर्करों के फेफड़े की बीमारी पर कोल माइन डस्ट में आयरन की जैविकीय उपलब्धता (बीएआई) पर संभावित प्रभाव :*

यह परियोजना, प्रियदर्शिनी इस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (पीआईईटी), नागपुर, सेंट्रल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंस (सीआईआईएमएस), नागपुर एवं वेर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर के सहयोग से नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ (एनआईएमएच), नागपुर द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

इस अध्ययन के तहत, महाराष्ट्र के चयनित खानों (साओनेर, सिलेवारा, अडासा, उमरेर, चंदनपुर, बल्लारपुर, मांजरी, वाणी और वाणी नार्थ एरिया) तथा विस्तृत विश्लेषण के लिए मध्य प्रदेश रीजन (पेंच, पाथरखेरा और कन्हान क्षेत्र) से 77 कोल डस्ट नमूने जमा कर अध्ययन किया गया।

इन–विट्रो ओर इन–विवो अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि बायोएवलेबल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वीएआई के जल्दी पता लगने पर कोल माइन डस्ट के एक्सपोजर के साथ आक्यूपेशनल हेल्थ प्राब्लम में कमी की जा सकती है।

कोयला नमूनों में बायोएवलेबल आयरन के गुण–निर्धारण और विसतृत प्रोफाइलिंग और सेंट्रल इंडिया के विभिन्न कोल माइनिंग रीजन के रेस्पाइरेबल कोल डस्ट पार्टिकल्स का अध्ययन, बायोएबलेवल आयरन कोल डस्ट अथवा रेसपाइरेबल कोल डस्ट पार्टिकल के एक्सपोजिंग डिफरेंट डोज टाइम इंटरवल द्वारा न्यूमोकोनियोसिस की बीमारी के लिए जानवर का उपयोग कर इन–विवो मॉडल और ह्यूमन लंग सेल लाइन का उपयोग कर इन–विट्रो मॉडल का विकास करने के लिए किया गया है। विकसित इअन–विट्रो और इन–विवो मॉडल का उपयेाग कर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, साइटोक्सिरी, जेनोटॉक्सिटि और इम्यूनोटोंक्सिटी पारामीटरों के मापन के द्वारा कोल डस्ट में उपस्थित बायोएवलेबल आयरन और रेसवाइरेबल कोल डस्ट के टोक्सीटी प्रोफाइल के अध्ययन पर बल दिया गया है।

5. *कोयले से अशुद्ध जल को खत्म करने के लिए कोयला वाशरियों में जल की खपत को आण्टीमाइन करने के लिए वाटर नेटवर्क का डिजाइन :*

यह परियोजना सीएमपीडीआईएल तथा सीसीएल, राँची के सहयोग से आईआईटी, रूड़की द्वारा कार्यान्वित की गई है।

इस परियोजना के तहत, न्यूनतम स्वच्छ जल की आवश्यकता की गणना करने और वाटर पिंज अलगोरिदम पर आधारित 3 आर (रीयूज–रीजेनरेशन–रिसाइक्ल) के तकनीक का उपयोग करते हुए नयूनतम परिव्यक्त जल का अनुमान करने के लिए सीसीएल के केदला और पिपरवार वाशरी के प्रोसेस फ्लो शीट का अध्ययन किया गया। अन्ततः आप्टीमम वाटर नेटवर्क का सुझाव दिया गया ताकि आसपास के इफ्लूएंट के जीरो डिस्चार्ज के लिए क्लोज्ड वाटर सर्किट आपरेशन हेतु वाशरियों के वाटर नेटवर्क को रूपांतरित करना होगा।

परिशिष्ट – II

सेवा में,
निदेशक मंडल,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

हम शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं एस.एन. साव, महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में न तो कोई भी वस्तुपरक असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

ii ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण, गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

घ. हमने आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

i. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

ii. 31 मार्च, 2019 को समापत वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

iii. किसी बड़े धोखाघड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

(एस.एन.साव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट - III

फार्म संख्या एमजीटी-9
31.3.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न का सारांश

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी के नियम 12(1) के संदर्भ में (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014का नियम 12 (1)]

I. रजिस्ट्रेशन एवं अन्य विवरण :

1	सीआईएन	: यू14292जेएच1975जीओआई001223
2	पंजीकरण की तिथि	: 01.11.1975
3	कंपनी का नाम	: सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
4	कंपनी की कैटेगरी / उप–कैटेगरी	: मिनी रत्न (कैटेगरी– I)
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	: गोंदवाना प्लेस, कॉंके रोड, रॉंची, झारखंड–834031
6	कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं	: नहीं
7	रजिस्टर तथा ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण	: एनएसडीएल डाटा बेस मैनेजमेंट लि., चौथा तल्ल, ए विंग, उट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट, लोअर परेल, मुम्बई, 400013, दूरभाष– 91–22–49142700

II. कंपनी का मुख्य व्यावसायिक क्रिया-कलाप

(कंपनी के कुल टर्न ओवर (उत्पादन) जो 10 प्रतिशत या उससे अधिक के सभी व्यावसायिक क्रिया–कलापों को प्रकट किया जाएगा)

क्र.सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादन/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत (%)
1.	माइन प्लानिंग एंड डिजाइन	0990	22%
2.	भूवैज्ञानिक एवं वेधन	0990	60%

III. धारक (नियंत्रक), अनुषंगी तथा सम्बद्ध कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्र/अनुषंगी/ सम्ब)	धारित शेयर का प्रतिशत (%)	लागू धारा (सेक्शन)
1.	कोल इंडिया लि.	एल23109डब्ल्यूबी1973जीओआई028844	नियंत्रक	100 प्रतिशत	कंपनी अधिनियम 2013 का 92(1)ए

IV. शेयर धारक के तरीके (पैटर्न)

(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक–अप)

i. कैटेगरी–वाईज शेयर होल्डिंग

शेयर धारक की कैटगरी	वर्षारंभ में धाारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2018 के अनुसार)				वर्षात में धाारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2019 के अनुसार)				
	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत में
ए. प्रमोटर्स									
1. भारतीय									
(ए)व्यक्तिगत/एचयूएफ	-		-	-			-	-	-
(बी)केंद्रीय सरकार			-	-			-	-	-
(सी)राज्य सरकार			-	-			-	-	-
(डी)निकाय कार्पोरेशन	शुन्य	380800	380800	100%	380800	Nil	380800	100%	शुन्य
(ई)बैंक/एफआई			-	-			-	-	-
(एफ) कोई अन्य			-	-			-	-	-
उप योग(ए) (1)	**-**	**380800**	**380800**	**100%**	**380800**	**-**	**380800**	**100%**	शुन्य
(2). विदेशी									
ए)एनआरआई व्यक्तिगत			-	-			-	-	-
बी)अन्य–व्यक्तिगत			-	-			-	-	-
सी)निकाय कारपोरेशन			-	-			-	-	-
डी)अन्य कोई			-	-			-	-	-
उप योग(ए) (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल(ए)	**-**	**380800**	**380800**	**100%**	**380800**	**-**	**380800**	**100%**	शुन्य
बी.पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1.संस्थान									
क.मियूचुअल फंड			-	-			-	-	-
ख.बैंक/एफआई			-	-			-	-	-
ग.केंद्र सरकार			-	-			-	-	-
घ.राज्य सरकार			-	-			-	-	-
ड.वेंचर पूंजीगत निधि			-	-			-	-	-
च.बीमा कंपनी			-	-			-	-	-
छ.एफआईआईएस			-	-			-	-	-
ज.विदेशी वेंचर पूंजीगत निधि			-	-			-	-	-
झ.अन्य (उल्लेख करे)			-	-			-	-	-
उप योग (बी) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थान									
ए.निकाय कार्पोरेशन									
1.भारतीय			-	-			-	-	-
2.ओवर्सिज			-	-			-	-	-
बी. इंडिविजुअल									
1.एक लाख तक के नाम मात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग			-	-			-	-	-

2.एक लाख से अधिक तक के नाम मात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग			-	-			-	-	-
सी.अन्य (उल्लेख करें)									
अप्रवासी भारतीय									
ओवसीज कॉरपोरेट निकाय			-	-			-	-	-
फोरेन नेशनल्स			-	-			-	-	-
क्लियरिंग मेंबर्स			-	-			-	-	-
ट्रस्ट			-	-			-	-	-
विदेशी निकाय डीआर			-	-			-	-	-
उप योग (बी) (2) :-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पब्लिक (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए कस्टोडियम द्वारा धारित शेयर			-	-				-	-
समग्र योग	-	380800	380800	100%	380800	-	380800	100%	शुन्य

(ii) प्रोमोटरों की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का %	कुल शेयर का प्लेज्ड/इनकम्बर्ड शेयर का %	शेयरों की	कंपनी की कुल शेयर का %	कुल शेयर का प्लेज्ड/इनकम्बर्ड शेयर का %	
1	कोल इंडिया लि.	380800	100%	0	380800	100%	0	0 %

(iii). प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग (यदि कोई बदलाव नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के आरंभ में	380800	100%	380800	100.00%
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	0.00%
3.	वर्ष के अंत में	380800	100%	380800	100.00%

(iv) टॉप 10 शेयर होल्डरों के शेयर होल्डिंग का पैटर्न :

डायरेक्टर, प्रोमोटर तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के होल्डर के अलावे

क्र.सं	प्रत्येक टॉप 10 शेयर होल्डरों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के आरंभ में	-	0%	-	0%
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	0%	-	0%
3.	वर्ष के अंत में	-	0%	-	0%

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजरियल पर्सेनल) का शेयर होल्डिंग :

क्र.सं	प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक की-मैनेजरियल पर्सेनल का शेयर होल्डिंग	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	नाम				
	वर्ष के आरंभ में	-	0%	-	0%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	0%	-	0%
	वर्ष के अंत में	-	0%	-	0%

V. भार (इनडेब्टनेस)

बकाया/अक्रूड ब्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं हो, सहित कंपनी का ऋण भार

(रू./लाख में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणभार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण भार				
1. मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. देय ब्याज किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. अक्रूड व्याज किन्तु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (1+2+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भार में परिवर्तन				
* जोड़कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
* घटाकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बदलाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण भार				
1. मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. अक्रूड ब्याज किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (1+2+3)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजेरियल दपर्सेनल) का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर के नाम				
	नाम	श्री शेखर सरन	श्रीए.के. चक्रवर्ती	श्री बी.एन. शुक्ला	श्री के.के. मिश्रा	श्री रवीन्द्र नाथ झा
1	सकल वेतन					
	क) आयकर अधिनियम1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	68,78,124.00	59,32,114.00	60,50,013.00	9,93,594.00	6,36,640.00
	ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धि का मूल्य	79,546.00	31,977.00	49,307.00	18,296.00	-
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टाक विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटि	-	-	-	-	-
4	कमीशन					
	–लाभ का % के अनुसार	-	-	-	-	-
	–अन्य उल्लेख करें (सीएमपीएफ ईएमपी शेयर)	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	कुल (ए)	**69,57,670.00**	**59,64,091.00**	**60,99,320.00**	**10,11,890.00**	**6,36,640.00**

बी. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल राशि (रू. में)
		श्री राजेन्द्र प्रसाद	डा. देबाशीष गुप्ता	
1	स्वतन्त्र निदेशक			
	बोर्ड एवं कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	6,20,000.00	6,20,000.00	12,4,0000.00
	कमीशन			-
	अन्य कृपया उल्लेख करें			-
	कुल (1)	6,20,000.00	6,20,000.00	12,40,000.00
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक			-
	बोर्ड कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क			-
	कमीशन			-
	अन्य कृपया उल्लेख करें			-
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (बी) = (1+2)	**6,20,000.00**	**6,20,000.00**	**12,40,000.00**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			**2,31,49,611.00**

सी. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावे मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजरियल पर्सेनल) को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	की–मैनेजरियल पर्सेनल का नाम		कुल राशि
	नाम	श्री शम्भू नाथ साव	श्री अभिषेक मुंधड़ा	(रू. में)
	पदनाम	सीएफओ	सीएस	
1	सकल वेतन			
	क) आयकर अधिनियम1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	57,47,350.00	20,38,567.00	77,85,917.00
	ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धि का मूल्य	15,524.00	27,080.00	42,604.00
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ			-
2	स्टाक विकल्प			-
3	स्वीट इक्विटि			-
4	कमीशन			
	–लाभ का :के अनुसार			-
	–अन्य उल्लेख करें (सीएमपीएफ ईएमपी शेयर)			-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें			-
	कुल	**57,62,874.00**	**20,65,647.00**	**78,28,521.00**

VII. अपराध के लिए जुर्माना/दण्ड/कम्पाऊंडिंग (दोनों)

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनाल्टी/पनिशमेंट/कम्पाउडिंग के लिए लगाया गया शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	की गई अपील, यदि हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
पेनाल्टी	कोई नहीं				
पनिशमेंट					
कंपाउंडिंग					
बी. निदेशक					
पेनाल्टी	कोई नहीं				
पनिशमेंट					
कंपाउंडिंग					
सी. डिफाल्टर में अन्य अधिकारी					
पेनाल्टी	कोई नहीं				
पनिशमेंट					
कंपाउंडिंग					

परिशिष्ट - IV

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सचिवालय)

निगमित शासन अनुपालन का प्रमाण-पत्र

कंपनी का सीआईएन	:	यू 14292 जेएच 1975 जीओई 001223
नॉमिनल पूंजी	:	500,000,000 रू. (पचास करोड़ रू.)
प्रदत्त पूंजी	:	38,08,00,000 रू. (अड़तीस करोड़ आठ लाख रू. मात्र)

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 008

हमने केंद्रीय लोक उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), के दिशा–निर्देश 2010 की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (दि ''कंपनी'') द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की स्थिति की जाँच की है।

हमारी जाँच का सारांश नीचे दिया गया है :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना कंपनी की जिम्मेवारी है । हमारे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव के संस्थान एवं लोक उपक्रम विभाग के दिशा–निर्देश 2010 में उद्धृत निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुरूप है। यह जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण है। हमने प्रमाणन के उद्देश्य से अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है तथा हमारे द्वारा अपेक्षित इस तरह के सभी अभिलेख, दस्तावेज तथा प्रमाण–पत्र आदि उपलब्ध करवाया गया है।

2. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा निदेशक और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनेक माड्यूलों तथा मानक के अनुसार स्वच्छ (अच्छा) शासन (गुड गवर्नेन्स) की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जारी कानून तथा मानक के अनुपालन हेतु कदम उठाया है।

1. निदेशक-मंडल :

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक–मंडल द्वारा संचालिय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या का निर्धारण करते हैं। निदेशक को किसी तरह का क्वालिफिकेशन शेयर रखने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा गैर–सरकारी अंशकालिक

निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्त के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते एवं सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

क) बोर्ड का आकार :

कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएन के अुनसार हमारे बोर्ड में 3 से कम तथा 15 से अधिक निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक / कार्यकारी निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक / कार्यकारी निदेशक या सरकारी अंशकालिक निदेशक या गैर–सरकारी अंशकालिक / स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख) निदेशक मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2019 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 9 सदस्य हैं, जिसनमें से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक तथा दो गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं। इस बोर्ड के अध्यक्षकार्यकारी श्री शेखर सरन हैं। कंपनी के निदेशक–मंडल में केवल दो ही स्वतंत्र निदेशक है। पूर्व में नियुक्त स्वतंत्र निदेशक के सेवा समाप्ति के बाद भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के द्वारा शेष तीन निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी बाकी है। वास्वत में, बोर्ड के गठन के बारे में निगमित शासन क्रे दिशा–निर्देश का अनुसरण स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद में ही किया जा सकता है।

31 मार्च, 2019 की तिथि के अनुसार बोर्ड का गठन इस प्रकार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक :

क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

1) श्री शेखर सरन

ख) कार्यकारी निदेशक

2) श्री बी.एन.शुक्ला

3) श्री ए.के.चक्रवर्ती

4) श्री के.के.मिश्र

5) श्री आर.एन.झा

II. अंशकालिक सरकारी निदेशक :

1) श्री विनय दयाल

2) श्री अनिद्या सिन्हा

III. स्वतंत्र निदेशक :

1) श्री राजेन्द्र प्रसाद

2) श्री देबाशीष गुप्ता

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1) श्री पीयूष कुमार

ग) आयोजित बैठकों की संख्या एवं तिथि :

निदेशक–मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बॉडी) है, जो कंपनी का संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 10 बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठकों की संख्या	दिनांक	दिन	बैठक का स्थल
1.	213वीं	12.5.2018	शनिवार	सीएमपीडीआईएल
2.	214वीं	25.5.2018	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल
3.	215वीं	13.7.2018	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल
4.	216वीं	1.8.2018	बुधवार	सीएमपीडीआईएल
5.	217वीं	19.9.2018	बुधवार	सीएमपीडीआईएल
6.	218वीं	31.10.2018	बुधवार	सीएमपीडीआईएल
7.	219वीं	11.12.2018	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल
8.	220वीं	28.12.2018	शुक्रवार	नई दिल्ली
9.	221वीं	31.1.2019	वृहस्पतिवार	नई दिल्ली
10.	222वीं	13.3.2019	बुधवार	सीएमपीडीआईएल

2. (क) अंकेक्षण समिति का प्राथमिक कार्य सामान्यतः वित्त से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा कर आवरसाइट दायित्वों को पूरा करने में निदेशक–मंडल की सहायता करना है।

(ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के अनुसार होता है।

अंकेक्षण समिति के विचार–विमर्श में निम्नलिखित के साथ सभी प्रकार के वाणिज्यिक पहलू शामिल हैः

1. बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समय–समय पर समीक्षा
3. सरकारी अंकेक्षण तथा साविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा
4. मानक पारामीटर की तुलना में परिचालन उपलब्धि की समीक्षा
5. परियोजना एवं अन्य पूंजीगत (बड़ी) योजनाओं की समीक्षा
6. आंतरिक अंकेक्षण का जाँच–परिणाम/टिप्पणी की समीक्षा
7. अनुकूल एवं कारगर आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास
8. बोर्ड द्वारा प्रेषित मामलों के साथ–साथ किसी भी तरह के मामलों का विशेष अध्ययन/तहकीकात करना

(ग) अंकेक्षण समिति का कार्य-क्षेत्र :

1. वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वनीय है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण।
2. अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास अनुशंसा करना।

3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान हेतु अनुमोदन।
4. खासकर निम्नलिखित मामले में अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा :
    क) कंपनी अधिनियम की धारा 134(3) तथा 134(5) के संदर्भ में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के दायित्व में सम्मिलित मामले
    ख) लेखा नीति तथा प्रचलन में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसका कारण।
    ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय देने की प्रक्रिया के आधार पर प्राक्कलन सहित महत्वपूर्ण लेखे की प्रविष्टि
    घ) अंकेक्षण परिणाम से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
    ड.) वित्तीय विवरण से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, विनियमन एवं कंपनी की नीति) का अनुपालन
    च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
    (छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता (क्वालिफिकेशन)
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक अंकेक्षण विभाग की संरचना, कर्मचारियों तथा विभाग के नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरीयता, आंतरिक अंकेक्षण का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज तथा आंतरिक अंकेक्षण की आवृति शामिल है।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो, पर आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों/एजेसिंयों द्वारा किसी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जिसमें महत्वपूर्ण (मैटिरियल) प्रकृति के संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण की विफलता हो तथा इस मामल्रे की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, के साथ–साथ ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म कोकार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
12. सी एंड ए जी ऑडिट के अंकेक्षण टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच लब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी लेन–देन की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक ऐसे सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
15. कवरेज, की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयास में कटौती तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र ऑडिटर के साथ पुनरीक्षण करना।
16. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्ता के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबंधन नियंत्रण एवं सुरक्षा तथा संबंधित निष्कर्ष पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ समीक्षा और आंतरिक अंकेक्षक एवं स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसा के साथ–साथ प्रबंधन का प्रत्युत्तर।

17. विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम (निष्कर्ष) पर प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ विचार एवं समीक्षा जिसमें गत अंकेक्षण अनुशंसा की स्थिति तथा अंकेक्षण कार्य के दौरान सामना की गई कठिनाइयों के साथ–साथ कार्य क्षेत्र या अपेक्षित सूचना तक पहुँचने में किसी तरह की रूकावट शामिल है।
18. डिपोजिटर, डिबेन्चर होल्डर, शेयर होल्डर(घोषित डिविडेंट का भुगतान न करने के मामले) और क्रेडिटर्स को भुगतान।
19. संसद के लोक उपक्रमों की समिति (कोपु) की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
20. अंकेक्षण समिति के विचारार्थ विषय में यथा उल्लेखित को अन्य कार्य करान।

घ) अंकेक्षण समिति के अधिकार

अंकेक्षण समिति को इसकी भूमिका के अनुरूप अधिकार भी प्राप्त रहेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. विचारार्थ विषय के भीतर किसी भी क्रिया–कलापों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मचारी से सूचना (जानकारी) प्राप्त करना।
3. बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. संबंधित विशेषज्ञता वाले आउटसाइडरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो,
5. मुखबिरों (विसिल ब्लोअर) की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतंत्रता को सशक्त कर कनफ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट को समाप्तम करना।
7. आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. आंतरिक नियंत्रण (इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज) से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च) गठनः

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष– (01.11.2016 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री आर. प्रसाद	सदस्य– (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य– (30.10.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बिनय दयाल	सदस्य– (09.11.2017 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	डा. अनिंद्या सिन्हा	सदस्य– (09.03.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक

महाप्रबंधक (वित्त), महाप्रबंधक (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

छ) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठक का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः दिनांक : 12.5.2018, 25.5.2018, 13.7.2018, 1.8.2018, 19.9. 2018, 31.10.2018, 22.11.2018, 31.1.2019 और 13.3.2019 को कुल नौ बैठकें आयोजित की गई।

3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम प्रक्रिया का अनुसरण करने तथा निगमित शासन का अनुपालन करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 213वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 12.5.2018 को आयोजित 213वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता ग्रेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डा. देबाशीष गुप्ता	सदस्य– (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	डा. अनिंद्य सिन्हा	सदस्य– (12.5.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	स्थायी आमंत्रित सदस्य (28.10.2016)	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा इस समिति को सभी तरह की सेवाएँ प्रदान करने के लिए महाप्रबंधक (का. एवं प्र.) नोडल अधिकारी होंगे।

4 सीएसआर कमिटीः

निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के प्रति प्रतिबद्धता है, जो कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से कार्य व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रूप, सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस को बोर्ड स्तर की एक समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति

को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

कंपनी की सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने तथा 1.4.2013 से लागू डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार अपेक्षित दिशा में कंपनी के इन एजेंडा को ले जाने के लिए उपयुक्त नीति एवं दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु बोर्ड को सहायता देने के लिए प्रत्येक सीपीएसई को बोर्ड स्तरीय समिति बनानी पड़ती है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक या एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। दिशा–निर्देश की शर्त के अनुसार सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी को एमओयू में गैर–वित्तीय पारामीटर के तहत अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया गया है।

इस दिशा–निर्देश के अनुरूप 10.05.2013 को आयोजित 172वीं बैठक में बोर्ड ने सीएसआर समिति का गठन किया है।

क) गठन :

सीएसआर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसके अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (11.12.2018 से) सदस्य (30.10.2017 से 10.12.2018 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष (11.12.18 से) अध्यक्ष (1.11.2016 से 10.12.2018 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री बी.एन.शुक्ला	सदस्य (230.10.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	सदस्य (28.10.2016 से 10.12.18)	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य (11.12.2018 से)	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (एचआरडी) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो सीएसआर कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोजित सीएसआर समिति की बैठक का व्यौरा

इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 20.06.18, 13.07.18, 1.08.18, 27.8.18, 31.1.19 तथा 13.3.19 को कुल 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं।

आगे हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावकारित के रूप में है, जिसे प्रबंधन ने कंपनी के मामले को संचालित किया है।

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एम नं. एफ 8423
सी.पी. सं. 9788

स्थान : राँची
दिनांक : 13.05.2019

परिशिष्ट - V

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी

चार्टड एकाउन्टेंट्स

304ए श्रीलोक कंपलेक्स, 4 एच.बी. रोड, राँची – 834001

सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के सदस्यगण

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड ''दि कंपनी'' का संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (दीएक्ट) द्वारा अपेक्षित जानकारी देता है तथा अधीनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों दी कंपनीज (इंडियन आकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, यथा संशोधित (Ind As) के साथ पठित तथा 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की स्थिति से संबंधित भारत में साभाव्यता स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सकल विस्तृत आय, उस तिथि को समाप्त वर्ष में इक्विटी तथा उसके नकद प्रवाहों में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देता है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्वः

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण का संचालन, हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत वर्णित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विसतृत वर्णन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हमारी रिपोर्ट के लिए अंकेक्षकों के दायित्व से संबंधित अनुभाग में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ–साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, जो नैतिक आवश्यकताओं से संबंधित हैं और वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगित हैं, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा (ICAI) के कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि अंकेक्षण के लिए जो प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरण के अंकेक्षण विचार (Audit Opinion) आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अंकेक्षकों के मुख्य मुद्दे :

अंकेक्षकों की हमारी रिपोर्ट का यह भाग प्रबंधन के साथ आदान–प्रदान किए गए उन चुनिन्दा मुद्दों को वर्णित करने के लिए अभिप्रेत है, जो हमारें व्यावसायिक निर्णय के अनुसार मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह मुद्दे पूर्ण रूप से वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के संदर्भ में ही

संबंधित थे, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मुद्दों पर एक अलग राय नहीं प्रदान करते हें। हमने निर्धारित किया है कि नीचे वर्णित मुद्दे हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने प्रमुख लेखा परीक्षा के मुद्दे हैं।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा के लिए मुख्य मुद्दा	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1.	Ind AS 115 को अपनाना ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व। वित्तीय विवरण के नोट 2.1 में जैसा वर्णित है कि कंपनी Ind AS 115 को अपना लिया है, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व जो कि राजस्व लेखांकन मानक है। इस लेखांकन मानक का प्रयोग और संक्रमण जटिल है और लेखा परीक्षा में फोकस का एक क्षेत्र है। राजस्व लेखांकन के नए मानक के प्रयोग, डिस्टिंक्ट परफार्मेंश आब्लिगेशन की पहचान, पहचाने गए परफार्मेंश ऑब्लिगेशन के ट्रांजेक्शन ऑफ प्रइस के निर्धारण, एक अवधि में स्वीकृत राजस्व का पता लगाने के लिए प्रयुक्त आधार की उपयुक्तता से संबंधित निश्चित मुख्य निर्णय शामिल हैं।	Ind AS 115, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व (Ind AS 115) को अपनाने, जो कि राजस्व लेखांकन का नया मानक है, की हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हैं : • राजस्व लेखांकन के नए मानक के डिजाइन और प्रक्रिया के कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण से संबंधित मूल्यांकन • ग्राहकों के साथ मौजूदा संविदाओं के लिए नमूनों के चयन द्वारा राजस्व स्ट्रीक्स पर प्रबंधन द्वारा संपादित विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन तथा उन राजस्व स्ट्रीक्स के संबंध में मौजूदा अवधि में राजस्व रिकग्नीशन नीति पर विचार • नए राजस्व लेखांकन मानक के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रकटीकरण की उपयुक्ता का तथा प्रासंगिक प्रकटीकरण की गणितीय शुद्धता और पूर्णता के निर्धारण का मूल्यांकन

मुद्दे का महत्व (Emphasis of Matter) :

क) नोट सं. 24 'सेल्स' का संदर्भ– वित्तीय विवरण का रू.1274.56 करोड़ फॉर्मिंग पार्ट कंपनी द्वारा स्वीकृत राजस्व को थी शामिल करता है उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जिनके वस्तुओं और सेवाओं का ट्रांसफर ग्राहकों को किया जा चुका है लेकिन वर्ष के अंत में अंतिम इनवाइसिंग नहीं कि गई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अर्जित लेकिन अनाबिल्ड राजस्व रू. 0.55 को शामिल किया है लेंकिन रू. 0.10 करोड़ की वस्तु और सेवा कर ने क्लाइंट को पास किए जाने के लिए रेट डिफरेंस बेनिफिट के रूप में बिक्री में 3.36 करोड़ की कमी की है लेकिन औपचारिक क्रेडिट नोट वर्ष के दौरान जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार कंपनी की वस्तु और सेवा कर देयता सीमा से अधिक रू. 0.61 करोड़ हुई। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रू. 15.25 करोड़ की अधिक बिक्री दर्ज की गई, क्योंकि कुछ इनवाइसों को दो बार दर्ज किया गया था इसके कारण 2017–18 का लाभ उक्त समान राशि जितना अधिक दर्ज किया गया था। इसी तरह वर्ष 2017–18 में जीएसटी देयता के रूप में रू. 2.74 करोड़ की अधिक राशि और ट्रेड रिसिवेवल्स के रू. में 17.99 करोड़ की अधिक राशि दर्ज की गयी थी। वर्ष 2017–18 की बिक्री की ओवरबुकिंग और जीएसटी देयता के अधिक नियोजन के उपरांत वर्ष 2018–19 की बिक्री से और 31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की जीएसटी देयता से बदली और समायोजित की जा चुकी है। इस प्रकार चालू वर्ष के एि बिक्री और जीएसटी देयता क्रमशः रू. 15.25 करोड़ तथा रू. 2.74 करोड़ कम करके बताया गया है।

ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रू. 15.25 की अधिक बिक्री दर्ज की गई, क्योंकि कुछ इनवाइसों को दो बार दर्ज किया गया था इसके कारण 2017–18 का लाभ उक्त समान राशि जितना अधिक दर्ज किया

गया था। इसी तरह वर्ष 2017–18 में जीएसटी देयता के रूप में रू. 2.74 करोड़ की अधिक राशि और ट्रेड रिसिवेबल्स के रू. में रू. 17.99 करोड़ की अधिक राशि दर्ज की गई थी। वर्ष 2017–18 की बिक्री की ओवर बुकिंग और जीएसटी देयता के अधिक नियोजन के उपरांत वर्ष 2018–19 की बिक्री से और 31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की जा चुकी है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिए बिक्री और जीएसटी देयता क्रमशः रू. 15.25 करोड़ तथा रू. 2.74 करोड़ कम करके बताया गया है।

ग) **नोट संख्याः 21-** प्रोविजन्स का संदर्भ वित्तीय विवरण के रू. 192.34 करोड़ के मौजूदा फॉर्मिंग पार्ट में प्रदर्शन संबंधित भुगतान (पीआरपी) के लिए उपलब्ध कराइ गई कुल रू. 103.04 करोड़ की राशि भी शामिल है, जिसमें से रु. 52.79 करोड़ वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए है और रू. 50.25 करोड़ की शेष बची राशि पूर्व वर्ष के लिए है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, अंतिम व्यय और देयता होल्डिंग कंपनी द्वारा बताई गयी रेटिंग के अधीन है और इसलिए कंपनी की देयता और लाभ होल्डिंग कंपनी द्वारा बताई जाने वाली अंतिम रेटिंग के आधार पर राशि के परिवर्तन की सीमा से कम या अधिक है।

घ) **नोट संख्याः 28-** ''कर्मचारी के हित से जुड़े खर्च'' का संदर्भ– वित्तीय विवरण के रू. 525.10 करोड़ फार्मिंग पार्ट को रू. 8.67 करोड़ की कुल राशि से घटाया जा चुका है, जो कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिकारियों के एलटीसी व्यय के लिए सुरक्षित थी लेकिन वित्तीय वर्ष 2018–19 में पे रिविजन के दिशा–निर्देश के अनुरूप जिसे रिकवर किया गया था। इस प्रकार चालू वर्ष का व्यय उस सीमा से कम तथा लाभ को उस सीमा से अधिक बताया गया है।

ड.) Ind As के अनुसार परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास उस तिथि से लिया गया है जिस तिथि वे परिसंपत्तियाँ उपयोग के लिए उपलब्ध थीं और इसके अनुपालन के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में निश्चित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 12 महीने से अधिक के लिए भारित (charged) की गयी है, 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए भारित मूल्यह्रास की कुल राशि रू. 2.57 करोड़ है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिए कंपनी का लाभ उस सीमा से कम बताया गया है।

च) **नोट सं : 20-** ''अन्य वित्तीय देयताओं'' का संदर्भ नॉन करंट– वित्तीय विवरण के फॉर्मिंग पार्ट रू. 73.94 करोड़, रू. 70.24 करोड़ की अन्य देयताओं को शामिल करता है, जो कि पार्टियों की पुष्टि तथा समाधान पर आनुषांगिक एडजस्टमेंट, यदि कोई है तो, के अधीन है।

छ) **नोट सं. 19-** ट्रेड पेएबल्स का संदर्भ–वित्तीय विवरण का रू. 178.65 करोड़ का फार्मिंग पार्ट, रू. 140.63 करोड़ के अन्य भुगतान योग्य व्ययों को शामिल करता है, जिसें देयता के रूप में सत्यापन, आनुषांगिक (Consequential) समायोजन, समाधान (reconciliation) अधीन है और अंतिम देयता पार्टियों की वास्तविक देयता पर दर्ज किया जाना चाहिए।

ज) **नोट सं : 9** ''अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का संदर्भ– वित्तीय विवरण का रू. 58.82 करोड़ का फार्मिंग पार्ट क्लेम और अन्य सिवेबल्स को शामिल करता है, जो कि पार्टियों के सत्यापन और समाधान (reconciliation) पर यदि कोई आनुषांगिक समायोजन है तो, के अधीन है।

झ) **नोट सं. 13** ''ट्रेड रिसिवेबल्स'' का संदर्भ– वित्तीय विवरण का रू. 579.98 करोड़ का फार्मिंग पार्ट कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों अपने ग्राहकों से प्राप्त समाधान विवरण (reconciliation statement) के आधार पर किए जाने वाले आनुषंगिक समायोजन के अधीन है। हमने समाधान विवरण में बहुत पुरानी प्रविष्टियों का अवलोकन किया। जहाँ कंपनी द्वारा रेज (raised) किए गए बिलों/इन्साइसों को पार्टियों द्वारा देयता के रूप में विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पार्टियों द्वारा की गई कटौतियाँ, बलों/इनवाइसों भुगतान के लिए मना की गई शेष राशि, पार्टियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती, पार्टियों द्वारा लगाया जाने वाला व्याज आदि कंपनी

के खाते में समायोजित नहीं की गई। इस प्रकार ट्रेड रिसिवेबल्स अंतिम समाधान पर खातों की पुस्तकों में समायोजित किए जाने वाले समायोजन की सीमा की सीमा की अंतर्गत/से अधिक बताया गया है।

हमारी राय उपर्युक्त के संबंध में क्वालीफाइड नहीं है।

अन्य जानकारी :

यह वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों के साथ पठित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार नकद प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय स्थिति के बारे में सत्य और स्पष्ट विचार देता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (दी एक्ट) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामले की जिम्मेवारी निदेशक मंडली की है। इस दायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रखरखाव तथा फ्राड अन्य अनियमितताओं, यथोचित लेखा नीति का चयन और प्रयोग, निर्णय और आकलन जो उचित और विश्वसनीय हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जा रहा हो, जो भौतिक गलतबयानी, चाले वह फ्रॉड या भूलवश हो से मुक्त हो तथा सत्य एवं स्पष्ट विचार देते हों, को पहचानने और उनसे बचाने का दायित्व भी शामिल है।

वित्तीय विवरणें को तैयारी करने में, वर्तमान चिंताओं के साथ जारी रखने प्रकटीकरणों, वर्तमान चिंताअें से संबंधित उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोइ वास्तविक विकल्प नहीं है से संबंधित कंपनी क्षमता के आकलन के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लिए अंकेक्षकों का दायित्व :

वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा लक्ष्य, उस तार्किक आश्वासन को प्राप्त करना हे कि क्या ये विवरण अपनी पूर्णता में फ्रॉड या त्रुटि के कारण होने वाले किसी गलतबयानी से मुक्त हैं। इस संबंध में इससे जुड़े हमारे विचारों से युक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट जारी करना भी हमारा लक्ष्य है। यद्यपि तार्किक आश्वासन एक उच्च श्रेणी का आश्वासन है तथापि Ind AS के सहयोग से किये जाने वाले लेखा परीक्षा में इस बात की गारंटी नहीं है कि यह हमेशा वित्तीय विवरणों में मौजूद गलतबयानी की पहचान कर दी जाए। गलतबयानियाँ फ्रॉड या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है। या अलग–अलग या पूर्ण से महत्वपूर्ण यानि जा सकती हैं, यदि वे वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों लेने वाले निर्णयकर्ताओं को युक्तिपूर्वक प्रभावित करने के लिए अपेक्षित हों।

Ind AS के साथ संचालित इस लेखा परीक्षा के एक सदस्य के रूप में हमने पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का प्रयोग किया है तथा पेशेवर संशयवाद (Skepticism) को बनाए रखा है।

इसके साथ ही हमने :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह फ्रॉड या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन किया है। उन जोखिम के लिए उत्तरदायी निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान और मूल्यांकन भी किया है और उन लेखा परीक्षा प्रमाणों को प्राप्त किया है जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। त्रुटि की बजाय फ्रॉड के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी को नहीं पहचान पाने का जोखिम अधिक है क्योंकि फ्रॉड में कपटपूर्ण समझौता, फर्जीवाड़ा, जानबूझकर की गई भूल, गलत अर्थ या आंतरिक नियंत्रण पर ओवरवाइड होना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा जो कि इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, को तेयार करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक, आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त की। कंपनी 2013 की धार 143(3)(I) के अंतर्गत हम इस पर भी विचार देने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए पर्याप्त तंत मौजूद है और उन नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता कितनी है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, और लेखांकन आक्कलनों की उपयुक्तता और सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया।
- लेखांकन के लिए वर्तमान चिंताओं को आधार बनाकर प्रबंधन द्वारा उनके प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकाला है और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह भी निष्कर्ष निकाला है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है जो वर्तमान चिंताओं के साथ कंपनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमने यह निष्कर्ष निकाला कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरणों में हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की तरफ ध्यान आकर्षित करें, या ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्यापत हैं। लेखा परीक्षकों की हमारी रिपोर्ट के हमारे निष्कर्ष प्रापत आधारित (up to date) लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थिति के कंपनी की चिंता समाप्त हो सकती है।
- समग्र प्रस्तुतियों, संरचना और प्रकटीकरण युक्त वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु का मूल्यांकन किया। तथा इसका भी मूल्यांकन की क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुती को प्राप्त करते हों।

  हमें विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया, वह वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण राय देने के लिए आधार देने हेतु पर्याप्त ओर उपयुक्त है। हम अन्य मामलों में, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय व महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों कमियों को शामिल करते हैं, जिसकी पहचान हम ऑडिट के दौरान करते हैं।

  हम एक स्टेटमेंट के साथ शासन को उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और संबंध्रें और अन्य मामलों, जो कि हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचे जा सकते हैं और सुरक्षा से संबंधित उपाय जहाँ लागू होते हों को संप्रेषित किया है।

  शासन के साथ उन आरोपों जिनका संप्रेषण किया गया, हम मानते हैं कि वे मामले मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य अंकेक्षण मामले लेखा परीक्षा की अपनी रिपोर्ट में हमने इन मामलों का वर्णन किया है, जब तक विधि या विनियम इन मामलों के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हों या जब अत्यंत असामान्य परिस्थितियाँ हों, हमने निश्चय किया कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने दुष्परिणामों से इस तरह के सार्वजनिक हित लाभों के पिछड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित है, हम सुझाए गए अंकेक्षण कार्य प्रणाली, इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के वित्तीय विवरण एवं लेखे पर इसके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/अतिरिक्त निर्देश पर एक विवरण ''परिशिष्ट– I'' में संलग्न कर रहे हैं।
2. अधिनियम (दिएक्ट) की धारा 143(।।) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों) की रिपोर्ट आदेश 2016 (दि आर्डर) की अपेक्षा के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विहित

मामले पर ''परिशिष्ट–2'' संलग्न करते हैं।

3. जैसा कि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने आवश्यकता वैसी सभी जानकारी माँगी है तथा प्राप्त की है जो हमारे अंकेक्षण के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास हेतु आवश्यक थी।

ख) हमारी राय में, पुस्तकों की अब तक की गई हमारी जाँच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा–पुस्तक रखी है।

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्त्तन संबंधी विवरण लेखे की पुस्तक के अनुसार सही है।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित +लेखा मानकों के अनुसार सही है।

ङ.) निदेशक–मंडल द्वारा अभिलेख में दर्ज किए गए 31 मार्च, 2019 के अनुसार निदेशक–मंडली से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर इस अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के लिए 31 मार्च, 2019 के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रण की प्रभावकारिता की उपयुक्तता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट ''परिशिष्ट–3'' में उल्लेखित है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

छ) कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियमावाली 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध्में हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

II. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घकालीन संविदा पर आर्थिक भावी हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानक के तहत अपेक्षित प्रावधान बनाया है।

III. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार कोई ऐसी रकम नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जना है।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2019

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.–006271सी

सीए संजय कुमार वाधवा सदस्य
सदस्यता सं– 074749

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-।

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद । में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग)

परिशिष्ट-ए

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 143(5) के तहत निर्देश

1) क्या कंपनी के पास लेखांकन से जुड़े सभी लेनदेन को आइटी सिस्टम के द्वारा प्रोसेस करने के लिए तंत्र मौजूद है ? यदि हाँ, तो उस आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन से जुड़े लेन देन के वित्तीय विहितार्थ सहित खाते की इंटिग्रिटी क्या है ? यदि कोई है तों उसका वर्णन किया जाए।

   कंपनी के पास लेखांकन से जुड़े सभी लेनदेन तंत्र मौजूद है लेकन इसमें उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र से चुक्त सुदृढ़ एकीकृत व्यवस्था के साथ–साथ सुस्पष्ट वित्तीय नियंत्रणों ओर आंतरिक चेकों, जो सभी विभागों के एकीकरण और मुख्यालय सहित क्षेत्रीय संस्थानों के कार्यालयों में प्रोसेस के लिए आवश्यक हैं, का अथाव है।

2) क्या कंपनी के आधारदाता द्वारा ऋण चुका पाने की कंपनी की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गई है या कर्ज/लोन/व्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने से संबंधित आदि कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का वर्णन किया जाए।

   हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के उधारदाता द्वारा ऋण चुका पाने की कंपनी की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गई है या उधार/लोन/व्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।

3) क्या विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य की एजेंसियों से स्वीकृत/स्वीकृति के योग्य फंड के उपयोग का उपयुक्त लेखा–जोखा उसमें निहित नियामें और शतों के अनुरूप किया गया था? विचलन से संबंधित मामलां को सूचीबद्ध करें।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य की एजेंसियों से स्वीकृत/स्वीकृति के योग्य फंड के उपयोग का उपयुक्त लेखा–जोखा उसमें विहित नियमों और शर्तों के अधीन किया गया है।

परिशिष्ट - बी

वित्तीय 2018-19 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

1. क्या कंटूर मैप को ध्यान में रखकर कोल स्टॉक की माप की गई है? क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मेजरमेंट रिपोर्ट कंटून मैप के अनुकूल है? क्या विवेच्य वर्ष के दौरान सृजित न्यू हीप, यदि कोई हो, को सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है? ?

   सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता।

2. क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विखंडन/पृथक्करण के समय परिसंपत्तियों/संपत्तियों (प्रोपर्टिज) का भौतिक सत्यापन किया था? यदि हाँ, तो क्या संबंधित अनुषंगी कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था?

   हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुतिकरण के अनुसार विवेच्य वर्ष के दौरान या किसी भी अवधि में किसी भी क्षेत्र का विलय/पृथककरण /पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है, इसलिए यह सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता है।

3. क्या सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग–अलग एसक्रो अकाउन्ट रखा जाता है? अकाउन्ट के कोष की उपयोगिता की भी जाँच की जाए :

   सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता है।

4. क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत् विचार किया गया है तथा इसकी गणना की गई है :

   सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता।

वास्ते, **लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउन्टेंटस,
फर्म निबंधन सं 06271सी.

सीए संजय कुमार बाधवा
सदस्य,
सदस्यता सं. 074749

स्थान : दिल्ली
तिथि : 21 मई, 2019

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन

परिशिष्ट-II

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग) :

1. **कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में :**

क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मानात्मक विवरण और अवस्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है।

ख) कंपनी के पास अचल परिसंपत्तियों के साथी मदों को शामिल करते हुए चरणबद्ध रूप में सत्यापन का एक प्रोग्राम है, जो, हमोरी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में तार्किक है। इस प्रोग्राम के आधार पर, कुछ निश्चित अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन विवेच्य वर्ष में प्रबंधन द्वारा किया गया। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्रकार के सत्यापन में किसी तरह की बड़ी विसंगति नहीं पाई गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, रिकार्ड की हमारी जाँच और हमें उपलब्ध कराए गए कन्वेएन्स डीड्स की जाँच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हे कि टाइटिल डीड्स, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल परिसंपत्तियाँ शामिल हैं तथा जो फ्रीहोल्ड हैं बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर हैं। भूमि और भवन की अचल परिसंपत्तियाँ जो कि लीज पर ली गईं थी और वित्तीय विवरणों में जिन्हें अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया था, के संबंध में लीज समझौता कंपनी के नाम से किया गया है।

2. **वस्तु सूची के संबंध में :**

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी वस्तु सूची का उचित रिकार्ड बनाए रखा है तथा प्रबंधन ने एक बाहरी एजेंसी को वर्षान्त में किया। जैसा कि हमें रिपोर्ट किया गया है, स्टॉक्स के भौतिक सत्यापन का रिकार्ड बुक से मिलान करने पर कोई महत्पूर्ण विसंगति नहीं देखी गई थी।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को किसी तरह का प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण मंजूर नहीं किया है, इसीलिए आदेश के इस क्लॉज का 3(III) प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने दिए गए ऋण एवं किए गए निवेश, जहाँ लागू हो के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार किसी भी तरह की ऐसी जमाएँ नहीं हैं जिनका दावा

न किया गया हो, इसीलिए आदेश के इस क्लॉज का प्रावधान 3(III) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(I) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के रख–रखाव को विनिर्दिष्ट किया गया है।

7. वैधानिक बकाये के संबंध में हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार

क) कंपनी ने भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवाकर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकायों सहित अविवादित वैधानिक बकायों को सामान्यतः नियमित रूप से जमा कराया है।

ख) 31 मार्च, 2018 तक भविष्य निधि, आयकर, सेवाकर, मूल्यवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क शेस और अरियर के रूप में अन्य महत्वपूर्ण बकायों के संबंध में कोई अविवाहित देय रकम, देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक बकाया नहीं था।

ग) आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, सेस और अन्य महत्वपूर्ण बकायों जो कि दिनांक : 31 मार्च, 2019 विवाद की वजह से जमा नहीं किए गए उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2ए में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार दिया गया है।

8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार ऋण या उधारी नहीं ली है, या कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(viii) अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

9. हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इनिशीयल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेबह–इन्स्ट्रूमेंट सहित) तथा टर्म लोन के रूप में धन नहीं उगाहा है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3(ix) लागू नहीं होता है।

10. हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा किसी तरह का गंभीर धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधकीय परिलब्धि कंपनी अधिनियम की अनुसूची–अके साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधान द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुरूप दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है।

12. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

13. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एव ं स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसार की गई है तथा जहाँ लागू हो, प्रयोज्य लेखा मानक द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरण आदि में इसे विस्तृत रूप में प्रकट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा शेयरों का अधिमान्य आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया गया है। तद्नुसार, आदेश के क्लॉज 3(xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशक या उनके साथ संबद्ध व्यक्ति के साथ नॉन–कैश ट्रान्जेक्शन नहीं किया है।

16. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45–1ए के तहत कंपनी का निबंधित होना अपेक्षित नहीं है। तद्नुसार, कंपनी अधीनियम 2013 के धारा 192 का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

वास्ते, **लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउन्टेंटस,
फर्म निबंधन सं 06271सी.

सीए संजय कुमार बाधवा
सदस्य,
सदस्यता सं. 074749

स्थान : दिल्ली
तिथि : 21 मई, 2019

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का ''परिशिष्ट 2 ए''

परिशिष्ट 2 के पैरा vii (c) के अंतर्गत सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट का स्वतंत्र अनुभाग ''अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' का संदर्भ

कानून की प्रकृति	ड्यूज की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	लंबित अवधि जिससे राशि का संबंध है	राशि (करोड़ रू.में)
आयकर अधिनियम 1961	पूर्व अवधि व्यय और कोयला भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम के लिए कर्मचारियों के अंशदान की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2008–2009	रू. 4.16
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय और कोयला भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम के लिए कर्मचारियों के अंशदान की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2009–2010	रू.11.51
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय और कोयला भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम के लिए कर्मचारियों के अंशदान की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2010–2011	रू.1.29
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय और कोयला भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम के लिए कर्मचारियों के अंशदान की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2011–2012	रू.0.03
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2012–2013	रू. 0.70
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2013–2014	रू. 0.005
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2014–2015	रू. 0.002
सेवाकर अधिनियम	व्याज और पेनाल्टी डिमांड	असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी	वर्ष 2015–2018	रू. 0.01
सेवाकर अधिनियम	व्याज के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 2012–2003	रू. 0.14
सेवाकर अधिनियम	पेनाल्टी का भुगतान	कमिश्नर (अपील)	वर्ष 2012–2013	रू. 0.01
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर व्याज और पेनाल्टी के अरियर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1999–2005	रू. 5.05
सेवाकर अधिनियम	सेवाकर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1998–1999	रू. 3.81
सेवाकर अधिनियम	ग्राहक से लिक्विडिटी डैमेजेज की बरामदी पर सेवाकर के इवैजन के लिए पेनाल्टी	कमिश्नर (अपील)	वर्ष 2013–2015	रू. 0.03

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-3

पैराग्राफ 3(f) के अंतर्गत, सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. के सदस्यों हमारी रिपोर्ट का अनुभाग'' अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट का संदर्भ

(कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(।) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्अ में उल्लिखित परिशिष्ट)

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के साथ उसी तिथि के अनुसार ''सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड'' (''दि कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रग के लिए प्रबंधन का दायित्व :

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर दिशा–निर्देश टिप्पणी (नोट) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित (स्थापित) स्थापित करने तथा मेनटेन करने का दायित्व कंपनी प्रबंधनका है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल है, जो इसके कार्यव्यापार के उचित एवं प्रभावकारी आचार सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, लेखा अभिलेख की शुद्धता एवं पूर्णता, घोखाधड़ी या त्रुटियों पर रोक एवं पता लगाना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना, कंपनी की नीति का अनुसरण शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारी जिम्मेवारी अपने अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत संबद्ध, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के लिए गाइडेंस नोट (गाइडेंस नोट) तथा अंकेक्षण के मानकों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, के अंकेक्षण तक विस्तारित है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होते हैं, दोनों इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार संचालित किया गया।

इन मानकों एवं दिशा–निर्देश नोट में अपेक्षिता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित है तथा मेनटेन किया जा रहा है और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक (मेटेरियल) संबंध में प्रभावकारी तरह से संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें तथा योजना बनाकर अंकेक्षण करें।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी रिपोर्टिंग प्रभावकारिता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पूरा करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय निरीक्षण को हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्याख्या प्रापत करना, उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें अपर्याप्तता हो तथा मूल्यांकित जोखिमों पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता की जाँच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण को मैटेरियल गलतबयानी, चाहे वह

धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी अंकेक्षण राय के पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतः स्वीकृत लेखानीति के अनुसार बाहरी उद्देश्य से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में पर्याप्त (तर्कसंगत) आश्वासन देने हेतु डिजाइन की गई प्रक्रिया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रिया शामिल है जो

(1) रिकार्ड के रख–रखाव से संबंधित, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्ति के लेन–देन तथा जमा को परिशुद्ध एवं स्वच्छ रूप से प्रतिबिम्बित करता हो।

(2) पर्याप्त आश्वासन देना की लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमति हेतु यथा आवश्यक रूप से दर्ज है तथा कि कंपनी का आय एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है।

(3) कंपनी की वैसी परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या जमा की रोकथाम तथा समय पर पता लगाने के बारे में पर्याप्त आश्वासन देना जो वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएँ :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत अपर्याप्त प्रबंधन, के कारण कमी, नियंत्रण की अवहेलना, भूलवश या धोखाघड़ी के कारण भौतिक (मैटेरियल) गलत बयानी शामिल है जो उपस्थित नहीं हो पाता है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अनुसार है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन या प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में कमी क्षरण हो सकने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जा सकता है।

विचार

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक (महत्वपूर्ण) मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2018 के अनुसार प्रभावकारी ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसका आधार इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। इस संबंध में यह निम्नवत् रूप में हमारे पर्यवेक्षण के अधीन है :

क) अप्रैल, 2018 तथा मई 2018 की बिक्री का हिसाब जून, 2018 में किया गया था।

ख) 15.25 करोड़ रू. की बिक्री तथा ऐसे जुड़ा 2.74 करोड़ की जीएसटी देयता की वर्ष 2017–18 में दो बार गणना कर ली गई थी, जिसे विवेच्य वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया गया।

ग) रेक्टिफिकेशन प्रविष्टियों के पासिंग की आवृत्ति लगभग 10 प्रतिशत है।

घ) प्रविष्टियों की पासिंग के दौरान मेकर और चेकर के कॉन्सेप्ट का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण रेक्टिफिकेशन प्रविष्टियों की इतनी उच्च प्रतिशतता है।

ङ.) ग्राहकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) कंपनी द्वारा समय से समायोजित नहीं की गयी। वित्त वर्ष 2015–16 में ग्राहकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान समायोजित किया गया था।

च) व्ययों के प्रावधान की प्रणाली को औ मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष के दौरान लगातार उलटफेर होते थे, प्रोविजनिंग की मात्रा में ऊपर और नीचे संशोधन, गलत यूनिट कोड और खाता मदों में प्रॉविजनिंग।

उपर्युक्त के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

वास्ते, **लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउन्टेंटस,
फर्म निबंधन सं 06271सी.

सीए संजय कुमार बाधवा
सदस्य,
सदस्यता सं. 074749

स्थान : दिल्ली
तिथि : 21 मई, 2019

वित्त विभाग,
सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची

क्र.सं.	अंकेक्षकों के प्वाइंट (मुद्दे का महत्व)	प्रबंधन का उत्तर
क)	नोट सं. 24 'सेल्स' का संदर्भ– वित्तीय विवरण का रू.1274.56 करोड़ फॉर्मिंग पार्ट कंपनी द्वारा स्वीकृत राजस्व को थी शामिल करता है उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जिनके वस्तुओं और सेवाओं का ट्रांसफर ग्राहकों को किया जा चुका है लेकिन वर्ष के अंत में अंतिम इनवाइसिंग नहीं कि गई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अर्जित लेकिन अनाबिल्ड राजस्व रू. 0.55 को शामिल किया है लेंकिन रू. 0.10 करोड़ की वस्तु और सेवा कर ने क्लाइंट को पास किए जाने के लिए रेट डिफरेंस बेनिफिट के रूप में बिक्री में 3 करोड़ की कमी की है लेकिन औपचारिक क्रेडिट नोट वर्ष के दौरान जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार कंपनी की वस्तु और सेवा कर देयता सीमा से अधिक रू. 0.61 करोड़ हुई। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रू. 15.25 करोड़ की अधिक बिक्री दर्ज की गई, क्योंकि कुछ इनवाइसों को दो बार दर्ज किया गया था इसके कारण 2017–18 का लाभ उक्त समान राशि जितना अधिक दर्ज किया गया था। इसी तरह वर्ष 2017–18 में जीएसटी देयता के रूप में रू. 2.74 करोड़ की अधिक राशि और ट्रेड रिसिवेवल्स के रू. में 17.99 करोड़ की अधिक राशि दर्ज की गयी थी। वर्ष 2017–18 की बिक्री की ओवरबुक्गिं और जीएसटी देयता के अधिक नियोजन के उपरांत वर्ष 2018–19 की बिक्री से और 31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की जीएसटी देयता से बदली और समायोजित की जा चुकी है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिए बिक्री और जीएसटी देयता क्रमशः रू. 15.25 करोड़ तथा रू. 2.74 करोड़ कम करके बताया गया है।	1. हमारे अप्रत्यक्ष कर सलाहकार (मेसर्स डेलोटी) से प्राप्त विशेषज्ञ की राय के अनुसार, जीएसटी देयता खातों की किताबों में अनबिल्ड राजस्व के आधार पर उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इनवॉइस के भुगतान या सेवा की पूर्णता की तारीख जैसा मामला हो, के आधार पर निर्धारित होता है। 2. आईएनडी एएस 115 के अनुसार रू. 0.55 करोड़ की पीवीसी राशि का बिक्री में हिसाब कर लिया गया था, लेकिन पार्टियों के पीवीसी बिलों की प्राप्ति नहीं हो पाने के कारण कर इनर्वाइस रेज नहीं किया जा सका। 3. मेसर्स एनटीपीसी के पक्ष में रू. 3.36 करोड़ की रेट रिविजन एंट्री की गणना खातों के अंकेक्षण के पश्चात् डिराइण्ड दर के आधार पर की गई थी। क्रेडिट बिल को मई/जून, 2019 के अनुवर्ती महीनों में जारी किया जाएगा।
ख)	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रू. 15.25 की अधिक बिक्री दर्ज की गई, क्योंकि कुछ इनवाइसों को दो बार दर्ज किया गया था इसके कारण 2017–18 का लाभ उक्त समान राशि जितना अधिक दर्ज किया गया था। इसी तरह वर्ष 2017–18 में जीएसटी देयता के रूप में रू. 2.74 करोड़ की अधिक राशि और ट्रेड रिसिवेवल्स के रू. में रू. 17.99 करोड़ की अधिक राशि दर्ज की गई थी। वर्ष 2017–18 की बिक्री की ओवर बुकिंग और जीएसटी देयता के अधिक नियोजन के उपरांत वर्ष 2018–19 की बिक्री से और 31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की जा चुकी है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिए बिक्री और जीएसटी देयता क्रमशः रू. 15.25 करोड़ तथा रू. 2.74 करोड़ कम करके बताया गया है।	अकाउंट्स के लिए अतिरिक्त नोटों के नोट संख्याः 5(एन)(I) में तथ्यों को पहले ही व्यक्त किया जा चुका है।

ग)	नोट संख्या : 21–प्रोविजन्स का संदर्भ वित्तीय विवरण के रू. 192.34 करोड़ के मौजूदा फॉर्मिंग पार्ट में प्रदर्शन संबंधित भुगतान (पीआरपी) के लिए उपलब्ध कराई गई कुल रू.103.04 करोड़ की राशि भी शामिल है, जिसमें से रू.52.79 करोड़ वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए है और रू. 50.25 करोड़ की शेष बची राशि पूर्व वर्ष के लिए है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, अंतिम व्यय और देयता होल्डिंग कंपनी द्वारा बताई गयी रेटिंग के अधीन है और इसलिए कंपनी की देयता और लाभ होल्डिंग कंपनी द्वारा बताई जाने वाली अंतिम रेटिंग के आधार पर राशि के परिवर्तन की सीमा से कम या अधिक है।	वित्त वर्ष 2018–19 तक प्रदर्शन आधारित भुगतान (पीआरपी) के लिए कुल रू. 103.04 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से 52.72 करोड़ रू. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए तथा 50.25 करोड़ रू. पूववर्ती वर्षों के लिए है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्रावधान (2018–19 के पूर्व) बेसिक के पुनर्निर्धारण के आधार पर तैयार किए गए थे। सीआईएल के अधिकारियों के लिए तीसरा पे रिविजन 01.01.2017 से लागू किया गया। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए पुनर्निर्धारण प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखे गए हैं। वित्त वर्ष 2016–17 (तीन महीने) और वित्त वर्ष 2017–18 (12 महीने) के पीआरपी का भुगतान पुनर्निर्धारित बेसिक पर अभी किया जाना है।
घ)	नोट संख्या : 28– ''कर्मचारी के हित से जुड़े खर्च'' का संदर्भ– वित्तीय विवरण के रू. 525.10 करोड़ फार्मिंग पार्ट को रू. 8.67 करोड़ की कुल राशि से घटाया जा चुका है, जो कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिकारियों के एलटीसी व्यय के लिए सुरक्षित थी लेकिन वित्तीय वर्ष 2018–19 में पे रिविजन के दिशा–निर्देश के अनुरूप जिसे रिकवर किया गया था। इस प्रकार चालू वर्ष का व्यय उस सीमा से कम तथा लाभ को उस सीमा से अधिक बताया गया है।	सीआईएल के तीसरे पीआरसी सीआईएल/सी 5ए (पीसी)/पे–रिविजन 2017/2972/दिनांक 8.8. 2018 के अनुलग्नक–सी, बिन्दु पाँच के अनुसार ''अधिकारी भत्ते के रूप में एलटीसी/एलएलटीसी की प्राप्ति, जो प्रति माह बेसिक के 5 प्रतिशत के बराबर है, के हकदार हैं। एलटीसी/एलएलटीसी की प्राप्ति पर अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने व्यय, विवरण कंपनी को प्रदान करें ताकि आयकर अधिनियम के अनुसार कर लाभ की प्राप्ति उन्हें हो और सीआईएल के आफिस मेमोरेंडम सीआईएल/सीएसएएलपीसी/पे–रिविजन 2017/ 2972 दिनांक 08.08.2018 के अनुसार बोर्ड स्तर और बोर्ड के नीचे के स्तर पर अधिकारियों के लिए पे–रिविजन दिनांक : 01.01.2017 से प्रभावी हुआ। उपर्युक्त कथित आदेश वित्त वर्ष 2018–19 में 01.01.2017 से लागू है और वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2016–17 के अंतिम 3 महीने में एलटीसी/एलएलटीसी व्यय को दर्ज किया गया था। आदेश के प्रभावी होने के एलटीसी/एलएलटीसी के उपर्युक्त सभी 15 महीनों की राशि की रिकवरी वर्ष 2018–19 में की गई।

ड.)	Ind As के अनुसार परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास उस तिथि से लिया गया है जिस तिथि वे परिसंपत्तियाँ उपयोग के लिए उपलब्ध थीं और इसके अनुपालन के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में निश्चित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 12 महीने से अधिक के लिए भारित (बींतहमक) की गयी है, 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए भारित मूल्यह्रास की कुल राशि रू. 2.57 करोड़ है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिए कंपनी का लाभ उस सीमा से कम बताया गया है।	अकाउंट्स के लिए अतिरिक्त नोटों के नोट संख्या 5(एन) (।।) में तथ्यों को पहले ही व्यक्त किया जा चुका है।
च)	नोट सं : 20 '' अन्य वित्तीय देयताओं'' का संदर्भ नॉन करंट– वित्तीय विवरण के फॉर्मिंग पार्ट रू. 73.94 करोड़, रू. 70.24 करोड़ की अन्य देयताओं को शामिल करता है, जो कि पार्टियों की पुष्टि तथा समाधान पर आनुषांगिक एडजस्टमेंट, यदि कोई है तो, के अधीन है।	किताबों में प्रदर्शित होने के रूप में बैलेंस की पुष्टि के लिए पत्र पार्टियों को लिखे जा चुके हैं और उसी के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
छ)	नोट सं. 19 ट्रेड पेएबल्स का संदर्भ–वित्तीय विवरण का रू. 178.65 करोड़ का फार्मिंग पार्ट, रू. 140.63 करोड़ के अन्य भुगतान योग्य व्ययों को शामिल करता है, जिसें देयता के रूप में सत्यापन, आनुषांगिक समायोजन, समाधान अधिन और अंतिम देयता पार्टियों की वास्तविक देयता पर दर्ज किया जाना चाहिए।	किताबों में प्रदर्शित होने के रूप में बैलेंस की पुष्टि के लिए पत्र पार्टियों को लिखे जा चुके हैं और उसी के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। हमारी निविदा प्रक्रिया निविदा के समय ही प्रत्येक निविदाकर्ताओं की स्थिति की पहचान करती है। निविदाकर्ताओं की स्थिति के संबंध में स्वघोषणा के लिए एनआईटी में प्रावधान है।
ज)	नोट सं : 9 ''अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का संदर्भ– वित्तीय विवरण का रू. 58.82 करोड़ का फार्मिंग पार्ट क्लेम और अन्य सिवेबल्स को शामिल करता है, जो कि पार्टियों के सत्यापन और समाधान पर यदि कोई आनुषांगिक समायोजन है तो, के अधीन है।	39.16 करोड़ रू. में से 12.10 करोड़ रू. एलआईसी से प्राप्ति के योग्य है, जो कि एलआईसी ने ट्रस्ट फंड में उपलब्ध है। 20.30 करोड़ रू. आईएनडी एएस 115 के कार्यान्वयन के कारण संविदा परिसंपत्ति के रूप में सृजित है, जिसके लिए पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।
झ)	नोट सं. 13 '' ट्रेड रिसिवेबल्स'' का संदर्भ– वित्तीय विवरण का रू. 579.98 करोड़ का फार्मिंग पार्ट कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों अपने ग्राहकों से प्राप्त समाधान विवरण के आधार पर किए जाने वाले आनुषंगिक समायोजन के अधीन है। हमने समाधान विवरण में बहुत पुरानी प्रविष्टियों का अवलोकन किया। जहाँ कंपनी द्वारा उठाए गए बिलों/इन्साइसों को पार्टियों द्वारा देयता के रूप में विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पार्टियों द्वारा की गई कटौतियाँ, बलों/इनवाइसों भुगतान भुगतान के लिए मना की गई शेष राशि, पार्टियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती, पार्टियों द्वारा लगाया जाने वाला व्याज आदि कंपनी के खाते में समायोजित नहीं की गई। इस प्रकार ट्रेड रिसिवेबल्स अंतिम समाधान पर खातों की पुस्तकों में समायोजित किए जाने वाले समायोजन की सीमा के अंतर्गत/से अधिक बताया गया है।	1. ऋणी के लेजर में दिखाई देने वाला टीडीएस 31.03.2019 तक विधिवत् रूप से ऋणी के लेजर से हटा लिया गया है। हालांकि, टीडीएस में नाम मात्र की राशि के बहुत कम मामले अभी भी हों सकते हैं, जिसके लिए तदुनुसार सामंजस्य और समायोजन कार्य किया जा रहा है। 2. जहाँ तक पुराने बल प्रविष्टियों का ऋणी के लेजर में प्रदर्शित होने का संबंध है, इस मामले पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और ऑडिट कमेटी के निर्देश के बाद अपनी 57वीं ऑडट कमेटी की बैठक में बोर्ड के समक्ष शीघ्र ही इसे प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

परिशिष्ट - VI

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सचिवालय)

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(I) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसरण में]

सतीश कुमार एंड असोसियट्स
(कंपनी सेक्रेटरीज)
फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल, उर्मिला अपार्टमेंट
उद्धव बाबू लेन, थड़पकना, राँची' 834 001,
फोन नं. 09334606570/0913009905/0651&2212943
ई–मेल : cssatish26@gmail.com/skaranchilffice@gmail.com
PAN : ADGFS8830H

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,
गोंदवाना प्लेस काँके रोड, राँची, झारखंड–834031

हमने मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य संविधिक प्रावधानों तथा अच्छे निगमित कार्य–कलाप (गुड कारपोरेट प्रैक्टिसेज) के अनुपालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग किया हे, जिससे हमें निगमित कार्य–कलाप/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा इस पर अपनी राय देने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके।

कंपनी के हिसाब–किताब, पेपर्स मिनट बुक्स, दाखिल किए फार्म तथा रिटर्न एवं द्वारा रखी जा रही अन्य रिपोर्ट के सत्यापन तथा कंपनी, अंकेक्षण अवधि अप्रैल, 2018 मार्च, 2019 के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इसके नीचे दिए गए सूची सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है तथा यह भी कि कंपनी के पास कुछ हद तक इस ढंग से तथा नीचे की गई रिपोर्टिंग के अनुसार समुचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन रिपोर्ट उपलबध है।

हमने निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समापत वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (''दि कंपनी'') के पुस्तिका, अभिलेख, बही–खाता तथा कागजात की जाँच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत बनाए गए नियम।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
3. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन (अबोलिशन) अधिनियम, 1970।
4. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ओएम नं. 18 (8)/ 2005–जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार केंद्रीय लोक उद्यम के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश ।
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत अन्य पर्यावरणिक कानून एवं नियम।
6. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून।

I. हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे पास पेश अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) के प्रावधान एवं इसके तहत बनाए गए अधिनियम, कंपनी के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल ऑफ असोशिएशन, विशेषकर इसमें उल्लिखित प्रावधान

का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रिया तथा अनुपालन मेकानिज्म जैसा चाहिए वैसा ही एवं सही ढंग में तथा इसके नीचे दी गई रिपोर्ट के अनुसार है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन–पत्र का फार्म, भाग–।। के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों, स्वतंत्र निदेशकों को मिलाकर पर्याप्त संतुलन वाला निदेशक मंडल का गठन।(इस रिपोर्ट की परिशिष्ट में उद्धत के अलावा)
4. निबंधित कार्यालय एवं कंपनी के नाम का प्रकाशन।
5. अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित समय पर कंपनी रजिष्ट्रार, झारखंड के पास अपेक्षित फार्म तथा रिटर्न दाखिल करना
6. निदेशक मंडल तथा उनकी समितियों की बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
7. शुक्रवार 13 जुलाई, 2018 को सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
8. लूज में सही ढंग से रिकार्ड किया हुआ वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव, जिसे नियमित अंतराल पुस्तक स्वरूप में बनाया जा रहा है।
9. निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान
10. सांविधिक अंकेक्षकों, आंतरिक अंकेक्षकों तथा कॉस्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
11. अंकेक्षण समिति तथा नामिनेशन एवं रिम्यूनेरेशन कमेटी का गठन एवं विचारार्थ विषय।
12. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों के दस्तावेज की व्यवस्था।
13. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अन्य लागू कानून के तहत यथा विहित विभिन्न सांविधिक रिटर्न फाइल करना, संवेदकों के रजिस्टर का रख–रखाव आदि से संबंधित सभी अनुपालनों के लिए वचनबद्धता (हलफनामा)।

II. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशकों ने, जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, अपने शेयर होल्डिंग तथा अन्य कम्पनियों में डायरेक्टरशीप तथा अन्य इंटिटि में अपनी रूचि स्पष्ट की है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रूचि को नोट तथा दर्ज किया गया है।
2. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, अपने स्वतंत्र होने तथा निदेशकों एवं वरीय प्रबंधन कार्मिकों के कोड आफ कंडक्ट के अनुपालन के बारे में डिस्क्लोजर रिक्वारमेंट का अनुपालन किया है।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई अभियोजन (मुकदमा) शुरू नहीं किया है तथा न फाइन तथा पेनाल्टी लगाया गया है।
4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन क्रिया–विधि (मेकानिज्म) के आधार पर तथा कंपनी सचिव एवं कंपनी के अनुपालन अधिकारी तथा कंपनी के अन्य विभागाध्यक्षों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र के आधार पर कंपनी के पास किसी प्रकार का अनुपालन लंबित नहीं है।

प्रबंधन का दायित्व

1. सचिवीय अभिलेख का रख–रखाव करना कंपनी का दायित्व है। हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार सचिवीय अभिलेखों पर राय (विचार) देना है।
2. सचिवीय अभिलेख की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण प्रचलन एवं प्रक्रिया का

अनुसरण किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य प्रतिबिम्बित होता है, के लिए यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रचलन से हमारी राय (विचार) बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

3. हमने कंपनी अधिनियम के अनुपालन के अनुसार वित्तीय अभिलेख की जाँच की है।

4. जब कभी अपेक्षित हुआ है, हमने कानून, नियम एवं अधिनियम के अनुपालन, हुई घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन/प्रमाणन प्राप्त किया है।

5. निगमित शासन के प्रावधान एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों विनियमनों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा दायित्व जाँच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित था।

6. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य व्यापार कार्यान्वित किया है।

प्रत्याख्यान (डिसक्लेमर)

1. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा पुस्तिका की शुद्धता या औचित्य की जाँच नहीं की है।

वास्ते **सतीश कुमार एण्ड एसोसिएट्स**

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एम नं. एफ 8423
सी.पी. सं. 9788

स्थान : राँची
दिनांक : 13.05.2019

परिशिष्ट

सचिवीय अंकेक्षक की टिप्पणी तथा प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं	टिप्पणी	स्पष्टीकरण
1.	कंपनी के पास एक महिला निदेशक सहित 5 स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता है, लेकिन रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी के अपने बोर्ड में सिर्फ दो स्वतंत्र निदेशक है और महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है।	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा डीपीई के निशा–निर्देश के अनुसार एक महिला निदेशक सहत अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को कोयला मंत्रालय के साथ कई पत्राचार किया है।

परिशिष्ट -VII

संख्या–सीएआर/सीसीएल/तीसरा चरण/एकाउन्ट आडिट/सीएम/2018–19/56
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUD
तथा पदेन सदस्य लेखा–परीक्षा बोर्ड–।।
& EX-OFFICIO MEMBER AUDIT DOARD-II
कोलकाता/KOLKATA
Date 18 june, 2019

सेवा में,
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 008

विषय : 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी इसके साथ अग्रसारित कर रहा हूँ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दी (से अवगत कराया) जाए।

आपका विश्वासी

18/6/19

संलग्न : यथोक्त।

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–II, कोलकाता के पदेन सदस्य

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 जून, 2019

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 21.05.2019 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड को वित्तीय विवरण के अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जाँच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान
निदेशक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–II
के पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 जून, 2019

परिशिष्ट - - VIII

अनुच्छेद 188 (1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा या व्यवस्था

फार्म संख्या एओसी 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में उद्धृत सम्बद्ध पार्टियों तथा उसके तृतीय परन्तुक के तहत आर्म लेन्थ ट्रान्जक्शन के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदा/व्यवस्था के विवरण के स्पष्टीकरण के लिए फार्म

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**वैसे संविदा व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्मलेन्थ बेसिस पर न हो**	**शून्य**
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य सहित संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रमुख शर्त टर्म	
ड.)	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेन–देन करने का औचित्य	
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ)	अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई रकम	
ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित रकम आम बैठक द्वारा पारित विशेष संकल्प की तिथि	
2.	**आर्मस लेन्थ आधार पर महत्वपूर्ण (मेटेरियल) संविदा, व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा**	**परिशिष्ट'ए'** के अनुसार
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेन–देन की प्रमुख शर्त	
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	

परिशिष्ट -'ए'

31.03.2019 के अनुसार ग्रूप के भीतर संबंधित पार्टियों का साथ लेन-देन

सरकार से सम्बद्ध संस्था होने के नाते सम्बद्ध पार्टी के साथ लेन–देन तथा नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य संस्था (इंटिटि) के पास बकाया शेष के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकता से इसे छूट मिली है।

आईएनडी एएस के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन की प्रकृति एवं रकम का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रू. में)

कंपनी का नाम	विवेच्य वर्ष के दौरान लेन-देन की रकम	लेन-देन की प्रकृति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	128.90	बिक्री
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड	56.08	बिक्री
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	124.67	बिक्री
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	138.34	बिक्री
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	92.54	बिक्री
साउथ कोलफील्ड्स लिमिटेड	503.14	बिक्री
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	89.31	बिक्री
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	2.13	बिक्री
कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल	7.93	बिक्री
कुल	**1143.04**	

परिशिष्ट - IX

31.3.2019 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना।

क्र.सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रू.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2015 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धारित इक्विटी शेयर का :	क्या निदेशक/प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(a)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 1,02,00,000/–रू. से कम नहीं था। -----------------शून्य-----------------										
(b)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 8,50,000/–रू. से कम नहीं था। -----------------शून्य-----------------										
(c)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इक्विटी शेयर का 2% से अधिक नहीं था। -----------------शून्य-----------------										

परिशिष्ट - X

सीएसआर रिपोर्ट की परिशिष्ट :

सीएसआर पर में 2018-19 हुआ व्यय

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सीएसआर पर किया गया कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 (विगत तीन वर्षों के कुल औसत लाभ का 2 प्रतिशत) के 2 प्रतिशत के नियमानुसार सीएसआर बजट 152.59 लाख रू. था। वर्ष 2018–19 में सीएसआर परियोजनाएँ/क्रिया–कलापों पर किया गया खर्च 152.59 लाख रू. था।

वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर बजट तथा व्यय

इकाई	बजट (लाख रू. में)	वास्तविक व्यय (लाख रू. में)
मुख्यालय, राँची	45.209	86.68
मुख्यालय, राँची के लिए स्वीकृत अतिरिक्त कार्य	55.57	
क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल	1.0269	1.03
क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद	0.74	0.74
क्षेत्रीय संस्थान–3, राँची	12.7	10.90
क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर	34.45	21.95
क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर	33.26	18.003
क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली	1.0	1.00
क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर	18.87	12.38
कुल	**202.8***	**152.70**

नोट : वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु. 152.59 लाख का वित्तीय अनुमोदन किया गया था।

सीएसआर पर थेमेटिक क्षेत्रवार व्यय

थीमेटिक हेड	व्यय
हेल्थ केयर (स्वास्थ्य)	14.69
सेनिटेशन (साफ–सफाई)	7.13
ड्रिंकिंग वाटर (पेयजल)	7.96
एजूकेशन (शिक्षा)	50.53
सोशल वेलफेयर (समाज कल्याण)	4.76
स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास)	1.41
वूमेन इम्पावरमेंट (महिला सशक्तिकरण)	5.82
पर्यावरणिक स्थायित्वता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	3.04
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	12.39
केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	44.97
कुल	**152.70**

सीएसआर के तहत किए गए कार्य सीएसआर के उद्देश्य के अनुपालन के अनुरूप है तथा कंपनी की नीति तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद VII, धारा 135 के अनुरूप है।

निदेशक (टी/ईएस) सदस्य सीएसआर समिति

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

वार्षिक
लेखा
2018-19

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्ति			
(क) प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण	3	**176.43**	145.42
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	4	**14.41**	45.85
(ग) गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	**-**	-
(घ) इनटेनजिबल परिसम्पत्ति	6	**3.96**	1.81
(ड.) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) ऋण	8	**-**	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	**1.07**	1.16
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		**102.69**	128.93
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	10	**39.94**	8.84
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		**338.50**	332.01
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	**9.73**	8.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) पेशागत वसूली	13	**579.98**	611.38
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	14	**135.62**	179.27
(iv) अन्य बैंक शेष	15	**-**	-
(v) ऋण	8	**-**	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**58.82**	89.80
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)			
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	**295.37**	276.81
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)		**1,079.52**	1,165.69
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		**1,418.02**	1,497.70
इक्विटि एवं देयताएँ			
इक्विटि			
(क) इक्विटि शेयर कैपिटल	16	**38.08**	38.08
(ख) अन्य इक्विटि	17	**428.74**	296.45
कंपनी के शेयरहोल्डर को इक्विटि एट्रीब्यूटेबल		**466.82**	334.53
नन–कंट्रोलिंग इंटरेस्ट		**-**	-
कुल इक्विटि (क)		**466.82**	334.53

31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
देयताएँ			
गैर–चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) पेशागत देय (यदि कोई हो)	20	**73.94**	62.10
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	21	**215.71**	243.52
(ख) प्रावधान			
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)		-	-
(घ) अन्य चालू देएताएँ	22		
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		**289.65**	305.62
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) पेशागत देय	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल		**0.20**	0.17
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**178.45**	217.77
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**4.66**	5.58
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	**117.22**	108.65
(ग) प्रावधान	21	**192.34**	308.86
(ध) चालू कर देयताएँ (निबल)		**168.68**	216.52
कुल चालू देयताएँ (ग)		**661.55**	857.55
कुल इक्विटि एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**1418.02**	1497.70

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1,2 तथा 38 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)	**(एस.एन. साव)**	**(बी.एन. शुक्ला)**	**(शेखर सरन)**
कम्पनी सचिव	महाप्रब्रधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 07367625	डीआईएन 06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271 सी

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

तिथि : 21 मई, 2019
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

लाभ-हानि विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
	परिचालन से राजस्व			
क.	बिक्री (निबल)	24	**1274.56**	1154.75
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (निबल)		**-**	-
(I)	**परिचालन से राजस्व (क+ख)**		**1274.56**	1154.75
(II)	अन्य आय	25	**13.01**	15.09
(III)	**कुल आय (I+II)**		**1287.57**	1169.84
(IV)	खर्च			
	उपभोग्य सामग्रियों की लागत	26	**23.54**	25.92
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद समाप्त सामग्रियों की वस्तु-सूची में बदलाव/चालू कार्य और पेशागत भंडार उत्पाद कर	27	**-**	-
	उत्पाद शुल्द			
	कर्मचारी सुविधा पर व्यय	28	**525.10**	566.88
	विद्युत एवं इंधन		**2.95**	3.22
	निगमित सामाजिक दायित्व खर्च	29	**1.58**	1.18
	मरम्मती	30	**24.58**	21.19
	संविदात्मक व्यय	31	**354.78**	346.95
	वित्तीय लागत	32	**0.14**	0.25
	मूल्यहास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट व्यय		**23.66**	20.39
	प्रावधान	33	**1.33**	0.27
	राइट आफ	34	**-**	-
	अन्य व्यय	35	**66.09**	62.77
	कुल व्यय (IV)		**1023.75**	1049.02
(V)	अपवादात्मक मद के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)		**263.82**	120.82
(VI)	अपवादात्मक मद		**-**	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**263.82**	120.82
(VIII)	कर खर्च	36	**90.55**	39.99
(IX)	कन्टीन्यूईंग परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**173.27**	80.83
(X)	डिसकंटीन्यूड परिचालन से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XI)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन का कर खर्च		**-**	-
(XII)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन (कर पश्चात्) (X-XI) से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XIII)	जेवी/एसोसिएट के लाभ/(हानि) में शेयर		**-**	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**173.27**	80.83
	अन्य विस्तृत आय	37		
क.	(i) वैसा मद जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।		**(6.39)**	35.69
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।			

लाभ–हानि विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018 (अंकेक्षित)
ख.	(i) पैसा मद से लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।			
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।		**(2.23)**	12.35
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**(4.16)**	23.34
(XVI)	**कुल विस्तृत आय अवधि के लिए (XIV+XV) (कंप्राइजिंग लाभ (हानि) एवं अन्य विस्तृत आय अवधि के लिए**		**169.11**	104.17
	लाभ के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :		**173.27**	80.83
	अनियंत्रित ब्याज :			
			173.27	80.83
	कुल विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :		**169.11**	104.17
	अनियंत्रित ब्याज :			
			169.11	104.17
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए) :**			
	(1) बेसिक		**4,550.16**	2,122.64
	(2) डाइल्यूटेड		**4,550.16**	2,122.64
(XVIII)	प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए) :			
	(1) बेसिक		**-**	-
	(2) डाइल्यूटेड		**-**	-
(XIX)	प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए) :			
	(1) बेसिक		**4,550.16**	2,122.64
	(2) डाइल्यूटेड		**4,550.16**	2,122.64

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ईपीएस की गणना के लिए संदर्भ टिप्पणी 38 (6) (b)

(ए. मुंधरा)	**(एस.एन. साव)**	**(बी.एन. शुक्ला)**	**(शेखर सरन)**
कम्पनी सचिव	महाप्रब्रधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 07367625	डीआईएन 06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271 सी

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या रू 074749

तिथि : 21 मई, 2019
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए

(करोड़ रु. में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**परिचालन क्रिया-कलापों द्वारा नकद प्रवाह :**		
	कर से पूर्व कुल विस्तृत आय समायोजन के लिए :	**263.82**	120.82
	मूल्यहास और अचल परिसंपत्तियों की क्षति	**23.66**	20.39
	बैंक जमा से ब्याज	**(7.28)**	(10.43)
	वित्तीय लागत	**0.14**	0.25
	निवेश से ब्याज/लाभांश	**-**	-
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**(0.06)**	(0.06)
	अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	**(5.65)**	(4.60)
	अवधि के दौरान देयता वापस लाया	**(0.02)**	-
	अग्रिम स्ट्रीपिंग एक्टीविटी समायोजन	**-**	-
	चालू/गैर-चालू संपत्तियाँ एवं देयताएँ से पहले का परिचालन लाभ समायोजन के लिए :	**274.61**	126.37
	पेशागत प्राप्य	**31.40**	(283.73)
	इन्वेन्ट्रीज	**(1.30)**	0.95
	लघु/दीर्घकालिन ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**7.65**	30.10
	लघु/दीर्घकालिन देयताए एवं प्रावधान	**(218.36)**	322.99
	परिचालन से उत्पन्न नकद	**94.00**	196.68
	आयकर भुगतान/रिफंड	**(88.32)**	(52.34)
	ब्याज भुगतान	**(0.14)**	(0.25)
	परिचालन क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (क)	**5.54**	144.09
ख.	**निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(25.38)**	(33.02)
	परिसंपत्ति की बिक्री से आय	**0.06**	0.06
	अन्य दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम (पूँजी अग्रिम)	**-**	-
	फिक्स्ड डिपॉजिट/सब्सिडियरी के लिए ऋण पर ब्याज प्राप्त	**7.28**	10.43
	अन्य गैर–परिचालित आय	**5.67**	4.60
	बैंक जमा में निवेश	**-**	-
	निवेश में बदलाव	**-**	-
	संयुक्त उद्यम में निवेश	**-**	-
	निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	**-**	-
	निवेशों से ब्याज/लाभांश	**-**	-
	निवेश क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (ख)	**(12.37)**	(17.93)

ग. फाइनेंसिंग क्रिया–कलाप से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक उधार/सरकारी अनुदान से सुरूआत	**(0.33)**	(0.60)
उधार का पुनर्भुगतान	**-**	-
फाइनेंसिंग क्रिया–कलापों से संबंधित ब्याज और वित्तीय लागत	**-**	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की रसीद	**-**	-
लाभांश और लाभांश कर	**(36.49)**	**(23.47)**
इक्विटी शेयर पूँजी को वापस खरीदना	**-**	-
फाइनेंसिंग क्रिया–कलाप में इस्तेमाल होने वाला निबल नकद (ग)	**(36.82)**	(24.07)
नकद और बैंक बैंलेंस में निबल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**(43.65)**	102.09
वर्ष के शुरुवात में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**179.27**	77.18
वर्ष के अंत में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**135.62**	179.27

(ब्रैकेट में सभी आँकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है)

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(एस.एन साव)
महाप्रब्रधक (वित्त)

(बी.एन. शुक्ला)
निदेशक
डीआईएन 07367625

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271 सी

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या रू 074749

तिथि : 21 मई, 2019
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी (करोड़ रु. में)

विवरण	01.04.2017 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2018 के अनुसार शेष	01.04.2018 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2019 के अनुसार शेष
1000 रु. प्रत्येक 3,80,800 इक्विटी शेयर के	19.04	19.04	38.08	38.08	-	**38.08**

ख. अन्य इक्विटी

	वरीयता प्राप्त शेयर का इक्विटी हिस्सा	अन्य भण्डार				सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	प्रतिधारित कमाई	कुल	गैर-नियंत्रि ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व	कैपिटल रिजर्वस	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व						
01.04.2017 के अनुसार शेष	-	-	**19.80**	-	-	**5.77**	**13.06**	**196.76**	**235.39**	-	**235.39**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
01.04.2017 के अनुसार पूर्व घोषित शेष	-	-	**19.80**			**5.77**	**13.06**	**196.76**	**235.39**	-	**235.39**
01.04.2017 के अनुसार शेष	-	-	19.80			**5.77**	**13.06**	196.76	235.39	-	235.39
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	0.39	-	-	**4.04**	-	-	4.43	-	4.43
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.99)	-	-	-	-		(0.99)	-	(0.99)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	-	80.83	80.83	-	80.83
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	23.34	-	23.34	-	23.34
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(4.04)	(4.04)	-	(4.04)

अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(19.50)	(19.50)	-	(19.50)
बोनस	-	-	-	-	-	(5.77)	-	(13.27)	(19.04)	-	(19.04)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(3.97)	(3.97)	-	(3.97)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**19.20**	**-**	**-**	**4.04**	**36.40**	**236.81**	**296.45**	**-**	**296.45**
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	19.20	-	-	4.04	36.40	236.81	296.45	-	296.45
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	1.00	-	-	8.66	-	-	9.66	-	9.66
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(1.33)	-	-	-	-	-	1.33	-	(1.33)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	(4.16)	173.27	169.11	-	169.11
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(8.66)	(8.66)	-	(8.66)
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(25.52)	(25.52)	-	(25.52)
बोनस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(4.75)	(4.75)	-	(4.75)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(6.22)	(6.22)	-	(6.22)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.87**	**-**	**-**	**12.70**	**32.24**	**364.93**	**428.74**	**-**	**428.74**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रु. में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/साईट पुनःस्थापन लागत	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
सकल वहनीय राशि :															
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	1.15	1.34	-	47.45	90.23	0.20	-	8.67	1.04	9.18	-	-	0.70	-	159.96
जोड़कर	-	0.09	-	1.57	29.49	0.10	-	0.74	0.76	0.95	-	-	0.01	-	33.71
हटाकर/समायोजन	-	-	-	(0.95)	(0.69)	(0.01)	-	0.70	-	(0.15)	-	-	(0.03)	-	(1.13)
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**1.15**	**1.43**	**-**	**48.07**	**119.03**	**0.29**	**-**	**10.11**	**1.80**	**9.98**	**-**	**-**	**0.68**	**-**	**192.54**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	1.15	1.43	-	48.07	119.03	0.29	-	10.11	1.80	9.98	-	-	0.68	-	192.54
जोड़कर	-	-	-	19.18	32.29	0.14	-	1.90	0.14	1.08	-	-	0.08	-	54.81
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	(6.73)	-	-	(0.01)	-	(0.16)	-	-		-	(6.90)
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**1.15**	**1.43**	**-**	**67.25**	**144.59**	**0.43**	**-**	**12.00**	**1.94**	**10.90**	**-**	**-**	**0.76**	**-**	**240.45**
संचित मूल्यह्रास और क्षति															
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	-	0.04	-	2.67	20.68	0.02	-	2.09	0.35	2.42	-	-	-	-	28.27
वर्ष के दौरान चार्ज	-	0.03	-	1.40	14.13	0.03	-	1.24	0.33	1.43	-	-	-	-	18.59
क्षति															-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	(0.01)	0.46	-	-	(0.13)	0.03	(0.09)	-	-	-	-	0.26
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**-**	**0.07**	**-**	**4.06**	**35.27**	**0.05**	**-**	**3.20**	**0.71**	**3.76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.12**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-	0.07	-	4.06	35.27	0.05	-	3.20	0.71	3.76	-	-	-	-	47.12
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-	0.02	-	1.99	17.56	0.06	-	1.60	0.34	1.55	-	-	-	-	23.12
क्षति															
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	(6.07)	-	-	(0.18)		0.03	-	-	-	-	(6.22)
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**-**	**0.09**	**-**	**6.05**	**46.76**	**0.11**	**-**	**4.62**	**1.05**	**5.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.02**
नेट कैरिंग एमाउन्ट															-
31 मार्च 2019 के अनुसार	**1.15**	**1.34**	**-**	**61.20**	**97.83**	**0.32**	**-**	**7.38**	**0.89**	**5.56**	**-**	**-**	**0.76**	**-**	**176.43**
31 मार्च 2018 के अनुसार	1.15	1.36	-	44.01	83.76	0.24	-	6.91	1.09	6.22	-	-	0.68	-	145.42

Note:

1. ऊपर प्लांट और मशीनरी में उन प्लांट और मशीनरी, जिसमें स्टैंड बाई इक्विपमेंट और स्टोर व पुर्जें आते को शामिल किया गया है, जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को संतुष्ट करता है, लेकिन अभी तक स्टोर्स से जारी नहीं हुआ है
2. कंपनी लेखा नीति के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। (टिप्पणी संख्या 2 देखें)
3. अन्य भूमि में क्षेत्रीय संस्थान–7 का रू. 1.30 (नेट कैरिंग एमाउन्ट) का लीज होल्ड शामिल है। इसके लिए 90 वर्ष का लीज़ अवधि है, जो नवीनीकरण विकल्प के साथ 18.07.1990 और 04.01.2011 से लागू होगा।
4. 54.73 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत योग में से, 0.84 करोड़ रुपय CIL R & D फंड से संबंधित हैं। 0.03 करोड़ MOC S & T से संबंधित है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : पूँजी डब्ल्यूआईपी

(करोड़ रु. में)

	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना/विकास	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
सकल वहनीय राशि :						
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	14.29	32.24	-	-	-	46.53
जोड़कर	5.35	12.31	-	-	-	17.66
हटाकर/समायोजन	(0.88)	(17.46)	-	-	-	(18.34)
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**18.76**	**27.09**	**-**	**-**	**-**	**45.85**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	18.76	27.09	-	-	-	45.85
जोड़कर	1.29	6.59	-	-	-	7.88
हटाकर/समायोजन	(18.44)	(20.88)	-	-	-	(39.32)
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**1.61**	**12.80**	**-**	**-**	**-**	**14.41**
संचित प्रावधान और क्षति						-
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
नेट कैरिंग एमाउन्ट						-
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**1.61**	**12.80**	**-**	**-**	**-**	**14.41**
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**18.76**	**27.09**	**-**	**-**	**-**	**45.85**

नोट – कुल डब्ल्यूआईपी में से रु (31.44) का जोड़ और समायोजन है, जिसमें कर रुपये 0.32 करोड़ सीआईएल आर एंड डी फंड से संबंधित है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**-**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**-**
संचित प्रावधान और क्षति	
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**-**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**-**
नेट कैरिंग एमाउन्ट	
31 मार्च, 2019 के अनुसार	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6 : अन्य इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य (टिप्पणी में उल्लेखित)	कुल
सकल वहनीय राशि :			
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	6.13	-	6.13
जोड़कर	1.26	-	1.26
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**7.39**	**-**	**7.39**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	7.39	-	7.39
जोड़कर	4.00	-	4.00
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**11.39**	**-**	**11.39**
संचित ऋण परिशोधन और क्षति			
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	3.90	-	3.90
वर्ष के दौरान चार्ज	1.66	-	1.66
क्षति		-	-
हटाकर / समायोजन	0.02	-	0.02
31 मार्च, 2018 के अनुसार	**5.58**	**-**	**5.58**
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	5.58	-	5.58
वर्ष के दौरान चार्ज	1.85	-	1.85
क्षति		-	-
हटाकर / समायोजन		-	-
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**7.43**	**-**	**7.43**
नेट कैरिंग एमाउन्ट			
31 मार्च, 2019 के अनुसार	**3.96**	-	**3.96**
31 मार्च, 2018 के अनुसार	1.81	-	1.81

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 7 : निवेश

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
शेयर में निवेश	-	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-
अन्य निवेश	-	-
सुरक्षित बाँड में	-	-
कोऑपरेटिव शेयर में	-	.
कुल	**-**	**-**
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-

टिप्पणी 7 : (जारी....)

निवेश

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
म्यूचुअल फंड निवेश		
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान	-	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड	-	-
एसबीआई म्यूचुअल फंड	-	-
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	-	-
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	-	-
बीओआई एएसक्सए म्यूचुअल फंड	-	-
कुल	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8 : ऋण

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
अन्य ऋण		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
– क्रेडिट इम्पेयर्ड		
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-
चालू		
अन्य ऋण		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-.	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
– क्रेडिट इम्पेयर्ड		
– संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
बैंक जमा		-
निम्नलिखित के तहत बैंक के पास जमा		
– माइन क्लोजर प्लान	-	-
– स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग	-	-
अन्य जमा और प्राप्य *	**1.11**	1.20
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	**0.04**	0.04
	1.07	1.16
कुल	**1.07**	**1.16**
चालू		
कोल इंडिया के पास सरप्लस फंड	**-**	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास चालू खाता बैलेंस		
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग	**-**	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास बैलेंस	**17.70**	79.47
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	**-**	-
	17.70	79.47
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अर्जित ब्याज	**1.96**	2.39
दावे और अन्य रसीदें	**39.16**	7.94
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	**-**	-
	39.16	7.94
कुल	**58.82**	**89.80**

नोटः अन्य जमा और प्राप्य* में शामिल हैं–

	31.03.2019	31.03.2018
गैस कंपनी एवं अन्य को जमा	**0.02**	0.02
विद्युत कंपनी को जमा	**0.72**	0.72
पीएंडटी जमा	**0.07**	0.07
सुरक्षा जमा देय	**0.11**	0.10
कर्मचारी	**0.19**	0.29
कुल	**1.11**	1.20

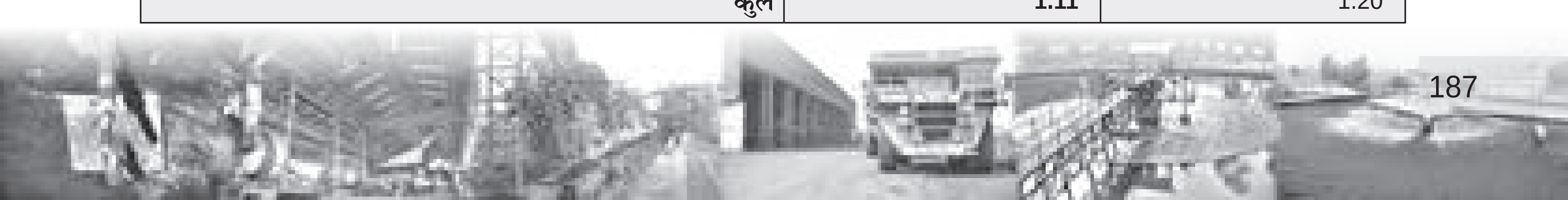

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(i) अग्रिम पूँजी	**0.62**	8.36
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	0.62	8.36
(ii) अग्रिम पूँजी के अलावे अग्रिम		
(क) युटिलिटी के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	**39.32**	0.48
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
	39.32	0.48
(ग) पार्टी से संबंधित अग्रिम	-	-
कुल	**39.94**	**8.84**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) पूंजी के लिए अग्रिम	-	-
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुएँ और सेवाएँ)	**0.80**	0.40
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.23**	0.03
	0.57	0.37
(ग) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	**245.43**	243.62
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	-
	245.43	243.62
(घ) पार्टी से संबंधित अग्रिम	**-**	-
(ङ.) अन्य अग्रिम और जमा *	**2.86**	2.08
घटाकर : संदिग्ध दावा के लिए प्रावधान	**0.05**	0.05
	2.81	2.03
(च) प्राप्ति योग्य सीनवेट/वेट क्रेडिट	**46.56**	30.79
घटाकर : प्रावधान		-
	46.56	30.79
(छ) मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट	**-**	-
घटाकर : प्रावधान		
कुल	**295.37**	**276.81**

टिप्पणी : अन्य जमा एवं अग्रिम में निम्नलिखित शामिल है :

1.(ज) **अग्रिम-अन्य ***

	31.03.2019	31.03.2018
अग्रिम (एक्सए)	**0.80**	0.33
स्थायी अग्रदाय	**-**	-
अग्रिम भुगतान	**0.01**	0.01
स्थायी अग्रिम	**-**	-
एल.टी.सी. अग्रिम	**-**	0.09
टी.ए. (अधिकारी)	**0.40**	0.25
टी.ए. (स्टाफ)	**0.83**	1.01
टी.ए. अग्रिम (देश से बाहर)	**0.02**	0.02
चिकित्सा अग्रिम	**0.73**	0.29
कोल इंडिया दिल्ली	**-**	-
कोल इंडिया हैदराबाद एवं अन्य	**-**	0.01
अन्य	**-**	-
एक्स–कोल बोर्ड एवं अन्य	**0.07**	0.07
कुल	**2.86**	2.08

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12 : वस्तु सूची

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) कोयले का भंडार		
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले के भंडार (निबल)	-	-
(ख) भंडारों एवं पार्टपूर्जों (लागत पर) का स्टॉक	**9.73**	8.43
जोड़कर : मार्गस्थ स्टोर	**-**	-
स्टोर एवं स्पेयर (लागत पर) का निबल स्टॉक	**9.73**	8.43
(ग) सेंट्रल अस्पताल में दवा का स्टॉक	**-**	-
(घ) कार्यशाला कार्य और प्रेस जॉब		
	9.73	8.43

टिप्पणी 13 : पेशागत प्राप्ति

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
पेशागत प्राप्ति		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	**579.98**	611.38
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	**3.86**	2.73
– क्रेडिट इम्पेयर्ड		
	583.84	614.11
घटाकर : बैड एवं संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	**3.86**	2.73
कुल	**579.98**	611.38
वर्गीकरण		
प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान		
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	**579.98**	611.38
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	**3.86**	2.73
क्रेडिट इम्पेयर्ड		

1 कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से या तो गंभीर रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः कंपनियों या निजी कंपनियों से बकाया है जिसमें कोई भी निदेशक एक भागीदार या सदस्य होता है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14 : नकद और नकद समतुल्य

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) बैंक के पास शेष		
– जमा लेखा में	**64.14**	89.34
– चालू लेखा में	**71.46**	89.90
– इंटरेस्ट बेअरिंग	**26.18**	81.35
– नॉन इंटरेस्ट बेअरिंग	**45.28**	8.55
– नकद क्रेडिट लेखा में	**-**	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	**-**	-
(ग) हाथे चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	**0.01**	0.01
(घ) पास में नकद	**0.01**	0.02
(ड़) भारत से बाहर के पास में नकद	**-**	-
(च) अन्य	**-**	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	**135.62**	179.27
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	**-**	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल)	**135.62**	179.27

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक शेष

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
बैंक के पास शेष		
– जमा लेखा	-	-
– माइन क्लोजर प्लान	-	-
– स्थानान्तरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
– शेयर के बाईबैक के लिए एस्क्रो लेखा	-	-
– अदेय लाभांश लेखा	-	-
– लाभांश लेखा	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 16 : इक्विटि शेयर पूँजी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
अधिाकृत		
1000/–प्रति इक्विटी शेयर वाले 5,00,000 इक्विटी शेयर	**50.00**	50.00
	50.00	50.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी		
(कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी तथा इसके नामिती)		
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर)	-	-
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रुप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 275792 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 85392 इक्विटी शेयर)	**27.58**	27.58
ऋण को इक्विटी में बदलकर नियंत्रक कंपनी के नकद हेतु पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 100/–रू. के 105000 इक्विटि शेयर	**10.50**	10.50
कुल	**38.08**	38.08

1. प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित कंपनी में शेयर

शेयर होल्डर के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1000 रू. के अंकित मूल्य)	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड	380800	100%

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटि पोर्शन	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	रिटेन्ड अर्निंग	अनियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेन्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व					
01.04.2017 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**19.80**	**-**	**-**	**5.77**	**13.06**	**196.76**	**-**	**235.39**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिर्वतन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 के अनुसार रीस्टेटेड शेष	**-**	**-**	**19.80**	**-**	**-**	**5.77**	**13.06**	**196.76**	**-**	**235.39**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	0.39	-	-	4.04	-	-	-	4.43
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.99)	-	-	-	-	-	-	(0.99)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	-	80.83	-	80.83
परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	23.34	-	-	23.34
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(4.04)	-	(4.04)
अन्य रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(19.50)	-	(19.04)
बोनस	-	-	-	-	-	(5.77)	-	(13.27)	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(3.97)	-	(3.97)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**19.20**	**-**	**-**	**4.04**	**36.40**	**236.81**	**-**	**296.45**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर टिप्पणी (जारी ...)

टिप्पणी 17 : (जारी ...)

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटि पोर्शन	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	रिटेन्ड अर्निंग	अनियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेन्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व					
01.04.2018 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**19.20**	-	**-**	**4.04**	**36.40**	**236.81**	**-**	**296.45**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	1.00	-	-	8.66	-	-	-	9.66
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(1.33)	-	-	-	-	-	-	(1.33)
लेखांकन नीति में परिर्वतन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	(4.16)	173.27	-	169.11
परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(8.66)	-	(8.66)
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(25.52)	-	(25.52)
बोनस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(4.75)	-	(4.75)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(6.22)	-	(6.22)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.87**	-	**-**	**12.70**	**32.24**	**364.93**	**-**	**428.74**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर टिप्पणी (जारी ...)

टिप्पणी 17 : (जारी ...)

रिजर्व एवं अधिशेष जारी ...

रिजर्व पूँजी : कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूँजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यहास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है। कैपिटल रिजर्व का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	एस एंड टी अनुदान	यूएनडीपी अनुदान	सीसीडीए अनुदान	ईएमएससी अनुदान	सीआईएल आर एंड डी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाऊस अनुदान	कुल
गत लेखे के अनुसार	3.33	0.05	0.06	-	15.37	0.37	0.02	**19.20**
जोड़कर	0.03	-	-	-	0.97	-	-	**1.00**
घटाकर : मूल्यहास एवं	3.36	0.05	0.06	-	16.34	0.37	0.02	**20.20**
समायोजन	0.30	-	-	-	0.98	0.04	0.01	**1.33**
31-03-2019 के अनुसार कुल योग	**3.06**	**0.05**	**0.06**	**-**	**15.36**	**0.33**	**0.01**	**18.87**
31.03.2018 के अनुसार कुल योग	**3.33**	**0.05**	**0.06**	**-**	**15.37**	**0.37**	**0.02**	**19.20**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18 : उधारी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू (नन-करेंट)		
टर्म लोन		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य लोन	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूति	-	-
चालू		
माँग पर पुनः देय ऋण		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूति	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 19 : पेशागत देय

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए पेशागत देय	**0.20**	0.17
निम्न के लिए अन्य पेशागत देय		
– स्टोर एंड स्पेयर्स	**2.06**	1.14
– पावर एंड फ्युअल	**-**	-
श्वेतन और भत्ते	**35.76**	27.98
–अन्य	**140.63**	188.65
कुल	**178.65**	217.94

	31.03.2019	31.03.2018
माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटर प्राइजेज की ऐजिंग तीन महीने से कम	**0.20**	0.17

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान का बकाया रु शून्य है इसीलिए मूलधन और ब्याज के खाते का बकाया भी शून्य है।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवधि के दौरान सभी देरी से भुगतान पर कुल ब्याज – रु. शून्य

अवधि / वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे भुगतान की गई मूल राशियों पर देय ब्याज लेकिन इस अधिनियम के तहत ब्याज राशि के बिना – रु. शून्य

अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं– रु. शून्य

कुल ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है– रु. शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
सिक्युरिटी डिपॉजिट	**1.97**	3.82
अर्नेस्ट मनी	**3.21**	3.40
अन्य *	**68.76**	54.88
कुल	**73.94**	62.10
चालू		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि	**-**	-
निम्न के साथ चालू लेखा	**-**	-
– अनुषंगी कंपनियाँ	**-**	-
– आईआईसीएम	**-**	-
दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता	**-**	-
अप्रदत्त लाभांश	**-**	-
सिक्युरिटी जमा	**2.04**	2.06
अर्नेस्ट मनी	**1.14**	0.81
पूंजीगत व्यय के लिए देय	**-**	-
अन्य *	**1.48**	2.71
d|y	**4.66**	5.58

टिप्पणी– अन्य * में शामिल है :

	31.03.2019	31.03.2018
कंट्रेक्टर कीप बैक	2.53	1.16
एक्सप्लोरेशन कीप बैक	64.46	51.93
कर्मचारियों से अग्रिम एवं जमा	3.25	4.50
d|y	**70.24**	**57.59**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि	**111.86**	101.37
– छुट्टी नकदीकरण	**68.29**	64.68
– अन्य कर्मचारी लाभ	**35.54**	77.45
साइट रेस्टोरेशन/माइन क्लोजर	**-**	-
अलग करने की गतिविधि	**-**	-
अन्य *	**0.02**	0.02
कुल	**215.71**	243.52
चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि	**26.75**	30.36
– छुट्टी नकदीकरण	**14.66**	14.47
– एक्सग्रेसिया	**14.96**	14.05
– कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	**103.04**	63.71
– नेशनल कोल वेज एग्रिमेंट (एनसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान	**5.29**	30.28
– एक्जीक्यूटिव पे रिवीजन	**-**	53.00
– अन्य कर्मचारी लाभ **	**27.64**	102.99
	192.34	308.86
साइट रेस्टोरेशन/माइन क्लोजर	**-**	-
कोयले के क्लोजिंग स्टॉक पर एक्साइज डयूटि	**-**	-
अन्य	**-**	-
कुल	**192.34**	**308.86**

टिप्पणी 1: अन्य * में शामिल

	31.03.2019	31.03.2018
स्वास्थ कर हेतु प्रावधान	0.02	0.02
कुल	**0.02**	0.02

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 22 : अन्य गैर चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
स्थानांतरण और पुनर्वास कोष		
आस्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	As at 31.03.19	As at 31.03.18
सांविधिक बकाया :		
सांविधिक बकाया :	49.02	47.95
कोयला आयात हेतु अग्रिम	-	-
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	**11.36**	2.96
सेस इक्यूलाइजेशन एकाउन्ट	-	-
अन्य देयताएँ *	**56.85**	57.74
कुल	**117.22**	108.65

टिप्पणी–अन्य देयताएँ *

	31.03.2019	31.03.2018
सीबीएम सेल	**3.73**	2.06
कर्मचारियों से एलआईसी की वसूली	**-**	0.01
क्लब सदस्यता	**-**	-
को–ओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी	**-**	0.08
रिलिफ फंड	**0.03**	0.02
ईवीडब्लूएफ	**0.01**	-
अन्य कटौती	**0.10**	0.04
स्टेल चेक हेतु क्रेडिट	**0.16**	0.16
इम्प्रेस्ट से अनपेड	**0.28**	0.22
विद्युत के लिए ओ/एस देयता	**1.26**	1.11
संविदात्मक ओ/एस देयता	**5.07**	3.81
आरईवी. के लिए ओ/एस देयताएँ	**35.77**	26.90
कैपिटल देयताएँ ओ/एस	**0.52**	2.42
खनन इलेक्ट्रोनिक अनुदान	**0.01**	0.01
परीक्षण प्रयोगशाला	**0.28**	0.28
यूएनडीपी फंड	**0.27**	0.27
सीआईएल सीआईएमएफआर फंड	**0.21**	0.21
सन्डराइ क्रेडिटर–कैपिटल	**3.31**	1.61
परिसंपत्तियों की हानि पर प्रावधान	**0.01**	0.01
निधि	**5.83**	18.45
कुल	**56.85**	57.74

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : (जारी...)

अन्य चालू देयताएँ (जारी...)

वर्ष के दौरान एस एंड टी, पीआरई, विस्तृत वेधन, आरएंडडी और प्रतिपूर्ति के तहत प्राप्त अनुदान/कोष नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीसीडीए अनुदान	गैर-सीआईएल के लिए विस्तृत गवेषण	इस्पात मंत्रलय	सीआ. ईएल आरएंडडी अनुदान
01-04-2018 के अनुसार अथशेष	0.10	0.41	0.24	0.33	0.26	17.26
जोड़कर						
1. कोयला मंत्रालय	24.19	100.68		339.34		-
2. इस्पात मंत्रालय	-					-
3. सीआईएल कोलकाता	-	-	-	-	-	
4. समायोजन	-	-	-	-	-	-
5. निधि पर बैंक का ब्याज	0.09	0.58	0.01	0.06		0.71
6. नहीं खर्च किये हुए धन की वापसी	0.02	-	-	-	-	-
	24.40	**101.67**	**0.25**	**339.73**	**0.26**	**17.97**
घटाकर : प्रतिपूर्ति/उपयोग	23.92	99.31	0.00	339.50	0.00	13.58
31-03-2019 को इतिशेष	**0.48**	**2.36**	**0.25**	**0.23**	**0.26**	**4.39**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 : परिचालन से राजस्व

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
क. सेवाओं की बिक्री	**1,503.84**	1,355.94
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी	**229.28**	201.19
निबल बिक्री (क)	**1,274.56**	1,154.75
ख. अन्य परिचालन राजस्व		
बालू भराई एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी	-	-
कोयला आयात के लिए फैसिलीटेशन शुल्क	-	-
लदान एवं अन्य परिवहन शुल्क	-	-
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी (एक्साइज को छोड़कर)	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	-	-
घटाकर : सांविधिक लेवी	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (ख)	-	-
परिचालन से राजस्व (क+ख)	**1,274.56**	1,154.75

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
ब्याज पर आय	7.28	10.43
लाभांश से आय	-	-
अन्य		
एपेक्स शुल्क	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.06**	0.06
विदेशी विनिमय लेनदेन पर प्राप्ति	-	-
लीज रेंट	-	-
बट्टे खाते में वापस लाया गया देयता/प्रावधान	**0.02**	-
विविध आय	**5.65**	4.60
कुल	**13.01**	15.09

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 26 : उपभोग्य किए गए सामग्रियों की लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
विस्फोटक	-	-
टिम्बर	-	-
आयल एंड लुब्रिकेंट्स	**10.87**	10.04
एचईएमएम स्पेयर्स	-	-
अन्य उपयोग्य भंडार एवं पाटपूर्जे	**12.67**	15.88
कुल	**23.54**	25.92

टिप्पणी 27 : फिनिश्ड गुड्स की वस्तु सूची में परिर्वतन, चालू कार्य व्यवसाय में स्टॉक

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
कोयले का ओपनिंग स्टॉक	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
	-	-
क. कोयल की वस्तु-सूची में बदलाव	-	-
डब्ल्यूआईपी	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टाक का समायोजन	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
	-	-
डब्ल्यूआईपी	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
	-	-
ख. वर्कशॉप की वस्त-सूची में बदलाव	-	-
डब्ल्यूआईपी		
i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
	-	-
घटाकर : प्रेस क्लोजिंग जॉब		
i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
	-	-
ग. प्रेस जॉब के क्लोजिंग स्टॉक के वस्तु-सूची में परिवर्त्तन		·
ट्रेड में स्टॉक की वस्तु-सूची में परिवर्त्तन (क+ख+ग) डिक्रिशन/एक्रीशन		·

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ पर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि	**281.85**	270.75
पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	**72.09**	136.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	**171.16**	160.11
कुल	**525.10**	566.88

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
सीएसआर व्यय	**1.58**	1.18
कुल	**1.58**	1.18

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में 1.53 करोड़ रुपये की राशि (तीन वित्तीय वर्षों के तुरंत बाद कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2ः होने के नाते) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जानी थी और कंपनी ने 1.58 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
भवन	**6.30**	7.39
संयंत्र एवं मशीनरी	**8.15**	6.64
अन्य	**10.13**	7.16
कुल	**24.58**	21.19

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
परिवहन शुल्क :		
प्लांट और उपकरणों की हायरिंग	**-**	-
अन्य संविदात्मक कार्य	**354.78**	346.95
कुल	**354.78**	346.95

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
व्याज पर खर्च		
उधारी	**-**	-
डिसकाउन्ट्स का अन–वाइडिंग	**-**	-
अन्य	**0.14**	0.25
कुल	**0.14**	0.25

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट ऑफ रिवर्सल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
(क) निम्नलिखित के लिए भत्ता/प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	**1.13**	0.23
ग्रेड भिन्नता		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	**-**	0.04
भंडार एवं पाट पूर्जे	**-**	-
अन्य	**0.20**	-
कुल (क)	**1.33**	0.27
(ख) अलाउन्स/प्रोविजन रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	**-**	-
ग्रेड भिन्नता		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	**-**	-
भंडार एवं पाट पूर्जे	**-**	-
अन्य	**-**	-
कुल (ख)	**-**	-
कुल (क-ख)	**1.33**	0.27

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डाला गया (गत प्रावधान का निबल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
ग्रेड विभिन्नता	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाकर :– पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
यात्रा व्यय	**19.13**	20.03
प्रशिक्षण खर्च	**3.23**	1.63
टेलीफोन एवं पोस्टेज	**1.93**	2.36
विज्ञापन एवं प्रचार	**1.84**	1.28
ढुलाई भाड़ा	**-**	-
डीमूरेज	**-**	-
डीमूरेज	**17.73**	16.40
सीआईएल का सेवा शुल्क	**-**	-
किराया शुल्क	**7.25**	6.57
लीगल खर्च	**0.05**	0.05
परामर्शी शुल्क	**2.57**	3.97
अंडर लोडिंग शुल्क	**-**	-
परिसंपत्तियों की बिक्री / त्याग / सर्वेक्षण पर नुकसान	**-**	0.01
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक एवं व्यय		
– लेखा परीक्षण शुल्क के लिए	**0.11**	0.06
– कराधान मामले के लिए	**-**	0.02
– अन्य सेवाओं के लिए	**0.04**	0.11
– कए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.22**	0.21
आन्तरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा पर व्यय	**0.58**	0.60
पुनर्वास शुल्क	**-**	-
किराया	**0.42**	0.46
दर एवं कर	**0.81**	0.50
बीमा	**0.08**	0.02
विनियम दर में विभिन्नता पर हानि	**-**	-
रेस्कयू/सुरक्षा व्यय	**-**	-
डेड रेंट/सर्फेस रेंट	**-**	-
साइडिंग मेंटेनेंस शुल्क	**-**	-
आरएंडडी पर व्यय	**-**	-
पर्यावरणिक एवं वनारोपण व्यय	**0.47**	0.22
विविध खर्च	**9.63**	8.15
कुल	**66.09**	62.77

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : कर (Tax) व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
चालू वर्ष	**66.10**	53.30
आस्थगित कर	**26.24**	(13.31)
मैट क्रेडिट इटाइटिलमेंट	**(0.64)**	-
पूर्व वर्ष	**(1.15)**	-
कुल	**90.55**	39.99

31.03.2019 के लिए कर व्ययों का रिकॉन्सिलीएशन और लेखंकित लाभ का भारत की घरेलु कर दरों से गुणा करना	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
कर पूर्व लाभ	263.82	120.82
34.944%/34.608% कर	92.18	41.81
स्वीकार्य व्ययों पर कम कर	42.20	14.88
गैर–कटौती योग्य व्यय पर अतिरिक्त कर	16.12	26.37
नार्मल क के अनुसार आयकर व्यय	66.10	53.30
MAT प्रावधान (Sec 115JB) (B) के अंतर्गत आयकर	55.23	25.78
ए / बी के लिए अधिक कर देय	**66.10**	**53.30**
मैट क्रेडिट इटाइटिलमेंट	(0.64)	-
आस्थगित कर	26.24	(13.31)
पूर्व वर्षों के लिए कर	(1.15)	-
लाभ और हानि के विविरण में रिपोर्ट किए गए आयकर खर्च	**90.55**	**39.99**
प्रभावी आयकर दर :	**34.32**	**33.10**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 37 : अन्य विस्तृत आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2018
क) (i) वैसे मद जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**(6.39)**	35.69
	(6.39)	35.69
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**(2.23)**	12.35
	(2.23)	12.35
कुल (क)	**(4.16)**	23.34
(ख) (i) वैसा मद जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुर्नवर्गीकृत किया जाएगा।		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
		-
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
	-	-
कुल (ख)		
कुल (क + ख)	**(4.16)**	23.34

टिप्पणी -1 निगमित सूचना (जानकारी)

वर्कशॉप में तैयार फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) की स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य बाहरी कंपनियों भू–वैज्ञानिक, भू–भौतिकी, जलभू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा सृजन सहित कोयला एवं खनिज गवेशण में परामर्शी सहायता देने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। सीएमपीडीआईएल शिड्यूल ''बी''/मिनी रत्न कैट–। सीपीएसई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण कोयला मंत्रालय के अधीन है। सीएमपीडीआईएल 100 प्रतिशत (पूर्णतः) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका निबंधित कार्यालय गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची 834031, झारखंड भारत में स्थिति है। कंपनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 2019 के अनुसार क्रमशः 50 करोड़ रूपए तथा 38.08 करोड़ रूपए है।

टिप्पणी-2 महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 तैयारी का आधार :

कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के अनुरूप तैयार किया जाता है। निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण मापन के हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर तैयार किया गया है।

- फेयर वैल्यू के आधार पर कुछ निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं (लेखांकन नीत में वर्णित वित्तीय इंस्ट्रूमेंट पर पैरा 2'15 का संदर्भ लिया जाए)
- डिफाइंड बेनेफिट प्लान–पफेयर वैल्यू के आधार पर प्लान परिसंपत्तियों का मापन
- लागत पर वस्तुसूची (Invenories) या NRV जो भी कम हो (लेखांकन नीति में पैरा–2–21 का संदर्भ लिया जाए)

2.1.1 रकम को पूर्णांक में बदलना (राउडिंग ऑफ)

यदि कोई अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, तो इस वित्तीय विवरण में रकम को दो दशमलब अंक तक करोड़ रूपए में राउन्ड ऑफ किया गया है।

2.2 करेंट एवं नन करेंट वर्गीकरण

कंपनी करेंट/नन करेंट वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है।

किसी परिसंपत्ति को चालू (करेंट) के रूप में माना जाता है जब :

क) इसे सामान्य परिचालन चक्र (सायकिल) में परिसंपत्तियों को वसूल (रियलाइज) करने की उम्मीद हो, इसे बिक्री या खपत करने का इरादा हो।

ख) व्यापार के उद्देश्य से प्रारंभिक तौर पर परिसंपत्ति को रखता (होल्ड करता) हो,

ग) वस्तुओं और सेवाओं को स्थानांतरिक करने के लिए कंपनी भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है ;

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद सम तूल्य होता है (जैसा कि इंडएएस 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर के लिए बदले जाने या दायित्व के निपटारा के लिए प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी परिसंपत्ति को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कोई इन्टिटी किसी देयता को चालू (करेंट) के रूप में वर्गीकृत करेगा जब

क) अपने सामान्य समय में देयता का निपटान की उम्मीद हो

ख) यह प्रारंभिक तौर पर व्यापार के उद्देश्य से देयता होल्ड करता हो,

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद देयता का बारह माह के भीतर निपटाया जाना हो या

घ) इसके पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम बारह माह के लिए देयता के निपटारे को आस्थगित करने के लिए बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्त, प्रति पक्ष (काउन्टर पार्टी) की राय में जिसके फलस्वरूप इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट को जारी कर निपटारा होता है, इसके वर्गीकरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देयता की शर्त, प्रतिपक्षी की राय में, जिसके परिणमस्वरूप इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट के इश्यू द्वारा सेटलमेंट किया जा सकता है, इसके वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं डाल सकता है।

देयताओं का गैर–चालू (नन करेंट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 राजस्व की पहचान

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वस्तुओं और सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस विचार को दर्शाता है, जिसके अनुसार कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने यह सामान्य निष्कर्श निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्थाओं प्रमुख है, क्योंकि यह वसतुओं या सेवाओं के ग्राहकों को हस्तांतरण से पूर्व विशिष्ट तौर नियंत्रित करता है।

निम्नलिखित 5 चरणों का प्रयोग करते हुए Ind AS 115 का सिद्धांत लागू होता है :

चरण ।-अनुबंध की पहचान :

निम्नलिखित सभी कसौटियों के पूरा करने पर ही कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए उत्तरदायी है :

क) अनुबंध करने वाली पार्टियों ने अनुबंध की स्वीकृति दी है और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो;

ख) वस्तुओं और सेवाओं की स्थानांतरित करने के लिए कंपनी प्रतयेक पार्टी के इस संबंध में अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) वस्तुओं और सेवाओं को स्थानांतरिक करने के लिए कंपनी भुगतान की भार्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में व्यावसायिक तत्व हों (जैसे अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविश्य के नकद प्रवाह से संबंधित खतरा, समय और राशि में परिवर्तन होने की संभावना) ; और

ड.) यह संभव है कि कंपनी उस विचार को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होगी। विचार करने की राशि जिसके लिए कंपनी हकदार होगी, अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है यदि विचार परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत क्रेडिट या इन्सेन्टिव, प्रदर्शन बोनस या इसी तरह प्रदान कर सकती है।

अनुबंध का संयोजन :

कंपनी दो यादो से अधिक अनुबंधों की एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पार्टियों) के साथ एक ही समय में एक ही अनुबंध मानकर प्रवेश करेगी यदि निम्नलिखित मानदंडों में एक या अधिक का पालन हो :

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में नेगोशिएट करती है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है;

ग) अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ और सेवाएँ (या प्रत्येक अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ या सेवाएँ) एक एकल प्रदर्शन दायित्व है।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दो स्थितियाँ मौजूद हों तो कंपनी अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में स्वीकार करेगी।

क) अनुबंध का दायरा बढ़ जाता है वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ अलग–अलग होते हैं और

ख) अनुबंध की कीमत एक विचारणीय मात्रा में बढ़ जाती है जो कंपनी की अतिरिक्त बचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के स्टैंड अलोन बिक्री मूल्य को दर्शाती हैं और विशिष्ट अनुबंध की परिस्थितियों को उस मूल्य के लिए कोई उपयुक्त समायोजन दर्शाता है।

चरण-2 प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करना

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है कि ग्राहक को हसतांतरित करने का प्रत्येक वादा या तो :

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं और सेवाओं का एक बंडल) अलग–अलग है या

ख) अलग–अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान है ग्राह के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न है।

चरण-3 लेन-देन की कीमत का निर्धारण

लेन–देन की कीमत का निर्धारण करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों व अपनी प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं को ध्यान में रखती है। लेन–देन की कीमत के तौर पर उस राशि पर विचार किया जाता है, जिसे कंपनी ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के बदले प्राप्त करने की आशा करती है। तीसरे पक्ष हेतु एकत्रित राशि की गणना इसके अंतर्गत नहीं की जाती है (ग्राहकों के साथ अनुबंध में जिन वायदों पर विचार किया जाता है उनमें निश्चित या परिवर्ती या दोनों की राशियाँ भाामिल होती है।

जब लेन–देन की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जब एक कंपनी निम्नलिखित प्रभावों को ध्यान में रखती है :

- वैरिएबल कंसिडरेशन
- वैरिएबल कंसिडरेशन की बाधा का अनुमान
- महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों की मौजूदगी
- नॉन–कैश कंसिडरेशन
- ग्राहक को देय कंसिडरेशन

कंसिडरेशन की राशि– छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य में छूट, प्रोत्साहनों, प्रदर्शन बोनसों या इसी तरह की वस्तुओं के कारण अलग–अलग हो सकती है। वायदा किया गया कंसिडरेशन की अलग–अलग हो सकता है यदि कंपनी भविश्य की आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित होती है।

कुछ अनुबंधों में, पेनाल्टी स्पष्ट होती है। इन मामलों अनुबंध के सार के अनुसार पेनाल्टी दी जाती है। जहाँ लेन–देन की कीमत के निर्धारण में पेनाल्टी निहित है, वह वैरिएबल कंसिडेरेशन के भाग का निर्माण करता है।

कंपनी अनुमानित वैरिबल कंसिडरेशन की राशि के कुछ या संपूर्ण राशि को एक सीमा तक शामिल करती है, जिसके संबंध में यह अत्याधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक वैरिएबल के साथ जुड़ी अनिश्चितता का बाद में समाधान नहीं कर लिया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर यह अपेक्षा की जाती है तो, एक महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों के प्रभाव के लिए कंपनी वायदा की गई कंसिडरेशन की राशि को समायोजित नहीं करती है। जब कि वह किसी ग्राहक को एक वचनबद्ध वस्तु या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है जिसके बीच की अवधि एक वर्श या कम होगी।

कंपनी रिफंड द्रेयता की पहचान करती है यदि कंपनी ग्राहक से कंसिडरेशन प्राप्त करती है और उस कंसिडरेशन की राशि का कुछ भाग या पूरी राशि के ग्राह की रिफंड किए जाने की संभावना है। एक रिफंड देयता प्राप्त (या प्राप्ति के योग्य) कंसिडरेशन की राशि के आधार पर मापी गई है, जिसके लिए कंपनी के हकदार होने की संभावना नहीं है। जैसे लेन–देन की कीमत में शामिल नहीं होने वाली राशि रिफंड देयता (और लेन–देन की कीमत में संबंधित परिवर्तन, जिसके कारण अनुबंध देयता में भी परिवर्तन हो) परिस्थिगत परिवर्तनों के लिए प्रतयेक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संशोधित की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद विभिन्न कारणों से लेन–देन की कीमत में परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों में अनश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो वायदा की गई वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले में प्राप्त होने वाली संभावित कंसिडरेशन राशि, जिसकी हकदार कंपनी है, में परिवर्तन करते हैं।

चरण-4 : लेन-देन की कीमत का आवंटन :

कंपनी के लिए लेन–देन की कीमत के आवंटन का उद्देश्य प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) को लेन–देन की कीम का आवंटन एक ऐसी राशि के रूप में हो जो कंसिडरेशन की उस राशि को दर्शाता हो जो ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले कंपनी प्राप्त करने की संभावित हकदार हो।

प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को लेन–देन की कीमत का आवंटन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के सापेक्षिक आधार पर करने के लिए, कंपनी अनुबंध की स्थापना में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को अंतर्निहित अलग–अलग वस्तु या सेवा के अनुबंधन पर स्टैंड अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के अनुपात में लेन–देन की कीमत आवंटित करती है।

चरण-5 : राजस्व की पहचान :

कंपनी राजस्व की पहचान तब (या जैसे) करती है जब ग्राहक को हस्तांतरित वायदा की गई वस्तु और सेवा के प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट हो। एक वस्तु या सेवा तब (या जैसे) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु और सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए समय के साथ ही प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करते हुए राजस्व की पहचान करती है, यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड प्राप्त हो :

क) ग्राहक एक साथी कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है, जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी संपत्ति बनाता है या बढ़ाता जिसे ग्राहक उस संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है जिसे बनाया या बढ़ाया जाता है ;

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति का सृजन नहीं करता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के लिए भुगतान करने हेतु प्रवर्तनीय अधिकार है। समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्राप्ति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व की प्रगति के मापन के लिए कंपनी एक ही तरीका लागू करती है और समान परिस्थितियों में समरूप प्रदर्शन दारयित्वों के लिए कंपनी निरंतर उसी तरीके को लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का पुनर्मापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक की मूल्य के प्रतयक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके से लागू करती है। आउटपुट विधियों में प्रदर्शन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम प्रापत परिणामों का मूल्यांकन, मील के पत्थर तक पहुँच, बीते हुआ समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाईयाँ शामिल है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कंपनी प्रगति के अपने मापकों में संशोधन करती है ताकि प्रदर्शन दायित्व के आउटकम में होने वाले किसी भी परिवर्तन को दर्शाया जा सके। प्रगति की कंपनी के मापकों ऐसे में परिवर्तन; Ind As 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुरूप लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए कंपनी राजस्व की पहचान केवल तभी करती है यदि वह प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का तार्किक मापन कर सके। जब (या जैसे) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है तब कंपनी लेन–देन की कीमत की राशि की गणना राजस्व के रूप में करती है।

यदि समय के साथ प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट नहीं होता है, जब कंपनी समय के एक बिन्दु पर प्रदर्शन दायित्व से संतुश्ट होती है।

समय के एक बिन्दु या समय विशेष; जिसमें कि ग्राहक वायदा की गई वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है तथा जिसमें कंपनी प्रदर्शन दारयित्व से संतुष्ट होती है, का निर्धारण करने के लिए कंपनी; नियंत्रण के हसतांतरण के सूचकों जो निम्नलिखित से युक्त लेकिन उसी तक सीमित नहीं है, पर विचार करती है :

क) वस्तु और सेवा के लिए भुगतान का अधिकार कंपनी के पास है;

ख) वस्तु या सेवा का ग्राहक के पास विधिक टाइटल है;

ग) कंपनी ने वस्तु और सेवाओं के भौतिक नियंत्रण को हस्तांतरित कर दिया है ;

घ) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण खतरा और पुरस्कार है;

ड.) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा को स्वीकार कर लिया हो।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध पर निर्भर करते हुए अनुबंध को अनुबंध परसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग–अलग प्राप्य के रूप विचार करने के बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध परिसंपत्तियाँ :

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय में कंसिडरेशन का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन के भुगतान के पहले या भुगतान के देय होने के पहले किसी वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण है तो, अर्जित कंसिडरेशन; जो कि भार्तों के अधीन है, के लिए एक अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान की जाती है।

ट्रेड रिसिवेवल्स :

एक प्राप्य (रिसिवेवल्स); कंसिडरेशन की एक राशि जो शर्तों के अधीन है; के संबंध में कंपनी के अधिकार को व्यक्त करता है। (जैसे देय कंसिडरेशन के भुगतान के पूर्व केवल समय के पैसेज की आवश्कता होती है)

अनुबंध देयताएँ :

एक अनुबंध देयता ग्राहक को उन वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण की बाध्यता है, जिसके बदले कंपनी ने ग्राहक से कांसीडरेशन प्राप्त किया हो (या कंसिडरेशन की एक राशि देय हो)। कंपनी द्वारा ग्राहक को वसतुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के पूर्व यदि ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन का भुगतान किया जाता है, तब एक अनुबंध देयता की पहचान की जाती है जबकि भुगतान कर दिया गया हो या देय हो (दोनों में जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबधं के अंतर्गत कार्य कर रही हो तो अनुबंध देयता की राजस्व के रूप में देखा जाता है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग कर ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब पेमेंट को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित कर लिया गया हो।

अन्य दावे

अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से किये गए रियलाइजेशन पर व्याज सहित) की गणना तब की जाती है जब रियलाइजेशन की निश्चितता हो और उसका मापन विश्वसनीय ढंग से हो सके।

सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्शी सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, माइनप्लानिंग / परियोजनारिपोर्ट, पर्यावरणिक योजनातथाअन्य अभियंत्रण सेवाओं के लिए पराम र्शीसेवा से उत्पन्नराजस्व की पहचान विभिन्न कोटि के ग्राहकों के लिए अपनाए गए सूत्र के आधार पर किया जाता है। होल्डिंग कंपनी एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों को प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण लागत+पीएंडडी सेवाओं के लिए सेवाकर का 10 प्रतिशत, विभागीय ड्रिलिंग के लिए 7.5 प्रतिशत, आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए सेवाकर 7.5 से 20 प्रतिशत तक एकरूपता के साथ किया जाता है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण 2017 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दर के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। 1.4.2018 से एक पृथक लागत केंद्र (जियोमेटिक्स) लागू किया गया। पहले यह पी एंड डी कार्य आंतरिक परामर्श में शामिल था।

2.4 सरकार से अनुदान :

सरकारी अनुदान की पहचान तब तक नहीं की जाती है जब तक यह पर्याप्त आवासन नहीं मिल जाता है कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों को पूरा करेगी तब अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

उस अवधि में लाभ एवं हानि लेखा में सरकारी अनुदान की पहचान योजनाबद्ध आधार पर की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को व्यय के रूप में पहचान करती है जिसके लिए अनुदान की क्षति पूर्ति करने का इरादा होता है।

परिसंपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को स्थापित कर तुलन–पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानि परिसंपत्तियों से इतर से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक ''अन्य आय'' के तहत लाभ या हानि के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान की गई खर्च या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के कारण प्राप्ति योग्य होता है, या किसी भावी खर्च के साथ इंटिटी के लिज तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) होता है उसकी उस अवधि के लाभ या हानि में पहचान की जाती है जिस अवधि में वह प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) हो जाता है।

व्यय या हुई नुकसान के लिए या बिना मापी संबंधित लागत के इंटिटि को दिए गए तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्य सरकारी अनुदान की पहचान लाभ एवं हानि की उस अवधि में किया जाता है, जिसमें यह प्राप्य (रीसिवेबुल) हो जाता है।

2.5 पट्टा (लीज)

2.5.1 आपरेटिंग लीज वह वित्तीय लीज से अलग होता है।

2.5.1.1 वित्तीय लीज लीज को शुरूआत की तिथि में जीज के प्रारंभ होने पर लीज की हुई सम्पत्ति के फेयर वैल्यू पर या यदि कम हो, तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

लीज भुगतान को वित्त चार्ज तथा लीज देयता में कटौती के बीच बाँट दिया जाता है ताकि देयता के शेष बैलेंस पर ब्याज की स्थिर नियमित दर को प्राप्त किया जा सके।

वित्त प्रभार (चार्ज) को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत की तब तक पहचान नहीं की जाती है। जब तक कि वह क्वालिफाईंग परिसंपत्ति पर सीधे तौर पर आरोपित (एट्रीब्यूटेड) नहीं करता हो, जिस मामले में उधारी (वौराईंग्स) लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुरूप उसे पूँजीकृत किया जाता है।

लीज्ड परिसंपत्ति को मूल्य ह्रास उस परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। तथापि, यदि कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं हो कि कंपनी लीज अवधि (टर्म) के अंतत कस्वामित्व प्राप्त कर लेगा, तब यह परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन के न्यूनतम जीवन तथा लीज टर्म पर मूल्य ह्रासित किया जाता है।

2.5.1.2 आपरेटिंग लीज

आपरेटिंग लीज के तहत लीज भुगतान की पहचान यदि निम्नलिखित में से किसी में हो तो टर्म लीज पर सरल रेखा आधार पर व्यय के रूप में पहचान की जाती है :

(क) अन्य व्यवस्थित (प्रणालीबद्ध) आधार प्रयोक्ता के लाभ के टाइम पैटर्न को अधिक प्रति निधित्व करता है तब भी जब पट्ा दाता का भुगतान उस आधार पर न हो, या

(ख) पट्टादाता को भुगतान की संरचना पट्टे दाता की संभावित लागत वृद्धि के लिए क्षति पूर्ति हेतु संभावित सामान्य मुद्रा स्फीति की तर्ज पर वृद्धि करने हेतु की जाती है। यदि सामान्य मुद्रा स्फीति के अलावा अन्य कारणों से पट्टेदाता के भुगतान परिवर्तित होता है तब यह शर्त पूरी नहीं की जाती है।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी :

2.5.2.1 आपरेटिंग लीज से प्राप्त आय बीमा एवं रख–रखाव जैसी सेवा के लिए रकम को छोड़कर की पहचान पट्टे की अवधि के ऊपर सरल–रेखा आधार पर आय में की जाती है, जब तक या तो,

(क) अन्य व्यवस्थित आधार टाइम पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त आय प्रयोग घटता है तब भी यदि पट्टे धारी का भुगतान उस आधार पर नहीं हुआ है, या

(ख) पट्टादाता को भुगतान की संरचना पट्टेदाता की संभावित लागत वृद्धि के लिए क्षति पूर्ति हेतु संभावित सामान्य मुद्रा स्फीति की तर्ज पर वृद्धि करने हेतु की जाती है। यदि सामान्य मुद्रा स्फीति के अलावा अन्य कारणों से पट्टेदाता के भुगतान परिवर्तित होता है तब यह शर्त पूरी नहीं की जाती है।

आपरेटिंग लीज के विचार–विमर्श या व्यवस्थित करने में किया गया प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्च को पट्टे पर दी गई परिसंपित्त के कैरिंगर कम में जोड़ दिया जाता है तथा इसकी पहचार पट्टा आय के रूप में आधार पर ही प्रारंभिक लीज अवधि के ऊपर व्यय के रूप में की जाती है।

2.5.2.2 इवित्तीय पट्टे में कंपनी के निबल निवेश पर प्राय प्राप्य के रूप में दर्ज की जाती है। वित्तीय पट्टा आय को आकाउटिंग पीरियड में आवंटित किया जाता है ताकि यह पट्टे के मामले में निबल निवेश आउटस्टैंडिंग पर अचल आवधिक दर को प्रतिबिम्बित करे।

2.6 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि को ऐतिहासिक लागत मूल्य पर वहन (कैरी) किया जाता है। ऐतिहासिक मूल्य में वैसा खर्च शामिल है, जो संबंधित विस्थापित व्यक्ति के लिए दिए जाने वाले रोजगार आदि के बदले में पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापना लागत तथा मुआबजा आदि वाले जमीन अधिग्रहण को प्रतयक्ष तौर पर प्रभावित करता है।

पहचान के बाद अन्य सभी संपत्तियों के मदों, संयंत्र एवं उपकरण संचित मूल्यह्रास तथा लागत में संचित इम्पेयरमेंट हानि को घटाकर इसकी लागत पर वहन (कैरी) किया जाता है। संपत्ति के किसी मद, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में निम्नलिखित शामिल है :

क) इसकी खरीद मूल्य में व्यापार छूट एवं राहत को घटाने के बाद आयात कर तथा गैर वापसी योग्य क्रय कर शामिल है।

ख) किसी परिसंपत्ति को उचित स्थान तक लाने तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाली लागत।

ग) किसी मद को विखण्डित करने एवं हटाने तथा जिस स्थान पर वह स्थापित है उसके पुनरूद्धार करने की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन या जब आइटम खरीदा गया हो या उस अवधि के दौरान इन्वेटरी को उत्पादित करने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किसी खास अवधि के दौरान उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले इंटीटी का दायित्व।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत सहित किसी आइटम का प्रत्येक भाग जो आइटम की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो, का मूल्यह्रास पृथक रूप से किया जाता है। तथापि, समान उपयोगी जीवन वाले प्रत्येक आइटम का प्रमुख भाग तथा मूल्यह्रास पद्धति को मूल्यह्रास चार्ज निर्धारित करने के लिए एक साथ समाहित किया जाता है।

''मरम्मत एवं रख–रखाव'' के लिए विहित दैनिक सर्विसिंग लागत को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसे अवधि में इसे यह हुआ है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद को बदलने वाले भाग की परवर्ती लागत है उसके कैरिंग अमाउन्ट में पहचान की जाती है, यदि यह संभावना हो कि आइटम के साथ संबंधित भावी आर्थिक लाभ ग्रुप तक फ्लो करेगा और उस आइटम की लाग विश्वसनीय तौर पर आँकी जा सकती है। बदले गए पार्टों की कैरिंग रकम को नीचे दी गई डिरिकोग्नाइजेशन नीति के अनुसार डिरोकोग्नाइज किया जाता है।

जब कोई बड़ा (महत्वपूर्ण) निरीक्षण (इंसपेक्शन) किया जाता है तो संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के आइटम के कैरिंग रकम की पहचान प्रति स्थापन के रूप में की जाती है, यदि संभावना हो कि आइटम से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ ग्रूप तक फ्लो करेगा और आइटम की लागत को विश्वसनीय तौर पर आँका जा सकता है। बचे हुए पूर्व निरीक्षण (इंस्पेक्शन) की लागत की कैरिंग रकम डिरोक्नाइज होता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी के किसी आइटम को निपटान पर या परिसंपत्ति के सतत् उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो, पर डिरिकोग्नाइज किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के किसी आइटम के इस डिरिकोग्निजीशन के फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है।

फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर, सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडेल के अनुसार किया जाता है।

अन्य भूमि

(पट्टे वाली जमीन सहित)	:	परियोजना का जीवन काल या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन	:	3–60 वर्ष
सड़क	:	3 से 10 वर्ष
दूर संचार	:	3 से 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	:	5 से 15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 6 वर्ष
फर्निचर एवं फिक्सर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवशिष्ट को कोल टब, वाइडिंग रोप, हाउलेज रोप, स्टोविंग पाइप एवं सेफ्टी लैम्प आदि जैसी कुछ परिसंपत्ति के आइटम को छोड़कर परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है, जिसके लिए तकनीकी रूप से प्राक्कलित उपयोगी जीवन को शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित एक वर्ष मान कर निर्धारित किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों के आकलित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

विवेच्य वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की वृद्धि/निपटान पर मूल्यहास वृद्धि/निपटान से संबंधित माह के लिए प्रोराटा आधार किया जाता है।

''अन्य भूमि'' में कोयला वाहक (धारक) क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत अधिगृहित भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 भूमि अधिग्रहण में न्यायोचित मुआबजा (क्षतिपूर्ति) एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल हैं जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार परिशोधन पर (एमोर्टाइज) किया जाता है तथा लीजहोल्ड जमीन के मामले में लीज होल्ड अवधि या परियोजना के जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

पूर्णतः वैसी मूल्यह्रासित परिसंपत्ति जो सक्रिय इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है, को सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण के तहत इसके रिसिड्यूअल मूल्य पर सर्वे आफ परिसंपत्ति के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर किए गए खर्च जो सामान के उत्पादन, आपूर्ति के लिए या कंपनी के विद्यमान परिसंपत्ति के मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इनेबिंलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

Ind AS के लिए संक्रमण :

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार कैरिंग मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त Ind ASs, के लिए संक्रमण की तारीख के रूप में, पिछले GAAP के अनुसार मापा जाता है)।

2.7 अप्रत्यक्ष (इन्टन्जिबुल) परिसम्पत्ति :

पृथक रूप से अधिगृहित अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को लागत पर प्रारंभिक पहचान के आधार पर आँका जाता है। बिजनेस कंबिनेशन में प्राप्त अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत अधिग्रहण के समय उसका उचित मूल्य होता है। इनिशीयल रिकोग्निजेशन के अनुसरण में अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर स्ट्रेटलाइन

आधार पर परिकलित) तथा संचित इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर कैरी किया जाता है। पूंजीकृत विकास लागत सहित आंतरिक सृजित परिसंपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में इससे संबंधित खर्च को लाभ या हानि विवरण में तथा जिस अवधि में खर्च किया जाता है उस अवधि में विस्तृत आय की पहचान की जाती है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन को या तो सीमित (फाइ नाइट) या इन्डेफिनिट के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है तथा जहाँ यह संकेत हो कि अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति इम्पेयर हो सकता हो वहाँ इसे इम्पेयरमेंट (हानि/क्षति) के लिए मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पति के लिए परिशोधित अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के कम–से–कम अंत में की जाती है। संभावित उपयोगी जीवन या भावी आर्थिक लाभ की खपत की संभावित पैटर्न जिसे परिसंपत्ति में मूर्त रूप दिया गया हो परिशोधन अवधि को रूपान्तरित करने पर विचार किया जाता है तथा उसे लेखा प्राक्कलन में परिवर्त्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में की जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इम्पेयरमेंट की पहचान की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के डिरिकोगनाइजेशन से उत्पन्न लाभ या हानि को नेट डिस्पोजल प्रोसिडिंग तथा परिसंपत्तियों के कैरिंग अमाउन्ट के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ एवं हानि लेखा में इसकी पहचान की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित साफ्टवेयर की लागत उपयोग के लिए वैधानिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर की जाती है।

2.8 परिसंपत्ति की हानि (इम्पेयरमेंट)

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी यह मूल्यांकित करती है कि क्या यह संकेत है कि परिसम्पत्ति को इम्पेयर किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, तो कंपनी इस परिसंपत्ति की वसूली योग्य मात्रा का आकलन करती है।

परिसंपत्ति का वसूली योग्य रकम प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्ति से या केश जेनरेटिंग इकाई से ज्याद है तथा इसका उचित मूल्य डिसपोजल की लागत से कम है तथा इसे व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्धारित किया जाता है। जब तक कि परिसंपत्ति वैसा कैश सृजित नहीं करता हो जो अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो, जिस मामले में वसूली योग्य रकम कैश जेनरेटिंग इकाई जिसकी वह है, के लिए निर्धारित किया जाता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी इडिविजुअल खानों को कैश जेनेरेशन की एक अलग इकाई के रूप में विचार करती है। यदि एक परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम अनुमानित की जाती है, जब वहनीय राशि (carrying amount); परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि से कम हो जाती है और इम्पेयरमेंट हानि की गणना लाभ ओर हानि के विवरण में की जाती है।

2.9 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एक संविदा है जो किसी इंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति है तथा दूसरी इक्विटी के इन्टीटी इन्स्ट्रूमेंट या वित्तीय देयता को उत्थान प्रदान करता है।

2.9.1 वित्तीय परिसंपत्ति

2.9.1 प्रारंभिक पहचान (रिकॉग्निशन) एवं माप

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लागत को जोड़कर की जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया हो, वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री जिसकी विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय–सीमा के भीतर सुपुर्दगी अपेक्षित हो, की पहचान व्यापार की तिथि, यानि जिस तिथि को कंपनी खरीदती या बेचती हो, पर की जाती है।

2.9.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की परवर्ती माप का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 कोटि के आधार पर की जाती है :

- परिशोधित लागत पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)
- लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट, ब्युतपन्न तथा इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीपीएल)
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)

2.9.2.1 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट) (उचित मूल्य के अतिरिक्त)

इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर इम्पेयरमेंट हानि की माप एवं पहचान के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रयोग में लाती हैः

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण इंस्ट्रूमेंट है और जिसकी माप परिशोधित लागत यानि ऋण, डेब्ट सिक्यूरिटी डिपोजिट, ट्रेड रीरिवेबुल और बैंक बैलेंस आदि पर की जाती है डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट हैं।

ख) वित्तीय परिसंपत्यिाँ जो डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट है उन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग) इंडएएस 17 के तहत प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) लीज

घ) रीसिवेबुल ट्रेड या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार (राइट) जो ट्रान्जेक्शन के परिणाम स्वरूप हुआ हो, वे इंड एएस 11 तथा इंड एएस 18 के क्षेत्र में आता है।

कंपनी निम्नलिखित पर इम्पेयरमेंट हानि (लॉस) की पहचान के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकोण (अप्रोच) का अनुसरण करती है :

- ट्रेड रीसिवेबुल या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रीसिवेबुल; तथा
- इंड एएस 17 के क्षेत्र के भीतर ट्रान्जक्शन के परिणामस्वरूप सभी रीसिवेबुल लीज ।

कंपनी को सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग में कंपनी को क्रेडिट रिस्क में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि इसकी प्रारंभिक पहचान से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक लाइफटाइम ईसीएल के आधार पर यह इम्पेयरमेंअ लॉस अलाउएन्स की पहचान करता है।

2.9.3 वित्तीय देयताएँ

2.9.3.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप

कंपनी की वित्तीय देयता में ट्रेड एवं अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित लोन और उधारी शामिल है।

सभी वित्तीय देयता की पहचान फेयर वैल्यू पर की जाती है, यदि लोन एवं उधारी तथा देयता, प्रत्यक्षतः एट्रीब्यूटेबुल ट्रांन्जक्शन कास्ट का नेट हो।

2.9.3.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

2.9.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखे गए वित्तीय देयताएँ तथा लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर नामित (डिजिग्नेटेड) वित्तीय देयता शामिल है। वित्तीय देयता को ''ट्रेडिंग के लिए रखे गए'' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में खरीद के उद्देश्य के लिए खर्च किए गए हैं। इस कोटि में कंपनी द्वारा की गई उत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स शामिल है जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेड्ज रिलेशनशीप में हेड्जिंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित किया जाता है। सेपरेटेड इमवेडेड डेरिवेटिव्स (ब्युत्पन्न) को भी हेल्ड फार ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब तक कि उन्हें इफेक्टिव हेड्जिग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए (हेल्ड फार ट्रेडिंग) देयता पर प्राप्ति (गेन) या हानि की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की गई है।

लाभ या हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर आरंभिक रिकोग्नाइजेशन पर डिजिग्नेट वित्तीय देयता को वास्तव में रिकोग्नाइजेशन की आरंभिक तिथि तथा इंड एएस 109 में दिए गए मानदंड को पूरा करने पर ही डिजिग्नेटेड किया जाता है। एफवीटीएल के रूप में डिजिग्नेटेड देयताओं के लिए अपने क्रेडिट रिस्क में बदलाव के कारण फेयर वैल्यू प्राप्ति (गेन)/हानि को ओसीएल में रिकोग्नाइज किया गया है। ये प्राप्ति (गेन/हानि पीएंडएल में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा कंपनी संचित प्राप्ति (गेन) हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार देयता के फेयर वैल्यू में अन्य सभी परिवर्त्तन की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर किसी वित्तीय देयता को डिजीग्नेट नहीं किया है।

2.9.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक पहचान (रिकोग्नाइजेशन) के बाद, इन्हें प्रभावी व्याज दर पद्धति का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्ति (गेन) तथा हानि की लाभ या हानि में तब पहचान की जाती है, जब देयता को डिरिकोग्नाइज के साथ–साथ प्रभावी व्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या किस्त तथा प्रभावी व्याज दर के किसी अभिन्न हिस्से के रूप में लगे शुल्क या लागत/मूल्य को ध्यान में रख कर की जाती है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में भाामिल किया जाता है। यह कोटि सामान्यतः उधारी में लागू होती है।

2.9.3.5 डिरिकोग्नाइजेशन

किसी वित्तीय देयता को तब डिरिकोग्नाइज्ड किया जाता है, जब देयता के तहत दायित्व डिस्चार्ज या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब वर्तमान देयता को महत्वपूर्ण भिन्न शर्त या वर्तमान देयता की पर्याप्त ढंग से रूपान्तरित शर्त के आधार पर उस उधारदाता से दूसरे उधारदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस तरह के बदलाव या रूपान्तरण को मूल देयता तथा नया दायित्व की पहचान को डिरिकोग्नाइज्ड माना जाता है। समाप्त (इक्सटिग्विस्ड) वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के किसी भाग) या अन्य पार्टी को स्थानांतरित तथा कन्सिडेरेशन पेड सहित गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित या मानी गई देयता के कैरिंग रकम के बीच के अंतर को लाभ या हानि में रिकोग्नाइज किया जाता है।

2.9.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद उन वित्तीय परिसंपत्तियों के कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट तथा वित्तीय दायित्व हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हो, के लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बिजनेस माडल में कोई बदलाव किया गया हो। बिजनेस मॉडेल में परिवर्त्तन शायद ही कभी (इन्फ्रीक्वेंट) होने की उम्मीद है। कंपनी के वरीय प्रबंधन कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो, बाहरी या आंतरिक परिवर्त्तन के फलस्वरूप बिजनेस मॉडल में हुए परिवर्त्तन को निर्धारित करता है। ऐसा परिवर्त्तन बाहरी पार्टियों के साक्ष्य हैं। बिजनेस माडल में बदलाव तभी आता है, जब कंपनी वैसे क्रिया–कलाप या तो शुरू करती है या बंद कर देती है, जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण हों। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्यिों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की की तिथि से परिप्रेक्ष्य रूप से पुनर्वर्गीकरण पर लागू होती है, बिजनेस मॉडल में बदलाव के बाद अगली रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद का दिन पहला दिन होता है। ग्रुप किसी प्रकार के पूर्व का रिकोग्नाइज्ड प्राप्ति (गेन), हानि (इम्पेयरमेंट गेन या हानि सहित) या ब्याज को रिस्टेट नहीं करता है।

निम्नांकित तालिका अनेक पुनर्वर्गीकरण तथा किस प्रकार उनकी गणना की जाती है, को दर्शाता है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखागत प्रतिपादन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि से की जाती है। पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के अंतर की पहचान पीएंडएल में की गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया ग्रास कैरिंग रकम (अमाउन्ट) होता है। न्यू ग्रास कैरिंग रकम के आधार ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर की जाती है पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के बीच के अंतर को ओसीआई में पहचान की जाती है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तिथि को फेयर वैल्यू इसका नया परिशोधित लागत कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ या हानि को फेयर वैल्यू के मुकाबले समायोजित की जाती है। उसके बाद परिसंपत्ति की माप ऐसे की जाती है मानो इसे परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। कोई अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों की माप इसके फेयर वैल्यू पर जारी था। ओसीआई में पूर्व में चिह्नित संचित प्राप्ति या हानि को पुनर्वर्गीकरण को तिथि को पीएंडएल के पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.9.5 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताएँ आफसेट होते हैं तथा नेट रकम को समेकित तुलन–पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि रिकोग्नाइज्ड रकम को आफसेट करने के लिए प्रवर्तनीय वैधानिक अधिकार हो तथा परिसंपत्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटारा साथ–साथ करने हेतु नेट आधार पर सेटल करने का इरादा हो।

2.9.6 नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट

बैलेंस शीट में नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट बैंकों और हाथों पर नकदी और महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधिन है। नकद प्रवाह के समेकित ब्याज के प्रयोजन के लिए नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट में उपर परिभाषित अनुसार नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल है, बकाया बैंक ओवरडाफ्ट का शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

2.10 कराधान

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमानकर आयकर की वह रकम है जो किसी अवधि के लिए (कर योग्य आय) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है। लाभ या हानि तथा अन्य विस्तृत आय के विवरण में की गई रिपोर्ट के अनुसार ''आयकर के पहले लाभ'' से कर योग्य लाभ में अंतर है क्योंकि इसमें आय एवं खर्च के वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो अन्य वर्ष में कटौती योग्य या कर योगय हैं। इसमें से भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो कभी भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हो। वर्त्तमान कर के लिए कंपनी की देयता का परिकलन उस दर का प्रयोग कर किया जाता हे जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त रूप से इनेक्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण में आस्थगित कर की पहचान परिसंपत्ति की कैरिंग करम तथा देयता और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के आधार पर की जाती है। सामान्यतः आस्थगित कर देयता की पहचान सभी करयोग्य अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के लिए को जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए इस सीमा तक की जाती है कि यह संभव है कि कर योगय लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पहचान नहीं किया जाती है। यदि अस्थयी अंतर (टेम्पोररी डिफरेंस) किसी ट्रान्जेक्शन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रारंभिक पहचान (किसी बिजनेस कम्बिनेशन के अलावा) से या गुडविल से उत्पन्न हुआ हो जिसका प्रभाव न तो कर योग्य लाभ पड़ता है और न ही लेखा लाभ पर।

अनुषंगी कंपनी तथा सम्बद्ध कंपनियों के निवेश से संबंधित कर योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर देयता की पहचान उनको छोड़कर की जाती है, जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम हो तथा यह संभव है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर वापस नहीं होता हो। इस प्रकार के निवेश तथा ब्याज से सम्बद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान इस सीमा तक की जाती है । यह संभव है कि र्प्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरूद्ध अस्थायी अंतर के लाभ का उपयोग करना है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति कैरिंग रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इस सीमा तक घटा दी जाती है कि लम्बे समय तक यह संभव है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिससे परिसंपत्ति के पूरे या किसी भाग को वसूल (रिकवर) किया जा सकेगा।

अनरिकोग्नाइज्ड आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है इस हद तक पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है कि यह संभव हो चुका है कि वसूली योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति को पूरे या किसी भाग का प्रबंध करने (अलाउ) के लिए पर्याप्त कर येाग्य लाभ उपलबध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता की गणना उस टैक्स दर पर की जाती है, जिन्हें उस अवधि में उपयोग किए जाने की संभावना हो जिसमें देयता को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति को वसूला (रियलाइज) किया जाता है, उस टैक्स दर (कर कानून) पर जो रिपोटिंग अवधि के अंत तक इनेक्टे या पर्याप्त ढंग से इनेक्टे किया जा चुका हो।

आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति की गणना (माप) कर परिणाम को दर्शाता है जो इस ढंग से अनुसरण करेगा कि कंपनी को रिपोटिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्ति तथा देयता के कैरिंग रकम को वसूल या निपटाने (सेटल) करने की उम्मीद हो।

लाभ या हानि में वर्त्तमान एवं आस्थगित कर की पहचान उस तिथि को छोड़कर की जाती है जब उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य विस्तृत आय या सीधे इक्विटी में चिहिन्त (पहचान) की गई है जिस मामले में चालू एवं आस्थगित कर भी पहचान क्रमशः अन्य विस्तृत आय या प्रत्यक्षतः इक्विटी में की गई है। जहाँ किसी बिजनेस कंबिनेशन के लिए प्रारंभिक लेखा (अकाउटिंग) से चालू कर या आस्थगित कर उत्पन्न होता है, वहाँ बिजनेस कम्बिनेशन के लिए कर प्रभाव को लेखा (अकाउटिंग) में शामिल किया गया है।

2.11 कर्मचारियों के लाभ

2.11.1 अल्पकालीन लाभ

सभी अल्पकालीन कर्मचारी लाभ की पहचान उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में वे खर्च हुए हों।

2.11.2 नियोजन के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

2.11.2.1 परिभाषित (डिफाइन्ड) अंशदान योजना

भविष्य निधि तथा पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत दी जाने वाली लाभ योजना हे जिसके तहत कानून के अधिनियम (इनएक्टमेंट) के तहत गठित पृथक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा मेनटेन किए जा रहे कोश में कंपनी निर्धारित अंशदान देती है तथा कंपनी के पास अतिरिक्त रकम को देना के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में यह कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

2.11.2.2 परिभाषित (डिफाइन्ड) लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना नियोजन के उपरांत लाभ योजना है जो परिभाशित अंधदान योजना से अलग है। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजना (लाभ पर सीमा (सिलिंग) है। परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व (ओब्लिगेशन) की गणना भावी लाभ की रकम का आकलन कर की जाती है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपने सेप के लिए अर्जित किया है। इस लाभ को इसके वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए डिसकाउन्ट कर दिया जाता है तथा प्लान परिसंपत्ति, यदि कोई हो, के फेयर वैल्यू तक घटा दिया जाता है। डिसकाउन्ट रेट रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार के प्रतिभूति के प्रचलित बाजार उत्पादन पर आधारित होता है जिसकी परिपक्वता की तिथि कंपनी के दायित्व के समय आसपास तथा वह उसी करेंसी में डेनोमिनेटेड होता है जिसमें लाभ दिए जाने की संभावना रहती है।

एक्चुरियल वैल्यू के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल का संभावित दर भावी वेतन वृद्धि, मोर्टालिटी दर आदि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के कारण ये आकलन अनिश्चित है। प्रत्येक तुलन पत्र में गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग कर अक्चुअरी द्वारा की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी के लाभ में प्रतिफलित होता है, तब रिकोग्नाइज्ड परिसंपतित उस आर्थिक के लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित होता है, जो योजना से किसी भावी रिफंड या योजना में भावी योगदान के रूप में उपलब्ध होता है। आर्थिक लाभ कंपनी को तभी होता है, जब यह योजना की जीवन अवधि में वसूलीयोग्य या योजना देयता के सेटलमेंट पर वसूलीयोग्य होता है। शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप में योजना परिसंपत्ति (व्याज को छोड़कर) पर रिटर्न पर विचार करते हुए अक्चुरियल प्राति (गेन) तथा हानि शामिल है तथा परिसंपत्ति की सीलिंग (सीमा) के प्रभाव की पहचान तत्काल अन्य विस्तृत आय में की जाती है।

तत्कालीन निबल परिभाषित अंशदान एवं लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी तरह के बदलाव को ध्यान में रखकर निबल ब्याज दर उस समय निबल परिभाषित देयता के

प्रति वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित लायदायित्व की माप करने के लिए प्रयुक्त डिसकांडट दर को लागू कर निबल अवधि देयता पर निर्धारित की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व को माप करने के लिए प्रयुक्त डिस्काउन्ट दर को लागू कर अवधि के लिए निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निबल व्याज व्यय निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल व्याज व्यय तथा अन्य व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की जाती है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब कर्मचारी द्वारा की गई विगत की सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के भाग की पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में तत्काल की जाती है।

2.11.3 कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ

परिभाषित लाभ योजना के लिए एलटीए, एलटीसी, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रूप पसर्नल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना तथा खान दुर्घटना आदि में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआबजा आदि जैसे कुछ अन्य कर्मचारी लाभ की पहचान उसी आधार पर की जाती है जैसा कि दिए गए आधार पर की जाती है। इन लाभों के लिए अलग से कोई विशिष्ट फंड नहीं है।

2.12 विदेशी मुद्रा

जिस वातावरण में कंपनी काम करती है उस आर्थिक वातावरण के प्रमुख करेंसी होने के नाते कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी तथा इसके बड़े संचालन की कार्यकारी करेंसी भारतीय रूपया (आईएनआर) है। ट्रान्जेक्शन तिथि को प्रचलित विनियम दर का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा में ट्रान्जेक्शन को कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में प्रभावी मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनियम दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। मैट्रिक परिसंपत्ति तथा देयता के निपटारा तथा मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को परिवर्तित करने के फलस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरण में प्रारंभिक पहचान पर उन्हें परिवर्तित किया गया था, से अलग दर पर लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में पहचान की जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न हुई हो। गैर मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में डीमॉनेटाइज्ड किया जाता है, जो लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनियम दर पर मूल्यवान है।

2.13.1 स्टोर एवं स्पेयर्स

केंद्रीय तथा क्षेत्र में स्थित स्टोर एवं स्पेयर पार्ट के स्टॉक पर प्राइस्ड स्टोर लेजर में दिए गए बैलेंस के अनुसार विचार किया जाता है। तथा भारित औसत पद्धति (वेटेड अवरेज मेथड) के आधार पर परिकलित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/सबस्टोर्स/ड्रिलिंग कैम्पों/उपयोग केंद्रों पर पड़े स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टों की वस्तुसूची पर विचार भौतिक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार वर्षांत में किया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त स्पेयर एवं पार्टों के लिए 100 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्ष से उपयोग में नहीं लाए गए स्पेयर पार्टों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

2.13.2 अन्य वस्तु सूची

स्टेशनरी के स्टॉक के मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होन के कारण उन पर वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान की पहचान तब की जाती है, जब वर्तमान दायित्व पिछली (विधिक और संरचनात्मक) घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तथा यह संभव है कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो के दायित्व सेटल करना अपेक्षित होगा तथा दायित्व की रकम का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो वहाँ प्रावधान दायित्व निपटाने के लिए संभावित व्यय को वर्तमान मूल्य पर निश्चित किया जाता है। सभी प्रावधान की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है तथा वर्तमान सर्वोतम आकलन प्रतिबिम्बित करने के लिए इसे समायोजित किया जाता है। सभी प्रावधान की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि में संवीक्षा की जाती है और करेंट बेस्ट आकलन को प्रतिभाषित करने के लिए समायोजित किया जाता है। जहाँ यह संभव नहीं है कि इकोनामिक बेनीफिट के लिए आऊटफ्लो की जरूरत होगी अथवा धन को आकलित नहीं किया जाता है का ओब्लिगेशन आकस्मिक देयता के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इकोनामिक बेनीफिट की आउटफ्लो की संभावना संभव (दूर) नहीं है। संभावित ओब्लिगेशन जिसका अस्तित्व एक या अधिक के आकूरेंस या नन–आकूरेंस द्वारा संपुश्ट करना होगा । भावी अनिश्चितता वाली घटना पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है, को आकस्मिक देयताएँ में उल्लेख किया गया है, क्योंकि आर्थिक लाभ का आउटफ्लो की संभाव्यता न के बराबर (दूर) है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में नहीं माना गया है, हालाँकि जब रियलाइजेशन ऑफ इनकम वरचुअली निश्चित होता है तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति में नहीं आता है और इसकी पहचान समुचित तरीके से की जाती है।

2.15 प्रति शेयर अर्जन (अर्निंग)

प्रति शेयर मूल अर्जन की अवधि के दौरान इक्विटि शेयर आउटस्टैण्डिंग के भारित औसत नंबर को कर के बाद निबल लाभ से भाग देकर गणना की जाती है। प्रति शेयर डायलूटेड अर्निंग की गणना इक्विटि शेयर की भारित औसत नंबर द्वारा कर पश्चात् लाभ से भाग देकर की जाती है और प्रति शेयर डिराइविंग बेसिक पर विचार किया गया है ओर इक्विटि शेयर का भारित औसत संख्या को सभी को सभी डायलूटड पेटिंशियल इक्विटि शेयर में बदल कर जारी किया जाता है।

2.16 जजमेंटस, एस्टीमेट्स और एजम्पसन

आईएनडीएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन को आकलन, जजमेंट्स और एजम्पसन बनाने की जरूरत होती है, जो वित्तीय विवरण में परिसंपत्ति और देयताओं के रिपोर्टड राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति तथा रिपोर्टेड अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को प्रकट किया गया है। लेखा नीति को लागू करने में कमप्लेक्स और सबजेक्टिव जजमेंट्स को इस वित्तीय विवरण में एजम्पसन के उपयोग का उल्लेख किया गया है। लेखा आकलन समय–समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उससे भिन्न हो सकता है। एस्टीमेट और अंडरलाईंग एजम्पसन की संवीक्षा आनगोईंग आधार पर की जाती है। लेखा आकलन का रिवीजन उस अवधि में की जाती है यदि महत्वपूर्ण हो तो जब आकलन को रिवाइज किया जाता है उसके प्रभाव को वित्तीय विवरण की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

2.16.1 जजमेंट्स

कंपनी लेखा नीति का लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन निम्नलिखित जजमेंट (निर्णय) करता है जो वित्तीय विवरण में रिकोगनाइज्ड राशि पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को व्यक्त करता है।

2.16.2 लेखा नीति का का निर्माण

लेखा नीति इस प्रकार तैयार की जाती है कि लेनदेन के बारे में दी गई सूचना अन्य इवेन्ट्स और कंडीशन्स, जिसके लिए यह लागू है सम्बद्ध ओर विश्वसनीय है। इस नीति की आवश्यकता तब नहीं होती है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो आईएनडीएएस की अनुपस्थिति में जो विशेषकर लेनदेन अन्य इवेन्ट्स या परिस्थिति के लिए लागू होता है, प्रबंधन ने लेखा नीति के विकास और लागू करने के लिए अपने निर्णय (जजमेंट) का उपयोग किया है उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सूचना भाामिल है :

क) उपयोगकर्त्ता की इकोनोमिक डिसीजन–मेकिंग आवश्यकता से सम्बद्ध हो तथा

ख) वह तथा कथित वित्तीय विवरण विश्वसनीय हो,

(1) वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और इनटीटी का कैशफ्लो को विश्वसनीय तरीके से प्रतिनिधित्व करता हो

(2) लेन–देन, अन्य इवेन्ट्स और स्थिति के इकोनामिक सबसटांस को बतलाता है, जो लीगल फार्म में नहीं होता है।

(3) यह न्यूट्रल अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त होता है।

(4) विश्वसनीय होता है तथा

(5) निरंतरता के आधार पर सभी महत्वपूर्ण पहलूओं को पूरा करता है।

निर्णय करने में प्रबंधन घटते क्रम में निम्नलिखित के प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क) आईएनडी एएस में समान और सम्बधित मुद्दे से निपटा जाता है।

ख) फ्रेम वर्क में परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय के लिए परिभाषा, रिकोगनिशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट अवधारणा।

जजमेंट करने में प्रबंधन इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग बोर्ड के मोस्ट रिसेन्ट प्रोनाउंसमेंअ पर विचार करता है, और उसकी अनुपस्थिति में अन्य स्टैर्ग्डड सेटिंग बॉडीज जिसका उपयोग डेवलपमेंट एकान्टिंग स्टैण्डर्ड, अन्य एकाउन्टिंग लिटरेचर का विकास करने के लिए समान कंसेपचूअल फ्रेम वर्क का उपयोग करता हो और इंडस्ट्री प्रैक्टिस को स्वीकार उस सीमा तक करता है, जो उपर्युक्त पाराग्राफ के सोर्स का विरोधाभाषी न हो।

वह ग्रूप जो खनन के क्षेत्र में कार्य करता है (वैसा सेक्टर जहाँ प्रौन टू कंसटेंट चेंजेज और दशकों से चल रहे लीज की अवधि जो विभिन्न टोपोग्राफिकल और जियोमाइनिंग टेरेन के आधार पर गवेशण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों के विकास पर आधारित है) लेखा नीति जहाँ गत विभिन्न दशकों से इसके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन को विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित और अनुसंधान समिति द्वारा समर्थित होता है। स्पेसिफिक एकाउन्टिंग लिटरेचर की अनुपस्थिति में कुछ विशेष क्षेत्रों जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हो के दिशा–निर्देश और मानकों का पालन करता हो। एकाउन्टिंग लिटरेचर और उससे संबंधित विकास आईएनडी एएस 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।

लेखे के वास्तविक आधार का उपयोग कर मौजूदा चिंताओं पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2.16.3 मैटेरियलिटी (महत्वपूर्ण)

आईएनडी एएस वहीं लागू होता है जहाँ आइटम महत्वपूर्ण हो। प्रबंधन यह निर्णय करने में अपने जजमेंट का उपयोग वित्तीय विवरण में इंडीविजुअल आइटम अथवा ग्रूप ऑफ आइटम महत्वपूर्ण है या नहीं में करता है। महत्वपूर्णता

का निर्णय आइटम के आकार और प्रकृति से होता है। डिसाइडिंग फेक्टर है कि या तो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट निजी या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णय को प्रभावित करता है या नहीं तथा जिसे वित्तीय विवरण के आधार पर बनाया जाता है। प्रबंधन आईएनडीएस की अनुपूरक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण (मेटेरियलिटि) का जजमेंट का उपयोग करता है। विशेष परिस्थिति में एक आईटम की राशि या प्रकृति या आइटमों का कुल योग डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। प्रेजेन्ट सेपेटेली इमेहेरियल आइटमों के लिए इनटिटि की जरूरत हो सकती है जहाँ कानूनी रूप से जरूरी हो।

त्रुटियों/चूकों, जो पिछली अवधि से संबंधित हों तथा जिनका पता मौजूदा वर्ष में लगाया गया हो; महत्वपूर्ण नहीं मानी है और चालू वर्ष (current year) के दौरान समायोजित कर ली जाती है, यदि ये सभी त्रुटियाँ ओर चूकें, सीआईएल की पिछली अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर परिचालन (वैधानिक लेवी का निबल) से प्रापत कुल राजस्व के 0.50 प्रतिशत है अधिक नहीं हों तो।

2.16.3.1 प्राक्कलन और एजम्पसन

अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्ति और देयताएँ केयरिंग राशि को मेटेरियल एजुजसटमेंट के कारण महत्वपूर्ण जोखिम में एसटिमेशन अनसरटेंटी के अन्य की स्रोत और भावी संबंधि मुख्य छूट को नीचे दिया जा रहा है। पारीमीटर पर ग्रूप आधारित इसमें छूट और आकलन तभी उपलब्ध होगा जब कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार किया गया हो। भावी विकास में छूट और वर्तमान परिस्थिति जो ग्रूप के नियंत्रण से परे मार्केट चेंजेज अथवा परिस्थिति के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्त्तन एजम्पसन जिसका पता चलता है को दर्शाता है।

2.16.3.2 गैर–वित्तीय परिसंपत्ति में छूट

यदि रिकवरेवल अमाउन्ट कैश जेनेरेटिंग यूनिट अथवा परिसंपत्ति का कैरिंग वैल्यू डिस्पेजल के न्यूनतम लागत और इसके उपयोग मूल्य का फेयर वैल्यू अधिक हो तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन होता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से सेपरेट कैश जेनरेटिंग यूनिट्स के रूप में इंडिविजुअल खान पर ग्रुप विचार करता है। वैल्यू डीसीएफ मॉडल के आधार पर यूज में वैल्यू की गणना की जाती है। अगले पाँच वर्षों के लिए नकद प्रवाह बजट से होता है तथा इसमें रीस्ट्रकचरिंग एक्टिविटि शामिल नहीं होता है, जिसके लिए ग्रुप वचनबद्ध नहीं होता है अथवा महत्वपूर्ण भावी निवेश जिसका सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्य निष्पादन, बढ़ाएगा का परीक्षण किया जाएगा। गवेषण के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ग्रोथ रेट और एक्सपेक्टेड भावी कैश इनफ्लो के साथ–साथ डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त डिस्कांडट रेट के लिए रिक्वरेबल एमाउन्ट संवेदनशील होता है। यह आकलन अन्य माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। विभिन्न सीजीयू के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की एजम्पसन होता है, उल्लेख किया जाता है और संबंधित टिप्पणी में उल्लेखित किया जाता है।

2.16.3.3 कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति अनयूज्ड टैक्स लॉससेस के लिए उस सीमा तक रिकोगनाइज्ड किया जाता है, लॉस को यूटिलाइज्ड करने के विरूद्ध उपलब्ध कर लाभ संभव है। सिगनीफिकान्ट मैनेजमेंअ जजमेंट आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है तथा भावी टैक्स स्ट्रेटजी के साथ भावी टैक्सेबुल लाभ के स्तर और संभावित टाइमिंग के आधार पर जाना जा सकता है।

2.16.3.4 परिभाषित लाभ योजना

डिफाइन्ड बेनीफिट ग्रेच्युटि प्लान की लागत और अन्य पोस्ट इम्पलायमेंट मेडिकल बेनीफिट तथा ग्रेच्युटि ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य को वास्तविक मूलंकन का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। वास्तविक

मूल्यांकन में मेकिंग वेरियल एजम्पसन, भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें डिसकांडट दर का निर्धारण, भावी वेतन में बढ़ोत्तरी तथा मोर्टालिटि दर शामिल है।

मूल्यांकन और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलता के कारण डिफाइन्ड बेनीफिट ओवलिगेशन इन एजम्पसन में परिवर्त्तन से हाईली सेंसेटीव हो जाता है। सभी एजम्पसन की संवीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग डेट पर की जाती है। पारामीटर अधिकांशतः डिसकाउन्ट दर में परिवर्तित होता है। भारत में परिचालित प्लान के लिए समुचित डिस्काउंट दर के निर्धारण में पोस्ट इम्प्लायमेंट बेनीफिट ओबलिगेशन के करेंसी सहित करेंसी कंसीसटेंट में सरकारी बांड के ब्याज दर पर प्रबंधन विचार करता है।

मोर्टालिटि रेट देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मोर्टालिटि तालिका पर आधारित होता है। वह मोर्टालिटि टेबल डेमोग्राफिक बदलावों के रेसपोंस के इंटरवल में केवल बदलता है। भविश्य में वेतन बढ़ोतरी और गेच्युटि में बढ़ोतरी अनुमानित भावी इनफलेशनदर पर होता है।

2.16.3.5 वित्तीय इंसट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मापन

जब वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य तुलन पत्र में दर्ज हो जाता है तब डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसके मूल्य, सक्रिय बाजार में उल्लेखित मूलय पर आधारित नहीं किया जा सकता है। इन मॉडल के लिए इनपुट, जहाँ संभव हो, ओबजरवेबल मार्केट से लिया जाता है, परंतु जहाँ संभव नहीं है वहाँ फेयर वैल्यू को संस्थापित करते हुए जजमेंट की डिग्री की आवश्यकता होती है। जजमेंट में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और वोलाटिलिटि जैसे इनपुट पर विचार शामिल है। इन फैक्टर के एजम्पसन से परिवर्त्तन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के रिपोर्टेड फेयर वैल्यू पर प्रभाव पड़ सकता है

टिप्पणी 38 :

31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी

1. उचित मूल्य माप

क) श्रेणीवार वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

(करोड़ रु. में)

	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :		-		-
सहायक कंपनी में प्रीफरेंश शेयर - इक्विटी अवयव - डेटा अवयव		-		-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी		-		-
लोन		-		-
जमा और प्राप्य		59.89		90.96
व्यापार प्राप्य		579.98		611.38
नकद एवं नकद इक्विवैलेंट		135.62		179.27
अन्य बैंक शेष		-		-
वित्तीय देयताएँ		-		-
उधारी		-		-
ट्रेड पेएबल्स		178.65		217.94
सिक्युरिटि जमा एवं अर्नेस्ट मनी		8.36		10.09
अन्य देयताएँ		70.24		57.59

(ख) उचित मूल्य का सोपानक्रम

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य के निर्धारण में जजमेंट और प्राक्कलन को दर्शाने वाली तालिका में (क) उचित मूल्य पर रिकोगनाइज्ड और मेजरमेंट (ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर माप जिसके लिए वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया उचित मूल्य है। फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट्स के रिलिएविलिटी के बारे में सूचना (दिशा–निर्देश) उपलबध कराना है, ग्रूप को एकाउन्टिंग स्टैर्न्डड के तहत निर्धारित तीन स्तरों मं इसके वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में वर्गीकृत करता है। प्रतयेक स्तर की व्याख्या नीचे की तालिका में दी गई है।

(करोड़ रु. में)

परिशोधान लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है	31 मार्च, 2019			31 मार्च, 2018		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयता						
अन्य देयताएँ	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रु. में)

परिशोधान लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है, मूल्य का उल्लेख 31 मार्च, 2019 को किया गया है।	31 मार्च, 2019			31 मार्च, 2018		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :			-			-
प्रिफरेंश शेयर - इक्विटी अवयव - डेट अवयव						
- अन्य निवेश			-			-
लोन			-			-
जमाएँ और प्राप्य			59.89			90.96
व्यापार प्राप्य			579.98			611.38
नकद और नकद समतुल्य			135.62			179.27
अन्य बैंक बैलेंस			-			-
वित्तीय देयताएँ			-			-
उधारियाँ			-			-
व्यापार देय			178.65			217.94
सिक्योरिटी जमा और बयाना राशि			8.36			10.09
अन्य देयताएँ			70.24			57.59

स्तर 1 : स्तर 1 सोपानक्रम में वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की माप उल्लेखित मूलय का उपयोग कर मापी की जाती है। इसमें म्यूचुअल फंड, जिसका कोटेड मूल्य है और जो क्लोजिंग एनएवी का उपयोग कर मूल्यांकित की जाती है।

स्तर 2 : वित्तीय इस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू जिसे सक्रिय बाजार में ट्रेड नहीं किया जाता है को वैल्यूएशन तकनीक जो ऑब्जर्बेवल मार्केट डाटा का उपयोग मैक्सिमाइज कर तथा इनटिटि–स्पेसिफिक एस्टीमेंट पर कुछ संभव का निर्धारण किया जाता है। फेयर वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जर्वेशन के योग्य है, को सभी महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है वैसे इंस्ट्रूमेंट को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि महत्वपूर्ण इनपुट का एक या अधिक ऑब्जर्बेवल मार्केट पर आधारित नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इक्विटि सिक्युरिटि, प्रिफरेंस शेयर, उधारी, सिक्युरिटि डिपाजिट, लोन, पेशागत

प्राप्त, नकद एवं नकद तुल्य और अन्य देयताओं/परिसंपत्तियों का यह मामला है जिसे स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग) फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वैल्यू फायनासियल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक में शामिल है

- म्युचुअल फंडों में निवेश के संबंध में उल्लिखित बाजार मूल्य (NAV) का उपयोग

घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना :

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना नहीं किया जाता है।

ड.) एमोर्टाइन्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का फेयर वैल्यू एवं देयताओं की गणना

- पेशागत वसूली, अल्पकालीन जमा, नकद और नकद समतुल्य, पेशागत देय का कैरिंग अमाउण्ट (वहनीय राशि) को उसके उचित मूल्य पर समान माना गया है, क्योंकि उसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है।
- कंपनी का विचार है कि सिक्युरिटी डिपॉजिट को महत्वपूर्ण फाइनानसिंग कम्पोनेंट में शामिल नहीं किया गया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित माइन स्टोन पेमेंट (सिक्युरिटी डिपॉजिट) का समन्वय करता है और वित्त के प्रावधान के अलावे अन्य कारणें के लिए रिटेंड किए जाने वाली अपेक्षित राशि का करार करता है। प्रत्येक माइन स्टोन पेमेंट के स्पेसिफाइड प्रतिशत के विथहोल्डिंग के लिए करार के तहत अपने ओबलिगेशन को पूरा करने में ठेकेदार असमर्थ होता है तो कंपनी के हित के लिए माइल स्टोन पेमेंट किया जता है। तद्नुसार सिक्युरिटी डिपॉजिट के लेनदेन की लागत को शुरूआती रिकोगनिशन के फेयर वैल्यू और अमोरटाइज्ड लागत माप पर फेयर वैल्यू पर विचार किया गया है।

  महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय इंस्ट्रूममेंट का फेयर वैल्यू जिसे एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, को मूलयांकन तकनीकी का उपयोग कर निर्धारण किया जाता है। कंपनी मेथड का चयन करने के लिए अपने जजमेंट का उपयेाग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त एजम्पसन बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीति

कंपनी का सिद्धांत वित्तीय देयताएँ, कम्प्राइज लोन और उधारी, पेशा और अन्य देय है। इस वित्तीय देयता का मुख्य ध्येय कंपनी के परिचालन के लिए वित्त और इसके संचालन के सपोर्ट में गारंटी, उपलब्ध कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में ऋण, पेशा और अन्य प्राप्ति तथा नकद एवं नकद तुलयमान शामिल है जो सीधे इसके परिचालन से संबंधित है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट रिस्क और तरलता जोखिम को बतलाता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन इस जोखिम प्रबंधन की देख–रेख करता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए उपर्युक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन फ्रेमवर्क तथा वित्तीय जोखिम पर सलाह और इंटर एलिया देता है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी का वित्तीय जोखिम कार्य–कलाप समुचित नीति और प्रक्रिया द्वारा शासित होती है तथा वित्तीय जोखिम कंपनी की नीति और जोखिम के उद्देश्य के अनुरूप चिन्हत मापित और मैनेज किया जाता है। निदेशक मंडल इसकी समीक्षा करता है और इन जोखिमों के प्रत्येक के लिए मैनेज करने की नीति पर सहमत होता है, जिसे नीचे दिया जा रहा है।

कंपनी मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को बताता है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को व्यक्त करता है, जिसे इनटिटि प्रकट होती है और यह बतलाती है कि इनटिटि जोखिम को कैसे मैनेज करता है और वित्तीय विवरण में हेज एकाउन्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा को बतलाता है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	मेजरमेंट	प्रबंधन
ऋण जोखिम	एमोरटाइज्ड लागत पर नकद और नकद तुल्यमान, पेशागत वसूली वित्तीय एसेटमेजरड	एजिंग विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), बैंक डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटिज को विविधिकरण।
लिक्विडिटी जोखिम	उधारी एवं अन्य देयताएँ	पिरीओडिक कैश फ्लो	कमिटेड क्रेडिट लाइन्स और उधारी सुविधाओं की उपलब्धता।
बजार जोखिम विदेशी विनियम	भावी व्यवसायिक लेनदेन, रिकोगनाइज्ड वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएँ आईएनआर में डिनोमिनेटेड नहीं है।	कैश फ्लो फोरकास्ट सेनसिटिविटी विश्लेषण	वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	कैश फ्लो फोर कास्ट सेनसिवीटी विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।

कंपनी जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के निर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा संपन्न किया जाएगा। मंडल एक्सेस तरलता को शामिल करने की नीति के साथ–साथ समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत (प्रिंसिपल) उपलबध कराता है।

क. **क्रेडिट जोखिम :** क्रेडिट जोखिम आउटस्टैंडिग रीसिवेबल के साथ–साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास जमा और नकद तथा नकद समतुल्य से उत्पन्न होता है।

क्रेडिट की अपेक्षित हानि : कंपनी संदेहास्पद/क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट की अपेक्षित हानि क्रेडिट की अपेक्षित हानियों के जीवनकाल द्वारा उपलब्ध कराती है (सप्लीकृत दृष्टिकोण)।

सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों के लिए क्रेडिट की अपेक्षित हानियाँ इस प्रकार है :

	31.03.2019	31.03.2018
सकल वाहक राशि	583.84	614.11
अपेक्षित हानि दर	0.66%	0.44%
अपेक्षित क्रेडिट भत्ता हानि	3.86	2.73

31.03.2019

एजिंग	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वाहक राशि	287.18	130.90	103.93	15.57	18.08	28.18	583.84
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	13.70%	0.66%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	3.86	3.86

31.03.2018

एजिंग	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वाहक राशि	313.16	156.57	81.67	27.01	7.97	27.73	614.11
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	9.84%	0.44%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	2.73	2.73

हानि अलाउन्स प्रावधान का रिकान्सीलिएशन-व्यापार प्राप्य (करोड़ रू. में)

1.4.2018 को हानि अलाउन्स	2.73
हानि अलाउन्स में परिवर्तन	1.13
31.3.2019 को हानि अलाउन्स	3.86

वित्तीय परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण लागत और जजमेंट्स इम्पेयरमेंट

उपर्युक्त में दर्शित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए इम्पेयरमेंट प्रावधान रिस्क ऑफ डिफाल्ट और संभावित हानि पर के जोखिम में छूट के आधार पर है। कंपनी इन छूट के लिए जजमेंट और इम्पेयरमेंट की गणना के इनपुट का चयन कंपनी के विगत इतिहास–वर्तमान बाजार की स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रिम लागत पर आधारित होता है।

ख. तरतला जोखिम

विश्वसनीय तरलता जोखिम प्रबंधन में आवलीगेशनस जब बकाया हो को पूरा करने के लिए कमिटेड क्रेडिट सुविधा के सुविधा के द्वारा कोष की उपलबधता और बाजारयोग्य सिक्यूरिटि तथा पर्याप्त नकद शामिल है। अंडर लाईंग व्यवसाय, ग्रुप ट्रेजरी की डायनमिक प्रकृति के कारण कमिटेड क्रेडिट लाइन्स के तहत उपलब्धता को बनाकर कोष में लचीलापन बनाए रखना है।

प्रबंधन भावी नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समतुल्य के कंपनी तरलता स्थिति (कम्प्राइजिंग द अंडर ड्रान बौरेविंग फेसिलिटि बिलो) के पूर्वानुमान का मानीटर करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा प्रैक्टिस और लिमिट सेट के अनुसार ग्रुप के परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर संपन्न किया जाता है।

ग. बाजार जोखिम

क) विदेशी करेंसी जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम; भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन और एक मुद्रा में पहचानी गई परिसंपत्तियों या वर्णित देयताएँ हैं जो कि कंपनी की कार्यशील मुद्रा नहीं है आईएनआर कंपनी इम्पोर्ट भी करती है। कंपनी की एक नीति है जिसमें फोरेन करेंसी जोखिम हो और वह महत्वपूर्ण हो तब यह नीति क्रियान्वित होती है।

ख) नकद प्रवाह और फेयर वैल्यू इंटरेस्ट रेट रिस्क

कैशफ्लो इंटरेस्ट रेट जोखिम कंपनी के ब्याज दर में परिवर्त्तन के साथ ही बैंक डिपाजिट से होता है। कंपनी की पौलिसी फिक्सड रेट पर अधिकांश डिपोजिट को बनाए रखना है। बैंक डिपाजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य

सिक्यूरिटी के विविधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के दिशा–निर्देश का उपयोग कर जोखिम को मैनेज करता है।

पूँजीगत प्रबंधान

कंपनी सरकारी एनटीटी होने के कारण अपनी पूँजी को वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट के दिशा–निर्देश के अनुसार मैनेज करती है।

कंपनी की पूँजीगत संरचना इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

	31.03.2019	31.03.2018
इक्विटी शेयर कैपिटल	38.08	38.08
फ्रिरेंस शेयर कैपिटल	शून्य	शून्य
दीर्घकालीन ऋण	शून्य	शून्य

3. कर्मचारी लाभ : पहचार और मापन (आईएनडी एएस–19)

क) ग्रेच्यूटीः

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना और भागीदारी के तौर पर ग्रेच्यूटी को; भारतीय जीवन बीमा के द्वारा मेन्टेन करने के लिए अधिकृत किया गया है। परिभाषित लाभ ग्रेच्यूटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों के उचित मूलय से कम है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग कर एक्चुरीज द्वारा परिभाशित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना की जाती है। समायोजनों तथा एक्चुरीयल परिकलनों से उत्पन्न पुनर्मापित लाभों और हानियों की पहचान स्पश्ट तौर पर अन्य व्यापक आय के अंतर्गत, उसी अवधि में की जाती है, जिस अवधि में इस तरह के लाभ या हानियाँ हुई हैं।

ख) अर्जित अवकाश

अर्जित अवकाश के लिए दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की जाती है। इसीलिए प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर अर्जित अवकाश के लिए भविष्य में अपेक्षित भुगतान की गणना वर्तमान मूल्य पर की जाती है। यह भुगतान कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उपलब्ध कराई गई सेवा के संदर्भ में दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मार्केट सिल्ड्स का प्रयोग करते हुए लाभों की छूट दी जाती है, जो संबंधित दायित्व की शर्तों से जुड़ा होता है। समायोजनों तथा एक्चुरिअल परिकलनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः किए जाने वाले मापनों का उल्लेख अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

ग) भविष्य निधि :

कंपनी ने भविष्य निधि और पेंशन फंड के मद में पूर्व निर्धारित दर पर कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट को स्थायी अंशदान का भुगतान किया है। सीएमपीएफ ने फंड का निवेश अनुमति प्राप्त सिक्योरिटी में किया है। विवेच्य अवधि के दौरान उपर्युक्त मद में 47.67 करोड़ (रू. 33.06 करोड़) के अंशदान का उल्लेख लाभ और हानि विवरण (नोट 28) में किया गया है।

घ) कंपनी कुछ डिफाइम्ड बेनीफिट प्लान को चलाती है जिसका मूल्य एक्चूरियल आधाार पर तय होता है

(i) निधित

- ग्रेच्युटि

(ii) गैर-निधित

- छुट्टी नकदीकरण
- लाइफ कवर योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यूरेंस
- लीव ट्रेवल कंसेसन
- चिकित्सा लाभ
- खान एक्सीडेंट बेनीफिट पर आश्रित को क्षतिपूर्ति

एक्चयुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित 31.03.2019 कुल देयता 317.54 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

31.03.2019 को एक्च्यूरियल देयताः

(करोड़ रु. में)

मद	01.04.2018 को ओपनिंग एक्यूचिरियल	वर्ष के दौरान इनक्रीमेंटल देयता	31.03.2019 को क्लोजिंग एक्यूचिरियल
ग्रेच्यूटी	167.54	-5.47	162.07
अर्न लीव	53.11	2.30	55.41
हाफ पे लीव	20.44	1.15	21.59
लाइफ कवर योजना	0.62	-0.01	0.61
सेटलमेंट अलाउंस एक्जीक्यूटिव	3.11	-0.47	2.64
सेटलमेंट अलाउंस गैर–अधिकारी	0.90	-0.03	0.87
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा योजना	0.05	-	0.05
लीव ट्रेवल कंसेसन	18.40	-14.95	3.45
चिकित्सा लाभ अधिकारी	64.02	-0.11	63.91
चिकित्सा लाभ गैर–अधिकारी	4.85	2.09	6.94
ब्खान एक्सीडेंटल मृत्यु के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति / मुआवजा	-	-	-
कुल	333.04	-15.50	317.54

(iii) एक्चुअरी के प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :

ग्रेच्युटि (निधित) और छुट्टी नकदीकरण (निधित) के लिए कर्मचारी बेनीफिट हेतु एक्चुअरी के प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :–

31.03.2019 के अनुसार ग्रेच्युटि देयता का वास्तविक मूल्यांकन
आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्त्तमान मूल्य में परिवर्त्तन	31.03.2019
गत मूल्यांकन के अनुसार आबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	167.54
करेंट सेवा लागत	10.79
इंटरेस्ट कॉस्ट	11.40
पार्टिसीपेन्ट कंट्रीब्यूशन	-
योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोरसन	-
योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोरसन	-
वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	1.65
डेमोग्राफिक एजम्पसन में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
अन एक्सपेक्टेड अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	3.78
अन्य कारण से कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
विदेशी विनिमय दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	-
प्रदत्त लाभ	33.09
एक्यूजीशन समायोजन	-
ओबलिगेशन का निपटान/स्थानांतरण	-
करटेलमेंट लागत	-
सेटलमेंट लागत	-
अन्य (मूल्यांकन तिथि की समाप्ति पर अनसेटल्ड देयता)	
मूल्यांकन तिथ पर ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	162.07

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

निम्न के अनुसार योजना परिसंपत्ति को फेयर वैल्यू में परिवर्त्तन	31.03.2019
अवधि की शुरूआत में योजना परिसंपत्तियों का फेयर वैल्यू	37.59
ब्याज पर आय	2.84
नियोक्ता का अंशदान	18.00
पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	-
एक्वीजिशन/बिजनेस कम्बिनेशन	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-
प्रदत्त लाभ	33.09
एसेट सीलिंग का प्रभाव	-
विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	-
एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय तथा इंश्योरेंस प्रीमियम	-
इंटरेस्ट इनकम को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-0.96
मापन अवधि के अंत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	24.38

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

तुलन पत्र के रीकानसिलिएशन दर्शाता हुआ	31.03.2019
निधि की स्थिति	-137.69
अनरीकोगनाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट	-
अवधि के दौरान अनरिकोगनाइज्ड एकच्यूरियल लाभ / हानि	-
पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	-
अनफंडेड एक्रूएड / प्रीपेड पेंशन कॉस्ट	-
परिसंपत्ति निधि	24.38
देयता निधि	162.07

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

प्लान एजम्पसन को दर्शाती तालिका	31.03.2018
डिस्काउन्ट दर	7.75%
प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न	7.75%
बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की दर (सैलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00% गैर–अधिकारी के लिए 6.25 %
पेंशन वृद्धि दर	N/A
औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15,16
देयताओं का औसत अवधि	15,16
मोर्टालिटि तालिका	आईएमएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
उम्र पर सेवा–निवृति पुरूष	60
उम्र पर सेवा–निवृति महिला	60
पूर्व सेवा निवृति एवं डिसएबलमंट (सभी संयुक्त कारणों)	0.30%

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2019
चालू सेवा लागत	10.79
गत सेवा लागत (वेस्टेड)	-
पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	-
निबल ब्याज लागत	8.56
सेटलमेंट पर लागत (हानि / (लाभ)	-
करटेलमेंट पर लागत (हानि / (लाभ)	-

केवल गत वर्ष के लिए लागू वासतविक लाभ/हानि	-
कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	-
विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	-
लाभ लागत(लाभ/हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	19.35

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

अन्य कमप्रेहेनसिव आय	31.03.2019
वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	1.65
डेमोग्राफिक छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	0.00
असंभावित अनुभव के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	3.78
अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	5.43
ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-0.96
एसेट सिलिंग का प्रभाव	
अवधि के अंत में शेष	6.39
ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	6.39

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31.03.2019
नकद और नकद समकक्ष	-
निवेशित राशि	-
डेरिवेटिव्स	-
संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-
संरचित ऋण	-
अचल सम्पदा	-
विशेष जमा योजना	-
राज्य सरकार प्रतिभूति	-
भारत सरकार एसेट्स	-
कॉर्पोरेट बांड	-
ऋण प्रतिभूतियाँ	-
वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-
अन्य	-
कुल	-

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति के कुल : आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31.03.2019
नकद और नकद समकक्ष	-
निवेशित राशि	-
डेरिवेटिव्स	-
संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-
संरचित ऋण	-
अचल सम्पदा	-
विशेष जमा योजना	-
राज्य सरकार प्रतिभूति	-
भारत सरकार एसेट्स	-
कॉर्पोरेट बांड	-
ऋण प्रतिभूतियाँ	-
वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-
अन्य	-
कुल	-

तालिका 9: प्रकटीकरण आइटम

मोरटालिटि तालिका	
उम्र	**मोरटालिटि (प्रति वर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 10 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

सेंसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2018	
	वृद्धि	कमी
छूट की दर (–/+0.5 प्रतिशत)	157.04	167.50
बेसड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-3.11%	3.35%
वेतन वृद्धि (–/+0.5 प्रतिशत)	164.65	159.49
सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	1.59%	-1.60%
एट्रीशन दर (–/+0.5 प्रतिशत)	162.22	161.93
सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.09%	-0.09%
मोरटालिटि दर (–/+10 प्रतिशत)	162.95	161.19
सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.54%	-0.54%

तालिका 11 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

नकद प्रवाह सूचना दर्शाती तालिका	
अगले वर्ष कुल (अपेक्षित)	155.04
न्यूनतम धन की आवश्यकताएं	156.60
कंपनी का विवेक	-

तालिका 12 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

भविष्य के भुगतानों की अनुमानित जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका	
वर्ष	करोड़ रू. में
1	26.79
2	24.22
3	25.92
4	21.32
5	17.11
6 से 10	69.15
10 वर्ष से अधिक	150.47
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्टेड पेमेंट्स	334.96
ब्याज के लिए लेस डिस्काउन्ट	168.46
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	166.50

तालिका 13 : प्रकटीकरण आइटम

नेट पीरियोडिक बेनेफिट कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड के आउटलुक नेक्स्ट ईयर कंपोनेंट्स को दर्शाने वाली तालिका	
	करोड़ रू. में
वर्तमान सेवा लागत (नियोक्ता भाग केवल) अगली अवधि	10.81
ब्याज लागत अगली अवधि	11.23
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	12.24
गैर–मान्यता प्राप्त पिछली अवधि की सेवा लागत	-
अवधि के अंत में गैर–मान्यता प्राप्त एक्चुरियल / लाभ हानि	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-
कर्टेलमेंट लागत	-
अन्य (एक्चुरियल लाभ / हानि)	-
लाभ लागत	9.80

तालिका 14 : निबल देयता का पृथक्करण (करोड़ रु. में)

मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2019
चालू देयता	25.83
गैर–चालू देयता	140.67
निबल देयता	166.50

31.03.2019 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का वास्तविक मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण–पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेज़न के वर्तमान वैल्यू में परिवर्तन	31.03.2019
गत मूल्यांकन के आधार पर ओबलिगेशन का वर्त्तमान वैल्यू	73.56
चालू सेवा लागत	4.54
ब्याज लागत	4.93
पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	-
प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोर्सन	-
प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोर्सन	-
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	1.09
डेमोग्राफिक पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
असंभावित अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	9.54
अन्य कारण के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-

विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन से प्रभाव	-
प्रदत्त लाभ	16.65
अर्जन समायोजन	-
ओबलिगेशन का निपटान/स्थानांतरण	-
करटेलमेंट लागत	-
सेटलमेंट लागत	-
अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अनसेटल्ड देयता)	-
मूल्यांकन तिथि के अनुसार ओवलिगेशन का वर्तमान वैल्यू	77.00

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

निम्न के अनुसार प्लान एसेट के फेयर बैल्यू में परिवर्त्तन	**31.03.2019**
अवधि की शुरूआत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	-
ब्याज से आय	-
नियोक्ता का अंशदान	-
सहभागी अंशदान	-
अर्जन/व्यवसाय समन्वय	-
सेटलमेंट लागत	-
प्रदत्त लाभ	-
परिसंपत्ति की सीलिंग पर प्रभाव	-
विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन पर प्रभाव	-
प्रशासनिक व्यय और इंश्योरेंस प्रीमियम	-
ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-
मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्ति का फेयर प्लान	-

तालिका 3 : डिस्कोजर आइटम

(करोड़ रु. में)

तुलन पत्र के लिए रिकनसिलिएशन दर्शाती तालिका	**31.03.2019**
निधि की स्थिति	-77.00
अनरीकोगनाइज्ड गत सेवा लागत	-
अवधि के अंत में अनरिकोगनाइज्ड वास्तविक लाभ/हानि	-
पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	-
अनफंडेड एक्रुएड/प्री पेड पेंशन लागत	-
निधि परिसंपत्ति	-
निधि की देयता	77.00

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

प्लान एजम्पन दर्शाती तालिका	31.03.2019
छूट दर	7.75%
प्लान परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न	N/A
बढ़ी क्षतिपूर्ति की दर (सेलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00% एवं कर्मचारी के लिए 6.25%
पेंशन में वृद्धि दर	N/A
औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15,16
देयताओं की औसत अवधि	15,16
मोरटालिटि तालिका	आईएएलएम 2006-08 अल्टीमेंट
उम्र पर सेवा निवृत्ति–पुरूष	60
उम्र पर सेवा निवृत्ति–महिला	60
जल्दी सेवा निवृत्ति एव ंडिसएक्लमेंट (सभी कारण संयुक्त)	0.30% प्रति वर्ष
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति	उपेक्षित

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2019
चालू सेवा लागत	4.54
गत सेवा लागत (वेस्टेड)	-
पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	-
निबल ब्याज लागत	4.93
सेटलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
करटेलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
केवल गत वर्ष के लिए लागू वासतविक लाभ/हानि	10.63
कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	-
विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	-
लाभ लागत (लाभ/हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	20.10

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

अन्य कमप्रेहेनसिव आय	31.03.2019
वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
डेमोग्राफिक छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
असंभावित अनुभव के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	-
ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-
एसेट सिलिंग का प्रभाव	-
अवधि के अंत में शेष	-
ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	-

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

मोरटालिटि तालिका	
उम्र	**मोरटालिटि (प्रति वर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रु. में)

सेंसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2019	
	वृद्धि	**कमी**
अछूट की दर (–/+0.5 प्रतिशत)	73.71	80.62
बेसड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-4.28%	4.70%
वेतन वृद्धि (–/+0.5 प्रतिशत)	80.56	73.73

सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	4.61%	-4.25%
एट्रीशन दर (–/+0.5 प्रतिशत)	77.23	76.78
सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.29%	-0.29%
मोरटालिटि दर (–/+10 प्रतिशत)	77.42	76.59
सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.54%	-0.54%

तालिका 9 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रु. में)

भविष्य के भुगतानों की अनुमानित जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका	
वर्ष	**(करोड़ रू. में)**
1	9.03
2	9.05
3	8.29
4	7.13
5	6.85
6 से 10	37.18
10 वर्ष से अधिक	132.78
अगत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्टेड पेमेंट्स	210.31
ब्याज के लिए लेस डिस्काउन्ट	133.31
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	77.00

तालिका 10 : निबल देयता का पृथक्करण (करोड़ रु. में)

मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2019
चालू देयता	8.71
गैर–चालू देयता	68.30
निबल देयता	77.00

4. मान्यतारहित आइटम

(क) आकस्मिक देयता (आईएनडी एएस-37)

कंपनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में (ब्याज सहित, जहाँ लागू हो) नहीं माना गया है।

(क1) (करोड़ रु. में)

कंपनी के विरूद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में नहीं माना गया			
		31.03.2019	**31.03.2018**
1	**केंद्रीय सरकार** **आय कर** **सेवा कर** रायल्टी सेंट्रल एक्साइज	 17.71 9.06	 17.71 9.39
2	**राज्य सरकार और स्थानीय अथारिटी** बिक्री कर प्रवेश कर		
3	**सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज** लिटिगेशन के तहत कंपनी के विरूद्ध सुईट		
4	**अन्य**	4.69	4.73
	कुल	**31.46**	**31.83**

अन्य (क 2) (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	ब्यौरे	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य इलाके	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2018 के अनुसार ओपनिंग	27.10			4.73	31.83
2	वर्ष के दौरान जोड़	0.01			0.47	0.48
3	वर्ष के दौरान दावों का निपटान कया गया year					
	क. ओपनिंग बैलेंस से	0.34			0.51	0.85
	ख. वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त					
	ग. वर्ष के दौरान निर्धारित कुल दावे (क+ख)	0.34			0.51	0.85
4	31.03.2019 के अनुसार क्लोजिंग	26.77			4.69	31.46

ख) वचनबद्धता (आईएनडीएएस-37)

पूँजीगत लेखे पर गणन किए जाने के लिए कंट्रेक्ट की भोश राशि की प्राकलित राशि जिसे अन्य को नहीं दिया गया है वह 10.42 करोड़ (7.81करोड़ रूपए) है।

अन्य प्रतिबद्धताएं 663.71 करोड़ (849.71 करोड़) हैं।

ग) गारंटी

कंपनी ने 0.14 करोड़ (0.14 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी है जिसे कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर प्रभारित किया गया है।

5 . अन्य सूचना

क) प्रावधान

कर्मचारी लाभ से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को छोड़कर, विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और गतिविधि, जो कि 31.03.2019 को यथोचित हैं, नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

प्रावधान	1.04.2018 के अनुसार अर्थशेष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान के दौरान वृद्धि	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान राइट बैक/समायोजन	डिस्काउन्ट की अनवाईडंग	31.03.2019 के अनुसार इतिशेष
टिप्पणी 1 :- प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण: परिसंपत्तियों की क्षति :					
टिप्पणी 2 :- पूंजीगत कार्य जारी: सीडब्ल्यूआईपी की तुलना में :					
टिप्पणी 3 :- गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति : प्रावधान एवं क्षति :					
टिप्पणी 1 :- बिक्री के लिए रखा गया गैर चालू परिसंपत्तियाँ : प्रावधान :					
सटिप्पणी 8 :- ऋण : अन्य ऋण :					
टिप्पणी 9 :- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ अनुषंगी कम्पनियों के पास चालू खाता : वसूली योग्य दावे : अन्य वसूली योग्य :					
टिप्पणी 10 :- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ : गवेषणात्मक वेधन कार्य : यूटिलिटिज के लिए सिक्युरिटि जमा के अगेंस्ट :					
टिप्पणी 11 :- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :					
राजस्व के लिए अग्रिम :	0.03				0.03
सांविधिक बकाये के अगेंस्ट अग्रिम भुगतान :					
अन्य जमा :	0.05				0.05
अन्य वसूली योग :					
टिप्पणी 12 :- वस्तु सूची :					
कोयले का स्टॉक :					
स्टोर एवं स्पेयर का स्टॉक :	0.63		-0.03		0.60
टिप्पणी 13 :-पेशागत वसूली :					
डूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :	2.73		1.13		3.86
टिप्पणी 21 :-गैर चालू एवं चालू प्रावधान :					
कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन :	63.71	52.79	-13.46		103.04
एनसीडब्ल्यूए :	30.28		-24.99		5.29
अधिकारी वेतन रीविजनः	53.00	7.01	-60.01		0.00
माइन क्लोजरः	92.40	2.68	-76.38		18.70
एनपीएसः					

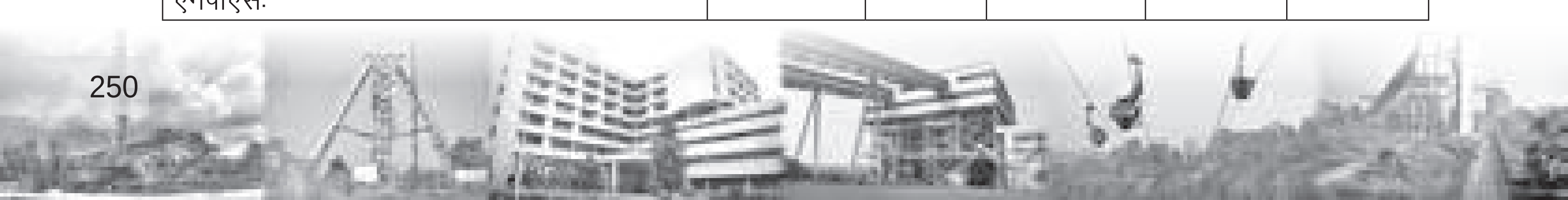

(ख) अधिकृत शेयर पूंजी

विवरण	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार
रु. 1000/– प्रति शेयर का 5,00,000 इक्विटी शेयर	50.00	50.00

(ग) प्रति शेयर अर्जन (आईएनएस एएस–33) :

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटि शेयर धारक को देने के बाद कर पश्चात् निबल लाभ	173.27	80.83
ii)	इक्विटि शेयर बकाया की भारित औसत संख्या	380800.00	380800.00
iii)	प्रति शेयर बेसिक और डायलूटेड अर्निंग्स रुपये में (फेस वेल्यू रु. 1000/– प्रति शेयर)	4550.16	2122.64

(घ) संबंधित पार्टी डिसक्लोजर (आईएनडी एएस–24)

(क) संबंधित पार्टियों की सूची

i) सहायक कंपनियां

1) इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)
2) भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)
4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (WCL)
5) साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि. (SECL)
6) नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)
7) महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)

ii) अन्य

1) एनटीपीसी

ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम
शेखर सरन	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
बी.एन. शुक्ला	निदेशक (तकनीकी)
असीम कुमार चक्रबर्ती	निदेशक (तकनीकी)
के. के. मिश्रा	निदेशक (तकनीकी)
आर. एन. झा	निदेशक (तकनीकी)
शम्भू नाथ साव	मुख्य वित्तीय अधिकारी
अभिषेक मुंधड़ा	कंपनी सचिव

मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्ण अवधि के निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव का वेतन	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालीन कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	2.22	1.63
	परक्यूजिटस	0.34	0.16
	चिकित्सा लाभ	0.02	0.04
ii)	**नियोजन पश्चात लाभ** पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	0.27	0.11
iii)	**परिभाषित लाभ के एक्चुरियल मूल्यांकन**	2.00	1.06
iv)	**सेवानिवृत्ति लाभ**	0.00	0.10
v)	**टर्मिनेशन लाभ**		
	छुट्टी नकदीकरण		
	ग्रेच्युटि	शून्य	शून्य
	कुल	**4.85**	**3.10**

टिप्पणी :

(i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्ण कालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 अप्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी. की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटिंग शुल्क	0.12	0.12

सिटिंग शुल्क का शेष बकाया

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	वसूली योग्य राशि	शून्य	शून्य

ग्रुप में संबंधित पार्टी से लेनदेन

कंपनी को सरकार से संबंधित इनटाइटी होने के कारण समान सरकार के तहत अन्य इनटाइटी के साथ शेष बकाया और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित सामान्य डिस्कलोजर की आवश्यकता से छूट है।

आईएनडी एएस 24, के अनुसार नेचर और लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण राशि को निम्नलिखित के अनुसार प्रकट किया गया है।

(करोड़ रु. में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पार्टियों का ऋण	संबंधित पार्टियों से ऋण	अपेक्स चार्ज	पुनर्वास शुल्क	पट्टा किराया आय Company	अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखे गये कोष पर ब्याज	आई आई सी एम चार्ज	चालू खाता लेने देने	बिक्री
इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)								0.18	128.90
भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)								0.81	56.08
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)								3.81	124.67
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (CCL)								0.21	138.34
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड. लि. (SECL)								5.55	503.13
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)								1.35	92.53
महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)								0.43	89.31
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)								143.05	7.93
एनटीपीसी									34.54

संबंधित पक्षों के साथ बकाया (करोड़ रु. में)

	देनदार	चालू खाता शेष	
संबंधित पक्षों का नाम	**31.03.19 को बकाया राशि की राशि**	**प्राप्य**	**देय**
इस्टर्न कोलफील्डस लि.	9.70	0.00	0.00
भारत कोकिंग कोल लि.	30.20	0.00	0.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	54.26	0.00	0.00
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि.	43.19	0.00	0.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	10.21	0.00	0.00
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड	111.52	0.00	0.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.	44.11	0.00	0.00
कोल इंडिया लिमिटेड	14.43	17.70	0.00
एनटीपीसी	14.14	0.00	0.00

ड.) कराधान (आईएनडी एएस–12)

आयकर के मद में 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खातों में 63.87 करोड़ रु. (रु.65.65 करोड़) की राशि प्रदान की जाती है।

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी इंडस्ट्रीज़ एएस –12 के अनुसार की गई गणना के आधार पर कंपनी के पास एक स्थगित कर संपत्ति (निबल) है।

आस्थगित कर की गणना

(i) आस्थगित कर आस्तियों और देयता की भरपाई की जा रही है क्योंकि वे एक ही शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर कर से संबंधित हैं।

(ii) 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च 2018 को आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता नीचे दी गई है :–

(करोड़ रु. में)

आस्थगित कर देयता :	**31.03.2019 के अनुसार**	**31.03.2018 के अनुसार**
स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित	**7.89**	**7.82**
आस्थगित कर परिसंपत्तिः		
संदिग्ध ऋण, दावे आदि के लिए प्रावधान	1.39	1.00
कर्मचारी के पृथकरण और सेवा निवृत्ति	108.98	135.53
अन्य	0.21	0.22
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**110.58**	**136.75**
निबल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता)	**102.69**	**128.93**

क) लेखे के लिए बने प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले / नॉन–मूविंग / अप्रचलित स्टोर्स, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ख) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार में अचल परिसंपत्ति और गैर–चालू निवेश के अलावे परिसंपत्ति सामान्य कार्यव्यवहार वाले व्यवसाय में होता है तथा जो कम–से–कम राशि (लेखे) के बराबर होता है, जिसका उल्लेख किया गया है।

ग) चालू देयताएँ :

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

घ) बैलेंस की संपुष्टि

शेष की सम्पुष्टि/समाधान में नकद एवं बैंक शेष कुछ ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालीय देयता और चालू देयता शामिल है। सभी संदिग्ध अनकनफर्म्ड शेष के विरूद्ध प्रावधान किया गया है।

ड.) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत सामान	2.12	8.48
(iii) भंडार, पूर्जे एवं कम्पोनेंट	0.69	0.66

च) विदेशी करेंसी में खर्च :

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	0.39	0.18
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	शून्य	शून्य
स्टोर्स एंड स्पेयर्स	शून्य	शून्य
पूँजीगत सामान	शून्य	शून्य
अन्य	2.82	8.92

छ) विदेशी करेंसी में अर्जन :

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य

ज) स्टोर एवं स्पेयर (संदर्भ नोट संख्या-26) की कुल खपत (करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) स्वदेशी	23.54	100.00	25.92	100.00

झ) **(i)** वत्त वर्ष 2017–18 में बिक्री बिल की ओवरबुकिंग 15.25 करोड़ थी, जिसके कारण वित्त वर्ष 2017–18 का लाभ उतनी ही राशि से अधिक हो गया था, जीएसटी देयता 2.74 करोड़ और देनदारी 17.99 करोड़ से अधिक हो गया था। बिक्री की यह ओवरबुकिंग वर्तमान लाभ और हानि खाते में समाप्त होने वाली अवधि 31.03.2019 के लिए समायोजित की गई है।

(ii) आईएनडी एस के अनुसार परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उस तारीख से लिया गया है, जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध थी। कुछ परिसंपत्तियों पर इस मूल्यह्रास के अनुपालन के लिए मौजूदा अवधि के लाभ और हानि में 12 से अधिक महीनों के लिए शुल्क लिया गया है।

ञ) राजस्व जानकारी अलग-अलग रूप में : (करोड़ रु. में)

	31.03.2019	31.03.2018
वस्तु या सेवा का प्रकार		
- कोयला		
- अन्य	1274.56	1154.75
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व		
ग्राहकों के प्रकार		
- पावर सेक्टर	29.27	25.28
- नॉन–पावर सेक्टर	1245.29	1129.47
- अन्य या सेवाए (CMPDIL)		
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	1274.56	1154.75
अनुबंध के प्रकार		
- एफएसए		
- गई नीलामी		
- अन्य	1274.56	1154.75
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	1274.56	1154.75

वस्तु या सेवा का समय		
- समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित वस्तुएं		
- समय के साथ स्थानांतरित वस्तुए		
- समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित सेवाएँ	350.98	294.59
- समय के साथ स्थानांतरित सेवाएँ	923.58	860.16
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**1274.56**	**1154.75**

अन्य

i) पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़े जहां आवश्यक समझे गए हैं, फिर से व्यक्त, एकत्रित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ii) 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट– 3 से 23 दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र के भाग का निर्माण करते हैं और नोट– 24 से 37 उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण के भाग का निर्माण करते हैं। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 37 तक के लिए हस्ताक्षरित।

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(एस.एन. साव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(बी.एन. शुक्ला)
निदेशक
डीआईएन 07367625

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271 सी

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

तिथि : 25 मई, 2019
स्थान : राँची

www.cmpdi.co.in

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

एक मिनीरत्न कम्पनी (कैटगरी - I)

आइएसओ 9001:2015 प्रमाणित

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची - 834031